



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 602]
No. 602]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 3, 1987/अग्रहायण 12, 1909
NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 3, 1987/AGRHAAYANA 12, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

रेल मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 1987

सा.का.नि. 951(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल संरक्षण बल अधिनियम,
1957 (1957 का 23) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् ॥

रेल संरक्षण बल नियम, 1987

अध्याय-1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1.1 इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल संरक्षण बल नियम, 1987 है।

1.2 ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

1.3 ये नियम ऐसे सभी व्यक्तियों को लागू होंगे जो अधिनियम के
अध्यधीन हैं:

परन्तु नियम 83 से 86 के उपबंध प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए गए
वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य अभ्यावेष्टित बल-सदस्यों और संविदा पर
नियुक्त किए गए अधिकारियों को लागू नहीं होंगे, जो स्वयं अपने नियमों
और प्रतिनियुक्ति के निबंधनों द्वारा या, यथास्थिति, अपनी संविदा की
शर्तों द्वारा शामिल होते रहेंगे।

2. परिभाषाएं

इन नियमों, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अभिन्न न हो, —

!(क) "अधिनियम" से रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 (1957
का 23) अभिप्रेत है;

!!(ख) "साज-सज्जा" से उपस्कर और पाशान की ऐसी वैयक्तिक
वस्तुएं अभिप्रेत हैं जिनका महानिदेशक समय-समय पर अनु-
मोदन करे और जो बल-सदस्य को उनके प्रयोग के लिए दी
जाए;

(ग) "बदालियन" से बल का ऐसा यूनिट अभिप्रेत है जिसका महा-
निदेशक द्वारा बदालियन के रूप में गठन किया जाता है;

(घ) "मुख्य सुरक्षा आयुक्त" से अभिप्रेत है ऐसा अधिकारी, जो उप-
महानिरीक्षक की पक्ति से नीचे का न हो और जो किसी

आंचलिक रेल में बल का प्रधान अधिकारी है, या महा-निदेशक के मुख्यालय में या बल की कितनी अन्य विरचना में इस प्रकार नियुक्त कोई वरिष्ठ अधिकारी;

- (ङ) "बंद गिरफ्तारी" से बल या बल की टुकड़ी या क्वार्टर गार्ड चौकी के भवन या किसी गार्ड के भारसाधन के अधीन तम्बू में किसी अभ्यावेष्टित बल-सदस्य का परिरोध अभिप्रेत है;
- (च) "जांच न्यायालय" से ऐसा न्यायालय अभिप्रेत है जिसका समा-पतित्व किसी ऐसे बल-सदस्य द्वारा जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, किया जाए और जिसका किसी अनुशासनिक विषय या नियम 285 में विनिर्दिष्ट किसी अन्य विषय का अन्वेषण करने के लिए गठन किया जाए;
- (छ) बल के संबंध में, "टुकड़ी" के अन्तर्गत बल के किसी भाग की ऐसी टुकड़ी है जिससे मुख्यालय से दूर झूठी पर जाने की अपेक्षा की गई है या जाने का आदेश दिया गया है;
- (ज) "निर्देश" से नियम 28 के अधीन महा-निदेशक द्वारा दिए गए निर्देश अभिप्रेत है;
- (झ) "मंडल" से रेल का वह प्रभाग अभिप्रेत है जो सुरक्षा के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार या महा-निदेशक द्वारा मंडल घोषित किया जाता है;
- (ञ) "मंडल सुरक्षा आयुक्त" से अभिप्रेत है ऐसा अधिकारी जो कमांडेंट की पंक्ति से नीचे का न हो और जो किसी मंडल में या किसी रेल स्थापन में या रेल से संबंधित किसी अन्य स्थान में बल का प्रधान है;
- (ट) "विद्यमान रेल नियम" से अभिप्रेत है भारतीय रेल साधारण संहिता, भारतीय रेल स्थापन संहिता, भारतीय रेल स्थान निर्देशिका, भारतीय रेल लेखा विमान संहिता, भारतीय रेल स्टोर विभाग संहिता, भारतीय रेल इंजीनियर विभाग संहिता, में अन्तर्विष्टनियम, जिनके अन्तर्गत रेल सेवकों के लिए भारतीय रेल अधिनियम, 1890 के अधीन बनाए गए नियम हैं;
- (ठ) "खुली गिरफ्तारी" से किन्हीं बैरकों, लाइनों या कैम्प की जो तत्समय बल की किसी टुकड़ी में अधिभोग में है, प्रसीमाओं के भीतर किसी अभ्यावेष्टित बल-सदस्य का परिरोध अभिप्रेत है;
- (ड) "चौकी" से कोई यूनिट या स्थान अभिप्रेत है जो सामान्यतया या विशेषतया मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा चौकी के रूप में घोषित किया जाता है और इसके अन्तर्गत मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई रेल क्षेत्र है;
- (ढ) "रेल स्थापन" से आंचलिक रेल से भिन्न रेल का कोई ऐसा यूनिट अभिप्रेत है जो चल स्टाक, उसके पुर्जों या किसी रेल में प्रयुक्त अन्य उपकरण के अनुसंधान, विकास, डिजाइन बनाने, संनिर्माण या उत्पादन में लगा है;
- (ण) "रेल संरक्षण बल कर्मचारी परिषद्" से नियम 111.3 के अनुसार गठित बल की कर्मचारी परिषद् अभिप्रेत है;
- (त) "घारा" से अधिनियम की घारा अभिप्रेत है;
- (थ) "अनुसूची" से इन नियमों से उदाहरण अनुसूची अभिप्रेत है;
- (द) "सुरक्षा न्यायालय" से किसी अधिकारी का ऐसा न्यायालय अभिप्रेत है जिसमें नियम 30 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्तियां निहित हैं;
- (ध) "वरिष्ठ अधिकारी" से घारा 4 के अधीन बल में नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(न) "आंचलिक रेल से रेल का ऐसा प्रभाग अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा आंचलिक रेल घोषित करे;

!(प) उन सभी शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं और अधिनियम या भारतीय रेल अधिनियम, 1890 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम या भारतीय रेल अधिनियम, 1890 में हैं।

अध्याय-2]

बल का संगठन और संरचना

3. महा-निदेशक के मुख्यालय का संगठनात्मक स्वरूप

3.1 बल का समावेशन, पर्यवेक्षण और प्रशासन महा-निदेशक में निहित होगा जिसकी सहायता के लिए उसके मुख्यालय में उतने वरिष्ठ अधिकारी होंगे जितने इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किए जाएं।

4. वरिष्ठ अधिकारियों और अभ्यावेष्टित बल-सदस्यों के पद और पदनाम:

अनुसूची 1 के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट पद धारण करने वाले वरिष्ठ अधिकारी और अभ्यावेष्टित बल-सदस्य उस अनुसूची के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट हैं पदनाम से भी जाने जाएंगे।

5. अन्य वरिष्ठ अधिकारी

केन्द्रीय सरकार धारा 15 की उपधारा (2) के उपबंधों का ध्यान रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी अन्य अधिकारी को बल के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकती और उनके रैंक, पदनाम शक्तियां और उत्तरदायित्व परिनिश्चित कर सकती।

6. महा-निदेशक के मुख्यालय पर वरिष्ठ अधिकारी और अभ्यावेष्टित बल सदस्य:

6.1 नियम 3 के अधीन नियुक्त अधिकारी, ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन और ऐसी अन्य गाथाओं के कृत्यों का पर्यवेक्षण करेंगे जो इन नियमों में उपबंधित हैं या जो उन्हें महा-निदेशक द्वारा समय-समय पर सौंपे जाएं।

6.2 नियम 3 के अधीन नियुक्त सभी अधिकारियों के अधीन ऐसे अनेक अन्य वरिष्ठ अधिकारी और अभ्यावेष्टित बल सदस्य होंगे जो समय-समय पर नियुक्त किए जाएंगे और वे उनके संबंध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो इन नियमों के अधीन विहित हैं और/या जिनका आंचलिक रेल में समतुल्य रैंक और पदनाम के उनके प्रति-स्थानी अधिकारियों द्वारा प्रयोग किया जा सकता है।

7. रेल संरक्षण विशेष बल:

7.1 बल में विशेष रूप से प्रशिक्षित एक यूनिट होगा जिसका नाम रेल संरक्षण विशेष बल होगा, जो बटालियन के पैटर्न पर रिजर्व बल के रूप में समुत्थापित किया जाएगा।

7.2 बटालियनों की संख्या और उनकी सदस्य संख्या और गठन ऐसा होगा जो महा-निदेशक द्वारा अवधारित किया जाए।

7.3 प्रत्येक बटालियन एक मंडल के रूप में कार्य करेगा और उसका प्रधान एक ऐसा अधिकारी होगा जो कमांडेंट की पंक्ति से नीचे का न हो और कमान अफसर के रूप में जाना जाएगा।

7.4 कमान अफसर की सहायता के लिए उतने अन्य वरिष्ठ अधिकारी और अभ्यावेष्टित सदस्य होंगे जो समय-समय पर नियुक्त किए जाएं।

7.5 बल के ऐसे अभ्यावेष्टित सदस्यों का, जिनसे रेल संरक्षण विशेष बल गठित होता है, ज्येष्ठता नियत करने के प्रयोजनों के लिए एक पृथक कांडर होगा।

8. केन्द्रीय अपराध ब्यूरो

8.1 महानिदेशक के मुख्यालय पर एक केन्द्रीय अपराध ब्यूरो होगा जिसमें बल के उतने वरिष्ठ अधिकारी और अम्यावेशित सदस्य होंगे जो महानिदेशक द्वारा अवधारित किए जाएं ।

8.2 केन्द्रीय अपराध ब्यूरो में एक केन्द्रीय गुप्तचर विंग और एक केन्द्रीय अभिलेख विंग होगा और वह ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, ऐसे अभिलेख बनाए रखेगा, ऐसी रिपोर्ट और विवरणियां तैयार करेगा और उन्हें पेश करेगा जैसा महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट किया जाए ।

9. पुलिस कुत्तों के लिए प्रजनन और प्रशिक्षण केन्द्र :

9.1 अपराध के बेहतर निवारण और उसका पता चलाने के लिए पुलिस कुत्तों के लिए प्रजनन और प्रशिक्षण केन्द्र किसी ऐसे अधिकारी के भारसाधन में बनाए रखा जाएगा जिसे महानिदेशक नियुक्त करे ।

9.2 पिल्लों के प्रजनन और पुलिस कुत्तों के रूप में उनके प्रशिक्षण की जिम्मेदारी इस केन्द्र की होगी और वह ऐसे अन्य कर्तव्यों के प्रति भी जिम्मेदार होगा जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

10. केन्द्रीय शस्त्र स्टोर :

10.1 केन्द्रीय शस्त्र स्टोर किसी ऐसे वरिष्ठ अधिकारी के सीधे समादेशन और नियंत्रण के अधीन होगा जिसकी आयुध, गोला-बारूद और आर्मेन्स स्टोर के उपापन और प्रदाय के लिए महानिदेशक द्वारा नियुक्त किया जाए ।

11. आयुध कर्मशाला :

11.1 उतनी आयुध कर्मशालाएं होंगी जो बल के आयुधों की मरम्मत करने, फास्केटीकरण, और ऐसे अन्य कृत्यों को, जो महा निदेशक विनिर्दिष्ट करे, कार्यान्वित करने के लिए स्थापित की जाएं । प्रत्येक कर्मशाला ऐसे अधिकारी के भारसाधन में होगी जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो ।

11.2 उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, आयुध कर्मशाला का प्रशासनिक और तकनीकी नियंत्रण भी ऐसे वरिष्ठ अधिकारी में निहित होगा जो महा निदेशक द्वारा नियुक्त किया जाए ।

12. आयुध निरीक्षण टीम :

12.1 उतने आयुध निरीक्षण टीम होंगे जो बल की सभी युनिटों के आयुधों का कालिक निरीक्षण करने के लिए महा निदेश द्वारा गठित किए जाएं ।

13. प्रशिक्षण संस्थाएं :

13.1 सेल संरक्षण बल अकादमी :—बल सदस्यों को प्रारंभिक, सेवाकालीन विशेष और अन्य उच्च वृत्तिक और तकनीकी प्रशिक्षण क्रम का उपबंध करने के लिए प्रधानाचार्य है जो उप महानिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, भारसाधन में एक रेल संरक्षण बल अकादमी होगी ।

13.2 उक्त अकादमी में विभिन्न विषयों के उतने अहित अनुदेशक होंगे जो महानिदेशक द्वारा समय-समय पर नियुक्त किए जाएं ।

13.3 महानिदेशक अकादमी के प्रधानाचार्य या किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी को बल का भारसाधन अधिकारी (प्रशिक्षण) घोषित कर सकेगा और वह अधिकारी बल की सभी प्रशिक्षण संस्थाओं पर महानिदेशक की और से साधारण पर्यवेक्षण का प्रयोग करेगा, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और पाठ्य विवरण निश्चित करेगा, प्रशिक्षण सामग्री के प्रकाशन की व्यवस्था करेगा और अन्य विषयों से संबंधित सहयोगी प्रशिक्षण संस्थाओं से घनिष्ठ सम्पर्क बनाए रखेगा ।

13.4 आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान :—प्रारंभिक प्रवेश, सेवाकालीन और अन्य पुनश्चर्चा और प्रोन्नति क्रम का उपबंध करने और उस अंचल के ऐसे अम्यावेशित बल-सदस्यों की जो विशेष तौर पर उस प्रयोजन के लिए भेजे जाते हैं, प्रशिक्षण संबंध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर्तव्य

आंचलिक रेल में वरिष्ठ अधिकारी के भारसाधन में बल के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान होगा ।

14. आंचलिक रेलों का संगठनात्मक स्वरूप :—

14.1 अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, बल के यूनिट को आंचलिक रेलों में जिनके अंतर्गत रेल स्थापन और ऐसे अन्य रेल क्षेत्र हैं, जिनकी सेवा ऐसी आंचलिक रेलों द्वारा की जाती है, बांटा जाएगा ।

14.2 प्रत्येक आंचलिक रेल में सुरक्षा विभाग का प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त होगा और उस रेल में (जिसके अंतर्गत उस रेल में अवस्थित रेल स्थापना है) तैनात समस्त बल का स्थापन उसके समादेशन पर्यवेक्षण और प्रशासन के अधीन होगा ।

14.3 मुख्य सुरक्षा आयुक्त की सहायता के लिए उसके मुख्यालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् सुरक्षा कमिस्तारियत कहा गया है) में उतनी संख्या में अन्य वरिष्ठ अधिकारी और अम्यावेशित बल-सदस्य होंगे जो प्रशासन कार्य की, जिसके अंतर्गत कार्मिकों संबंधी विषयों अपराध और विशेष आसूचना, अग्नि, अभियोजन, भण्डार और रिजर्व कंपनियां, प्रशिक्षण और दावों का निवारण है, देखभाल के लिए समय-समय पर नियुक्त किए जाएं ।

15. मंडल का संगठनात्मक स्वरूप :—

15.1 प्रत्येक आंचलिक रेल में बल को मंडलों और रेल स्थानों में और आगे बांटा जाएगा ।

15.2 प्रत्येक मंडल या रेल स्थापन का प्रधान सुरक्षा, आयुक्त, जिसे इसमें इसके पश्चात् मंडल सुरक्षा आयुक्त कहा गया है, होगा जिसकी सहायता के लिए उतनी संख्या में अन्य वरिष्ठ अधिकारी और अम्यावेशित बल-सदस्य होंगे जो समय-समय पर नियुक्त किए जाएं ।

15.3 कार्यचालन संबंधी प्रयोजनों के लिए, मंडल को उपमंडलों में बांटा जाएगा प्रत्येक उपमंडल वरिष्ठ अधिकारी के भारसाधन में होगा ।

15.4 मंडल या उपमंडल में एक या अधिक स्वेतिक चौकियां और चलती फिरती कंपनियां होंगी जिनका गठन नियम 17.2 और नियम 17.3 में विनिर्दिष्ट रीति से किया जाएगा ।

15.5 प्रत्येक चौकी/कंपनी ऐसे अधिकारी के भारसाधन में होगी जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो जिसकी सहायता के लिए उतनी संख्या में अम्यावेशित बल सदस्य होंगे जो मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए ।

15.6 स्वेतिक चौकी या चलती फिरती कंपनी से एक या अधिक चौकियां या टुकड़ियां संलग्न होंगी । प्रत्येक ऐसी चौकी/टुकड़ी का प्रधान ऐसा अधिकारी होगा, जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, और उसमें उतनी संख्या में अन्य अम्यावेशित बल-सदस्य होंगे जो मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा अवधारित की जाए ।

15.7 अग्नि शमन केन्द्र का प्रधान ऐसा अधिकारी होगा जो उप-निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो और उसमें उतनी संख्या में अन्य अम्यावेशित बल सदस्य होंगे जो आग बुझाने और आग के निवारण के लिए समय-समय पर नियुक्त किए जाएं ।

16. आंचलिक रेलों में बल की शाखाएं :—

16.1 प्रत्येक आंचलिक रेल में अभिनियोजित बल, निम्नलिखित तीन शाखाओं से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(1) कार्यपालक शाखा ;

(2) अभियोजन शाखा ; और

(3) अग्निशमन सेवा शाखा

16.2 इन शाखाओं में उतनी संख्या में वरिष्ठ अधिकारी और अन्य अम्यावेशित बल सदस्य होंगे जो मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा महानिदेशक के अनुमोदन से अवधारित किए जाएं ।

16.3 बल की विभिन्न शाखाओं में उन अभ्यावेदिन सदस्यों को, जो मुख्य सुरक्षा आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं, ज्येष्ठता नियत करने के प्रयोजन के लिए ऐसी प्रत्येक शाखा में एक पृथक काडर होगा।

16.4 कोई भी अभ्यावेदिन बल-सदस्य अभियोजन शाखा में हुई महानिदेशक की या उससे नीचे की पंक्ति की रिक्तियों को भरने के सिवाय एक शाखा से दूसरी शाखा में अंतरण या पाल नहीं होगा।

परन्तु यदि किसी अभ्यावेदिन सदस्य का एक शाखा से दूसरी शाखा को स्थायी रूप से अंतरण किया जाता आशयित है तो महानिदेशक का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

17. कार्यपालक शाखा:

कार्यपालक शाखा में पांच विंग होंगे, अर्थात्:—

- (1) स्वीतिक विंग;
- (2) चलता फिरता विंग;
- (3) अपराध विंग;
- (4) विशेष विंग; और
- (5) स्टोर विंग

17.2 स्वीतिक विंग को चौकी पेटन पर संगठित किया जाएगा जिसमें उनकी संख्या में अभ्यावेदिन सदस्य होंगे जो रेल संपत्ति का बेहतर संरक्षण और सुरक्षा सुनिश्चित करने और उसके विरुद्ध अपराधों का मुकाबला करने के लिए आवश्यक हैं।

17.3 ऐसे कम्पनी पेटन पर, जो मुख्य सुरक्षा आयुक्त विनिश्चित करे, संगठित चलता फिरता विंग मुख्य रूप से उन कर्तव्यों का जो उप-नियम (2) के अर्धन स्तितिक विंग द्वारा किए जाने के लिए अपेक्षित कर्तव्यों से भिन्न कर्तव्य है, पालन करेगा।

17.4 अपराध विंग रेल सम्पत्ति को, टोह देने वाले अपराधियों के बारे में जानकारी एकत्र करने और समाकलन करने, अपराध का पता चलाने, व्यापक महत्व के कठिन मामलों की जांच पड़ताल करने, अपराधियों की गिरफ्तारी और उनके अभियोजन के लिये विशिष्ट दल के रूप में कार्य करेगा। मुख्य सुरक्षा आयुक्त अपने कमिसारियत में इस विंग में कार्यरत कुछ अभ्यावेदिन दल-सदस्यों को और कुत्ता दल और उन्हें सम्भालने वाले व्यक्ति भी प्रत्येक मंडल के साथ संलग्न कर सकेगा। ऐसा कर्मचारीवृन्द पर नियंत्रण कार्य की दृष्टि से मंडल और कमिसारियत के बीच बढा होगा जैसा मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा अदृष्ट किया जाए।

17.5 कमिसारियत के विशेष आसूचना विंग में कार्यरत हैं, रेल की सुरक्षा और उसके कार्यकरण को प्रभावित करने वाली आसूचना एकत्र करने के लिये मंडलों में अभिनियोजित कर सकेगा। शाखा के सभी सदस्य कमिसारियत में आसूचना के वरिष्ठ भारसाधक अधिकारी के सीधे पर्यवेक्षण और नियंत्रण के माध्यम से मुख्य सुरक्षा आयुक्त के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे। ऐसी आसूचना जिस पर मंडल की ओर से तुरन्त ध्यान दिया जाना और कार्रवाई की जानी अपेक्षित है, उस मंडल में अभिनियोजित यूनिट द्वारा मंडल सुरक्षा आयुक्त को सीधे भेजी जाएगी।

17.6 स्टोर विंग वर्दी, साज सज्जा, अस्त्र, गोला बारूद, उपकरण और अन्य सामान संबंधी बल की आवश्यकताओं की देख भाल करेगा और उनकी पूर्ति करेगा। यह विंग बेकार वस्तुओं के जन्तनिर्णीत किए जाने और उनके व्ययन के लिए भी व्यवस्था करेगा। मुख्य सुरक्षा आयुक्त, इस विंग में कार्यरत कुछ अभ्यावेदिन बल-सदस्यों को प्रत्येक मंडल के साथ संलग्न कर सकेगा जो मंडल सुरक्षा आयुक्त के नियंत्रण के अधीन कार्य कर सकेंगे।

18. अभियोजन शाखा:

18.1 प्रत्येक आंचलिक रेल की अभियोजन शाखा में ऐसे निरीक्षकों और उपनिरीक्षकों का जो लोक अभियोजकों और सहायक लोक अभियोजकों के रूप में नियुक्त किए जाते हैं एक पृथक काडर होगा।

18.2 शाखा के अन्य सदस्य, कार्यपालक शाखा से लिए जाएंगे जहाँ वे अपने मूल काडर की अपनी ज्येष्ठता इस शाखा में तैनात रहने के दौरान बनाए रखेंगे।

18.3 मुख्य सुरक्षा आयुक्त, ऐसे अभ्यावेदिन बल-सदस्यों को जो अभियोजन शाखा में कार्यरत हैं, मंडलों के साथ संलग्न कर सकेगा। कर्मचारिवृन्द पर नियंत्रण कार्य की दृष्टि से मंडल और सुरक्षा कमिसारियत के बीच बढा होगा। जैसा मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा अदृष्ट किया जाए।

19. अग्निशमन शाखा:

19.1 कमिसारियत में अग्निशमन शाखा बनाए रखी जाएगी और उसके अभ्यावेदिन सदस्यों का प्रत्येक आंचलिक रेल के लिए पृथक काडर होगा। इसके दो विंग होंगे, अर्थात्:—

(क) कार्यचालन—रेलों में आग लगने की सूचना पर उसे बुझाने के लिए वहाँ पहुँचने के लिए, और

(ख) अग्नि निवारण और उसे बनाए रखना।

19.2 अग्निशमन शाखा की सदस्य-संख्या को अग्नि शमन केन्द्रों में तैनाती के लिए मंडलों में बांटा जाएगा। मंडल में तैनात कर्मचारिवृन्द पर नियंत्रण कार्य की दृष्टि से मंडल और सुरक्षा कमिसारियत के बीच बढा होगा जैसा मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा अदृष्ट किया जाए।

20. सुरक्षा नियंत्रण कक्ष

20.1 सुरक्षा नियंत्रण कक्ष, महानिदेशक, मुख्य सुरक्षा आयुक्त और मंडल आयुक्त के मुख्यालय पर स्थापित किया जाएगा।

20.2 यह रात-दिन कार्य करेगा और इसमें ऐसे बल-सदस्यों को काम में लगाया जाएगा जो समय समय पर नियुक्त किए जाएं।

20.3 ऐसी सभी जानकारी, जो अपराध की घटना और पेटन तथा ऐसे अपराध से प्रभावित क्षेत्रों पर निरन्तर चौकसी रखने के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए आवश्यक है, सुरक्षा नियंत्रण कक्ष द्वारा तत्काल एकत्रित की जाएगी और ऊपर उपनियम (1) में सूचीबद्ध संबंधित कृत्यकारियों द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों को तुरन्त भेजी जाएगी।

20.4 विशिष्टतया निम्नलिखित घटना की रिपोर्ट अवश्य की जाएगी, अर्थात्:—

(क) जो नियम 229 या नियम 230 में परिभाषित “विशेष रिपोर्ट” या “विशेष घटना” का मामला है। या जो अपने आप में या अपनी कार्य प्रणाली के कारण अप्राप्यक या घातक प्रकृति की है;

(ख) जिसके कारण रेल संपत्ति या शिरोपरि मार्ग नष्ट हो गया है या उसे नुकसान हुआ है या जो रेल परिसर के भीतर अग्नि द्वारा रिलिफ का कोई मामला है;

(ग) जो संदिग्ध अश्रद्धा या मार्ग से छेड़छाड़ करने का मामला है या जिससे रेल सम्पत्ति के जाने जाने में या रेल की सुरक्षा और उसके कार्यकरण में किसी अन्य प्रकार से प्रभाव पड़ा है;

(घ) जिसमें कर्मचारी किसी बल-सदस्य या रेल कर्मचारी पर हमला किया गया है या उसे गिरफ्तार किया गया है या उसने गो चलाई है;

- (ड) जिसमें उस मूल्य से, जो महानिदेशक द्वारा नियत किया जाए, अधिक की रेल संपत्ति बरामद की गई है या किसी अन्य महत्वपूर्ण मामले का पता चला है;
- (घ) जिसके कारण कम्प्यूटर या अन्य लोगों का प्रतिरोध प्रकोपित होने की सम्भावना है
- (छ) जिसके कारण रेल उपयोगताओं के हित को बढ़ावा मिलने की सम्भावना है या उनको आलोचना करने की सम्भावना है; और
- (ज) जो सुरक्षा नियंत्रण कक्ष को अवस्था महत्वपूर्ण प्रतीत हों।

अध्याय 3

निर्देश और नियंत्रण

21. बल का अधीक्षण :

21.1 बल का अधीक्षण केन्द्रीय सरकार में निहित होगा और वह अधिनियम और इन नियमों के प्रशासन से संबंधित ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे।

22. संघ स्तर पर समादेशन पर्यवेक्षण आदि :

22.1 नियम 21 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, संघ स्तर पर बल पर समादेशन, पर्यवेक्षण और प्रशासन महानिदेशक में निहित होगा जो अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार बल के दश कार्य करण और प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी होगा।

22.2 बल का प्रधान होने के नाते महानिदेशक, बल के विकास और भलाई के लिए अवसरचतुर्ता सुविधाओं की समन्वित और एकीकृत वृद्धि के लिए सभी सम्भव कदम उठाएगा।

22.3 महानिदेशक, बल के उन बड़े प्रावक्तकों में जो रेल महा-प्रबन्धकों द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किए जाएं, विभिन्न प्रस्तावों की छानबीन करेगा और निधि के आवंटन के बारे में अपना निर्धारण और अपनी सफाई करेगा और संबंधित मुख्य सुरक्षा आयुक्तों को इस निमित्त ऐसे निर्देश देगा जो वह आवश्यक समझे।

22.4 महानिदेशक, बल-सदस्यों की सेवा की शर्तों से और उन पर अनुशासनिक नियंत्रण रखने से संबंधित सभी मामलों में केन्द्रीय सरकार की सलाह देगा।

22.5 बल के संबंध में आंचलिक रेलों, रेल स्थापनों आदि द्वारा केन्द्रीय सरकार को किए गए सभी निर्देश महानिदेशक के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे और कार्रवाई की जाएगी और बल के संबंध में सरकार के सभी आदेश उसके माध्यम से जारी किए जाएंगे।

22.6 आंचलिक रेलों और किसी अन्य रेल स्थापन में बल का प्रशासन, महानिदेशक के निर्देशों के अधीन मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा किया जाएगा और यह उनका प्रधान नियंत्रक और मुख्य समन्वयकर्ता होगा।

23. आंचलिक रेल स्तर पर समादेशन, पर्यवेक्षण आदि :

23.1 केन्द्रीय सरकार या महानिदेशक द्वारा दिए गए किन्हीं निर्देशों के अधीन रहते हुए, आंचलिक रेल में बल का प्रशासन मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा किया जाएगा। वह उस रेल के महाप्रबन्धक के साधारण पर्यवेक्षण के अधीन आंचलिक रेल के अन्य विभागों के संबंध में अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा :

परन्तु महाप्रबन्धक की साधारण पर्यवेक्षण की शक्तियों का विस्तार आपराधिक मामलों के वृत्तिक संचालन की वास्तविकी बल सदस्य की निर्देश देने या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा ऐसे सख्त को प्रदत्त किन्हीं विधिक शक्तियों के प्रयोग करने पर नहीं होगा।

23.2 मुख्य सुरक्षा आयुक्त, आंचलिक रेल प्रशासन में सुरक्षा विभाग का प्रधान होगा और उसे अपने रैंक और बेल को विचार में लाए बिना, आंचलिक रेल में उच्चतम श्रेणी के विमानाध्यक्ष की प्राप्ति, विनीय और प्रशासनिक शक्तियां और विशेषाधिकार होंगे।

23.3 मुख्य सुरक्षा आयुक्त, अपने समादेश के अधीन बल की उच्च स्तर पर दक्षा, प्रशिक्षण, अनुशासन और मंगल बनाए रखेगा और वह सभी ऐसे कदम उठाएगा जो वह समय-समय पर आवश्यक समझे, जिनके अन्तर्गत निरीक्षण करना, मामलों का पर्यवेक्षण करना, अभियंताओं की परीक्षा करना, रिपोर्ट मंगाना और वरिष्ठ अधिकारियों और अभ्या-वेक्षित बल-सदस्यों को आवश्यक अनुदेश जारी करना है।

23.4 मुख्य सुरक्षा आयुक्त यह सुनिश्चित करेगा कि अधिनियम और नियमों के संबंधों के अनुसार महानिदेशक द्वारा जारी किए गए सभी अनुदेशों और निर्देशों का उनके समादेश के प्रतीत सभी वरिष्ठ अधिकारियों और अभ्यावेक्षित सदस्यों द्वारा अनुमरण और पालन किया जाए।

24. समादेश :

24.1 समादेश करने के लिए नियुक्त किए गए बल के अधिकारी को, अपने समादेश के अधीन रखे गए अधिकारियों की ज्येष्ठता को विचार में लाए बिना, उन सभी पर समादेश करने की शक्ति होगी।

24.2 ऐसी आकस्मिकता में जिनमें कोई अधिकारी किसी कारण से समादेश का प्रयोग करने में असमर्थ है, ऐसा समादेश :-

- (क) द्वितीय कमान अधिकारी को न्यागत हो जाएगा यदि किसी को इस प्रकार नियुक्त किया जाना है;
- (ख) यदि किसी द्वितीय कमान अधिकारी को नियुक्त नहीं किया जाता है तो यह उस अधिकारी को न्यागत हो जाएगा जो समादेश का प्रयोग करने में असमर्थ अधिकारी के अव्यवहित वरिष्ठ अधिकारी द्वारा समादेश करने के लिए नियुक्त किया जाए; और
- (ग) यदि ऐसे किसी अधिकारी को नियुक्त नहीं किया जाता है तो समादेश, बल के विद्यमान ज्येष्ठतर अधिकारी को न्यागत हो जाएगा।

अध्याय 4

शक्तियां और उत्तरदायित्व

25. वरिष्ठ अधिकारियों की साधारण शक्तियां और उत्तरदायित्व :

25.1 बल के वरिष्ठ अधिकारी अपने समादेश के अधीन रखे गए बल-सदस्यों पर ऐसी प्रशासनिक और अनुशासनिक शक्तियों का, जो अनु-सूची 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं, और ऐसी अन्य शक्तियों का, जो ऐसे सेवकों के संबंध में किन्हीं नियमों द्वारा समनुव्य रैंक के रेल सेवकों को प्रदत्त की गई है, प्रयोग करेंगे और वे ऐसे उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट हैं अथवा जो केन्द्रीय सरकार या महा-निदेशक द्वारा इस निमित्त जारी किए गए किन्हीं निर्देशों में विनिर्दिष्ट की जाएं।

26. रेल सुरक्षा से संबंधित महानिदेशक के उत्तरदायित्व :-

26.1 महानिदेशक :-

- (क) रेल संपत्ति के बेहतर संरक्षण और सुरक्षा का उपबन्ध करने के लिए उत्तरदायी होगा;
- (ख) रेल सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों पर केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और आंचलिक रेल प्रशासन को सलाह देगा और पुलिस से जिसके अन्तर्गत रेल पुलिस है संबंधित उन सभी निर्देशों के संबंध में कार्रवाई करेगा जो राज्य सरकारों या केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों से प्राप्त होते हैं;

- (ग) रेल सम्पत्तियों के संरक्षण और उसकी सुरक्षा में तथा उनके विरुद्ध अपराध का मुकाबला करने में मुख्य सुरक्षा आयुक्तों का मार्गदर्शन करेगा;
- (घ) अपने कानूनी कर्तव्यों और कृत्यों के बारे में बल की उल्लिखितों के संबंध में एक मासिक समीक्षा तैयार करेगा; और
- (ङ) सभी ऐसे अन्य कार्य करेगा जो अधिनियम और नियमों के अधीन उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक या उसके आनुषंगिक हैं।

26.2 महानिदेशक ऐसे सभी कदम उठाएगा जो वह उपनियम (1) में निर्दिष्ट उत्तरदायित्वों का प्रभावी तौर पर निर्वहन करने के लिए आवश्यक समझे, जिनके अंतर्गत दौरा और, निरीक्षण करना, मामलों का पर्यवेक्षण करना, अभिलेखों की परीक्षा, रिपोर्ट मांगना, और अनुदेश और निदेश जारी करना और पुलिस, जिसके अंतर्गत रेल पुलिस है तथा सिविल और सैनिक प्रशासन और बल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सामयिक सम्मेलन और समन्वय बैठक करना है।

27. महानिदेशक की प्रशासनिक शक्तियाँ :

27.1. साधारण : महानिदेशक--

- (क) बल और उसके अभिनियोजन के संबंध में सभी कार्यालय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करेगा;
- (ख) बल में सहायक कमाण्डेंट और उपनिरीक्षकों के उन पदों पर भर्ती की व्यवस्था करेगा जो सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के लिए आरक्षित हैं;
- (ग) सभी वरिष्ठ अधिकारियों और अभ्यावेशित बल-सदस्यों की तैनाती, अंतरण जिसके अंतर्गत अन्तर-प्रांचलिक रेल अन्तरण है, और प्रशिक्षण के लिए आदेश करेगा;
- (घ) विशिष्ट या उच्च पाठ्यक्रम के लिए वरिष्ठ अधिकारियों और अभ्यावेशित बल-सदस्यों का चयन करेगा;
- (ङ) सभी निरीक्षणों और वरिष्ठ अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची अखिल भारतीय स्तर पर तैयार करेगा और इसे अपने मुख्यालय में अद्यतन बनाए रखेगा;
- (च) मुख्य सुरक्षा आयुक्त के आदेशों के विरुद्ध अपील प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा;
- (छ) अधिकारियों की बल के वरिष्ठ अधिकारियों के रूप में नियुक्ति के लिए प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों से पत्र-व्यवहार करेगा।

27.2. विभागीय समितियों का गठन करने की शक्तियाँ :

महानिदेशक--

- (क) ऐसी विभागीय समितियों का गठन कर सकेगा जो बल के दक्ष कार्यकरण के लिए और उसके कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक हों;
- (ख) सहायक कमाण्डेंट और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के चयन के लिए, अधिमान्यतः प्रत्येक वर्ष के आरम्भ में विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन कर सकेगा और ऐसे अधिकारियों की अद्यतन पद क्रम सूची और गोपनीय रिपोर्ट के डोसियर बनाए रखेगा; और
- (ग) उप निरीक्षकों के पदों पर सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के चयन के लिए नियम 49.1 के अधीन गठित चयन बोर्ड के सदस्यों का नाम-निर्देशन कर सकेगा;
- (घ) सभी प्रांचलिक रेलों में उपनिरीक्षकों का निरीक्षक के रैंक में प्रोन्नति के लिए चयन करने के लिए चयन समिति के सदस्यों का नाम-निर्देशन कर सकेगा।

27.3 केन्द्रीय परीक्षा समिति नियुक्त करने की शक्तियाँ -- (क) महानिदेशक, जब कभी आवश्यक हो तब, किसी संस्था में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे उपनिरीक्षक कैंडिडेटों और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों की अंतिम परीक्षा के संचालन के लिए मुख्य सुरक्षा आयुक्तों में से एक की अध्यक्षता में केन्द्रीय परीक्षा समिति नियुक्त करेगा।

(ख) उसके अनुमोदन के पश्चात ही ऐसे पाठ्यक्रम की अंतिम परीक्षा के परिणाम घोषित किए जाएंगे।

28. "निदेश" देने की महानिदेशक की शक्तियाँ :

28.1 महानिदेशक, अधिनियम और नियमों के उपबंधों के प्रवर्तन और उन्हें अग्रसर करने के संबंध में, "निदेशों" के रूप में ऐसे निदेश समय-समय पर जारी कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे और वरिष्ठ अधिकारी और अभ्यावेशित बल सदस्य अपने कर्तव्यों के पालन और निर्वहन में ऐसे "निदेशों" द्वारा शासित होंगे।

29. आदेश जारी करने की अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की शक्तियाँ :

29.1 महानिदेशक के मुख्यालय में मुख्य सुरक्षा आयुक्त या प्रांचलिक रेल में मंडल सुरक्षा आयुक्त और बटालियन का कमान अधिकारी अपने समादेश के अधीन अन्य अधिकारियों और अभ्यावेशित बल-सदस्यों को अधिनियम, नियम और अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निदेशों के अनुरूप साधारण या विशेष निदेश जारी कर सकेंगे।

30. मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ :

30.1 बल के सहायक महानिदेशक, ज्येष्ठ कमाण्डेंट और कमाण्डेंट के रैंक के ऐसे सभी अधिकारी, जिन्होंने वरिष्ठ अधिकारी के रूप में कम से कम सात वर्ष तक सेवा या किसी पुलिस सेवा में समतुल्य रैंक धारण करने वाले अधिकारियों के रूप में वरिष्ठ अधिकारी के रूप में और कम से कम कुल सात वर्ष की अवधि तक सम्मिलित सेवा की है, अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए, अपने पदनाम को विचार में लाए बिना, अपने पदाभिधान से,

- (क) अनुसूची 5 के भाग 1 में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं मामलों की बाबत महानगर क्षेत्र के संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियों का;
- (ख) अनुसूची 5 के भाग 1 में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं मामलों की बाबत महानगर क्षेत्र से बाहर किसी क्षेत्र के संबंध में, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का;
- (ग) अनुसूची 5 के भाग 2 में विनिर्दिष्ट मामलों की बाबत, यथास्थिति, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियों का,

प्रयोग करेगा :

परन्तु अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट किसी मामले की बाबत पूर्वोक्त अधिकारियों द्वारा शक्तियों के प्रयोग से, धारा 17 की उपधारा (3) में उल्लिखित मामलों के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन महानगर मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के रूप में ऐसे अधिकारियों द्वारा किन्हीं शक्तियों के प्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

31. वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उन सभी शक्तियों का प्रयोग किया जाना जिनका उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा प्रयोग किया जा सकता है :

31.1 अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, कोई वरिष्ठ अधिकारी ऐसी शक्ति का प्रयोग या ऐसे कर्तव्य का पालन कर सकेगा जो विधि द्वारा या विधिपूर्ण आदेश द्वारा उसके अधीनस्थ किसी सदस्य को सौंपा गया है।

31.2 यदि ऐसे अधीनस्थ अधिकारी पर कोई कर्तव्य अधिरोपित किया जाता है तो कोई वरिष्ठ अधिकारी, जब कभी उसे विधि को अधिक पूर्ण या सुविधाजनक प्रभाव देने या उसके किसी अतिरिक्त से बचने के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन प्रतीत होता है तब, अपने स्वयं के कार्य द्वारा ऐसे अधीनस्थ के किसी कार्य में या अपने समावेश या प्राधिकारी के अधीन विधिपूर्वक कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के कार्य में सहायता दे सकेगा, उसकी अनुमति कर सकेगा, उसे अधिष्ठित कर सकेगा या उसे रोक सकेगा।

32. महानिदेशक के मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों की शक्तियाँ और कृत्य :

32.1 मुख्य सुरक्षा आयुक्त (प्रशासन):—(क) प्रशासन का भार-साधक मुख्य सुरक्षा आयुक्त, बल के प्रशासन से संबंधित सभी मामलों की देखभाल करने में महानिदेशक की सहायता करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे महानिदेशक द्वारा सौंपे जाएं;

(ख) वह निम्नलिखित शाखाओं और ऐसी अन्य शाखाओं की, जो महानिदेशक द्वारा सृजित की जाएं, देखभाल करने के लिए अपने अधीन एक या अधिक अन्य वरिष्ठ अधिकारी रख सकेगा—

- (1) प्रशासन : जिसके अन्तर्गत भर्ती, प्रतिनियुक्ति, प्रवेश प्रशिक्षण स्थान, स्थानान्तरण, प्रीति, वेतन और भत्ते, बजट, अनुशासन, विधिक मामले और आंकड़े प्रक्रमण है।
- (2) योजना और विकास : जिसके अन्तर्गत जन शक्ति योजना, व्यवसाय योजना, कार्य अंकन, कार्य की अपेक्षाएं, कार्मिक अभिलेख और निर्देशिकाएं, निरीक्षण टिप्पण पर की गई कार्रवाई और प्रचार है।
- (3) कल्याण और सेवा : जिसके अन्तर्गत शिकायत, कर्मचारी संबंध, आवासन, शिक्षा, खेलकूद, चिकित्सा, भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति और सेवानिवृत्ति के पश्चात् के फायदे कल्याण स्कीम, निधियां, कौन्टीन और मैसे है।

(ग) प्रशासन का भारसाधक मुख्य सुरक्षा आयुक्त, नियम III(3) के अधीन गठित रेल संरक्षण विशेष बल कर्मचारी परिषद का पदेन सदस्य-सचिव होगा।

32.2 मुख्य सुरक्षा आयुक्त (रेल सुरक्षा) : (क) रेल सुरक्षा का भार-साधक मुख्य सुरक्षा आयुक्त, रेल संपत्ति के बेहतर संरक्षण और सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए और रेल की सुरक्षा और उसके कार्यकरण को प्रभावित करने वाले अपराध तथा विशेष आसूचना के संग्रहण, समा-कलन और प्रसार के लिए महानिदेशक की सहायता करेगा।

(ख) वह—

- (1) बल के लिए संचारिकी और परिवहन, वस्त्र, स्टोर के उपापन और वितरण, रेलों में अग्नि निवारण उपायों के संबंध में कार्रवाई करेगा;
- (2) अपराध के निवारण और पता लगाने में आंचलिक रेलों में अपने प्रतिस्थानी अधिकारियों की सहायता करेगा और अपने कानूनी कृत्यों के बारे में बल की उल्लिखितों के संबंध में मासिक समीक्षा तैयार करेगा;
- (3) पुलिस, जिसके अन्तर्गत रेल पुलिस है, से संबंधित सभी मामलों में और रेल की सुरक्षा से संबंधित ऐसे मामलों में भी, जो राज्य सरकारों या किसी अन्य संगठन द्वारा महानिदेशक को निर्देशित किए जाएं, कार्रवाई करेगा; और
- (4) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो उसे महानिदेशक द्वारा सौंपे जाएं।

(ग) अनेक अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और अभ्यावेष्टित बल सदस्यों को, जो रेल की सुरक्षा की देखभाल करने के लिए समय-समय पर नियुक्त किए जाएं, अपने अधीन रख सकेगा।

32.3 मुख्य सुरक्षा आयुक्त (रेल संरक्षण विशेष बल) : (क) रेल संरक्षण विशेष बल का भारसाधक मुख्य सुरक्षा आयुक्त;

- (1) रेल संरक्षण विशेष बल को दक्षतापूर्ण बनाए रखने के लिए महानिदेशक के प्रति उत्तरदायी होगा;
- (2) यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि बल की विभिन्न बटालियों में सभी अभ्यावेष्टित बल सदस्यों को एक समान पुनश्चर्चा प्रशिक्षण दिया जाए;
- (3) बल के प्रयोग के लिए आयुध और गोलाबाहु प्राप्त करने और नियम 11 के अधीन गठित आयुध कर्मशालाओं का तक-नीकी पर्यवेक्षण करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(ख) वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा जो उसे महानिदेशक द्वारा सौंपे जाएं;

(ग) अनेक अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और अभ्यावेष्टित बल सदस्यों को जो रेल संरक्षण विशेष बल की देखभाल करने के लिए समय-समय पर नियुक्त किए जाएं, अपने अधीन रख सकेगा।

32.4 महानिदेशक के मुख्यालय में अन्य वरिष्ठ अधिकारी : महा-निदेशक के मुख्यालय में तैनात अन्य सभी वरिष्ठ अधिकारी ऐसी शाखाओं की देखभाल करेंगे या ऐसा कार्य करेंगे जो उन्हें महानिदेशक द्वारा या उनके अपने-अपने मुख्य सुरक्षा आयुक्तों द्वारा सौंपा जाए।

33. रेल संरक्षण विशेष बल बटालियन के कमान अधिकारियों की शक्तियाँ और उत्तरदायित्व :

33.1 बटालियन का कमान अधिकारी निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा, अर्थात् :

- (क) आंतरिक प्रशासन, मितव्ययिता, दक्षता, मनोबल, अनुशासन, प्रशिक्षण और उनके समावेश के अधीन रखे गए बल सदस्यों का कल्याण;
- (ख) आयुध और गोलाबाहु की सुरक्षा और संरक्षा और उनका उचित रखरखाव, मरम्मत और सफाई सुनिश्चित करना;
- (ग) बटालियन के वस्त्र, वर्दी और अन्य स्टोर का सही और उचित रख रखाव; और
- (घ) सभी तालिकाओं की वर्ष में कम से कम एक बार भौतिक जांच पड़ताल करना।

33.2 जब वह मुख्यालय पर होगा तब सप्ताह में कम से कम एक बार प्रातः परेड में हाजिर होगा और पेशी पक्ष अधिविष्ट करेगा और मास में एक बार अपने जवानों से मिलेगा जैसा नियम 109 में बताया गया है।

33.3 वह अनुसूची 2, से अनुसूची 4 तक में अधिकथित और विद्यमान रेल नियमों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करेगा और उसका मार्ग-दर्शन ऐसे अनुदेशों द्वारा किया जाएगा जो उसे समय-समय पर जारी किए जाएं और ऐसी विवरणियाँ और रिपोर्ट पेश करेगा जो रेल संरक्षण विशेष बल के भारसाधक मुख्य सुरक्षा आयुक्त या महानिदेशक द्वारा विहित की जाएं।

34. रेल संरक्षण विशेष बल के अन्य अधिकारियों की शक्तियाँ और उत्तरदायित्व :

34.1 रेल संरक्षण विशेष बल के वरिष्ठ अधिकारियों की शक्तियाँ और उनके उत्तरदायित्व वे होंगे जो निर्देशों में विहित किए जाएं।

35. आंचलिक रेल के मुख्य सुरक्षा आयुक्त की शक्तियाँ और उत्तरदायित्व

35.1 मुख्य सुरक्षा आयुक्त अपने को सौंपे गए आंचलिक रेल के सुरक्षा संगठन का प्रधान होगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विद्यमान रेल नियमों के अधीन विमानचक्र के लिए विहित की जाएँ।

35.2 अधिनियम, नियम और निर्देशों के उल्लंघनों के अधीन रहते हुए, वह अपने समादेश के अधीन रखे गए सभी बल-सदस्यों पर प्रशासनिक कार्यपालक और कार्यचालन संबंधी नियंत्रण का प्रयोग करेगा।

35.3 वह--

(i) बल से संबंधित सभी स्थापन और कल्याण संबंधी मामलों के संबंध में कार्रवाई करेगा और बल की दक्षता के उच्च स्तर पर रखेगा, विशेष तौर पर ऐसा अपने नियंत्रण के अधीन शाखाओं का प्रभावी कार्यात्मक और वित्तीय प्रबंध और निरीक्षण के माध्यम से रखेगा।

(ii) पुलिस द्वारा जिसके अंतर्गत रेल पुलिस है, या आंचलिक रेल के किसी अन्य अभिकरण द्वारा निर्देशित रेल की सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों के संबंध में कार्रवाई करेगा।

35.4 वह अपनी अधिकारिता में रेल संपत्ति के बेहतर संरक्षण और सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा, संरक्षण और सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों के संबंध में कार्रवाई करेगा और अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्--

(i) रेल सुरक्षा और रेल के कार्यकरण पर प्रभाव डालने वाली आसूचना के संग्रहण और प्रसार की और उससे संबंधित आंकड़े, अभिलेख और फाइलें बनाए रखने की व्यवस्था करेगा;

(ii) चोरी की घटनाओं भूषण हानियों और बुरा किए गए परेज में कमी को जिसमें प्रतिकर के लिए दावा बनता है, कम करने के लिए और रेल संपत्ति जिसके अंतर्गत रेल राजस्व है, प्रभाव डालने वाले अपराधों का मुकाबला करने के लिए उपाय खोजेगा;

(iii) रेल संपत्ति या अभिवहन में माल की चोरी के मामलों में या दुर्विनियोग, स्थान-भाड़ा और डेमरेज, छल आदि से उद्भूत रेल राजस्व की हानि के मामलों की पूरी-पूरी जांच करने की व्यवस्था करना;

(iv) रेल संपत्ति का बेहतर संरक्षण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रतिस्थानी अधिकारियों के साथ बैठकों और सम्मेलन करके राज्य पुलिस से, जिसके अंतर्गत रेल पुलिस है और साथ ही सिविल प्रशासन से रेल की ओर से घनिष्ठ सम्पर्क बनाए रखना;

(v) रेल संपत्ति के बेहतर संरक्षण और सुरक्षा, अग्नि निवारण के उपायों और कर्मशाला, स्टोर, शेड, मार्ग, यार्ड आदि जैसे विद्यमान रेल प्रतिष्ठापनों की और ऐसी नई परिसंपत्तियों की जिनके अंतर्गत या निर्माण के लिए आंचलिक रेल, योजना बना रही हो, सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों पर महत्वपूर्ण को सलाह देना; और

(vi) सुरक्षा विभाग ने अपचारी रेल सेवकों के विरुद्ध जिस अनुशासनिक कार्रवाई की सिफारिश की है उसकी प्रगति पर निगरानी रखना और उसे मॉनीटर करना।

36. अपर या उप मुख्य सुरक्षा आयुक्त की शक्तियाँ और उत्तरदायित्व:

36.1 ऐसा अपर या उप मुख्य सुरक्षा आयुक्त, जो आंचलिक रेल के सुरक्षा विभाग के उप प्रधान के रूप में तैनात किया जाता है, ऐसी सभी वित्तीय, प्रशासनिक और अनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इन नियमों के अधीन या निर्देशों के माध्यम से उसे प्रत्यायोजित की जाती

है या जो विद्यमान रेल नियमों के अधीन तत्कालीन रेल के रेल सेवकों के लिए दी गई है।

36.2 वह--

(क) सभी शासकीय बैठकों में संबंधित मुख्य सुरक्षा आयुक्त की अनुपस्थिति में या जब विनिर्दिष्ट रूप से इस प्रयोजन के लिए प्रतिनियुक्त किया जाए तब उसका प्रतिनिधित्व करेगा।

(ख) रेल संपत्ति के संरक्षण और सुरक्षा और उसके विरुद्ध अपराध का मुकाबला करने, अपराधियों के अभियोजन, आंकड़ों के बनाए रखने, अपराध आसूचना के संग्रहण और उसके समा-कलन और प्रसार, अग्नि निवारण उपायों के प्रवर्तन, रेल के अन्य विभागों से सम्पर्क आदि से संबंधित मुख्य सुरक्षा आयुक्त के कृत्यों के निर्वहन में उसकी सहायता करेगा; और

(ग) निम्नलिखित अन्य कृत्यों का पालन करेगा--

(i) रेल संपत्ति की हानि, चोरी भूषण, कमी और दुर्विनियोग के मामलों का पुनर्विलोकन उनसे संबंधित घटनाओं को कम करने की दृष्टि से करेगा;

(ii) खण्ड (ग) (i) से उद्भूत दावों के हल की निगरानी रखेगा और उसका अध्ययन करेगा तथा उनके निवारण के लिए दावा संगठन और साथ ही अन्य आंचलिक रेलों में अपने प्रतिस्थानी अधिकारियों के साथ मिल कर समुचित उपाय करेगा;

(iii) विज्ञापन रिपोर्ट अपराध मामलों की और रेल संपत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1966 के अधीन कमिश्नरियत में आने वाले अन्य महत्वपूर्ण मामलों की छानबीन करेगा और ऐसे अनुदेश जारी करेगा जो आवश्यक समझे जाएँ; और

(v) पुलिस जिसके अंतर्गत रेल पुलिस है और अन्य सिविल विभागों के साथ बैठकों और सम्मेलनों का आयोजन करेगा और उनमें हाजिर होगा जैसा रेल संपत्ति का बेहतर संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए संबंधित मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट किया जाए और उन बैठकों और उनमें किए गए विनिश्चयों पर अनुवर्ती कार्रवाई करेगा।

36.3 वह--

(i) आयुधों, गोलाबारूद, वस्त्र, स्टोर आदि की संभारिकी, परिवहन, उपापन और वितरण की देखभाल भी करेगा;

(ii) संसद, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति आदि से उसकी आंचलिक रेल के संबंध में प्राप्त सभी प्रश्नों का तत्काल और सही उत्तर दिया जाना भी सुनिश्चित करेगा;

(iii) आंचलिक सुरक्षा नियंत्रण कक्ष का भारसंधक भी होगा और उसके द्वारा प्राप्त संदेशों को मॉनीटर करेगा और उन पर समुचित कार्रवाई भी करेगा;

(iv) आंचलिक रेल में बल के कार्यालयों और यूनिटों का निरीक्षण भी करेगा जो संबंधित मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा उसे सौंपे जाएँ और उनके बेहतर कार्यकरण के लिए उपाय भी सुझाएँ; और

(v) ऐसी जांच पड़ताल करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो संबंधित मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा उसे सौंपे जाएँ।

37. स्टाफ अधिकारी या निजी सहायक की शक्तियाँ और उत्तरदायित्व :

37.1 स्टाफ अधिकारी या निजी सहायक निम्नलिखित कृत्यों के निर्वहन में संबंधित मुख्य सुरक्षा आयुक्त की सहायता करेगा, अर्थात्—

- (क) प्रशासन जिसके अंतर्गत भर्ती, प्रतिनियुक्ति, प्रशिक्षण, स्थानान्तरण, प्रोन्नति, वेतन और भत्ते, बजह, अनुशासन, विधिक मामले और आंकड़े प्रक्रमण, रिजर्व कंपनियाँ, बैंड आदि हैं।
- (ख) योजना और विकास जिसके अंतर्गत जन शक्ति योजना, व्यवसाय योजना, कार्य्य अंकन, कार्य्य की अपेक्षाएँ, कामिक अभिलेख और निर्देशिकाएँ निरीक्षण टिप्पण पर की गई कार्रवाई और प्रचार है।
- (ग) कल्याण और सेवा जिसके अंतर्गत शिवालय, कर्मचारी-संबंध, आवासन, शिक्षा, खेलकूद, चिकित्सा, भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति और सेवानिवृत्ति के पश्चात् के फायदे, कल्याण स्कीम, निधियाँ, कैंटीन और मेस हैं।

37.2 वह—

- (क) मुख्यालय स्तर पर संयोजित की जाने के लिए अपेक्षित नियत-कालिक बैठकों का आयोजन करने के लिए;
- (ख) मुख्यालय में रेल के अन्य विभागों से सम्पर्क बनाए रखने के लिए; और
- (ग) समारोह परेड और अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरों का आयोजन करने के लिए और इसी प्रकार के अन्य मामलों के लिए, भी उत्तरदायी होगा।

37.3 वह सुरक्षा कमिसारियत पर तैनात अनुसूचिनीय कर्मचारिकन्ध की बाबत वहाँ प्रशासनिक और अनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इन नियमों के अर्जिन और/या विद्यमान रेल नियमों के अर्जिन उसके प्रतिस्थानी अधिकारी के लिए विहित की जाएँ और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो संबंधित मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा उसे सौंपे जाएँ।

38. सुरक्षा कमिसारियत में तैनात अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की शक्तियाँ और उत्तरदायित्व :

38.1 अपराध, विशेष आसूचना, अभियोजन और अग्निशमन सेवा आदि के भारसाधक के रूप में तैनात अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के उत्तरदायी वे होंगे जो अनुदेशों के माध्यम से या संबंधित मुख्य सुरक्षा आयुक्त के आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएँ।

39. मंडल सुरक्षा आयुक्त की शक्तियाँ और दायित्व :

39.1 मंडल सुरक्षा आयुक्त, रेल सम्पत्ति के बेहतर संरक्षण, सुरक्षा और निर्बाध संचालन और साथ ही अपनी अधिकारिता में बल के दक्ष प्रशासन के लिए भी संबंधित मुख्य सुरक्षा आयुक्त के प्रति सीधे उत्तरदायित्व होगा और अपने नियंत्रण के अर्जिन रखे गए अम्यावेशित बल-सदस्यों से संबंधित स्थापन संबंधी सभी मामलों के संबंध में कार्रवाई करेगा।

39.2 वह स्थापन और अन्य मामलों के बारे में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो अनुसूची 2 से अनुसूची 4 में विद्यमान रेल नियमों में दी गई हैं।

39.3 मंडल सुरक्षा आयुक्त अपने मंडल में रेल सम्पत्ति के बेहतर संरक्षण और सुरक्षा और उससे संबंधित मामलों के लिए उपाय खोजेगा और ऐसे निदेशों का पालन करेगा जो उस विषय में संबंधित मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा उसे दिए जाएँ।

39.4 वह मंडल में तैनात वरिष्ठ अधिकारियों और चौकी कमाण्डरों और कंपनी कमांडरों के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए और रेल सम्पत्ति की बेहतर संरक्षण और सुरक्षा के लिए उनके क्रियाकलापों में सहायता करने, सलाह देने या उनका निदेशन करने के लिए उनके साथ घनछि सम्पर्क रखेगा।

87/1694/GI—2

39.5 वह और सहायक सुरक्षा आयुक्तों, सभी रेल संरक्षण बल चौकियों, कंपनियों, महत्वपूर्ण छोटी चौकियों, टुंडियों आदि के, जो उनकी अधिकारिता में आती हैं, कार्य का जहाँ तक हो सके बार बार और किसी भी दशा में वर्ष में कम से कम एक बार निरीक्षण करेगा और ऐसी कार्रवाई करेगा जो उनकी क्षमता के भीतर है या ऐसे निदेश देगा जो विद्यमान त्रुटियों को दूर करे या कार्रवाई को कारगर बनाने के लिए आवश्यक समझे जाएँ।

39.6 उसके अन्य कर्तव्यों के अंतर्गत निम्नलिखित हैं—

- (क) महत्वपूर्ण स्टेजों पर परेड और फिड त्रिरीत्यों में हाजिर होना और अपराध की स्थिति का पुनरीक्षण करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों, चौकी कमांडरों, कंपनी कमांडरों के साथ मासिक बैठकें करना;
- (ख) उसके सनादेश के अर्जिन रखे गए बल का प्रभावी और परिणामोन्मुख अधिनियोजन सुनिश्चित करना;
- (ग) चोरी, भूषण और रेल संपत्ति के विरुद्ध अन्य अपराधों की बाबत सुरक्षा संबंधी सभी आधारभूत इन्तजामों का अव्ययन करना और संबंधित प्राधिकारियों को ऐसे सुझावों के बारे में सुझाव देना जो अपेक्षित हों;
- (घ) अपराध का सही लेजा-जोखा, बुराई हुई रेल संपत्ति को बरामद करने के लिए तत्काल पूर्ण-पूरी जांच पड़ताल तथा अपराधियों और प्रातकों का अभियोजन सुनिश्चित करना;
- (ङ) रेल सम्पत्ति के बेहतर संरक्षण और सुरक्षा के लिए और उसके संबंधित विषयों के संबंध में प्रभावी उपाय करने के लिए पुलिस, जिसके अंतर्गत रेल पुलिस है, सिविल प्रशासन और अन्य रेल विभागों में अपने प्रतिस्थानी अधिकारियों से सम्पर्क रखना;
- (च) चोरी, भूषण, हानि और बुराई किए गए परेषण में कमी के कारण प्रस्तुत और संतत किए गए दावों पर निरापत्ति रखना और अपनी अधिकारिता में किसी भी स्थान में जानकारी में आई ऐसी घटनाओं की जिनसे ऐसे दावे उत्पन्न होते हैं, बढ़ती हुई प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए दावा निवारण कार्यालय के अपने प्रतिस्थानी अधिकारी के सहयोग से निवारक उपाय करना;
- (छ) अपने वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट और विवरणियाँ जो अपेक्षित हों, प्रस्तुत करना, जिनके अंतर्गत अपने मंडल में किसी भी स्थान में जानकारी में आए ऐसे छत्तात्मक और अन्य आक्षेपणीय क्रियाकलापों के संबंध में रिपोर्ट हैं, जिनसे रेल सुरक्षा और उसके कार्रकरण पर प्रभाव पड़ता है; और
- (ज) अधिनियम और इन नियमों के अर्जिन महानिदेशक और संबंधित मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा जारी किए गए सभी निदेशों और अनुदेशों का उन सभी संबंधित व्यक्तियों द्वारा, जो उसके सनादेश के अर्जिन हैं, पूर्ण अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करना।

40. मंडल के अन्य वरिष्ठ और अजीतस्थ अधिकारियों की शक्तियाँ और उत्तरदायित्व :

40.1 मंडल सुरक्षा आयुक्त की सहायता के लिए तैनात अन्य वरिष्ठ और अजीतस्थ अधिकारियों की शक्तियाँ और उत्तरदायित्व वे होंगे जो निदेशों में विनिर्दिष्ट किए जाएँ।

41. अम्यावेशित बल-सदस्यों की सधारण शक्तियाँ और कृत्य :

41.1 अम्यावेशित बल-सदस्यों के प्राथमिक कृत्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात्—

- (क) रेल सम्पत्ति का संरक्षण और सुरक्षा करना और उसके विरुद्ध अपराध से मुकाबला करना;

- (ख) रेल सम्पत्ति के बेहतर संरक्षण और सुरक्षा के लिए कोई अन्य कार्य करना;
- (ग) रेल सम्पत्ति से संचलन में बाधा दूर करना; और
- (घ) संघ के किसी सशस्त्र बल के अन्य कृत्यों का पालन करना और किसी रेल सेवक की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना, जो भारतीय रेल अधिनियम, 1890 द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की जाएं।

41.2 अप्रत्याशित बल-सदस्यों के निम्नलिखित अन्य कृत्य होंगे :—

- (i) उस स्थिति को परिलक्षित करना, जिसमें ऐसी रेल संपत्ति के, जो स्थैतिक है या अभिवहन में है या चल है, विरुद्ध अपराध किए जाने की सम्भाव्यताएं हैं, और उपचारी उपाय करना या रेल प्रशासन को आधारभूत सुरक्षात्मक इन्तजाम या दृष्टिपूर्ण प्रक्रिया में, जहां आवश्यक हो, सुधार के लिए सुझाव देना;
- (ii) आकस्मिक निवारक जांचों के माध्यम से या सुभेद्य सेक्टरों में गश्त भेजने, भयावह स्थलों में गारद और पिकेटों की तैनाती, प्रभावग्रस्त रेल गाड़ियों में रक्षा बल भेजने, कर्मशालाओं, स्टोर, मालशेड, डिपो, पार्सल, कार्यालय, यार्ड और इसी प्रकार के अन्य स्थानों में और किसी स्टेशन पर या रेल सम्पत्ति के मार्ग में खुली या निसंकोच निगरानी रखने जैसे अन्य उपयुक्त उपायों के माध्यम से रेल सम्पत्ति के विरुद्ध चोरी, भूषण, दुर्विनियोग, कपट आदि के अवसर और रेल राजस्व के रिसन के अवसर कम करना;
- (iii) रेल सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध का निवारण सुनिश्चित करने के लिए और उसकी बेहतर सुरक्षा के लिए उपबंध करने के लिए अन्य उपयुक्त उपायों को क्रियान्वित करने में अन्य रेल अभिकरणों या पुलिस या अन्य प्राधिकारियों के उपायों में सहायता, सहकार और समन्वय करना;
- (iv) रेल संपत्ति की चोरी करने, उसका दुरुपयोग करने, उसे नुकसान पहुंचाने या उसमें गड़बड़ करने या विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना उसे निजी उपयोग में संपरिवर्तित करने के किसी प्रयास को रोकने के लिए किसी भी समय या स्थान में अंतःक्षेप करना और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करना;
- (v) रेल संपत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1966 के अधीन मामला रजिस्टर करना और उसकी जांच आरंभ करना, अपराधियों को पकड़ना और उनसे संबंधित परचातृत्वीय विधिक कार्यवाहियों में भाग लेना;
- (vi) रेल संपत्ति के विरुद्ध सभी संज्ञेय अपराधों को रजिस्टर करना या रजिस्ट्रीकरण के लिए उनकी रिपोर्ट तत्काल स्थानीय पुलिस को भेजना, अपराध के स्थान का पता लगाने के लिए या अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर जांच करना और साक्ष्य एकत्र करना, और ऐसी अन्य सहायता करना जो ऐसे मामलों का अन्वेषण करने में सम्भव हो सके।
- (vii) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 39 की उपधारा (1) के खंड (i) खंड (ii), खंड (iii), खंड (iv), खंड (v), खंड (vi), खंड (vii), खंड (viii), और खंड (ix) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध के रेल में किए जाने या करने के आशय के संबंध में आसूचना अभिप्राप्त करना और उसकी जानकारी देना तथा विधि और अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों से संगत ऐसे अन्य कदम उठाना जो अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थिति करने के लिए तथा संज्ञेय और उसकी दृष्टि में, असंज्ञेय अपराधों के लिए जाने को रोकने के लिए सर्वोत्तम समझे जाते हैं;

(viii) रेल की सुरक्षा और उसके कार्यकरण पर प्रभाव डालने वाले ध्वंसात्मक और अन्य आक्षेपणीय क्रियाकलापों के बारे में और साथ ही अपराधियों तथा रेल संपत्ति की टोह लेने वाले संदिग्ध व्यक्तियों के क्रियाकलापों के बारे में आसूचना एकत्र करना;

(ix) संदिग्ध अभिध्वंस या रेल पथ में गड़बड़ करने या रेल संपत्ति के संचलन में बाधा डालने वाले सभी मामलों का अध्ययन इस दृष्टि से करना कि निवारक उपायों के बारे में रेल प्रशासन और पुलिस को सुझाव दिया जा सके;

(x) नियम 42 के अधीन रहते हुए, हड़ताल और तालाबंदी के दौरान रेल प्रशासन की सहायता करना और साथ ही असंयत भीड़ हिंसा या सिविल उपद्रव के दौरान या विधि और व्यवस्था बनाए रखने के लिए और रेल अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए या सिविल शक्ति की सहायता में भारत में किसी भी स्थान में प्रतिनियुक्ति किए जाने पर पुलिस की सहायता करना;

(xi) बिना टिकट यात्रियों, खतरे की जंजीर खींचने वाले, फेरी लगाकर बेचने वाले अप्राधिकृत व्यक्तियों और उन व्यक्तियों पर, जो होज पाइप को विलग करने में लगे हैं या जो भारतीय रेल अधिनियम, 1890 के अन्य उपबंधों का अतिक्रमण करते हैं, छापे मारने के दौरान वाणिज्यिक और अन्य विभागों की सहायता करना;

(xii) बल के किसी अन्य सदस्य की, ऐसे अन्य सदस्य द्वारा अपेक्षा की जाने पर या आवश्यकता पड़ने पर ऐसे अन्य सदस्य के कर्तव्य के निर्वहन में ऐसी रीति से सहायता करना, जो ऐसी सहायता पाने वाले सदस्य के लिए विधिपूर्ण और उचित है;

(xiii) रेल संपत्ति को आग से होने वाली किसी हानि या नुकसान को रोकने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास करना;

(xiv) रेल सम्पत्ति में आग लगने की घटना से संबंधित सभी मामलों को अभिलिखित करना और उनका अध्ययन करना, तथा निवारक उपायों के बारे में सुझाव देना और रेल स्टेशनों, प्रतिष्ठानों आदि में अग्नि शामक उपस्कर को चलाना और उसे बनाए रखना;

(xv) रेल में रोकड़ कार्यालयों की रक्षा करना और उनके बेतन लिपिकों को अनुरक्षक देना;

(xvi) गिरफ्तार किए गए या अभिरक्षा में लिए गए किसी अहृत या रोगी व्यक्ति के लिए आवश्यक चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए तुरंत उपाय करना;

(xvii) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के उचित आहार और आश्रय की व्यवस्था करना जो गिरफ्तार किया गया है या अभिरक्षा में लिया गया है;

(xviii) रेल प्रशासन द्वारा या उसकी सहायता से बल को सौंपे गए किसी ऐसे अन्य सुरक्षा कर्तव्य की जिम्मेदारी लेना जिन्हे करने के लिए आवश्यक साधनों की व्यवस्था कर दी गई है और, यथास्थिति, महानिदेशक या मुख्य सुरक्षा आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त हो गया है; और

(xix) उन सभी आदेशों का जो उसे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विधिपूर्वक दिए जाएं तत्परता से पालन और निष्पादन करना तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना जो तत्काल प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या किसी रेल नियम द्वारा उस पर अधिरोपित किए जाएं।

42. बल के अभिनियोजन पर निर्बंधन

42.1 इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, किसी भी बल-सदस्य से विधि और व्यवस्था से संबंधित कृत्यों का पालन (सिवाय तब के जब उसे अध्याय 16 के अर्धन तैनात किया जाए) करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या ऐसी समस्याओं को निपटाने की अपेक्षा नहीं की जाएगी जो पूर्ण रूप से प्रशासनिक प्रकृति की ऐसी समस्याएं हैं जिनमें यह अपेक्षित है कि रेल सेवकों या रेल के उद्योगियों द्वारा अनुसूचन का कुछ मानक बनाए रखा जाए :

परंतु रेल सम्पत्ति की संरक्षा और सुरक्षा के विरुद्ध अतंयत भौड़, हिंसा से रोकथाम करने के लिए बल वहां अभिनियोजित किया जा सकेगा जहां पुलिस या मजिस्ट्रेट के आने में विलम्ब है।

42.2 नियम 41.2 (X) पर प्रतिबद्ध प्रभाव डाले बिना, बल रेल सम्पत्ति का संरक्षण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हड़ताल और तालबंदी के दौरान पर्याप्त इस्तजाम और निष्ठावान कर्मचारियों के संरक्षण और स्थानीय पुलिस की सहायता से या अन्यथा विधि और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपबंध कर सकेगा।

42.3 सिवाय उन कारणों के जो लेखबद्ध किए जाएंगे, किसी भी बल-सदस्य को—

(क) अवाय पशुओं, फेरी लगाकर बेचने वाले व्यक्तियों भिखारियों, असामाजिक तत्वों को पकड़ने और ऐसे ही अन्य कर्तव्यों के लिए;

(ख) रेल सुलसिले योजनाओं द्वारा निर्दिष्ट वस्तुओं के विकर के लिए विधि और व्यवस्था पुनर्स्थापना करने के लिए भौड़ को विनियमित करने के लिए;

(ग) भौड़ के नियंत्रण और यातायात को विनियमित करने के लिए यातायात ड्युटी करने के लिए;

(घ) पथकर आदि वसूल करने के लिए; या

(ङ) रेल प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों और महाविद्यालयों की रक्षा करने के लिए;

रेल कालोनियों में अभिनियोजित नहीं किया जाएगा।

परंतु बल को उप-केन्द्र, पम्प हाउस आदि जैसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठापनों की रक्षा करने के लिए किसी रेल कालोनी में अभिनियोजित किया जा सकेगा।

42.4 किसी भी बल सदस्य से यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह रेल स्टेशनों पर से या रेल परिसर में से ऐसे अधिकरण और अप्राधिकृत अधिभोग को हटाए अथवा किसी अभिशारी या उा अभिशारी को तब बेदखल करे जब रेल प्रशासन ने ऐसे अधिकरण, अप्राधिकृत अधिभोग या पट्टे पर दिए जाने को वहाँ पहुँचे स्वीकार कर लिया है या जिनसे विधि और व्यवस्था की समस्या पैदा होने की सम्भावना है।

42.5 किसी भी बल-सदस्य को सेवा से पदभूत करने या हटाने, या निलम्बन के आदेश की किसी रेल सेवक पर तामोत करने के लिए या किसी कर्मचारी के पूर्ववृत्त या चरित्र के नज़राने के लिए अभि-नियोजित नहीं किया जाएगा।

42.6 किसी भी बल-सदस्य से किन्हीं ऐसे बिन्दुओं को हटाने की अपेक्षा नहीं की जाएगी जो रेल प्रशासन का आन्तरिक प्रतीत हों किन्तु यदि किसी अन्य रेल सेवक को ऐसे बिन्दुओं के हटाने के लिए नियुक्त किया जाता है तो बल उसे संरक्षण देगा।

43. गिरफ्तारी पर प्रक्रिया

43.1 अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनों के लिए धारा के अधीन गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी या निकटतम पुलिस थाने की सीपते समय एक संक्षिप्त टिप्पण 12

भी दिया जाएगा जिसमें गिरफ्तारी का समय, तारीख और कारण दिया जाएगा और उसका अभिलेख चौकी में रखा जाएगा।

44. तलाशी :

44.1 अधिनियम की धारा 13 के प्रयोजनों के लिए, यदि कोई ऐसी रेल सम्पत्ति, जिसके चुराई गई या विधिविरुद्ध प्राप्त की गई होने का युक्तियुक्त संदेह है, किसी व्यक्ति या उसके माल असबाब की तलाशी के दौरान पाई जाती है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा और रेल सम्पत्ति (विधिविरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1966 के उपबंधों के अधीन कार्रवाई की जाएगी या वह इस प्रकार बरामद की गई सम्पत्ति के साथ पुलिस को भेज दिया जाएगा जैसा मामले की परिस्थितियों में आवश्यक हो।

अध्याय 5

भर्ती, प्रशिक्षण और व्यवसाय योजना

45. भर्ती :

45.1 बल में सीधी भर्ती कांस्टेबल, उपनिरीक्षक और सहायक कमाण्डेण्ट के स्तर पर की जाएगी और अन्य सभी पद प्रोन्नति द्वारा या सीमित विभागीय प्रतियोगिता के माध्यम से प्राप्त अभ्यावेक्षित बल सदस्यों में से या इन नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर कार्मिक लेकर भरे जाएंगे।

45.2 मुख्य सुरक्षा आयुक्त, प्रति वर्ष प्रत्येक रैंक में रिक्तियों की संख्या का अनुमान लगाएगा और उन्हें भरने के लिए इन नियमों के अनुसार कदम उठाएगा।

45.3 इन पदों को भरने के लिए प्रक्रिया और अन्य बातें, जिनके संबंध में इन नियमों में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंध नहीं किए गए हैं। वे होंगी जो निदेशों में विहित की जाएं।

46. अपात्रता :

46.1 वह व्यक्ति :-

(क) जो भारत का नागरिक नहीं है, या

(ख) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ग) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, बल-सदस्य के रूप में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

47. भर्ती के लिए स्तरमान :

47.1 शारीरिक स्तरमान :- किसी अभ्यावेक्षित बल-सदस्य (जिसके अंतर्गत असूची 1 में विनिर्दिष्ट सहायक कर्मचारी हैं) के रूप में भर्ती के लिए न्यूनतम शारीरिक स्तरमान निम्नलिखित होगा :-

(क) ऊँचाई	170 सें. मी.
(ख) सीना :	
बिना फुलाकर	80 सें. मी.
फुलाकर	85 सें. मी.

परंतु गोरखा, गड़वाली, कुमाऊं, डोंगरा, मराठा लोगों और ऐसे अन्य प्रबलों के लिए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, ऊँचाई 165 सें. मी. से कम नहीं होगी :

परंतु यह और कि उन व्यक्तियों के लिए, जिन्होंने 20 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, ऊँचाई की माप में 2.5 सें. मी. और सोने की माप में 5 सें. मी. की छूट तब दी जा सकेगी जब मंडल चिकित्सा अधिकारी यह प्रमाणित कर देता है कि जब संबंधित व्यक्ति मासिक में लागू अधिकतम आयु प्राप्त कर लेगा तब उसके न्यूनतम विहित में लागू अधिकतम आयु प्राप्त कर लेगा तब उस न्यूनतम विहित

परंतु यह और भी कि महानिदेशक, सीधी भर्ती के लिए महिला अभ्यर्थियों की बाबत पृथक शारीरिक स्तरमान विहित कर सकेगा।

48. आयु और शैक्षिक अर्हताएं :

(क) सीधी भर्ती द्वारा उपनिरीक्षक के पद के लिए कोई अभ्यर्थी—

- (1) भर्ती की अधिसूचना की तारीख की 20 वर्ष से अधिक किंतु 23 वर्ष से कम का हो; और
- (2) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय को स्नातक की उपाधि या उसके समतुल्य अर्हता रखता हो;

(ख) सीधी भर्ती द्वारा कांस्टेबल के पद के लिए अभ्यर्थी—

- (1) भर्ती की अधिसूचना की तारीख की 18 वर्ष से अधिक किंतु 21 वर्ष से कम का हो, और
- (2) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से हाई स्कूल परीक्षा या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका हो;

परंतु सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों और विशेष प्रयत्न के व्यक्तियों के मामले में, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निश्चित गैर आदेशों के अनुसार नियमित की जा सकेगी :

परंतु यह और कि खेल क्रीड़ा और खेलतट्ट में प्रयोगिता, संगीत, राष्ट्रीय कैडेट कोर और अन्य संगठनों या संस्थाओं को, जिनका महानिदेशक द्वारा अनुमोदन किया जाए, सदस्यता को अतिरिक्त अर्हताओं के रूप में सम्पत्क वरीयता दी जाएगी :

परंतु यह और भी कि उन बत-तदर्थों के, जिनको किसी आराध्यो का सामना करते हुए या गृहकलह के दौरान संघर्ष में, शिस्तमक प्रदर्शन का सामना करते हुए या किसी अन्य सक्रिय या सैनिकी-त्मक ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाती है या जो देश से निर्वासन या अशयक्त हो जाते हैं, बालकों को उस दशा में अग्रिष्ठता दी जा सकेगी जब ऐसे बालक उस पद के लिए अभ्यर्थी पात्र प्रोत्तर उत्तरा हैं

49. भर्ती की प्रक्रिया :—

49.1 उपनिरीक्षकों के पद के लिए सीधी भर्ती, चयन बोर्ड द्वारा लॉक डाउन प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी। चयन बोर्ड का महानिदेशक द्वारा किया जाएगा और जिसमें निम्नलिखित होंगे, अर्थात् (क) मुख्य सुरक्षा आयुक्त जो अध्यक्ष होगा, (ख) महानिदेशक के कार्यालय में प्रशिक्षण का भारताध्यक्ष अधिकारी, (ग) समाजिकशास्त्री या शिक्षाशास्त्री, और (घ) कार्मिक प्रबंध विभागाध्यक्ष या अधिकारी :

परंतु महानिदेशक बल के वरिष्ठ अधिकारियों में से किसी ऐसे अधिकारी को चयन बोर्ड के ऐसे सदस्य के रूप में ताननिर्देशित कर सकेगा जो उपरोक्त (ग) और (घ) में निर्दिष्ट है और उक्त राय में वह उस भूमिका को निभाने में अर्हित है।

49.2 कांस्टेबल के पदों के लिए सीधी भर्ती, यथास्थिति, यांत्रिक रेल या रेल संरक्षण विशेष बल के मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा ताननिर्देशित तीन सुरक्षा आयुक्तों की विभागीय समिति द्वारा की जाएगी।

49.3 चयन करने के लिए स्थान इस प्रकार नियत किए जाएंगे जिससे विभिन्न क्षेत्रों से सर्वोत्तम प्रतिभाशाली व्यक्ति आकर्षित किए जा सकें और चयन केवल उन आवेदकों तक ही सीमित नहीं होगा जिनके नाम रोजगार कार्यालयों या अन्य ऐसे सरकारी अभिकरणों द्वारा भेजे जाते हैं।

49.4 चयन की प्रक्रिया इस प्रकार तैयार की जाएगी जिससे :—

(क) प्रतिरूपण होने की सम्भावनाएं कम की जा सकें; और

(ख) प्रारंभिक अवस्था में ऐसे सभी अभ्यर्थियों को हटाया जा स जा विचार किए जाने के अभाव है।

49.5 अंतिम चयन, परीक्षण और मौखिक परीक्षा के एक समान मानकों के आधार पर किया जाएगा, जिसके लिए मार्गदर्शक सिद्धांत महानिदेशक द्वारा विहित किए जाएंगे।

50. विशेष मामलों में नियुक्ति :—

50.1 केन्द्रीय सरकार उसके लिए जो कारण हैं उन्हें, लेखबद्ध करके, विशेष दावों को कार्यान्वित करने या किसी विशेष मामले या स्थिति से निपटने के लिए नियुक्तियों, इन अवसरों में विहित राशियों से भिन्न रीति से करने के लिए उपबंध कर सकेगा।

51. चिकित्सीय परीक्षा :

51.1 किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसने चयन में मंडित विफलता अधिकारों द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया जाता है कि विहित मान के अनुसार उसका मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वास्थ्य अच्छा है और किसी ऐसे शारीरिक विकास या त्रुटि से मुक्त है, जिसने रेल संरक्षण बल में उसके बत-तदर्थों के दक्ष पालन में बाधा पड़ने की संभावना है, प्रशिक्षण के लिए नहीं बुलाया जाएगा या बल में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

51.2 वे अभ्यर्थी, जो चयन लगाते हैं या जिनके संघट्ट जानू है या सारा पैर है, अभियोजन शाखा को छोड़कर बल में नियोजन के पात्र नहीं होंगे।

52. सत्यापन

52.1 जैत हो किसी रंगरक्षक का चयन कर लिया जाता है उसे बल में आधिकारिक तौर पर नियुक्त करने के पूर्व उसके चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

52.2 जहां सत्यापन के पश्चात् कोई रंगरक्षक बल के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है वहां वह बत-तदर्थ के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

53. करार आदि का निष्पादन :

प्रत्येक व्यक्ति :—

- (क) प्रारंभिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के समय अनुसूची 6 में विहित प्रकरण में करार निष्पादित करेगा; और
- (ख) बल-सदस्य के रूप में अंतर्गत नियुक्ति पर, अनुसूची 7 में विहित प्रकरण में सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान करेगा और अधिनियम की अनुसूची में विहित प्रकरण में नियुक्ति प्रमाणपत्र भी प्राप्त करेगा।

54. बल के वरिष्ठ अधिकारियों का काडर :—

54.1 बल के वरिष्ठ अधिकारियों के काडर में :—

- (क) संव लोक सेवा आयोग द्वारा संवालिप्त सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति रखे जाएंगे;
- (ख) बल के निम्नार रक में से प्रोत्तत व्यक्ति रखे जाएंगे;
- (ग) भारतीय पुलिस सेवा और अन्य राज्य पुलिस सेवा से प्रतिनियुक्त व्यक्ति रखे जाएंगे;
- (घ) संघ लोक सेवा आयोग को सफारिश पर अन्य ऐसे अर्हित व्यक्तियों को, जो बाद में प्रवेश करेंगे, आवश्यकता पड़ने पर प्रवेश कराके रखा जाएगा जहां समय-समय पर आवश्यक समझा जाए।

54.2 काडर की सदस्य संख्या और उसका गठन ऐसा होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए ;

परन्तु नियम 76 में कथित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, मुख्य सुरक्षा आयुक्तों के अस्सी प्रतिशत पद और चयन श्रेणी में और उसके ऊपर के शेष पदों के पचास प्रतिशत पद उपरोक्त उपनियम (1) (ग) में उल्लिखित सेवाओं से अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाएंगे ।

55. वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती और प्रोन्नति :--

55.1 इन नियमों के अधीन रहते हुए, वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती और सहायक कमिश्नरों के रैंक में तथा वरिष्ठ अधिकारियों के एक रैंक से वरिष्ठ अधिकारियों के दूसरे रैंक में प्रोन्नति, समय-समय पर संशोधित रेल संरक्षण बल (समूह "क" और "ख") पद भर्ती नियम, 1981 के अनुसार की जाएगी।

55.2 प्रत्येक रैंक में पुष्टीकरण और नियमितकरण उस रैंक में पदों की अखिल भारतीय उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।

56. बल में नियुक्ति :--

बल में सभी नियुक्तियाँ :--

(क) समूह "क" की बाबत, केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी, और

(ख) अभ्यावेशित सदस्यों की बाबत, अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों द्वारा की जाएगी।

57. परीक्षा :

57.1 बल में सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति किए जाने पर, प्रत्येक सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर होगा:

परन्तु नियंत्रण प्राधिकारी, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार परीक्षा की अवधि में वृद्धि कर सकेगा :

परन्तु यह और कि परीक्षा की अवधि में वृद्धि करने के लिए कोई विनियम, परीक्षा की अवधि को समाप्ति के ठीक पश्चात् किया जाएगा और परीक्षा की अवधि की समाप्ति के दो साल के भीतर ऐसा करने के कारणों सहित संबंधित बल-सदस्य को लिखित में संसूचित किया जाएगा।

57.2 परीक्षा या उसमें की गई किसी वृद्धि की अवधि के सफलतापूर्वक पूरा होने पर, बल-सदस्य को नियमित आधार पर उसके पद पर रख लिया जाएगा और उपलब्ध अधिव्याप्त रिक्ति में सम्यक् अनुक्रम में पुष्ट कर दिया जाएगा।

57.3 यदि, यथास्थिति, परीक्षा या उसमें की गई किसी वृद्धि की अवधि के दौरान, नियुक्ति प्राधिकारी की यह राय है कि बल सदस्य स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं है तो नियुक्ति प्राधिकारी, सोचे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति की सेवाओं को समाप्त कर देगा या बल-सदस्य को उसके उस पद पर प्रत्यावर्तित कर देगा जो वह ऐसी नियुक्ति के पूर्व धारण किए हुए था :

परन्तु सेवा को समाप्ति को दशा में, परीक्षाधीन व्यक्ति को उस आशा की एक मास की सूचना या उसके बदले में वेतन दिया जाएगा।

परन्तु यह और कि सूचना या उसके बदले में वेतन वह अवधि तक नहीं होगा जहाँ सेवा को समाप्ति परीक्षाधीन व्यक्ति के प्रारंभिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या पुनरावृत्त पाठ्यक्रम, यदि कोई हो उत्तीर्ण करने में असफल रहने के परिणाम स्वरूप की जाती है।

57.4 परीक्षा या उसमें की गई किसी वृद्धि की अवधि के दौरान किसी बल-सदस्य के प्रशिक्षण और अनुदेशों के ऐसे पाठ्यक्रम के पूरा

करने और ऐसी परीक्षा और परीक्षाओं की उत्तीर्ण करने की नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अपेक्षा की जा सकेगी, जो परीक्षा के समाधानप्रद रूप में पूरा करने के लिए उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

58. प्रशिक्षण के व्यय का वापस किया जाना :

बल-सदस्य के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, सामान्यतया तीन वर्ष तक सेवा करेगा। ऐसे व्यक्ति के सेवा से त्यागपत्र देने की दशा में, वह प्रशिक्षण का उतना व्यय जितना नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अग्रसारित किया जाए या तीन मास की वेतन, इनमें से जो भी कम हो, वापस करेगा

प्रशिक्षण

59. सोचे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों का प्रारंभिक प्रशिक्षण

59.1 प्रत्येक व्यक्ति, किसी भी रैंक में सोचे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति के रूप में सेवा में प्रवेश करने पर अपने कर्तव्यों के दक्ष पालन के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करेगा।

59.2 फोल्ड तैनातियों के लिए बल में प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारी ऐसा अभिविन्यास पाठ्यक्रम पूरा करेंगे जो महानिदेशक द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।

59.3 अधीनस्थ रैंक के प्रतिनियुक्त व्यक्ति अभिविन्यास पाठ्यक्रम रेल संरक्षण बल अकादमी में या वत को किसी ऐसी अन्य आचलिक प्रशिक्षण संस्थान में पूरा कर सकेंगे जो संबंधित मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

60. प्रशिक्षण का स्तरमान और पाठ्य विवरण :

60.1 महानिदेशक, विभिन्न रैंक के लिए और साथ ही पुनरुत्थान, अभिविन्यास, प्रोन्नति, विशेष और अन्य सेनाकालीन पाठ्यक्रमों के लिए भी प्रशिक्षण का स्तरमान और पाठ्यविवरण विनिर्दिष्ट करेगा।

60.2 अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट सहायक कर्मचारियों को केवल अनुशासन, वर्दी पहने ड्रिल के प्रारंभिक ज्ञान में, जितने अंशों तक सक्षम आदि हैं, संक्षिप्त प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।

61. बुनियादी प्रशिक्षण के लिए पाठ्य विवरण :

61.1 सीधी भर्ती किए जाने वाले सभी व्यक्तियों के लिए बुनियादी प्रशिक्षण वह होगा जो महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट किया जाए और उसके अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ व्यवहारिक प्रशिक्षण के अतिरिक्त निम्नलिखित बातें होंगी, अर्थात् :--

(क) बहिरंग:

- (1) वर्दी अर्थात् वस्त्रों और साजसज्जा को सही ढंग से पहनना
- (2) समारोह-ड्रिल और गार्ड मार्चिंग,
- (3) दस्ता, प्लाटून और कंपनी ड्रिल और विस्तारित आदेश संचलन,
- (4) शस्त्र प्रशिक्षण जिसके अन्तर्गत मूकशूल, अनुगैशबूझ, दंगा ड्रिल और विस्फोटक का हथकण्डा है ;
- (5) व्यायाम; और
- (6) आत्मरक्षा, कराटे, तैराकी और नायकत्व।

(ख) अंतरंग

- (1) रेलों, रेल संरक्षण बल और उनके कार्यकरण का गठन;
- (2) स्थापन और लेखे संबंधी मामले तथा रेल संरक्षण बल की प्रक्रिया ;
- (3) रेल संरक्षण बल के साधारण कर्तव्य जिनके अन्तर्गत रेल संरक्षित से संबंधित अस्त्रास्त्रों का निवारण और अन्वेषण और अपराधियों का अभियोजन ;

- (4) विधि जिसमें वाणिक्य विधि, भारतीय रेल अधिनियम, 1980 रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 रेल संरक्षण बल नियम, निदेश और रेल संरक्षण (विधि विरुद्ध) कबजा) अधिनियम, 1966 पर विशेष बल दिया जाएगा;
- (5) अन्वेषण करने के लिए मनोविज्ञान, अपराध विज्ञान और वैज्ञानिक सहायता जिसके अन्तर्गत अंगुली छाप हैं;
- (6) प्राथमिक उपचार और आंग बुझना;
- (7) चौकियों और कंपनी मुख्यालयों पर आलेखन कार्य;
- (8) आसूचना पाठ्यक्रम और सुरक्षा कार्य जिसके अन्तर्गत कैदियों को सुरक्षा है;
- (9) सामूहिक निर्वातन के विरुद्ध विद्रोह और उसका मुकाबला करने के लिए उपाय;
- (10) रेल के परिवहन, वाणिज्यिक, यात्रिक, विद्युत, सिग्नल और दुरसंचार तथा अन्य संबंधित विभागों का कार्य-करण और उनमें आपस में संघर्ष;
- (11) पुलिस (जिसके अन्तर्गत रेल पुलिस) और अन्य अभिकर्षों के साथ सम्पर्क जब वे सिविल शक्ति को सहायता के लिए तैनात की जाए;
- (12) दुर्बल वर्गों, अर्थात् महिलाओं, किशोरों, पागलों के संबंध में कार्यवाही करना जिसके अन्तर्गत उनकी तलाश, गिरफ्तारी, पुछताछ आदि है;
- (13) रेल संरक्षण बल के कार्मिकों के लिए आवरण और आचार संहिता;
- (14) विमोचिका प्रत्यक्ष और रेल संरक्षण बल का अंश प्रतिष्ठा बनाने की दृष्टि से जागरूकता कार्य और
- (15) कोई अन्य विषय जो महानिदेशक द्वारा प्रविष्ट किए जाने के लिए वांछनीय समझा जाए।

62. विशेष पाठ्यक्रम:

62.1 संबंधित मुख्य सुरक्षा आयुक्त, रेल संरक्षण बल के कार्य से संबंधित अनुदेशों या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा या रेल संरक्षण बल के किसी प्रशिक्षण या स्थान या सेवा संस्था या समन्वय (पुलिस वेतार) निदेशालय या रेल प्रशिक्षण संस्था या किसी अन्य संस्था द्वारा संचालित किया जाता है पूरा करने के लिए किसी बल सदस्य को किसी समय प्रतिनियुक्त कर सकेगा;

परन्तु किसी वरिष्ठ अधिकारी के मामले में, संबंधित, मुख्य सुरक्षा आयुक्त महानिदेशक को पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करेगा।

63. प्रशिक्षण अवधि का विनियमन:

63.1 उपनियम (2) के अधीन रहते हुए, प्रशिक्षण की अवधि को, जिसके अन्तर्गत सेवाकालीन पाठ्यक्रम है, सभी प्रयोगों के लिए झूठी समझा जाएगा,

63.2 प्रशिक्षण की अवधि के दौरान, सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों को वृत्तिका या वेतन और भत्ते दिए जाएंगे जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाए।

64. प्रोन्नति पाठ्यक्रम

64.1 नायक, हेड कास्टेबल, सहायक उप निरीक्षक और उपनिरीक्षक के रैंक में प्रोन्नति के लिए नियमित रूप में चयन कर लिए जाने पर अभ्यासित बल सदस्य उतनी अवधि के लिए, जो महानिदेशक

द्वारा नियत की जाए, बल को किसी प्रशिक्षण संस्था में विशेष पाठ्यक्रम (जिसे इसमें इस के परवात प्रोन्नति पाठ्यक्रम कहा गया है) पूरा करेंगे:

परन्तु उपनिरीक्षक (अभिनयमन) के पद पर प्रोन्नत व्यक्ति, जो राष्ट्रीय अग्नि शमन सेवा कालेज, नागपुर में प्रवेश का पात्र है, उक्त कालेज में प्रोन्नति पाठ्यक्रम पूरा करेगा।

64.2 नियमित प्रोन्नति के लिए पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। यह प्रोन्नति उक्त तालिका से प्रमाणित होगा जिन को ऐसा बल सदस्य उक्त पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के परवात स्टाफ रिकॉर्ड के विरुद्ध झूठे के लिए रिपोर्ट करता है।

65. बल किसी प्रशिक्षण संस्था में पाठ्यक्रम को समाप्ति पर परीक्षा।

65.1 बल की किसी प्रशिक्षण संस्था में प्रत्येक पाठ्यक्रम को समाप्ति पर परीक्षण बोर्ड द्वारा अंतिम परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षक बोर्ड का नामनिर्देशन निम्नलिखित द्वारा किया जाएगा।

(क) उपनिरीक्षक और उपर के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के मामले में, महानिदेशक और

(ख) अन्य बल सदस्यों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के मामले में, संबंधित मुख्य सुरक्षा आयुक्त।

65.2 उत्तीर्णक: परीक्षा में उत्तीर्ण होने की दृष्टि से अभ्यर्थियों से प्रत्येक विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंक और कुल योग के 6 प्रतिशत अंक प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी।

65. दूसरी बार प्रयत्न: किसी ऐसे अभ्यर्थी को, जो

(1) एक विषय में अधिकतम 10 अंकों से, या

(2) दो विषयों में, प्रत्येक विषय में अधिकतम 5 अंकों से, या

(3) किसी पाठ्यक्रम में कुल योग में 10 अंकों से उत्तीर्ण होता है, कि उक्त विषय या पाठ्यक्रम में दूसरी बार बैठने का ऐसा रीति के अन्तर्गत दिया जाएगा जो महानिदेशक या संबंधित मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

65.4 पहली बार प्रयुक्त करने पर असफल रहने पर या जहां अभ्यर्थी दूसरी बार प्रयत्न करने के पात्र है, वहां दूसरी बार प्रयत्न करने पर असफल रहने पर, अभ्यर्थी, सूचना दिए बिना सेवानिवृत्त या उसके अधिष्ठायी रैंक में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

65.5 परिणाम का अनुमोदन: परीक्षा बोर्ड, प्रत्येक पाठ्यक्रम की परीक्षा को समाप्ति पर परीक्षा की कार्यवाहियों और उसका परिणाम अनुमोदन के लिए उस प्राधिकारों को भेजेगा जिससे बोर्ड का गठन किया है।

65.6 प्राधिकारी, कार्यवाहियों और परिणाम की प्राप्ति पर, अनुमोदन कर सकेगा या ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसे अन्य आदेश पारित कर सकेगा जो वह मामले को परिस्थितियों में ठीक समझे।

66. पुनश्चर्चा पाठ्यक्रम:

66.1 बल-सदस्य से सेवा में रहने के दौरान ऐसा पुनश्चर्चा पाठ्यक्रम ऐसी अवधि तक और ऐसे स्थानों पर पूरा करने की अपेक्षा की जाएगी जो महा निदेशक द्वारा अवधारित किए जाए।

66.2 उन बल-सदस्यों का वावत, जिनके सेवाकालीन प्रशिक्षण, विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है, एक रास्टर कडे अनुपालन के लिए संबंधित मुख्य सुरक्षा आयुक्त कार्यालय में तैनात किया जाएगा और बनाए रखा जाएगा और संबंधित बल-सदस्यों को ठीक समय पर आदेश जारी किए जाएंगे।

63.3 यह प्रस्ताव कि प्रस्तावित नया,—आपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर, किसी भी परिस्थिति में आस्थगित नहीं किया जाएगा और जब ऐसे मुल्यो किया गया हो तब वह ठीक अपने माउडक के लिए और आस्थगित नहीं किया जाएगा।

66.4 प्रशिक्षण के लिए प्रतिनिधित्व कोई सदस्य, यदि उसका अस्थायी स्थानांतरण या प्रोन्नति नहीं की जाती हो तो जहां तक सम्भव हो सके वापस उसी स्थान पर जहां से वह प्रशिक्षण के लिए गया था नियत किया जाएगा।

67 अनुशासनिक नियंत्रण :

67.1 बल की किसी प्रशिक्षण संस्था में कर्मचारी और प्रशिक्षणार्थी जब तक के ऐसी संस्था केन्द्र में हैं या व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उस प्रशिक्षण संस्था के प्रधानाचार्य के अनुशासनिक नियंत्रण के अधीन रहेंगे।

67.2 सीधे भर्ती किया गया वह व्यक्ति, जिसका अभ्यावेष्टित नरस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए चयन कर दिया जाता है, उस समय तक जब तक उसकी बल में औपचारिक तौर पर नियुक्ति नहीं की जाती है यदि मुख्य सुरक्षा आयुक्त ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, बल के हित में ऐसा करना ठीक समझता है तो, किसी भी प्रकार पर सेवानुमत्त किए जाने का दाया होगा।

प्रोन्नति और व्यवसायिक योजना

68. कांडर पुनरीक्षण।

68.1 बल की सभी शाखाओं का कांडर पुनरीक्षण पांच वर्ष में एक बार या उसके पहले किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार निश्चित करे।

69. प्रोन्नति का आधार :

69.1 कमांडेंट के रैंक तक के बल-सदस्य की प्रोन्नति ज्येष्ठता का सम्यक, ध्यान रखते हुए गुणानुष के आधार पर की जाएगी।

69.2 कमांडेंट के रैंक से उच्चतर रैंक क बल-सदस्य की प्रोन्नति केवल गुण के आधार पर की जाएगी।

70. अभ्यावेष्टित बल-सदस्यों की प्रोन्नति की प्रक्रिया :

70.1 आयु सीमा, सेवाकाल की लम्बाई और प्रोन्नति से संबंधित अन्य विषय और नियुक्त या प्रोन्नति पर ज्येष्ठता अनुधारित करने की प्रक्रिया इन नियमों के अनुसार होगी या जहां इन विषयों की वास्तव इसमें कोई उपबंध नहीं किया गया है वहां निर्देशों के अनुसार होगी।

70.2 विभागीय प्रोन्नति समिति उन पदों के प्रत्येक पृथक प्रवर्ग के लिए या प्रोन्नति के आधार पर भरे जाने अर्जित हैं, अर्थात् मानतः प्रत्येक वर्ष एक पैनल बनाएगी।

70.3 नियम 71 के अधीन चयन के लिए चुनए गए अभ्यावेष्टियों की संख्या, पैनल बनाए जाने के लिए अपेक्षित संख्या की सामान्यतया तीन गुना होगी और उनके नाम चयन करने के लिए नियत की गई तारीख से तीस दिन पहले अधिसूचित किए जाएंगे।

परन्तु किसी ऐसे अभ्यावेष्टित सदस्य के नाम पर, जो तीन प्रवर्गों में अर्हता प्राप्त करने में लगातार असफल रहता है, उस रैंक के लिए पश्चातवर्ती तीन चयनों में ऊपर निर्दिष्ट बल के लिए अभ्यावेष्टी बूलाते समय विचार नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह और कि किसी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसका कार्य और आचरण चयन के पूर्ववर्ती पांच वर्षों में से दो या अधिक वर्षों में जोतत से कम निर्धारित किया गया है या जिसकी सत्यनिष्ठा संदेहपूर्ण पाई गई है, पैनल में नहीं रखा जाएगा।

70.4 उपनियम (2) के अनुसार बनाए गए पैनल का आकर सामान्यतया ऐसा होगा जिससे सभी विद्यमान रिक्तियों और विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन की तारीख से ठीक बारह मास के भीतर प्रत्याशित रिक्तियों और ऐसे कुल रिक्तियों के दस प्रतिशत के लिए उपबन्ध किया जा सके और वह अनुसूची 4 में उस प्रवर्ग के सामने विनिर्दिष्ट प्रतिशत तक यदि कोई हो, सीमित होगा।

70.5 नीचे की सारणी के स्तंभ 1 में उल्लिखित विभिन्न रैंक में चयन करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्यों का नामनिर्देशन उक्त सारणी स्तंभ 2 में उस रैंक के सामने उल्लिखित वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

सारणी

1	2
(i) नायक, हेडकास्टेबल और सहायक उपनिरीक्षक	उप मुख्य सुरक्षा आयुक्त
(ii) उप निरीक्षक	मुख्य सुरक्षा आयुक्त
(iii) निरीक्षक,	महानिदेशक

70.6 विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन निम्नलिखित रूप में किया जाएगा

(i) कास्टेबल से नायक में प्रोन्नति	दो सहायक सुरक्षा आयुक्त
(ii) नायक से हेड कास्टेबल में प्रोन्नति	तीन सहायक सुरक्षा आयुक्त
(iii) हेड कास्टेबल से सहायक उपनिरीक्षक में प्रोन्नति	दो सुरक्षा आयुक्त और एक सहायक सुरक्षा आयुक्त
(iv) सहायक उपनिरीक्षक से उपनिरीक्षक में प्रोन्नति	तीन सुरक्षा आयुक्त
(v) उपनिरीक्षक से निरीक्षक में प्रोन्नति	तीन मुख्य सुरक्षा आयुक्त

70.7 (5) विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा बनाए गए सभी पैनल उक्त समिति का नामनिर्देशन करने वाले प्राधिकारी को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे।

(ख) यदि उक्त प्राधिकारी उक्त समिति को विचारों को स्वीकार नहीं करता है, तो वह उसके लिए कारण अनिलिखित करेगा और मामला ठीक उच्चतर प्राधिकारी को विदेशित किया जाएगा, और वह ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो समुचित समझें जाएं।

70.8 इस नियम के अनुसार बनाया गया पैनल, उसके अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या उसके निरोध होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रवृत्त रहेगा।

71 नियम 70 के अधीन चयन करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त

71.1 लिखित परीक्षा और व्यवहारिक परीक्षण के लिए अर्कों का आश्रय निम्नलिखित रूप में होगा, अर्थात्

(क) लिखित परीक्षा	अधिकतम अंक	अर्हता अंक
	40	
(ख) व्यवहारिक परीक्षण जिसके अन्तर्गत पैदलसेना प्रशिक्षण व्यायाम और बलवा डि है	20	30
	60	

71.2 उपरोक्त परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की मौखिक परीक्षा ली जाएगी जिसके लिए अंक निर्देशों में विनिर्दिष्ट बातों को ध्यान में रखते हुए दिए जा सकें और अधिकतम अंक निम्न प्रकार होंगे, अर्थात:

	अधिकतम अंक
(क) व्यक्तित्व, अर्थ ग्रहण, भौतिक अभिव्यक्ति, स्वभाव और प्रत्युत्तर, सामाजिक चेतना	20
(ख) सेवा अभिलेख	20

71.3 साठ प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में से पैनल, रैंक उनकी अपनी-अपनी ज्येष्ठता के क्रम में बनाया जाएगा :

परन्तु कुल मिलाकर अस्सी प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी उत्कृष्ट घोषित किए जाएंगे और अपने से ऊपर वाले सफल अभ्यर्थियों के पचास प्रतिशत उच्चतर स्थान ज्येष्ठता क्रम में प्राप्त करेंगे।

71.4 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए अर्हक अंक उपनियम (1) के अधीन तीस अंक और उपनियम (3) के अधीन पचास प्रतिशत होंगे।

72. सीमित विभागीय प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत :

72.1 हैड कांस्टेबल और सहायक उपनिरीक्षक के रैंक की सीमित विभागीय प्रतियोगिता में बैठने के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन, उक्त प्रतियोगिता आयोजित करने की प्रस्तावित तारीख से तीस दिन पहले आमंत्रित किए जाएंगे।

72.2 उक्त प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए प्रक्रिया वह होगी जो नियम 70 और नियम 71 में, उनके उपनियम (3) को छोड़कर दी गई है।

72.3 साठ प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों से पैनल गुणागुण के क्रम में बनाया जाएगा।

73. विशेष योग्य नायकों की प्रोन्नति :

73.1 विशेष योग्य ऐसे नायकों की, जो लगातार पिछले सात वर्षों के दौरान उस रैंक में अपने कार्यकरण में बराबर उत्कृष्ट रहे हैं, हैड कांस्टेबल की पदविवेक में संबंधित मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा ऐसी प्रक्रिया अनुसार जा निदेशों में विनिर्दिष्ट की जाए बिना पारी प्रोन्नति की जा सकेगी परन्तु ऐसी प्राप्ति या कभी कभी हो की जाएगी और किसी भी दशा में, किसी विशिष्ट चयन में इस प्रकार की जा रही प्रोन्नतियों की कुल संख्या के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

74. अल्पकालिक रिक्तियों में प्रोन्नति :

74.1 यदि सेवा की अभाव्यवस्थाओं के कारण ऐसा करना अपेक्षितगी है तो अल्पकालिक रिक्तियों में स्थानापन्न आधार पर प्रोन्नति की जा सकेगी।

74.2 ऐसी प्रोन्नति ऐसे व्यक्तियों में से की जा सकेगी जो पैनल पर है या यदि पैनल पर कोई अभ्यर्थी नहीं है तो अनुसूचित पदविवेक को अपवर्जित करके ज्येष्ठता के आधार पर की जा सकेगी।

75. सहायक कर्मचारियों के लिए विशेष उपबन्ध

75.1. अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट सहायक कर्मचारी अभ्यावेशित बल सदस्यों के भूगर्भ होंगे।

75.2 उपनियम-48.2 (ii) और नियम 49 में किसी बात के होते हुए भी, कोई अभ्यर्थी जो नियुक्ति अधिकारी की राय में अभ्यावेशित है और अपने व्यवसाय या कौशल में प्रवीण है, उस व्यवसाय या कौशल के लिए कांस्टेबल के रूप में भर्ती किया जा सकेगा।

75.3 नियम 7 और नियम 16 में किसी बात के होते हुए भी, व्यवसाय में प्रोन्नति और समुन्नति के प्रयोजन के लिए सहायक कर्मचारियों का, यथास्थिति, आंचलिक रेल या रेल संरक्षण विशेष बल में प्रत्येक व्यवसाय या कौशल के लिए एक पृथक काडर होगा और उनके प्रवर्ग के अगले उच्चतर रैंक में प्रोन्नति अनुसूचित व्यक्तियों को अर्वाचित करके ज्येष्ठता के आधार पर की जाएगी।

76. बल में अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति

76.1 इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, उच्चतम इतिहास स्तरमान के साथ, पुलिस और जिसके अन्तर्गत रेल पुलिस है, घनिष्ट सम्पर्क सुनिश्चित करने की दृष्टि से, भर्ती, पुलिस से ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं, कामियों की प्रतिनियुक्ति पर लेकर की जाएगी। पुलिस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया चार वर्ष से कम या सात वर्ष से अधिक नहीं होगी।

परन्तु निरीक्षकों के पदों पर प्रतिनियुक्ति, पन्द्रह प्रतिशत तक समिति होगी जब तक कि संबंधित मुख्य सुरक्षा आयुक्त की यह राय न हो कि ऐसे उपनिरीक्षक, जो निरीक्षकों के पदों पर प्रोन्नति के लिए पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं, उपलब्ध नहीं हैं या यदि ऐसे अभ्यर्थी उपलब्ध हैं तो संबंधित गुण अंग योग्यता के नहीं हैं।

77. बल-सदस्यों की अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति :

77.1 कोई भी बल-सदस्य किसी अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति के लिए सीधे पहुंच नहीं करेगा।

77.2 यथास्थिति, महानिदेशक या संबंधित सुरक्षा आयुक्त के पूर्व अनुमोदन पर, बल-सदस्यों का रेल के अन्य विभागों में या अन्य सरकारी विभागों में ऐसे, निबंधन और शर्तों पर, जो उच्चार लेने वाले विभाग द्वारा प्रस्तावित की जाए, लोकहित में प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा।

अध्याय-6

वेतन, पारिश्रमिक और सेवा की अवधि

78. वेतन और भत्ते

78.1 वरिष्ठ अधिकारियों और अभ्यावेशित बल-सदस्यों का वेतन निम्नलिखित रूप में या केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विहित रूप में होगा :

वरिष्ठ अधिकारी

रैंक	वेतनमान
महानिदेशक	7600 रु. (नियत)
महानिरीक्षक	5900-200-6700 रु०
अपर महानिरीक्षक	जो विहित किया जाए।
उपमहानिरीक्षक	5100-150-5400-150-6150 रु. (18वें वर्ष में या उसके पश्चात् 5400 रु.)
ज्येष्ठ कमांडेंट	4100-125-4850-150-5300 रु.
कमांडेंट	3000-100-3500-125-4500 रु.
सहायक महानिरीक्षक	
उप कमांडेंट	जो विहित किया जाए
सहायक कमांडेंट	2200-75-2800-द.रो.-100-4000 रु.

परन्तु जब कभी उप महानिरीक्षक और सहायक महानिरीक्षक (चयन श्रेणी में या अन्यथा) के पद भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी द्वारा धारण किए जाते हैं तब इन पदों पर प्रत्येक के लिए 400 रु. विशेष वेतन इस शर्त के अधीन रहते हुए होगा कि वेतन और विशेष वेतन कुल मिलाकर उस पद के वेतन से अधिक नहीं होगा जिसके साथ विशेष वेतन संलग्न है।

अभ्यावेशित बल सदस्य

रैंक	वेतनमान
निरीक्षक (श्रेणी 1)	2000-60-2300-र.रो.-75-3200 रु.
निरीक्षक (श्रेणी 2)	1640-60-2600-र.रो.-75-2900 रु.
उपनिरीक्षक	1400-40-1800-र.रो.-50-2300 रु.
सहायक उपनिरीक्षक	1320-30-1560-र.रो.-40-2040 रु.
हैंडकास्टेबल	975-25-1150-र.रो.-30-1160 रु.
नायक	950-20-1150-र.रो. 25-1400 रु.
कास्टेबल	825-15-900-र.रो. 20-1200 रु.
ड्राइवर श्रेणी 1	1320-30-1560-र.रो. 40-2040 रु.
ड्राइवर श्रेणी 2	1200-30-1400-र.रो. 30-1800 रु.
ड्राइवर श्रेणी 3	950-20-1159-र.रो. 25-1500 रु.
अग्निशामक फिटर श्रेणी 1	1320-30-1560-र.रो. 40-2040 रु.
हाज मरम्मतकर्ता श्रेणी 2	
फिटरमैकेनिक	1200-30-1440-र.रो.-30-1800 रु.
अग्नि शामक पेंटर श्रेणी 3	950-20-1150-र.रो.-25-1500 रु.
ट्रेलर पम्प प्रचालक श्रेणी 1	1320-30-1560-र.रो. 40-2040 रु.
(स्वैलिक यूनिट ट्रेलर पम्प) प्रचालक	
और श्रेणी 2	1200-30-1440-र.रो.-30-1900 रु.
ड्राइवर (चलता-फिरता यूनिट)	950-20-1150-र.रो.-25-1500 रु.
श्रेणी 3	

सहायक कर्मचारी

78.1 अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट सहायक कर्मचारी वही वेतनमान प्राप्त करेंगे जो उस रैंक को धारण करने वाले अन्य अभ्यावेशित सदस्यों को अनुज्ञेय है।

78.2 वेतन का नियतन, ऐसे विद्यमान रेल नियमों के अनुसार किया जाएगा जो रेल की अन्य संगठित सेवाओं के संबंध में ऐसे नियतन के लिए लागू होते हैं।

78.3 वरिष्ठ अधिकारी और अभ्यावेशित बल-सदस्य भी, केन्द्रीय सरकार के इस निमित्त आदेशों के अनुसार, विशेष वेतन और भत्ते जो तत्समान रैंक या श्रेणी के किसी रेल सेवक को अनुज्ञेय है या अनुज्ञेय हो सकेंगे और ऐसी कोई रियायत, जो बल में किसी विधिगत या तकनीकी पद के धारक को मंजूरी की जा सकेगी, के पात्र होंगे।

78.4 रेल संरक्षण बल अकादमी और अन्य आंचलिक, प्रशिक्षण संस्थाओं में शिक्षा संबंधी कर्तव्यों पर अनियोजित प्रबन्धनाचार्य और अन्य बल-सदस्यों को उस दर पर जो रेल के तत्समान प्रशिक्षण संस्थाओं में उनके प्रतिस्पर्धी अधिकारियों को अनुज्ञेय है, मासिक शिक्षा भत्ता या विशेष वेतन दिया जाएगा।

79. विशेष भत्ते और परिलब्धियां

79.1 केन्द्रीय सरकार इस उद्देश्य से कि बल—

(क) रेल संपत्ति का संरक्षण और उसकी सुरक्षा करने तथा उसके विरुद्ध अपराध का मुकाबला करने संबंधी ;

(ख) भारतीय रेल अधिनियम, 1890 के अर्थ में “रेल सेवक” के और

(ग) रेल से विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों का दस्ता पूर्वक पालन करने में समर्थ हो सके, ऐसे अन्य विशेष भत्ते और परिलब्धियों के, जो वह समुचित समझे, संदाय के लिए भी उपबंध कर सकेगी।

80. विविध निधि, उपदान, पेंशन, चिकित्सीय सुविधा, पास आदि :

80.1 (i) विविध निधि,

(ii) उपदान;

(iii) पेंशन;

(iv) चिकित्सीय सुविधाओं;

(v) पास और सुविधा-टिकट आदेशों;

(vi) शैक्षणिक सहायता,

(vii) यात्रा और स्थानांतरण भत्तों और

(viii) अन्य वित्तीय विषयों,

वरिष्ठ अधिकारी और अभ्यावेशित बल-सदस्य से संबंधित मामलों में इन नियमों के उपबंधों द्वारा या जहाँ इन नियमों में कोई विनिर्दिष्ट उपबंध नहीं किए गए हैं वहाँ विद्यमान रेल नियमों द्वारा उसी रीति से शासित होंगे जैसे रेल में तत्समान रैंक या श्रेणी धारण करने वाले अधिकारी उक्त रेल नियमों द्वारा शासित होते हैं;

परन्तु पूर्वोक्त मामलों से संबंधित विद्यमान रेल नियम बल-सदस्यों को उनके लागू किए जाने में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा उपान्तरित किए जा सकेंगे।

80.2 प्रत्येक बल सदस्य को एक विविध निधि लेख पुस्तक दी जाएगी जिसमें वेतन आहरण अधिकारी द्वारा की गई कटौतियां कालिकत : प्रविष्टि और अधिप्रमाणित की जाएंगी।

81. वेतन और भत्ते से कटौतियां

81.1 ऐसे किसी अन्य कानूनी प्रावधानों पर, जो किसी अपचारी सदस्य विरुद्ध की जा सकेगी, प्रतिकूल, प्रभाव डाले बिना, उस वरिष्ठ अधिकारी के लिए जिसके अधीन कोई अभ्यावेशित सदस्य सेवा कर रहा हो, यह विधिपूर्ण होगा कि वह उस सदस्य को हेतुक दर्शित करने के लिए अवसर देने के पश्चात् उसके वेतन और भत्ते से निम्नलिखित की कटौतियों का आदेश दे—

(क) ऐसे प्रतिकूल के रूप में अपेक्षित कोई राशि जो—

(i) रेल या उसके किसी भवन या संपत्ति को;

या

(ii) बल की किसी निधि को;

उसके द्वारा कारित किसी हानि, नुकसान या नाश के लिए नियत किया जाए ;

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति के जो इस अधिनियम के अध्याधीन है ऐसे वेतन और भत्तों की प्रतिपूर्ति करने के लिए अपेक्षित कोई राशि जो उसने किसी प्राधिकार-पत्र पर विधिपूर्वक लेकर विधि-विरुद्ध रख लिए हैं या देने से विधि-विरुद्ध इनकार कर दिया है;

(ग) अभिलेखन पर या छुट्टी के बिना अनुपस्थिति के प्रत्येक दिन के लिए और किसी दंड न्यायालय या सुरक्षा न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत कारावास के प्रत्येक दिन के लिए वेतन और भत्ते;

(घ) किसी दण्ड न्यायालय या सुरक्षा न्यायालय द्वारा या किसी पेशी कक्ष में किसी प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा अधिरोपित जुर्माने के लिए दिए जाने के लिए अपेक्षित कोई राशि।

81.2 उपनियम (I) के खंड (क) (II) के अधीन वसूल की गई रकम, बल की सुसंगत निधि में जमा की जाएगी।

81.3 कटौतियों की सीमा:

किसी सदस्य के वेतन और भत्तों से कुल कटौती, जो उपनियम (i) के खंड (ग) की छोड़कर उस उपनियम के अधीन की जाती है, या जहां वह सेवा से पदच्युत हटाया या निवृत्त किया जा रहा है, वहां किसी एक मास में उस मास के उसके वेतन और भत्तों के आधे से अधिक नहीं होगी।

81.4 कटौतियों का परिहार:

इस नियम के अधीन कोई कटौती आदेश करने वाले प्राधिकारी से वरिष्ठ कोई अधिकारी उसे जो कि प्रोग्राम पर उक्त समस्त कटौतियों या उनके भाग का ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, परिहार करने के लिए सक्षम होगा।

82. नियुक्ति की अवधि

वरिष्ठ अधिकारियों और अभ्यावेष्टित बल-सदस्यों को नियुक्ति स्थायी रूप से की जा सकेगी या विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अभ्यायो रूप से या स्थानापन्न हैसियत में की जा सकेगी किसी ऐसे अवधि के लिए, जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट सेवाधृति के आधार पर या प्रतिनियुक्ति पर की जा सकेगी।

83. किन परिस्थितियों में कोई अभ्यावेष्टित बल-सदस्य पद त्यागकर सकेगा:

83.1 किसी अभ्यावेष्टित सदस्य का त्यागपत्र, वह अधिकारी स्वीकार कर सकेगा जो उसे नियुक्त करने के लिए सक्षम है।

83.2 अभ्यावेष्टित सदस्य, जो सेवा से पद त्याग करना चाहता है, उस आशय की तीन मास की लिखित सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देगा और त्यागपत्र के औपचारिक तौर पर स्वीकार किए जाने से पूर्व इयूटी से अलग होने की अनुज्ञा उसे नहीं दी जाएगी:

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी, स्वविवेकानुसार, अभ्यावेष्टित बल-सदस्य को इयूटी से अलग होने की अनुज्ञा, ऐसी सूचना के बदले में उसके द्वारा तीन मास का वेतन सरकारी खाते में जमा करने पर, दे सकेगा।

83.3 किसी ऐसे अभ्यावेष्टित सदस्य को, जिसका त्यागपत्र नियुक्ति प्राधिकारी ने स्वीकार कर लिया है, इयूटी से अलग होने की अनुज्ञा तब तक नहीं दी जाएगी जब तक वह सरकार या किसी रेल संरक्षण बल निधि को उसके द्वारा शोध सभी ऋण पूर्ण रूप से चुका नहीं देता और अपना नियुक्ति प्रमाणपत्र, आयु, साज-सज्जा, वर्दी और सभी अन्य सरकारी संपत्ति जो उसके कब्जे में, अभ्यर्पित नहीं कर देता तथा सभी सरकारी धन और संगति का, जिसके लिए वह जिम्मेदार है, पूर्ण लेखा नहीं देता।

84. अनुपयुक्तता के आधार पर सेवानिवृत्ति:

84.1 जब कभी किसी सुरक्षा आयुक्त या उच्चतर रैंक के किसी अधिकारी की यह राय है कि ऐसे बल का (जो संघ का कोई सशस्त्र बल है) कोई सदस्य, उसकी क्षमता, दक्षता, प्रभावना में अत्यधिक गिरावट आ जाने के कारण या अन्यथा सेवा में बने रहने के योग्य नहीं है और जहां अध्याय 12 के अधीन कार्यवाई साध्य नहीं है वहां तब वह संबंधित मुख्य सुरक्षा आयुक्त को सिफारिश कर सकेगा कि उस सदस्य को सेवा से निवृत्त कर दिया जाए।

परन्तु जहां मुख्य सुरक्षा आयुक्त की उस वरिष्ठ अधिकारी के संघ में, जिसका वह नियुक्ति प्राधिकारी नहीं है ऐसी राय है वहां वह निर्दिष्ट प्राधिकारी के आदेश प्राप्त करने के लिए मामला महानिदेशक को प्रस्तुत कर सकेगा।

84.2 यथास्थिति, उक्त मुख्य सुरक्षा आयुक्त या उक्त नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी सिफारिशों की प्राप्ति पर और बल सदस्य को उक्त मामला स्पष्ट करने का अवसर देने के पश्चात् ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे:

परन्तु जब कभी, यथास्थिति, मुख्य सुरक्षा आयुक्त या केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि बल सदस्य की अगता मामला स्पष्ट करने के लिए अवसर देना राज्य की सुरक्षा के हित में नहीं होगा तब, यथास्थिति, मुख्य सुरक्षा आयुक्त या केन्द्रीय सरकार ऐसा कोई अवसर दिए बिना, यथा पूर्वोक्त आदेश पारित कर सकेगा।

85. शारीरिक और मानसिक आयोय्यता के आधार पर सेवानिवृत्ति

85.1 सेवा में रहने के दौरान सभी बल-सदस्यों का चिकित्सा प्रवर्ग के अनुसार जो निदेशों में विहित किया जाए, मानसिक और शारीरिक दृष्टि से अच्छी स्वास्थ्य बना रहेगा। महानिदेशक सेवा में रहने दौरान प्रत्येक वर्ग और रैंक के बल सदस्यों को चिकित्सा परीक्षा के लिए आवश्यक भी विहित कर सकेगा।

85.2 जब कभी किसी नियुक्ति प्राधिकारी, का, रिपोर्ट की प्राप्ति पर या अन्यथा, यह विचार है कि कोई बल-सदस्य, प्राणों शारीरिक या मानसिक दशाओं के कारण, बल-सदस्यों के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए अयोग्य हो गया है तब वह आदेश दे सकेगा कि चिकित्सा बोर्ड द्वारा सदस्य की परीक्षा की जाए।

85.3 जहां चिकित्सा बोर्ड, सदस्य को सेवा के आयोय्य समझता है वहां नियुक्ति प्राधिकारी, उक्त सदस्य को चिकित्सा बोर्ड के निष्कर्ष संसूचित करेगा और उससे ऐसी संसूचना की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर ऐसा अभ्यावेदन जो वह उचित समझे प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा।

85.4 नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यावेदन की प्राप्ति पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे;

परन्तु किसी ऐसे बल सदस्य के मामले को, जो दृष्टि परीक्षा में सफल हो जाता है या अन्यथा उस पद के जिस पर वह है, कर्तव्यों के पालन के लिए शारीरिक दृष्टि से असमर्थ हो जाता है, किन्तु अन्य कर्तव्यों के पालन के लिए समर्थ है या किसी ऐसे बल-सदस्य के मामले को, जो बल में आगे सेवा के लिए पूर्णतः अयोग्य है, विद्यमान रेल नियमों के अनुसार विनियमित किया जा सकेगा।

86. अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति:

86.1 वरिष्ठ अधिकारी और अभ्यावेष्टित बल-सदस्य, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर विद्यमान रेल नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा से निवृत्त होंगे।

अध्याय 7

बल सदस्यों का बांटा जाना और अंतरण

87. वितरण

87.1 अभ्यावेष्टित बल सदस्य समस्त सेवा के लिए आंचलिक रेल या रेल संरक्षण विशेष बल में, जिसको वे पहली नियुक्ति पर इन नियमों के अनुसार बांटे जाते हैं, नियोजित किए जाएंगे और वे किसी दूसरी आंचलिक रेल में या रेल संरक्षण विशेष बल विरचनाओं में और दूसरी आंचलिक रेल या रेल संरक्षण विशेष बल विरचनाओं से अंतरण के लिए अधिकार के रूप में कोई दावा नहीं करेंगे।

88. सहायक कमांडेंट:

88.1 सीधे भर्ती किए जाने वाले सहायक कमांडेंट आंचलिक रेलों और रेल संरक्षण विशेष बल के बीच ऐसी रीति से बांटे जाएंगे। जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा लोक हित में आवश्यक समझी जाए।

88.2 रैंक से प्रोन्नत किए गए सभी अन्य सहायक कमांडेंट, मूल आंचलिक रेल या रेल संरक्षण विभाग बल में प्रारंभिक प्रशिक्षण-कार बनाए रखेंगे।

89. अस्थावैशित सदस्य:

89.1 उपनिरीक्षक

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति, प्रारंभिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर, आंचलिक रेलों और रेल संरक्षण विभाग बल के बीच ऐसी रीति से बांटे जाएंगे जो नियुक्ति प्राधिकारों द्वारा लोकहित में आवश्यक समझी जाए।

89.2 कांस्टेबल

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति, प्रारंभिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर, अस्थावैशित के लिए मंडलों, उद्घाटन यूनिटों और रेल संरक्षण विशेष बल बटालियनों में ऐसी रीति में बांटे जाएंगे जो संबंधित मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा लोकहित में आवश्यक समझी जाए।

स्थानान्तरण

90. साधारण:

90.1 बल-सदस्यों का सेवा की अस्थावैशितताओं या प्रशासनिक कारणों से या ऐसे सदस्यों की स्थानीय उन्नतों से बचने के लिए या किसी ऐसे अन्य विचार से भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानान्तरण करने के लिए आदेश दिए जा सकेंगे।

91. अन्तर-आंचलिक स्थानान्तरण

91.1 बल के वरिष्ठ अधिकारी

महानिदेशक संबंधित मुख्य सुरक्षा आयुक्त को वित्तीय पर या अन्यथा किसी भी वरिष्ठ अधिकारी का एक आंचलिक रेल से दूसरे आंचलिक रेल में या रेल संरक्षण विशेष बल से आंचलिक रेल में या आंचलिक रेल से रेल संरक्षण विशेष बल में बल के प्रशासन के हित में स्थानान्तरण कर सकेगा।

91.2 अस्थावैशित बल सदस्य

अस्थावैशित बल सदस्यों के सभी अन्तर-आंचलिक रेल स्थानान्तरण, महानिदेशक की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा किए जाएंगे।

92. कालिक स्थानान्तरण

92.1 आंचलिक रेल के भीतर वरिष्ठ अधिकारियों के स्थानान्तरण आंचलिक रेल के भीतर वरिष्ठ अधिकारियों का स्थानान्तरण संबंधित महानिदेशक की सहमति से मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा किया जा सकेगा।

परन्तु इस उपनियम की कोई बात महानिदेशक की स्वयंसेवा से आंचलिक रेल के भीतर किसी वरिष्ठ अधिकारी के स्थानान्तरण का आदेश करने की शक्ति को निर्विघ्न नहीं करेगी।

92.2 अस्थावैशित बल सदस्यों का स्थानान्तरण

अस्थावैशित बल-सदस्यों के स्थानान्तरण के लिए आदेश संबंधित मुख्य सुरक्षा आयुक्त और अन्य अधिकारियों द्वारा किए जा सकेंगे जो अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट हैं।

93 कालिक स्थानान्तरणों के लिए साधारण सिद्धांत

93.1 विविध समामेय, अनुशासन और जवाबदारी के हित में, महानिदेशक विभिन्न रैंक के लिए और विभिन्न स्थानों में तैनाती की अवधि विहित कर सकेगा।

93.2 सामान्यतया किसी भी बल-सदस्य का एक स्टेशन से दूसरे स्थान को स्थानान्तरण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक वह प्रसामान्य

विहित अवधि तक उस स्टेशन पर न रहा हो और न वह उसके पश्चात् अस्थावैशित बल-सदस्यों की बाबत संबंधित मुख्य सुरक्षा आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारियों की बाबत महानिदेशक के विनिर्दिष्ट अनुमोदन के बिना एक वर्ष से अधिक के लिए उस स्टेशन पर रहने दिया जाएगा।

परन्तु उन बल-सदस्यों का, जो खराब जलवायु वाले क्षेत्रों में या दुर्गम स्थानों में तैनात हैं, उनके ऐसे क्षेत्र या स्थान में लगभग दो वर्ष सेवा करने के पश्चात् स्थानान्तरण किया जा सकेगा।

93.3 सामान्यतया किसी को इस प्रकार तैनात नहीं किया जाएगा कि उसका स्वतन्त्र उसकी तैनाती के रेल हंड के 100 कि.मी. के भीतर पड़े और न उसे किसी ऐसे नगर में तैनात किया जाएगा जहां वह अवल संभित धारण या अजित करता है और न उसे उसी हैसियत में वापस तब तक तैनात नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा करना लोकहित में आवश्यक न समझा जाए।

93.4 उन बल-सदस्यों को, जिनका अष्टाचार या अचरार की शिकायत पर किसी विशिष्ट स्थान या मंडल से बाहर स्थानान्तरण कर दिया गया है, उनके ऐसा अनुरोध करने पर भी उस पद या स्थान या मंडल में वापस तैनात नहीं किया जाएगा।

93.5 ऐसे बल सदस्यों को जिनके विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि की गई है या जिनकी प्रविष्टि अचो नहीं है, संवेदनशील पदों पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वे तीन क्रमवर्ती वर्ष तक अचो प्रविष्टियां प्राप्त न कर लें।

93.6 किसी ऐसे बल सदस्य को, जिसका अस्थायी तौर पर किसी स्थान पर स्थानान्तरण कर दिया गया है, संबंधित मुख्य सुरक्षा आयुक्त के विनिर्दिष्ट अनुमोदन के बिना चार मास से अधिक के लिए उस स्थान में नहीं रहने दिया जाएगा और वर्ष के अंतराल के बिना उसी स्थान में अस्थायी रूप में पुनः तैनात नहीं किया जाएगा।

93.7 जहां कोई बल-सदस्य किसी विशेष स्थान पर आगे प्रसामान्य अवधि पूरी करने से पहले किसी दूसरे स्थान में अपना स्थानान्तरण इसलिए करना चाहता है कि उसके बालकों का शिक्षा में अगले कुछ वर्षों के लिए नए स्टेशन पर निरंतरता बना रहे ताकि ऐसे सरस का स्थानान्तरण प्रसामान्य अवधि पूरी होने से पहले प्रशासन के हित को ध्यान में रखते हुए किया जा सकेगा।

93.8 मंडल के भीतर या एक मंडल से दूसरे मंडल में पारस्परिक स्थानान्तरण के लिए बल-सदस्य द्वारा किए गए अनुरोधों का विनिर्वाह स्थानान्तरण और तैनातियों को बाबत साधारण नाति का दृष्टि में रखते हुए गुणागुण के आधार पर किया जाएगा और जहां तब आवश्यक हों सके हैं। अनुरोधों पर कालिक स्थानान्तरणों के समय बिचार किया जाएगा।

93.9 उन बल-सदस्यों का, जो विभागीय कार्यवाहियों का सामना कर रहे हैं और जिनका प्रसामान्य अवधि के पूरा होने पर कालिक स्थानान्तरण किया जा सकता है, प्रसामान्य स्थानान्तरण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा स्थानान्तरण लोकहित में न हो या जहां ऐसा स्थानान्तरण अनुशासनिक कार्यवाहियों के शोध पूरा किए जाने के हित में है।

93.10 यदि कोई ऐसा बल-सदस्य, जिसके स्थानान्तरण के लिए आदेश किए जा चुके हैं, छुट्टी के लिए आवेदन करता है तो उसे स्थानान्तरण प्राधिकारों की पूर्व अनुज्ञा के बिना छुट्टी में मंजूर नहीं को जाएगा।

परन्तु जहां स्थानान्तरित सदस्य अंतरंग रोगों के रूप में अस्वस्थ हैं भर्ती हैं वहां या ऐसे अन्य संशय मामलों में, उसे स्थानान्तरण अधिकारों को सूचित करते हुए छुट्टी दी जा सकेगी।

परन्तु यह और कि उपनियम (2) और उपनियम (3) के उल्लंघन उन बल-सदस्यों को लागू नहीं होंगे जो अस्थावैशित से पूर्व आगे तैनात तैनाती पर जा रहे हैं।

अध्याय 8

आंतरिक प्रबंध और सेवा की शर्तें

ज्येष्ठता

94. प्रारंभिक श्रेणी में ज्येष्ठता

94.1 किसी श्रेणी में पदधारियों के बीच परस्पर ज्येष्ठता, प्रारंभिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण के, यदि कोई हो, पूरा करने के पश्चात् उस श्रेणी में निरन्तर नियमित नियुक्ति के आधार पर अवधारित की जाएगी और प्रारंभिक वेतन से उच्चतर वेतन दिए जाने से ज्येष्ठता का कोई विशेष अतिरिक्त भत्ता नहीं होगा।

94.2 जब सेवा की अभ्यावश्यकताओं के कारण ऐसे अभ्यावेशित बल सदस्यों की, जो सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति है, प्रशिक्षण अवधि घटा या बढ़ा दी जाती है तब पद (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् कार्यकारी पद कहा गया है) ग्रहण करने की तारीख ऐसे सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की दशा में वह तारीख होगी जब वे विहित प्रशिक्षण अवधि के पूरा होने के तत्काल कार्य पद पर सामान्यतया आ जाएं।

95. वरिष्ठ अधिकारियों की ज्येष्ठता

95.1 किसी विशिष्ट रैंक में—

- (1) अधिष्ठायी हैसियत में नियुक्त वरिष्ठ अधिकारी, स्थानापन्न हैसियत में नियुक्त अधिकारी से ज्येष्ठ होगा;
- (2) किसी पद पर अधिष्ठायी हैसियत में नियुक्त वरिष्ठ अधिकारियों की ज्येष्ठता उस पद पर अधिष्ठायी हैसियत में नियुक्ति की तारीख के अनुसार अवधारित की जाएगी और जहां दो या दो से अधिक अधिकारियों की किसी पद पर अधिष्ठायी हैसियत में एक ही तारीख को नियुक्ति की जाती है वहां उनको ज्येष्ठता, उनकी उस पद पर नियुक्ति के चयन क्रम के अनुसार अवधारित की जाएगी;
- (3) किसी पद पर स्थानापन्न हैसियत में नियुक्त अधिकारियों की ज्येष्ठता उस पद पर नियुक्ति के चयनक्रम के अनुसार अवधारित की जाएगी;
- (4) वे अधिकारी, जो उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के कोटे में प्रोन्नति पर नियुक्त किये जाते हैं, सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के किसी विशिष्ट बैच के नीचे या ऊपर तदनुसार रखे जाएंगे चूंकि काल वेतनमान में उनकी वेतनवृद्धि की तारीखें उस पूर्वतन् तारीख के पहले की हैं या बाद की जिसको किसी विशिष्ट बैच में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों में किसी एक ने मेवा ग्रहण की थी।

95.2 उपनियम (1) के उपबं के आशय रहते हुए, एक ही रैंक धारण करने वाले अधिकारियों की परस्पर ज्येष्ठता निम्न लिखित रूप में होगी, अर्थात् :—

- (1) एक ही तारीख को प्रोन्नत किए गये अधिकारियों की ज्येष्ठता उस क्रम में अवधारित की जाएगी जिसमें उसको उस रैंक में प्रोन्नति के लिए चयन किया जाता है;
- (2) सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की ज्येष्ठता वही होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित की जाए;
- (3) किसी विशिष्ट रैंक में पुनर्नियोजित अधिकारियों की ज्येष्ठता उस रैंक में उनके पुनर्नियोजन की तारीख से अवधारित की जाएगी;
- (4) किसी विशिष्ट रैंक में, प्रतिनियुक्ति पर कोई अधिकारी अपनी वही ज्येष्ठता बनाए रखेगा जो उसके और प्रतिनियुक्ति पर उसकी सेवा में के अन्य अधिकारियों के बीच है;

(5) प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी और अन्य अधिकारी के बीच ज्येष्ठता उस रैंक में निरन्तर नियमित नियुक्ति की तारीख से अवधारित की जाएगी; और

(6) नियम 54 के उपनियम 1(घ) के अधीन भर्ती किए गए अधिकारियों की ज्येष्ठता, उस श्रेणी में उनकी नियुक्ति की तारीख द्वारा शासित होगी।

96. सीधे भर्ती किए गए अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता

96.1 सीधे भर्ती किए गए अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप में अवधारित की जाएगी :

- (1) वे अभ्यर्थी, जो किसी प्रशिक्षण विद्यालय में प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए भेजे जाते हैं, सुसंगत श्रेणी में अपनी ज्येष्ठता, कार्यकारी पदों पर पदामिहित किए जाने के पूर्व प्रशिक्षण अवधि के अन्त में हुई परीक्षा में प्राप्त योग्यताक्रम के अनुसार ग्रहण करेंगे और वे अभ्यर्थी जो दूसरे प्रयत्न में परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, उनसे कनिष्ठ होंगे जो पहले प्रयत्न में ही उत्तीर्ण हो जाते हैं किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों से जो अगले या पश्चात्पूर्व बर्षों में उत्तीर्ण होते हैं, ज्येष्ठ होंगे और जहां अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करते हैं वहां ज्येष्ठता जन्म-तिथि के अनुसार अवधारित की जाएगी—अधिक आयु वाला अभ्यर्थी ज्येष्ठ होगा।
- (2) ऐसे अभ्यर्थियों के मामले में, जिनसे कोई प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की जाती है, ज्येष्ठता उनके चयनक्रम के आधार पर अवधारित की जाएगी;
- (3) जब उसी एक परीक्षा या चयन में समान योग्यता वाले दो या अधिक अभ्यर्थी हों तब उनकी सापेक्ष ज्येष्ठता जन्मतिथि के अनुसार अवधारित की जाएगी—अधिक आयु वाला अभ्यर्थी ज्येष्ठ होगा;
- (4) जब कोई अभ्यर्थी जिसकी उपरोक्त नियमों के अधीन ज्येष्ठता नियत कर दी गई है नियुक्ति आदेश की प्राप्ति से तीन मास के भीतर कर्तव्य ग्रहण नहीं कर सकता है तब उसी परीक्षा या चयन में चयन किए गए अभ्यर्थियों में उसकी ज्येष्ठता की गणना नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाने वाली तारीख से की जाएगी;
- (5) किसी पूर्ववर्ती चयन में नियुक्ति के लिए चयन किए गए अभ्यर्थी पद ग्रहण करने की तारीख को दृष्टि में लाए बिना, बाद में चयन किए गए अभ्यर्थियों से ज्येष्ठ होंगे;
- (6) विभिन्न ज्येष्ठता यूनिटों की किसी मध्यवर्ती रैंक में उन कर्मचारियों की, जो उच्चतर श्रेणी में चयन के लिए उपस्थित हो रहे हैं, सापेक्ष ज्येष्ठता किसी कर्मचारी की पुष्टि की तारीख को दृष्टि में लाए बिना, उसी या समतुल्य रैंक में निरन्तर सेवा की कुल अवधि के अनुसार अवधारित की जाएगी। केवल अनास्मिक सेवा को इस प्रयोजन के लिए हिसाब में लिया जायेगा।
- (7) जब कभी विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों या वर्ग के व्यक्तियों की सीधी भर्ती, के लिए कोई कोटा विहित किया गया है तब ऐसी ज्येष्ठता सामान्य नियमों के अधीन नियत की जाती रहेगी और कोटे की कोई सुसंगति नहीं होगी। किसी प्रवर्ग के एक, वर्ष के कोटे की कमी को अगले वर्ष भरा जा सकेगा किन्तु ऐसे मामलों में भूतलसी प्रभाव से ज्येष्ठता का फायदा नहीं दिया जायेगा।

97. विभागीय प्रोन्नत व्यक्तियों की ज्येष्ठता :

प्रोन्नत व्यक्तियों की ज्येष्ठता, विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा चयन नल में उन्हें दिए गए स्थान के अनुसार अवधारित की जाएगी। जो व्यक्ति

प्रारंभिक या प्रोन्नति पूर्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अर्हता प्राप्त नहीं कर पाते हैं और दूसरे प्रयत्न में अर्हता प्राप्त करते हैं उन्हें चयन पैनल में अपने नाम क्रम में उन सभी व्यक्तियों के नीचे रखा जाएगा जिन्होंने पहले प्रयत्न में अर्हता प्राप्त की थी।

98. सोवे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता :

98.1 अभ्यावेशित बल-सदस्यों के उन पदों में जो भागतः सीधी भर्ती द्वारा और भागतः प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं, परस्पर ज्येष्ठता इस प्रकार अवधारित की जाएगी जिससे सोवे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता में कोई परिवर्तन न हो। ऐसी ज्येष्ठता के अवधारण को कसौटी, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में प्रोन्नति की तारीख द्वारा और सीधे भर्ती की तारीख द्वारा किया जाएगा। नियम 94 के उपनियम (2) में निविष्ट कार्यकारी पद ग्रहण करने की तारीख होगी। जब किसी प्रोन्नत अभ्यावेशित बल-सदस्य और सोवे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति की किसी श्रेणी में प्रवेश की तारीख एक ही है, तब उन्हें प्रोन्नत व्यक्ति से आरंभ करके स्थान एकांतर रूप में दिया जाएगा, उदाहरणार्थ 1. प्रोन्नत व्यक्ति, 2. सीधे भर्ती किए जाने वाला व्यक्ति, 3. प्रोन्नत व्यक्ति, 4. सोवे भर्ती किया जाने वाला व्यक्ति और इसी प्रकार आगे भी। यह नियम प्रारंभिक और मध्यवर्ती दोनों श्रेणी में भर्ती को लागू होगा।

98.2 दूसरे प्रयत्न में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की सम्मिलित ज्येष्ठता सूची में, प्रोन्नत व्यक्ति, पैनल स्थान के अनुसार और सोवे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति, पैनल स्थान के अनुसार अपनी ज्येष्ठता बनाए रखेंगे और वे ज्येष्ठता सूची में एकांतर रूप में रखे जाएंगे जैसा उक्त नियम (1) में दिया गया है।

98.3 ऐसे अभ्यावेशित सदस्यों को, जिनकी सामान्य चयन के लिए उदासीन हुए बिना और रेलों के निविष्ट प्रारंभिक या प्रोन्नति-पूर्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अर्हता प्राप्त करने से प्रोन्नत की जाती है, परस्पर ज्येष्ठता उनके पूर्ववर्ती रैंकों के ज्येष्ठता क्रम के अनुसार अवधारित की जाएगी। किंतु उस समय जब उक्त ज्येष्ठता सोवे भर्ती किए गए अभ्यावेशित सदस्यों और प्रोन्नत व्यक्तियों की तुलना में नियत की जाएगी तब ऐसे विशेषतः पर प्रोन्नत किए अभ्यावेशित सदस्य उन सभी व्यक्तियों के नीचे रखे जाएंगे, जिनके अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रारंभिक या प्रोन्नतिपूर्व प्रशिक्षण दूसरे प्रयत्न में उत्तीर्ण कर रहे हैं।

99. अंतर आंचलिक स्थानांतरण पर ज्येष्ठता का अवधारण:

99.1 प्रशासन के हित में स्थानांतरण के लिए आदेश कब किए जाएंगे: एक अंचल से दूसरे अंचल या रेल संरक्षण विशेष बल में और रेल संरक्षण विशेष बल से किसी अंचल में प्रशासन के हित में स्थानांतरण किए जाने पर किसी अभ्यावेशित बल-सदस्य की ज्येष्ठता, यथास्थिति, श्रेणी या रैंक में नियुक्ति की तारीख से विनियमित की जाएगी। जहां स्थानांतरित बल-सदस्य को नियुक्त की तारीख वहीं है जो उस आंचलिक रेल या रेल संरक्षण विशेष बल में पहले से सेवा कर रहे किसी अन्य बल-सदस्य की है वहां सापेक्ष ज्येष्ठता जन्म-तिथि के आधार पर अवधारित की जाएगी, अधिक आयु वाला सदस्य ज्येष्ठ होगा।

99.2 अपने अनुरोध पर या परस्पर स्थानांतरण :

एक आंचलिक रेल से दूसरी आंचलिक रेल या रेल संरक्षण विशेष बल में और रेल संरक्षण विशेष बल से, किसी आंचलिक रेल में स्वयं अपने अनुरोध पर या परस्पर स्थानांतरित किसी अभ्यावेशित बल-सदस्य की ज्येष्ठता, उसकी पुष्टि की तारीख पर या स्थानांतरण सेवाकाल की लंबाई की पुष्टि में लाए बिना, उस रेल या रेल संरक्षण विशेष बल के सुसंगत रैंक में के ऐसे सभी विद्यमान अभ्यावेशित बल-सदस्यों के नीचे नियत की जाएगी जिनकी पुष्टि हो गई है या जो स्थानांतरण रूप से कार्य कर रहे हैं।

100. रैंक या श्रेणी में अवनति या वेतन में कमी का ज्येष्ठता पर प्रभाव:

100.1 वेतनमान में कमी करना उच्चतर रैंक पर श्रेणी में अवनति करने से भिन्न है, अतः वेतन में कमी करने से ज्येष्ठता सूची में किसी बल-सदस्य के स्थान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

100.2 किसी निम्नतर रैंक में अवनति या किसी निम्नतर वेतनमान में: कमी की दशा में:

- (1) यदि किसी बल-सदस्य को किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निम्नतर वेतनमान में कमी से दंडित किया जाता है तो उसकी ज्येष्ठता और उसका वेतन, दण्ड की अवधि की समाप्ति के तत्काल बाद प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा ;
- (2) यदि किसी बल-सदस्य को किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किसी निम्नतर रैंक या श्रेणी में अवनति से दण्डित किया जाता है तो वे उसी रैंक या श्रेणी में स्वतः पुनः प्रोन्नत कर दिया जाएगा जिससे उसको अवनति की गई थी। ऐसे बल-सदस्य की ज्येष्ठता उच्चतर रैंक या श्रेणी में उसी स्थान पर नियत की जाएगी जिस पर वह यदि उसकी अवनति न की गई होती तो होता ;
- (3) यदि बल सदस्य को, किसी उच्चतर रैंक या श्रेणी से निम्नतर रैंक या श्रेणी में अवनति करके दण्डित किया गया है तो उसकी निम्नतर रैंक या श्रेणी में ज्येष्ठता उसके उस स्थान के प्रति निर्देश से नियत की जाएगी जिसका वह यदि उसकी उस उच्चतर रैंक या श्रेणी में जिससे वह अवनति किया गया था, प्रोन्नति की गई होती तो हकदार होता।

101. ज्येष्ठता को शासित करने वाले प्रकीर्ण उपबंध:

101.1 ज्येष्ठता के ऐसे अन्य सभी मामलों को जो विनिर्दिष्ट रूप से ऊपर उपबंधों के अन्तर्गत नहीं आते हैं, निर्देशों या महानिदेशक की सलाह के अनुसार—

(क) वरिष्ठ अधिकारियों की दशा में केन्द्रीय सरकार द्वारा

(ख) अभ्यावेशित बल-सदस्यों की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ; विनियमित किया जाएगा।

102. ज्येष्ठता नियत करने के विरुद्ध अभ्यावेदन:

102.1 कोई बल सदस्य, अपनी ज्येष्ठता के स्थान के बारे में अभ्यावेदन नियुक्ति प्राधिकारी को ज्येष्ठता सूची के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर कर सकेगा।

छुट्टी

103. छुट्टी की मात्रा :

103.1 वरिष्ठ अधिकारी और अभ्यावेशित बल-सदस्य तत्समा न रैंक के रेल सेवकों को लागू छुट्टी नियमों द्वारा शासित होंगे। वे अधिकारी और सदस्य, जो बल में प्रतिनियुक्ति पर हैं, उन्हें लागू नियमों द्वारा उसी प्रकार शासित होंगे मानो वे बल में प्रतिनियुक्ति पर न हों, या उनकी नियुक्ति के निबंधनों द्वारा शासित होंगे।

104. छुट्टी की मंजूरी को शासित करने वाली सामान्य शर्त:

104.1 छुट्टी की मंजूरी के बारे में बल के वरिष्ठ अधिकारियों और अधीनस्थ अधिकारियों की शक्तियां वे होंगी जो अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट हैं।

104.2 त्येक प्रकार की छुट्टी लोक सेवा की अभ्यावश्यकताओं के अधीन रहते हुए मंजूर, नामंजूर या प्रतिबंधित की जाएगी।

104.3 कोई भी बल-सदस्य अवकाश विधियों में भी ऐसे प्राधिकारी की, जो उसे आकस्मिक छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम है, विनिर्दिष्ट अनुज्ञा के बिना अपने स्टेशन को नहीं छोड़ेगा।

104.4 कोई बल सदस्य छुट्टी पर जाने से पहले कार्यालय में छुट्टी के दौरान अपना पता अभिलिखित करेगा जिस पर छुट्टी से वापस बुलाने का आदेश या अन्य संसूचना उसके पास निश्चित रूप से पहुंच जाए।

104.5 छुट्टी प्रमाणपत्र:

प्रत्येक ऐसे अभ्यावेष्टित बल सदस्य को, जो आकस्मिक छुट्टी से भिन्न छुट्टी पर जा रहा है, विहित प्रारूप में छुट्टी प्रमाणपत्र दिया जाएगा और ऐसा प्रमाणपत्र छुट्टी से सदस्य के काम पर वापस आने पर उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से उस स्थान के भारसंधक अधिकारी को दिया जाएगा जहां वह काम पर वापस आता है। वह अधिकारी काम पर वापस आने का समय और तारोख प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकित करेगा और उसे उस अधिकारी को भेज देगा जहां उसका छुट्टी लेखा रखा जाता है।

104.6 छुट्टी से वापस बुलाया जाना :

बल सदस्यों को:—

- (1) उन्हें छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी किसी भी समय छुट्टी से वापस बुला सकेगा;
- (2) या तो उनके मुख्यालय पर ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने के लिए या सोचे ही किसी ऐसे स्थान को, जहां उसको सेवाएं अंशित हैं, प्रस्थान करने के लिए निदेश दिया जा सकेगा;

परन्तु वापस बुलाए जाने बल-सदस्य ड्यूटी पास और याता भत्ते के सबसे छोटे भाग से उसी प्रकार हकदार होंगे जिस प्रकार दौरे पर हकदार होते हैं।

104.7 छुट्टी से ड्यूटी पर वापसी:

कोई भी ऐसा बल-सदस्य, जिसे चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर छुट्टी मंजूर की गई है, स्वस्थता का चिकित्सीय प्रमाणपत्र पेश किए बिना पुनः ड्यूटी ग्रहण नहीं कर सकता। छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी किसी ऐसे बल-सदस्य के मामले में, जिसे खराब स्वास्थ्य के कारण छुट्टी मंजूर की गई है, ऐसे प्रमाणपत्र को अपेक्षा कर सकेगा भले ही ऐसी छुट्टी वास्तव में चिकित्सीय आधार पर मंजूर नहीं की गई हो।

105. छुट्टी मंजूर करने पर निर्बन्धन:

105.1 जब कभी नियम 241 के अधीन बल का संचलन सम्भाव्य है या वह प्रवृत्त है या किसी बल-सदस्य को किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण के लिए तैनात किया जाता है या उसका तैनात किया जाना सम्भाव्य है तो किसी भी प्रकार की छुट्टी, जिसके अंतर्गत आकस्मिक छुट्टी है, आपाती और अनुकंपा आधार पर के सिवाय साधारणतया किसी ऐसे अधिकारी द्वारा जो मंडल सुरक्षा आयुक्त के रैंक से नीचे का न हो, मंजूर नहीं की जाएगी।

105.2 किसी भी ऐसे बल सदस्य को जिसके आचरण की जांच की जा रही है, छुट्टी उस दशा के सिवाय मंजूर नहीं की जाएगी जब वह अस्पताल में भर्ती होने के प्रयोजन के लिए या अत्यधिक आपाती मामलों में आवश्यक हो।

105.3 इसी प्रकार किसी ऐसे बल सदस्य की, जिसके स्थानान्तरण के आदेश किए जा चुके हैं, छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी जब तक कि वह अंतरंग रोगी के रूप में किसी अस्पताल में भर्ती कर नहीं लिया जाता है:

परन्तु यदि कोई रेल डाक्टर ऐसे स्वस्थ को, ऐसी स्थिति में जो नियम 272 में नहीं बताई गई हैं, बहिरंग रोगी के रूप में रोगी सूची में प्रतिष्ठ कर लेता है तो ऐसा सदस्य उस मामले की तत्काल रिपोर्ट अपने नियंत्रक प्राधिकारी को करेगा और उस प्राधिकारी को पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेगा।

106. काम का मूल्यांकन :

106.1 साधारण काम के मूल्यांकन की पद्धति निम्नलिखित होगी, अर्थात्:—

- (क) काम का निरंतर मूल्यांकन जिसका प्रभाव काम में सुधार लाना और उसका विकास करना है; और
- (ख) काम का वार्षिक मूल्यांकन जो संगठनात्मक प्रयोजनों के लिए होगा। जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण, पुष्टि, स्वातंत्र्य और प्रोत्साहन से संबंधित प्रयोजन हैं।

106.2 उक्त मूल्यांकन पद्धति सभी रैंक को लागू होगी।

106.3 काम के निरंतर मूल्यांकन के लिए, बल के प्रत्येक अधीनस्थ और वरिष्ठ अधिकारी अपने प्रत्येक ऐसे अधीनस्थ अधिकारियों की बाबत, जो नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा उस प्रयोजन के लिए उसे विशेष रूप से सीपे जाएं, चल अभिलेख (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् समानोचनात्मक घटना अभिलेख कहा गया है) रखेगा। वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों के अच्छे और खराब कार्य के विनिर्दिष्ट दृष्टान्तों को मासानुमास उसमें अभिलिखित करेगा और साथ ही उनके सम्पूर्ण काम की त्रैमासिक रेटिंग भी अभिलिखित करेगा।

106.4 उपनियम (3) में निर्दिष्ट बल के प्रत्येक अधीनस्थ और वरिष्ठ अधिकारी, जहां तक संभव हो सके उन बल-सदस्यों के लिए, जिनका वह समालोचनात्मक घटना अभिलेख रख रहा है, त्रैमासिक समीक्षा बैठक का आयोजन करेगा। ऐसे समीक्षा बैठक का अभिलेख भी रखा जाएगा। ऐसे समीक्षा बैठक का उद्देश्य संबंधित सदस्य में आचरण संबंधी अच्छी बातों को प्रोत्साहित करना और त्रैमासिक रेटिंग की दृष्टि से उसके आचरण में सुधार करना है।

107. काम का वार्षिक मूल्यांकन :

107.1 नियम 108 में उल्लिखित गोपनीय रिपोर्ट त्रिवार के लिए काम का जो वार्षिक मूल्यांकन किसी वरिष्ठ रिपोर्ट अधिकारी द्वारा किया जाना है वह अपने अधीनस्थ व्यक्ति के काम का कम से कम एक निरीक्षण किए बिना तब तक न किया जाए जब तक कि वह अधीनस्थ अधिकारी ऐसा व्यक्ति न हो जिसके साथ बल का ऐसा वरिष्ठ अधिकारी बहुत कार्य करता रहा है या उसके लिए नियम 106 के उपनियम (3) में उल्लिखित समालोचनात्मक घटना अभिलेख रखता है या उसने ऐसे अभिलेख की वस्तुतः जांच की है।

107.2 उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए मूल्यांकित और उसके रिपोर्ट अधिकारी के बीच सभी स्तरों पर समीक्षा बनाए रखा जाएगा। ऐसा मूल्यांकन वरिष्ठ अधिकारों द्वारा ही किया जाएगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि मूल्यांकन वृत्ति और वस्तुनिष्ठ हो तथा उनके कार्य के सभी तथ्यों की बाबत मूल्यांकन जहां तक हो सके सच्ची तस्वीर पेश करे।

108. गोपनीय रिपोर्ट:

108.1 कांस्टेबल और अवर अधिकारियों की बाबत गोपनीय रिपोर्ट: कांस्टेबल और अवर अधिकारियों की बाबत गोपनीय रिपोर्ट, "चरित्र और सेवा पुस्तिका", नामक के व्यक्तिगत पुस्तक के रूप में अभिलिखित की जाएगी जिसका फॉर्मट महा-निदेश द्वारा विहित किया जाएगा। उक्त रिपोर्ट उस चौकी के, जहां बल-सदस्य तैनात है या था, निरीक्षण और विजिट के दौरान और यदि ऐसे निरीक्षण या विजिट के दौरान बल-सदस्य उपस्थित है तो उसके उस कार्य का, जिसके लिए जाने का वह दावा करता है और उसके नियंत्रण अधिकारी के विवरों का या उन विवरों का जो समालोचनात्मक घटना अभिलेख में अभिलिखित किए गए हों, जायजा लेने के पश्चात् अभिलिखित की जाएगी।

108.2 अधीनस्थ अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्ट: अधीनस्थ अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्ट लिखने के लिए फॉर्मट प्रत्येक कार्य के लिए कर्तव्य की विनिर्दिष्ट प्रकृति को ध्यान में रखते हुए महा-निदेशक द्वारा विहित किए

जाएँ और विस्तृत कार्य मूल्यांकन पर आधारित हों। फॉर्म वे वृत्तिक सक्षमता, काम, व्यक्तित्व और प्रबंधकीय गुणों की आवश्यक अपेक्षाएँ प्रतिबिंबित हों।

108.3 वरिष्ठ अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्टें :

108.3.1 वरिष्ठ अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टें के लिए फॉर्म वे होंगे जो अखिल भारतीय सेवा (गोपनीय पुस्तिका) नियम, 1970 के अधीन भारतीय पुलिस सेवा की तत्समान रैंक के अधिकारियों के लिए विहित किए जाएँ, चाहे वरिष्ठ अधिकारी अधिष्ठायी या स्थानापन्न हैसियत से पद धारण कर रहा है।

108.3.2 जब किसी वरिष्ठ अधिकारी का स्थानांतरण हो जाता है तब यदि कोई खंडित अवधि है तो उसके लिए वैसी ही रिपोर्टें उसके वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाएंगी।

108.3.3 जब वरिष्ठ रिपोर्टें अधिकारी स्थानांतरण, छुट्टी आदि के कारण अपना पद रिक्त करता है और वर्ष के दौरान उसके उस पद पर वापस आने की कोई संभावना नहीं है या यदि वह अपना पद सेवा-निवृत्ति के कारण रिक्त करता है तो वह अपने पद का भार अपने उत्तरवर्ती को सौंपने से पहले उन सभी वरिष्ठ अधिकारियों के काम के बारे में अपना निर्धारण अभिलिखित करेगा जिन्होंने तीन मास या उससे अधिक अवधि तक उसके अधीन सेवा की है।

108.3.4 प्रत्येक प्रवर्ग के वरिष्ठ अधिकारियों की वार्षिक तैयार की जाने वाली गोपनीय रिपोर्टें की प्रतियों की संख्या और उन प्राधिकारियों की संख्या जिन्हें वह अभिलेख के लिए भेजी जाएंगी, उतनी होगी जितनी निर्देशों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

108.4 सम्पूर्ण रेटिंग उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा, औसत, औसत से कम के रूप में दी जाएगी।

108.5 ऐसे अधिकारियों की, जिनके बारे में रिपोर्टें लिखी जा रही हैं, सत्यनिष्ठा के बारे में विनिर्दिष्ट टीका-टिप्पणियाँ की जाएंगी, जहाँ तक उनका संबंध उसके शासकीय कर्तव्यों के पालन या संगठनात्मक सदस्य मंडया पर उसके परिणामिक प्रभाव से और उसके समावेश के अधीन बल की कमजोरी से है।

108.6 स्वीकर्ता प्राधिकारी, ऐसे प्राधिकारी की, जिनके बारे में रिपोर्टें लिखी जा रही हैं, गोपनीय रिपोर्टें में अभिलिखित प्रतिकूल टिप्पणियाँ रिपोर्टें स्वीकार किए जाने के तीस दिन के भीतर उसे संसूचित करेगा और इस प्रकार उस रिपोर्ट को प्रमाणित करेगा।

108.7 ऐसा अधिकारी, जिसके बारे में रिपोर्टें लिखी जा रही हैं, ऐसीसंयोजना की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर अपना अभ्यावेदन उक्त प्राधिकारी को भेजेगा, जो मामले की परिस्थितियों को हिसाब में लेगा और यदि वह ऐसा करना उचित समझता है तो सदस्य का साक्षात्कार करेगा और यदि अपेक्षित हो तो टिप्पणियाँ रद्द कर देगा या उन्हें छोड़ देगा। ऐसे मामलों में स्वीकर्ता प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा और ऐसे अधिकारी को भी, जिसके बारे में रिपोर्टें लिखी जा रही हैं, संसूचित किया जाएगा।

शिकायतों का दूर किया जाना

109. व्यक्तिगत शिकायतों का दूर किया जाना :

109.1 बल-सदस्य को वेतन न दिए जाने, उसके यात्रा भत्ते, मंहवाई भत्ते, उसे किट पास दिए जाने, छुट्टी और अग्रिम मंजूर करने, कुटुम्ब क्वाटरों के आवंटन, उसके स्थानान्तरण, उसकी तैनाती आदि के संबंध में व्यक्तिगत शिकायतें दूर किए जाने के लिए, वरिष्ठ अधिकारी अपने दोरों और निरीक्षण के दौरान उपनियम (2) के अधीन उपबंधित बैठकें आयोजित करने और ऐसी शिकायतों की सुनवाई करने के प्रत्येक अवसर का लाभ उठाएँगे और अपनी शक्तियों के भीतर समुचित उपचारी उपाय करेंगे।

109.2 चौकी या कंपनी का भारसाधक अधिकारी भी मास में कम से कम एक बार ऐसी बैठकों का आयोजन करेगा। उन बैठकों के दौरान वह अभ्यावेष्टित बल-सदस्यों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में उनमें जानकारी का प्रसार करेगा और उन्हें विधिसम्मत शिकायतों, कठिनाईयों और सामयिक कार्यकलापों के संबंध में उनकी प्रतिक्रियाओं को सभी रैंक के अधिकारियों को उपस्थिति में अपने समक्ष व्यक्त करने देगा। वह उन सभी मामलों को उच्चतर प्राधिकारियों को निर्देशित करेगा जहाँ वह अपने स्तर पर शिकायतों को दूर नहीं कर सकता है और संबंधित अभ्यावेष्टित सदस्य को सूचित करते हुए प्रगति को मानिटर करेगा।

109.3 चौकी या कंपनी का भारसाधक अधिकारी एक "बैठक कार्यवृत्त पुस्तक" रखेगा जिसमें सभी स्तर के अधिकारियों द्वारा आयोजित की गई प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों, प्रत्येक प्रश्न पर की गई अंतिम कार्रवाई के साथ अभिलिखित की जाएगी।

109.4 वरिष्ठ अधिकारी, चौकी के अपने निरीक्षण के दौरान इस पुस्तक का निरीक्षण करेंगे और उनके निरीक्षण टिप्पण के अंतर्गत इस पहलू पर टीका टिप्पणियाँ भी होंगी।

110. अन्याय के विरुद्ध अभ्यावेदन :

110.1 कोई भी बल-सदस्य, जो यह समझता है कि किसी वरिष्ठ अधिकारी या बल के अन्य अधिकारी द्वारा उसके साथ अन्याय किया गया है, उस कार्य के जिसके विरुद्ध परिवार किया गया है, तीस दिन के भीतर उस अधिकारी को जिसे समावेश या आदेशों के अधीन वह सेवा कर रहा है, अभ्यावेदन कर सकेगा :

परन्तु प्रत्येक परिवार के साथ, व्यथित बल-सदस्य का निम्नलिखित रूप में एक प्रमाणपत्र होगा :—

"मैं वचन देता हूँ कि परिवार में मेरे द्वारा किया गया कोई मिथ्या कथन या मिथ्या अभियोग मुझे रेल संरक्षण नियम, 1987 के अध्याय 11 और अध्याय 12 के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई का दावा बनाएगा।"

110.2 जब वह अधिकारी, जिसके विरुद्ध परिवार किया गया है, ऐसा अधिकारी, जिससे कोई अभ्यावेदन उपनियम (1) के अधीन किया जाना चाहिए तब व्यथित सदस्य उस अधिकारी के अगले वरिष्ठ अधिकारी को अभ्यावेदन कर सकेगा।

110.3 प्रत्येक अधिकारी, जिसे ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त हो, परिवारी को पूरा प्रतिरोध देने के लिए यथासंभव पूर्ण अन्वेषण करेगा या कराएगा अथवा जहाँ आवश्यक हो वहाँ अभ्यावेदन प्रतिरोध के लिए उच्चतर प्राधिकारी को निर्देशित कर देगा :

परन्तु यदि किसी ऐसे अधिकारी के विरुद्ध अभिकथित मामला जांच किए जाने पर मिथ्या, तंग करने वाला या विधेयपूर्ण पाया जाता है तो परिवारी के विरुद्ध भयोपरापी अनुशासनिक कार्यवाई की जाएगी।

110.4 उपनियम (i) में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई भी कार्रवाई किसी ऐसे परिवार पर नहीं की जाएगी जो उस उपनियम के अंतर्गत आने वाले किसी विषय को बावत किसी वरिष्ठ अधिकारी या बल के अन्य अधिकारी के विरुद्ध अनाम या छद्मनाम से प्राप्त होती है।

111. सामूहिक शिकायतों का दूर किया जाना :

111.1 सामूहिक शिकायतों के दूर करने के लिए तंत्र, विभागीय माध्यम से और साथ ही उपनियम (3) के अधीन गठित रेल संरक्षण बल कर्मचारी परिषद के माध्यम से होगी।

111.2. बल के वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीन वर्तमान बल-सदस्यों की सामूहिक शिकायतों का व्यक्तिगत रूप से निर्धारण करेंगे और अपनी शिकारियों या वास्तविक संबंधित मुख्य सुरक्षा आयुक्त या महानिदेशक को प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद ये अधिकारी बड़ी शिकायतों की प्रकृति के बारे में रेल महाप्रबंधक या केन्द्रीय सरकार को पूरी जानकारी देता रहेगा और उनके प्रतिपक्ष के लिए समुचित आदेश देने की आवश्यकता पर रीक्षणी हारेंगे।

111.3. सामूहिक शिकायतों और बड़ी समस्याओं को दूर किए जाने के लिए महानिदेशक, केन्द्रीय सरकार के स्तर पर एक कर्मचारी को परिषद् का यथन करेगा जिसका नाम रेल संरक्षण बल कर्मचारी परिषद् होगा। इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे जिनका नामनिर्देशन महानिदेशक द्वारा किया जाएगा :—

मुख्य सुरक्षा आयुक्त (प्रशासन) पदेन—सदस्य सचिव
मुख्य सुरक्षा आयुक्त (रेल सुरक्षा), पदेन—सदस्य
मुख्य सुरक्षा आयुक्त (रेल संरक्षण विशेष बल) पदेन—सदस्य
महानिदेशक का सहायक पदेन—सदस्य
मुख्य सुरक्षा आयुक्त—2 सदस्य
सुरक्षा आयुक्त—2 सदस्य
सहायक सुरक्षा आयुक्त—2 सदस्य
निरीक्षक—2 सदस्य
उप-निरीक्षक या सहायक उप-निरीक्षक—2 सदस्य

हेड कांस्टेबल नायक, कांस्टेबल, सहायक कर्मचारी—9 सदस्य

नियम 112.2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए महानिदेशक कर्मचारी परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा।

111.4. महानिदेशक, जब तक वह स्वयं नियम 112 के उपनियम (1) के अधीन बैठक में अध्यक्ष के रूप में कार्य न कर रहा हो तब तक नियम 112 के उपनियम (2) के अधीन अनुबद्ध कर्मचारी परिषद् की बैठक के दौरान बल और केन्द्रीय सरकार के बीच एक कड़ी का कार्य करेगा।

111.5. किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसने पिछले तीन वर्षों में कोई दण्ड पाया है या जो किसी अनुशासनिक जांच का सामना कर रहा है या जिसने नामनिर्देशन वाले वर्ष की 1 जनवरी को उस रक में तीन वर्ष सेवा नहीं की है, महानिदेशक द्वारा कर्मचारी परिषद् में नामनिर्देशित नहीं किया जाएगा। नामनिर्देशन दो वर्षों के लिए विधिमार्ग होंगे और इस प्रकार किए जाएंगे जिससे सभी आंचलिक रेलों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जा सके। एक बार नामनिर्देशित किया गया कोई सदस्य तीन वर्ष के अंतराल के बिना पुनः नामनिर्देशन का पात्र नहीं होगा।

112. कर्मचारी परिषद् की बैठकें :

112.1. महानिदेशक, बल की दक्षता, मनोबल और कल्याण को प्रभावित करने वाली समस्याओं में हिस्सा बटाने और उनके संबंध में विचार-विमर्श करने के लिए परिषद् के पांच सदस्यों के (जिनके अंतर्गत कोई दो मुख्य सुरक्षा आयुक्त हैं) अनुरोध पर या स्वविवेकानुसार कर्मचारी परिषद् की बैठक बुला सकेगा।

112.2. केन्द्रीय सरकार (रेल का भारसाधक मंत्री), मनोबल और कल्याण से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों और बल की दक्षता को प्रभावित करने वाले स्थापन संबंधी अन्य मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए छह मास में एक बार कर्मचारी परिषद् के साथ बैठक करेगा। सामान्यतया उस बैठक में केवल उन्हीं मामलों पर विचार-विमर्श किया जाएगा जो नियम 111 के उपनियम (2) में उल्लिखित रीति से पहले ही उठाए जा चुके हैं या जिन पर उपनियम (1) के अधीन

विचार विमर्श किया जा चुका है, किंतु कोई समाधानप्रद रूप से निपटाए नहीं गए हैं।

112.3 किसी सदस्य की ओर से व्यक्तिगत मामलों के उठाए जाने का या बल के विभिन्न रैंकों के बीच पंचर लगाने के किसी प्रयत्न का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह अध्याय 11 और अध्याय 12 के अधीन कार्रवाई के प्रयोजनों के लिए अवचार हैं।

112.4 कर्मचारी परिषद् के सभी सदस्यों को उस समय जब वे परिषद् का कारबार कर रहे हों, कर्तव्य पर समझा जाएगा।

113. बाहरी असर से शिकायतों का दूर किया जाना :

113.1 बल सदस्यों को व्यक्तिगत दावों के मनवाने में समर्थन प्राप्त करने के लिए या अपनी शिकायतों को दूर किए जाने के लिए अन्य विभागों के अधिकारियों, विधानमंडलों के सदस्यों या प्राइवेट व्यक्तियों के पास पहुंच करने से निषिद्ध किया जाता है। इसी प्रकार सभी बल-सदस्यों को इस दृष्टि से कि उनकी व्यक्तिगत शिकायतों की विधान-मण्डलों में विवाद का विषय बनाया जाए, विधानमण्डल के सदस्यों के पास पहुंच करने से निषिद्ध किया जाता है।

114. मुकदमेबाजी से शिकायतों का दूर किया जाना :

114.1 ऐसा कोई बल-सदस्य जो उसके नियोजन या सेवा की शर्तों से उत्पन्न होने वाली उसकी व्यक्तिगत शिकायतों को कराना चाहता है, पहले उन सभी उपचारों को, जो शिकायतों के बारे में उसे इन नियमों के अधीन उपलब्ध हैं, किसी न्यायालय में विवादक को ले जाने के पूर्व लाभ उठाएगा। किंतु यदि कोई सदस्य मामले को न्यायालय के समक्ष उठाना चाहता है तो उसे विभाग से अनुज्ञा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

मूल अधिकारी पर निर्बन्धन

115. धारा 15क(1) के अधीन मंजूरी का दिया जाना :

115.1 धारा 15क(1) के अधीन मंजूरी देने के प्रयोजनों के लिए प्राधिकारी, उसकी आंचलिक रेल के लिए संबंधित मुख्य सुरक्षा आयुक्त और समस्त बल के लिए महानिदेशक होगा।

116. राजनीतिक और अर्थनैतिक क्रियाकलाप :

116.1 कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो अधिनियम और इन नियमों के अधधीन है, किसी राजनीतिक दल के लिए या राजनीतिक प्रयोजनों के लिए आयोजित किसी सभा या प्रदर्शन में हाजिर नहीं होगा, उसे सम्बोधित नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा, या किसी राजनीतिक संगम या आंदोलन में शामिल नहीं होगा या उसकी सहायता के लिए चंदा नहीं देगा।

116.2 कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अधिनियम और इन नियमों के अधधीन है, निर्वाचकों को संबोधित नहीं करेगा या किसी अन्य रीति से संसद, किसी राज्य के विधान-मंडल, या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य लोक निकाय के निर्वाचन के लिए स्वयं को अभ्यर्थी या भावी अभ्यर्थी के रूप में सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं करेगा या सार्वजनिक रूप से घोषित किए जाने की अनुमति नहीं देगा अथवा किसी अभ्यर्थी की निर्वाचन समिति के सदस्य के रूप में कार्य नहीं करेगा, या किसी ऐसे अभ्यर्थी के हितों में किसी भी ढंग से सक्रिय रूप से अभिवृद्धि नहीं करेगा या उन्हें अग्रसर नहीं करेगा।

117. सेवा की अन्य शर्तें :

117.1 अन्य ऐसे सभी मामलों में, जो इन नियमों में विहित नहीं हैं, सभी बल सदस्य, अपने रैंक को दृष्टि में लाए बिना, विद्यमान रेल नियमों के उन उपबंधों द्वारा शासित होंगे जो तत्समान श्रेणी के रेल कर्मचारियों को लागू होते हैं :

परंतु केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विद्यमान रेल नियमों को उपरोक्त मामलों के संबंध में बल-सदस्यों को उनके लागू होने

में उपांतरित कर सकेंगे, जहाँ उन सरकार की राय में ऐसा करना बल के हित में, जो संघ का सशस्त्र बल है, आवश्यक है :

अध्याय 9

पड़ाव और वास-मुविधा

118. निवास स्थान :

118.1 बल-सदस्यों से अपने कर्तव्य के उचित निर्वहन के लिए, जहाँ तक सम्भव हो सके, अपने कर्तव्य स्थल के निकट रहने की अपेक्षा की जाती है अतः उन्हें निवास स्थान के आर्बंटन के प्रयोजन के लिए "आवश्यक" के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा :

118.2 ऐसे अभ्यावेष्टित बल-सदस्यों को जिन्होंने तीन वर्ष से कम सेवा की है या जो अविवाहित हैं, सामान्यतया बैरक वास-मुविधा आर्बंटन की जाएगी जो किराया मुक्त होगी :

118.3 ऐसे अभ्यावेष्टित बल-सदस्य, जिन्हें बैरकों में वास-मुविधा दी गई है या कुटुम्ब वास-मुविधा दी गई है या जिन्हें ऐसी वास-मुविधा की प्रस्थापना की गई है किन्तु वे बाहर ठहरना चाहते क्योंकि उन्होंने अपनी निजी व्यवस्था कर ली है, अपने बरिष्ठ अधिकारियों की लिखित अनुज्ञा प्राप्त करेंगे :

118.4 ऐसे अभ्यावेष्टित बल-सदस्य, जिन्हें बैरकों में वास-मुविधा दी गई है किन्तु वे अपने कुटुम्ब को अपने से दूर अन्य नगरों में रख रहे हैं, ऐसे मकान किराया भत्ते के हकदार होंगे जो उन्हें विद्यमान रेल नियमों के अधीन अनुज्ञेय है :

119. बैरक और अन्य वास मुविधा का अवस्थान :

119.1 अभ्यावेष्टित बल-सदस्यों के लिए बैरक या निवास-स्थान के अवस्थान की व्यवस्था पृथक खण्ड (खण्डों) में की जाएगी जो अन्य रेल कर्मचारियों के खंड (खण्डों) से दूर होगा (होंगे) :

119.2 बैरक, अनुमोदित पेटर्न का होगा और उसके साथ परेड और खेल के मैदान के लिए पर्याप्त खुले स्थान के अनिवार्य आर्बंटन-प्रमोद के प्रयोजनों के लिए निर्मित स्थान होगा :

119.3 बैरकों में रहने वाले अभ्यावेष्टित बल-सदस्यों को लोहे की बारपाइया गढ़े, किट बक्से और लाकर दिए जाएंगे। जहाँ किसी बैरक में बीस या उससे अधिक व्यक्तियों को वास-मुविधा दी जाती है वहाँ भोज-नालय के लिए भोजन बनाने के बर्तन और प्रत्येक शीम सदस्यों के लिए रसोइया और एक कढ़ाई दिया जाएगा :

119.4 कम्पनी मुख्यालय और प्रशिक्षण संस्थाओं में सहायक कर्म-चारियों की संख्या बढ़ेगी जो निर्देशों द्वारा विहित की जाएगी :

119.5 मानकीकृत पेटर्न पर पर्याप्त निर्मित स्थान कार्यालय, क्वार्टर, सार्ड, शस्त्रागार, मालखाना, हवालात, आदि के लिए भी दिया जाएगा :

120. निवास स्थान को बनाए रखना और उसे खाली कराया जाना :

120.1 यदि किसी बल-सदस्य को कोई निवास स्थान आर्बंटित किया जाता है तो वह उसमें ऐसी गर्तों और निबंधों के, जो संबंधित मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएँ, अधीन रहते हुए, निवास करेगा और उसे अच्छी हालत में बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा :

120.2 यह उसकी एक सेवा की शर्त होगी कि वह, अपने बल-सदस्य न रहने पर या उस स्थान से अपने स्थानान्तरण पर या जब कभी सुरक्षा आयुक्त से अनिवार्य रीति के किसी अधिकारी को, ऐसे कारणों से जो लेख बंद किए जाएँ, ऐसा करना आवश्यक और समीचीन प्रतीत होता है तब उस वास मुविधा को खाली कर दे :

120.3 यदि कोई अभ्यावेष्टित बल-सदस्य, जिससे उपनियम (2) के अधीन किसी परिसर को खाली करने की अपेक्षा की जाती है, ऐसा

करने में असफल रहता है तो ऐसा बरिष्ठ अधिकारी उसे मुक्त जाने का अवसर देने के पश्चात् अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को ऐसी सहायता के साथ, जो आवश्यक हो, परिसर में प्रवेश करने और उसे खोलने तथा उसमें पाए गए किसी व्यक्ति को वहाँ से हटाने के लिए और उस परिसर का कब्जा लेने और उसे आदेश में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए निदेश दे सकेगा :

अध्याय 10

वर्दी और उपस्कर

121. साधारण अनुदेश :

121.1 महानिदेशक, आदेश द्वारा, बल सदस्यों की पोशाक और विभिन्न प्रकार की पोशाक के पेटर्न समय-समय पर विनिर्दिष्ट कर सकेगा :

121.2 अपनी नियुक्ति धारण करने वाले सभी बल-सदस्यों की रैक का बैज बड़ा होगा जो अनुसूची S में विनिर्दिष्ट है :

परंतु नियुक्ति प्राधिकारी नियम 74 के अधीन किसी बल-सदस्य की प्रोन्नति करने समय, नियुक्ति की प्रकृति और कालावधि को देखते हुए उसे उस उच्चतर नियुक्ति की रैक की वर्दी और बैज पहनने के लिए अनुज्ञा कर सकेगा :

121.3 सभी अधिकारियों को, प्रयोग के रूप में या अन्य प्रयोजनों के लिए पोशाक, कपड़े, उपस्कर और बैज के विनिर्दिष्ट पेटर्न में कोई अप्रामाणिक बदलाव लाने या उसे संभ्रम करने में निषिद्ध किया जाता है :

122. वर्दी और सादा कपड़े :

122.1 सभी बल-सदस्यों के पास वर्दी होगी और वे उसे, वहाँ के सिवाय जहाँ उन्हें सादा कपड़े में काम के लिए अग्निनियोजित किया गया है, जैसा इसमें इसके पश्चात् दिया गया है, सदैव पहनेंगे :

122.2 ड्यूटी पर न रहने पर मुफ्ती पहनी जाएगी :

122.3 कोई भी बरिष्ठ अधिकारी या अभ्यावेष्टित बल-सदस्य जब वह ड्यूटी पर हो, किसी भी समय साफ़, वर्दी और भागनः सादा कपड़े पहने हुए नहीं रहेगा :

123. वर्दी कब पहनी जाएगी :

123.1 सभी बरिष्ठ अधिकारी और अभ्यावेष्टित बल-सदस्य परेड, पेशी कक्ष, न्यायालयों, रासकीय अस्पेडिट, गार्डेनरीक्षण के समय या जब कोई निरीक्षण अधिकारी कार्यालय में उपस्थित हो और अन्य ऐसे सब अवदेश पर जब ऐसा करने की अपेक्षा की जाए वर्दी पहनेंगे। मरकरी वर्दी या उसकी कोई भी मद ड्यूटी पर न रहने के समय नहीं पहनी जाएगी :

परंतु विमार्गीय सांस्कृतिक दर्शनों में इसके प्रयोग के लिए कोई आपत्ति नहीं हो सकती है :

123.2 कोई बल-सदस्य ड्यूटी पर तब तक नहीं आएगा जब तक वह उचित रूप से पोशाक नहीं पहने हुए है और न ही वह वर्दी ड्यूटी पर रहने के समय खाने में उपभोग करेगा और न ही वह बरतवेगा :

123.3 सभी बरिष्ठ अधिकारी और अभ्यावेष्टित बल-सदस्य सभी प्रकार की वर्दी के साथ दाहिने मोने को जेब के ऊपर उर्ध्वोर्ध्व नाम पट्टियाँ इस गति से पहनें कि पट्टी का निचला किनारा जेब के फनेप की सीवन के ठीक ऊपर रहेगा। नाम पट्टी कारमिका या इसी प्रकार की सामग्री की, जो उर्ध्वोर्ध्व के लिए आयुक्त हैं, 8.23--0.16 सें. मी. के आमाण की होगी। अक्षर स्कैवेट टाइप के होंगे और चौड़ाई में अधिक नहीं होंगे।

123.4 कोई भी अर्थाधिकृत अंतर्कार या संरक्षक निशान या चिह्न वर्दी के साथ नहीं पहना जाएगा,

123.5 घड़ी की जंजीर, क्षुद्राभूषण, पाउन्ट पेन आदि साथ इस प्रकार नहीं पहने जाएंगे कि वे दिखाई दें। किंतु मुहरवाती अंगूठी पहनने की अनुज्ञा है।

123.6 वर्दी के साथ धूप के चार्जे निम्नलिखित अवसरों पर चिकित्सीय सलाह पर ही पहने जाएंगे:—

(i) समारोह परेड पर या अतिरिक्त व्यक्ति की ड्यूटी पर रहने के दौरान; और

(ii) क्वार्टर गार्ड ड्यूटी पर रहने के समय या गार्ड का निरीक्षण समय या परेड में हाजिर होने के समय।

124. केश वृद्धि और प्रपाधन :

124.1 गैर सिख कामिक :—सिर के केश छोटे रखे जाएंगे। ठुड़ी और होठों के नीचे के भाग की हजामत प्रतिदिन बनाई जाएगी जब तक कि किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उसे बढ़ाने की लिखित अनुज्ञा न ले ली गई हो। यदि गलतुन्डे और मुंछे रखी जाती हैं तो उनकी लंबाई सामान्य होगी।

124.2 सिख कामिक :—सिख कामिक अपने केश और दाढ़ी का उचित रूप से प्रसाधन करेंगे। वर्दी में रहने के समय दाढ़ी पर "धाया" का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

124.3 बल में सेवारत स्त्रियों के मामले में, केश स्वच्छ रखे जाएंगे और यदि रूप सज्जा का प्रयोग किया जाता है तो वह असहज दृश्य होगा। गहरे रंग की नख वाणिश का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

125. वर्दी का मापमान :

125.1 सभी अभ्यावेक्षित बल-सदस्यों को, जिनके अंतर्गत प्रशिक्षणार्थी भी हैं, प्रभार मुक्त ऐसे वर्णन की और ऐसी मात्रा में और ऐसी बनावट की वर्दी का सेट (अर्थात् कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुएँ) दिया जाएगा जो महानिदेशक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।

125.2 अपराध विंग और विशेष विंग में नियोजित अभ्यावेक्षित बल सदस्यों को, जिनके अंतर्गत मंडल के सादा कपड़े वाले कर्मचारीवृन्द भी हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर मंजूर दरों पर परिधान भत्ता अनुवृत्त किया जाएगा।

125.3 ऐसे अभ्यावेक्षित बल-सदस्यों के मामले में, जो उपनिषम (2) में वर्णित विंग में तैनात किए जाते हैं, वर्दी वापस नहीं ली जाएगी और वे जितने दिन ऐसे विंग में काम करते हैं उतने दिन के लिए वर्दी के अतिरिक्त पूर्वोक्त परिधान भत्ते के हकदार होंगे।

125.4 बल के वरिष्ठ अधिकारी विनिर्दिष्ट पेटने की वर्दी और साज सज्जा की सभी वस्तुओं का अपने लिए उपबंध करेंगे, जिनके लिए उन्हें ऐसा परिधान भत्ता दिया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किया जाए।

125.5 उन स्थानों पर, जो समुद्र तल से 1000 मीटर या उससे अधिक ऊँचाई पर हैं, सेवा करने वाले सभी अभ्यावेक्षित सदस्य अतिरिक्त इन्नी वस्तु पात्रों के हकदार होंगे।

125.6 जिन विशेष स्टेशनों पर ऐसे अतिरिक्त कपड़े अनुज्ञेय होंगे वे आंचल रेल में संबंधित मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा और रेल संरक्षण विशेष बल बटालियन में सेवा कर रहे सदस्यों के मामलों में उपमहानिरीक्षक, रेल संरक्षण विशेष बल द्वारा विनिर्दिष्ट आदेशों द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे और ऐसे अतिरिक्त कपड़ों के काम योग्य रहने की अवधि

की, जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, समाप्ति पर उनके बर्तने में दूसरे कपड़े दिए जाएंगे।

125.7 किसी अभ्यावेक्षित बल-सदस्य के, उस स्टेशन पर जिसके लिए अतिरिक्त कपड़ों का दिया जाना प्राधिकृत है, तैनात न रहने पर वह ऐसे कपड़े रेल संरक्षण बल या रेल संरक्षण विशेष बल के संबंधित स्टोर में जमा करायेगा।

126. वर्दी के बदले में दूसरी वर्दी देना:—

126.1 वर्दी की प्रत्येक मद की आयु बढ़ होगी जो महानिदेशक निर्देशों द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

126.2 प्रत्येक अभ्यावेक्षित बल-सदस्य को दिये गए किट का सामयिक निरीक्षण मंडल सुरक्षा आयुक्त या सहायक सुरक्षा आयुक्तों द्वारा किया जाएगा और इस निरीक्षण में जो वस्तुएं उपयोग के योग्य नहीं पाई जाएंगी वे हट कर दी जाएंगी और उनके बदले में दूसरी दी जाने के लिए स्टोर को भेज दी जाएंगी।

126.3 यदि किसी वस्तु की आयु समाप्त नहीं हुई है तो संबंधित अभ्यावेक्षित सदस्य के वेतन में से उपरि अनुमानित मात्रा (सूचोबद्ध) काट ली जाएगी परंतु यदि वस्तु उचित विनाश के लक्षण काम योग्य नहीं रह गई है या संबंधित सदस्य की कोई गतनी न होने हुए खो गई है तो कोई कटौती नहीं की जाएगी। वस्तु खो गई रहने पर स्टोर के खाते में जमा कर दी जाएगी।

127. आयुद्ध और साज-सज्जा

127.1 ऐसे बल-सदस्य, जिन्हें आयुद्ध और साज-सज्जा जारी किए गए या दिये गए हैं या जिनसे उन्हें अपने भारावण में रखने की प्रेरणा की गई है, वे उनके अपने भारावण और तबने में रहने के दौरान, उनकी सुरक्षित अभिरक्षा और देखभाल के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

127.2 महानिदेशक आयुद्ध आदि की सुरक्षित अभिरक्षा, रखरखाव भण्डारकरण, निरीक्षण की प्रक्रिया के संबंध में आदेश जारी कर सकेगा।

127.3 अभ्यावेक्षित बल-सदस्यों को छुट्टी पर जाने के समय आयुद्ध लेजाने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। आकस्मिक छुट्टी से भिन्न रीति दिन से अधिक की छुट्टी पर जितने समय साज सज्जा जमा करा दी जाएगी।

128.1 सभी अभ्यावेक्षित बल सदस्य जब उन्हें स्वतन्त्रता प्रदान किया जाता है, उन वस्तुओं को छोड़कर जो, यथास्थिति, किसी विनिर्दिष्ट मंडल या शाखा या रेल संरक्षण बल की किसी बटालियन का पुनोदक हैं, अपनी अपनी वर्दी अपने साथ ले जाएंगे। किसी विशेष मंडल, शाखा या बटालियन की वस्तुएं संबंधित मंडल या बटालियन के स्टोर में जमा की जाएंगी और उन्हें उनको काम में आने के योग्य रखा या शेष अवधि के लिए अन्य सदस्यों को पुनः जारी किया जाएगा।

129. पदच्युति, सेवान्मुक्ति आदि के कारण वर्दी का व्ययत :

129.1 अभ्यावेक्षित बल-सदस्य को जारी किए गए कपड़े और उपस्कर की सभी वस्तुएं:—

(क) उसके निलम्बित किए जाने पर ;

(ख) उस पर सेवान्मुक्त आदेशों के तामिल किए जाने पर ;

(ग) उसके सेवा से हटाने या पदच्युत किए जाने पर ; और

(घ) उसका त्यागपत्र स्वीकार किए जाने पर, उससे वापस ले ली जाएगी।

129.2 किसी ऐसे अभ्यावेक्षित बल-सदस्य से, जो निलम्बित किया गया है, वापस ली गई वर्दी की वस्तुएं संबंधित कंपनी कमाण्डर या चौकी कमाण्डर द्वारा चार मास की अवधि के लिए सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाएंगी। यदि इस चार मास की अवधि के भीतर वह सदस्य सेवा में बहाल कर दिया जाता है तो उसकी वर्दी उसे वापस कर दी जाएगी।

129.3 यदि अभ्यावेशित सदस्य, चार मास की अवधि से अधिक समय तक निलम्बित बना रहता है तो उससे वापस ली गई वर्दी संबंधित मण्डल या गाँवा या बटालियन के स्टोर को अंतरित कर दी जाएगी और उसके सेवा में पुनः स्थापन पर उसे वापस कर दी जाएगी।

130. अभ्यावेशित बल-सदस्य न रहने पर वर्दी की वस्तुओं की पुनः प्राप्ति करना :

130.1 जब कोई अभ्यावेशित बल-सदस्य बल का सदस्य नहीं रह जाता है तब उसके हिस्से की परीक्षा की जाएगी और काम योग्य वस्तुएं पुनः प्राप्ति पर स्टोर के खाने में दर्ज कर दी जाएंगी और बाद में पुनः जारी की जाएंगी। जब कोई ऐसी पुनः प्राप्ति वस्तु पुनः जारी की जाती है तब उसकी प्राधिकृत आयु की अवधि के अंतर्गत वह अवधि सम्मिलित होगी जिसके लिए ऐसी वस्तु पहले जारी रही है :

परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति के किट को, जो यक्षमा आदि जैसे सांसारिक रोग से पीड़ित है, प्रत्येक मामले में मंडल सुरक्षा आयुक्त का कमान अधिकारी के आदेश प्राप्त करने के पश्चात् किसी वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति में जलाकर नष्ट कर दिया जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि अभ्यावेशित सदस्य की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो वर्दी की मदें वापस नहीं ली जाएंगी।

131. सेवा निवृत्ति पर वर्दी की वस्तुओं को रखे रहना :

131.1 किसी अभ्यावेशित बल-सदस्य को उसकी सेवानिवृत्ति या अधिवृत्ति पर वर्दी की वस्तुएं केवल समारोह के अवसरों पर या सशस्त्र बल और केन्द्रीय या राज्य पुलिस संघन के वरिष्ठ अधिकारियों के औपचारिक तौर पर मिलने के समय पहनने के लिए रख लेने को अनुज्ञा दी जाएगी। उपर्युक्त अवसरों पर वर्दी पहनने की यह सुविधा संबंधित मुख्य सुरक्षा आयुक्त के आदेशों के अधीन लोक हित में किसी भी समय वापस ली जा सकेगी।

अध्याय II

अनुशासन और आचरण

132. अनुशासन को शासित करने वाले नियम :

132.1 इन नियमों में जैसा अध्याय उपबंधित है उसके सिवाय, समय-समय पर संबंधित रेल सेवक (अनुशासन और शरील) नियम, 1968, जहां तक हो सके, इस उपान्तरण के कि—

(क) उक्त नियमों के नियम 3 के उपनियम (1) में खण्ड (ख) का लोप कर दिया जाएगा ;

(ख) "महा प्रबंधक" के प्रति निर्देश के स्थान पर, जहां जहां वे उक्त नियमों में आते हैं, "महाप्रबंधक, रेल संरक्षण बल" के प्रति निदेश प्रतिस्थापित किया जाएगा,

अधीन रहते हुए, वरिष्ठ अधिकारियों को लागू होंगे।

132.2 अभ्यावेशित बल-सदस्य, ऐसे मामलों में इस अध्याय और अध्याय 12 के नियमों द्वारा शासित होंगे :—

परन्तु कोई रंगस्ट प्रशिक्षार्थी जब तक वह औपचारिक तौर पर बल-सदस्य के रूप में अभ्यावेशित न कर लिया गया हो तब तक इन नियमों द्वारा शासित नहीं होगा।

133. निलम्बना :

133.1 अभ्यावेशित बल-सदस्य, जिनको निलम्बित किया जा सकता है और प्राधिकारी जो उन्हें निलम्बित कर सकते हैं, वे होंगे जो आयुर्वी 3 में विनिर्दिष्ट हैं :

परन्तु अपराध परिस्थितियों में, सहायक सुरक्षा आयुक्त किसी उपनिरीक्षक को निलम्बित कर सकेगा और निरीक्षक, अथवा अधिकारी के रैंक और उससे नीचे के रैंक के किसी सदस्य को निलम्बित कर सकेगा :

परन्तु यह और कि जहां पूर्णतः परन्तु के अर्थों कोई कार्रवाई की जाती है वहां अभ्यावेशित बल-सदस्य को निलम्बित करने वाला प्राधिकारी उन परिस्थितियों की, जिनके अधीन आदेश दिया गया था, रिपोर्ट तत्काल उस प्राधिकारी को करेगा, जो ऐसे अभ्यावेशित सदस्य को निलम्बित करने के लिए सक्षम हैं, और उसका अनुमोदन अभिप्राय करेगा और यदि अनुमोदन अनुदत्त नहीं किया जाता है तो निलम्बन शून्य हो जाएगा और आरंभ से अत्रिगतमोल हो जाएगा।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजनों के लिए, जहां कोई अभ्यावेशित बल-सदस्य उच्चतर पद पर स्थानाप्त रूप में कार्य कर रहा है वहां वह केवल उस प्राधिकारी द्वारा निलम्बित किया जाएगा जो ऐसे स्थानाप्त रैंक को धारण करने वाले किसी अभ्यावेशित बल-सदस्य को निलम्बित करने के लिए सक्षम है।

134. कोई वरिष्ठ अधिकारी या कोई अभ्यावेशित बल-सदस्य उस दशा में निलम्बित किया जा सकेगा जब—

(क) उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही अभिलिखित है या लम्बित है; या

(ख) किंग्पे अभियन्ता को प्रारंभिक जांच से कोई ऐसा उपन्यास सामला प्रकट हुआ है जो ऐसी आराधित या विभागीय कार्यवाही को न्यायोचित ठहराता है जिसके कारण उसके सिद्धोप ठहराए या सेवा से पदवृत्त, हटाए या अनिवार्य सेवा निवृत्त किए जाने को सम्भावना है; या

(ग) किसी दाण्डिक अपराध की बाबत उसके विरुद्ध कोई मानला अन्वेषण, जांच या विचारण के अधीन है; या

(घ) उसके पद पर बने रहने से अन्वेषण, विचारण या किसी जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; या

(ङ) उसके पद पर बने रहने से उस कार्यालय में, जिसमें वह कार्य कर रहा है, अनुशासन के गम्भीर रूप से बिाड़ने को सम्भावना है; या

(च) उसका कार्यालय में बना रहता व्यापक लोक हित के विरुद्ध प्रतीत होता है; या

(छ) उसके बारे में यह संदेह है कि वह ऐसे क्रियाकलापों में लगा हुआ है जिनसे राज्य को सुरक्षा के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

135. लोक हित, इस बात का कि किसी अभ्यावेशित सदस्य को, जिसके अंतर्गत उसका छुट्टी पर होना सम्मिलित है, निलम्बित किया जाना चाहिए या नहीं, विनिश्चय करने में मागदर्शन का कार्य करेगा :

परन्तु निलम्बन पर विनिश्चय करने के पूर्व, सक्षम प्राधिकारी इस बात पर विचार कर सकेगा कि क्या सदस्य का उसके पद से स्थानांतरित किए जाने से या छुट्टी मंजूर किए जाने से उस प्रयोजन का पूर्ति होगी।

परन्तु यह और कि वह आरोप, जिस पर किसी सदस्य को निलम्बित किया गया है, निलम्बन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर उसे दिया जाएगा, जिसके पश्चात् यदि पदगारी को ऐसा कोई आराम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वह बहाल किया गया समझा जाएगा।

परन्तु यह और भी कि तीस दिन का उक्त उपबंध उन मामलों को लागू नहीं होगा जहां किसी सदस्य को इस आधार पर निलम्बित किया गया है कि वह ऐसे क्रियाकलापों में लगा हुआ है, जिससे राज्य के हित और सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, या उसके विरुद्ध कोई ऐसा आपराधिक मानला लम्बित है, जिसमें नैतिक अद्यमता अन्तर्बलित

136.1 किसी बल-सदस्य को—

- (क) यदि वह किसी अपराधिक आरोप पर या अन्यथा, अड़तालिस घंटे से अधिक की अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाता है तो उसके ऐसे निरोध की तारीख से; या
- (ख) यदि वह किसी अपराध के लिए सिद्धांश ठहराए जाने पर, अड़तालिस घंटे से अधिक की अवधि के लिए कारावास में दण्डादिष्ट किया जाता है और ऐसे सिद्धांश ठहराए जाने के परिणामस्वरूप पदच्युत नहीं किया जाता है या हटाया नहीं जाता है या नियम 162 के अधीन अनिवार्यतः सेवानिवृत्त नहीं किया जाता है तो उसके सिद्धांश ठहराए जाने की तारीख से।

सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा निलम्बित किया गया समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण—खंड (ख) में निर्दिष्ट अड़तालिस घंटे की अवधि, सिद्धांश ठहराए जाने के पश्चात् कारावास के प्रारंभ से संगणित की जाएगी।

136.2 उप नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे मामलों में जहां कोई निरोध या कोषनिष्ठ, अपने पदोप कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने का नास्त्य रखते हुए किसी सदस्य द्वारा किए गए किसी कार्य का परिणाम है, वहां प्रत्येक मामले में विनिश्चय गुणगुण के आधार पर किया जाएगा।

137. जहां निलम्बनाधीन किसी बल-सदस्य को सेवा से पदच्युत करने, हटाने या अनिवार्यतः सेवानिवृत्त करने के लिए उस पर अधिरोपित कोई शास्ति, अपील या पुनरीक्षण में अपास्त कर दी जाती है और मामला अतिरिक्त जांच या कार्रवाई के लिए या किन्हीं अन्य निर्देशों सहित, किमंषित कर दिया जाता है, वहां उसके निलम्बन के आदेश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह पदच्युत किए जाने, हटाए जाने या अनिवार्यतः सेवानिवृत्त किए जाने के मूल आदेश की तारीख से ही प्रवृत्त बना हुआ है और आगे आदेश होने तक प्रवृत्त बना रहेगा।

138. जहां किसी बल-सदस्य को सेवा से पदच्युत करने, हटाने या अनिवार्यतः सेवानिवृत्त करने के लिए उस पर अधिरोपित कोई शास्ति किसी न्यायालय के विनिश्चय के परिणामस्वरूप या उसके द्वारा अपास्त कर दी जाती है या शून्य घोषित कर दी जाती है या कर दी जाती है, और अनुशासनिक प्राधिकारी, मामले की परिस्थितियों पर विचार करके, यह विनिश्चय करता है कि उसके विरुद्ध उन अभिकथनों की जिन पर पदच्युत किए जाने, हटाए जाने या अनिवार्यतः सेवानिवृत्त किए जाने का सण्ड किया गया था, अतिरिक्त जांच की जाए, वहां बल-सदस्य के बारे में यह समझा जाएगा कि वह पदच्युत किए जाने, हटाए जाने या अनिवार्यतः सेवानिवृत्त किए जाने के मूल आदेश की तारीख से, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निलम्बित कर दिया गया है और आगे आदेश होने तक निलम्बित बना रहेगा।

परंतु ऐसी किसी अतिरिक्त जांच के लिए कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक उसका आशय ऐसी किसी स्थिति से निपटने का नहीं है जिसमें न्यायालय से मामले के गुणगुण पर विचार किए बिना पूर्णतः तकनीकी आधारों पर कोई आदेश पारित किया है।

139.1 नियम 135 में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई बल-सदस्य (चाहे किसी अनुशासनिक कार्यवाही के संबंध में या अन्यथा) निलम्बित कर दिया जाता है और उस निलम्बन के चालू रहने के दौरान उसके विरुद्ध कोई अन्य अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की जाती है वहां वह प्राधिकारी जो उसे निलम्बनाधीन रखने के लिए सक्षम है, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, यह निदेश दे सकेगा कि बल-सदस्य तब तक निलम्बनाधीन बना रहेगा जब तक ऐसी सभी या कोई कार्यवाही समाप्त नहीं हो जाती।

139.2 किया गया या किया गया समझा गया निलम्बन का आदेश, किसी भी समय ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसने आदेश किया था या जिसके द्वारा आदेश किया गया समझा गया था, अथवा ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसके वह प्राधिकारी अधीनस्थ है, अमान्यित या वापस लिया जा सकेगा।

140. निलम्बन का आदेश और निलम्बन की अवधि, संबंधित बल-सदस्य के चरित्र पुस्तक और सेवा पुस्तक में अभिलिखित की जाएगी।

141. निलम्बनाधीन या निलम्बनाधीन रखा गया समझा जाने वाला बल-सदस्य निरिद्ध भन्ता और अन्य मन्ते विद्यमान रेल नियमों के अनुसार लेगा।

142. जब कोई सदस्य निलम्बन के पश्चात् बहाल कर दिया जाता है तब निलम्बन की अवधि विद्यमान रेल नियमों के अनुसार विनियमित की जाएगी।

143. निलम्बन के दौरान बल-सदस्य के उत्तरदायित्वः

143.1 बल-सदस्य अपने निलम्बन के होते हुए भी, अपने निलम्बन की अवधि के दौरान बल-सदस्य बना रहेगा। किंतु सदस्य की हैसियत में उसमें निहित शक्तियां प्रासंग्य रहेंगी और वह उन्हीं उत्तरदायित्वों और अनुशासन और शास्तियों के अधीन रहेगा जिनके अधीन वह तब होता जब वह ड्यूटी पर होता।

143.2 प्रत्येक ऐसा बल-सदस्य अपने निलम्बन की अवधि के दौरान अपने मुख्यालय में या ऐसे स्थान पर, जो अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, ठहरेगा और हाजिरी के लिए प्रतिदिन अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा।

परन्तु अनुशासनिक प्राधिकारी, विशेष कारणों से, सदस्य को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए स्टेशन छोड़ने की लिखित अनुमति दे सकेगा और ऐसे निलम्बन के वापस ले लिए जाने पर, ऐसी अनुपस्थिति की अवधि शीघ्र छुट्टी के रूप में, उस दशा में विनियमित की जाएगी जब निलम्बन की अवधि ड्यूटी पर बिताई गई अवधि मानी जाए।

143.3 निलम्बनाधीन अभ्यावेशित बल-सदस्य अपने आयुध और साज-सज्जा क्वार्टर मास्टर या ऐसे अधिकारी के पास जमा कराएगा जो अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

143.4 निलम्बनाधीन बल-सदस्य अपने बर्दा नहीं पहनेगा और न तो उसे ग्राउंड ड्यूटी पर और न किसी ऐसी ड्यूटी पर नियोजित किया जाएगा जिसमें उस बल-सदस्य के रूप में अपनी शक्ति का प्रयोग करना पड़े और न ही उसे आयुध और गोलाबारूद दिए जाएंगे।

143.5 निलम्बनाधीन बल-सदस्य को, उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों के सम्बन्ध में अपनी प्रतिरक्षा की तैयारी के लिए व्यक्तिगत मुविधाएं दी जाएंगी।

144. निलम्बन के दौरान सेवानिवृत्ति

144.1 किसी ऐसे बल-सदस्य के लिए, जो निलम्बनाधीन है, स्वेच्छया सेवानिवृत्ति का अधिकार, नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन के अध्याधीन होगा।

144.2 किसी ऐसे बल-सदस्य को, जो निलम्बनाधीन है, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्ति नहीं किया जा सकेगा। नियुक्ति प्राधिकारी, ऐसे मामलों का विनिश्चय विद्यमान रेल नियमों के उपबंधों के अनुसार करेगा।

145. आचरण को शासित करने वाले नियम :

145.1 समय-समय पर संशोधित रेल सेवा (आचरण) नियम, 1966 जहाँ तक हो सके, सभी बल-सदस्यों को उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे रेल सेवकों को लागू होते हैं।

146. बल-सदस्यों के लिए आचार संहिता

146.1 सभी बल-सदस्य, अपने रैंक की दृष्टि में लाए बिना, निम्नलिखित आचार संहिता की अभ्यास्यकता के लिए अपने आपको कर्तव्य पर रहते हुए और कर्तव्य पर न रहते हुए समर्पित करेंगे। यह सभी बल-सदस्यों के लिए आवश्यक है कि वे आचार संहिता का आदर करें और उसके प्रति पूर्ण अनुशासन और आज्ञानुवर्तन का भाव बनाए रखें। किसी बल-सदस्य की ओर से इन उपबंधों के किसी भंग से अवचार गठित होगा और वरिष्ठ अधिकारियों को लागू रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 के अधीन या, यथास्थिति, धारा 9 या धारा 17 के अधीन दण्डनीय होगा।

146.2 कर्तव्य की उपेक्षा।

कोई भी बल-सदस्य, अच्छे और पर्याप्त कारण के बिना—

- (i) किसी भी ऐसी बात का, जिसका पालन या अनुपालन करना बल-सदस्य के रूप में उसका कर्तव्य है, सम्यक् शोभता और तत्परता से पालन करने की उपेक्षा या लोप नहीं करेगा या अनुपालन करने में असफल नहीं रहेगा; या
- (ii) अपनी बीट का काम आदेशों के अनुसार करने में असफल नहीं रहेगा या उस कर्तव्य स्थान को, जिसके लिए उसे आदेश दिया गया है, नहीं छोड़ेगा या अपने कर्तव्य स्थान को सद्भाविक प्रयोजन के लिए छोड़ने के पश्चात् सम्यक् विलम्ब के बिना वहाँ वापस आने में असफल नहीं रहेगा; या
- (iii) छुट्टी के बिना अनुपस्थित नहीं रहेगा या ड्यूटी पर देर से नहीं आएगा; या
- (iv) अपनी ड्यूटी के अनुक्रम में उसे प्राप्त हुए धन या सम्पत्ति का उचित रूप से लेखा-जोखा देने में या उसकी तत्काल और सही विवरणी बनाने में असफल नहीं रहेगा।

146.3 आदेशों की अवज्ञा :

कोई भी बल-सदस्य,—

- (i) विधिपूर्ण आदेशों की, चाहे वे लिखित में हों या अन्यथा, अवज्ञा नहीं करेगा या उन्हें तत्परतापूर्वक पालन करने में लोप या उपेक्षा नहीं करेगा; या
- (ii) अधिनियम, इन नियमों या निदेशों के ऐसे किसी उपबंध का उल्लंघन नहीं करेगा जिसमें बल-सदस्यों के निजी जीवन के संबंध में निर्बंधन दिए गए हैं या जिसमें उससे संबंधित मुख्य सुरक्षा आयुक्त को यह अधिसूचित करने की अपेक्षा की गई है कि वह या उसके कुटुम्ब में सम्मिलित कोई नातेदार इन नियमों और निदेशों के अर्थ में उसकी अविकारिता में कार्रगारी हित रखता है।

146.3 अविश्वासजनक आचरण—कोई भी बल-सदस्य अनुशासन के प्रतिकूल किसी रीति से कार्य नहीं करेगा या ऐसी रीति से आचरण नहीं करेगा जिससे बल की प्रतिष्ठा के प्रति युक्तियुक्त रूप से अविश्वास पैदा होने की संभावना हो।

146.4 किसी बल-सदस्य के प्रति अवचार—

कोई भी बल-सदस्य—

- (क) किसी अन्य बल-सदस्य के प्रति पीड़ा पहुंचाने वाला या गाली, गलतचयुक्त आचरण नहीं करेगा; या

(ख) ऐसे सदस्य पर हमला या उसके साथ कदाचार नहीं करेगा;

146.6 मिथ्यातत्व या पूर्वगढ़ाई:

कोई भी बल-सदस्य—

- (i) जानते हुए या उपेक्षापूर्वक कोई मिथ्या, भ्रामक या गलत कथन, चाहे वह मौखिक हो या लिखित, नहीं करेगा अथवा बल के प्रयोजन के लिए बनाए गए, रखे गए या अपेक्षित किसी अभिलेख या दस्तावेज में कोई मिथ्या, भ्रामक या गलत प्रविष्टि नहीं करेगा; या
- (ii) बल के प्रयोजन के लिए बनाए गए, रखे गए या अपेक्षित किसी अभिलेख या दस्तावेज को, जानबूझकर और उचित प्राधिकार के बिना या सम्यक् सावधानी में कमी करके नष्ट या विकृत नहीं करेगा; या
- (iii) अच्छे और पर्याप्त कारण के बिना, ऐसे अभिलेख या दस्तावेज में कोई किसी प्रविष्टि का परिवर्तन नहीं करेगा, या उसे नहीं मिटाएगा या उसमें परिवर्तन नहीं करेगा; या
- (iv) बल में अपनी निपुणता के संबंध में कोई मिथ्या, भ्रामक या गलत कथन जानते हुए या उपेक्षापूर्वक नहीं करेगा।

146.7 अष्ट या अनुचित आचरण:

कोई भी बल-सदस्य,—

- (i) अपने बल-सदस्य को हईसियत में और संबंधित मुख्य सुरक्षा आयुक्त की लिखित सहमति के बिना, किसी उद्दान, भेंट या अभिवादन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या वाता या डा प्रति होना नहीं करेगा; या
- (ii) किसी व्यक्ति के प्रति अपने आपको धर्नीय बाध्यताओं के अर्थान के ऐसी रीति से नहीं करेगा जिससे उसके बल-सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन में प्रभाव पड़े; या
- (iii) अपने निजी अभिलाष के लिए ऐसे सदस्य के रूप में अपनी स्थिति का अनुचित रूप से प्रयोग नहीं करेगा या इस प्रकार प्रयोग करने का प्रयत्न नहीं करेगा।

146.8 प्राधिकार का दुरुपयोग :

कोई भी बल सदस्य,—

- (क) अच्छे और पर्याप्त कारण के बिना, कोई गिरफ्तारी नहीं करेगा, या
- (ख) विचारणाधीन व्यक्तियों कैदियों या ऐसे अन्य व्यक्तियों के प्रति, जो उसके कर्तव्य के निष्पादन में उसके संर्क में आते हैं, किसी अनावश्यक दृष्टि का प्रयोग नहीं करेगा।

147. अभ्यावेक्षित सदस्यों के कर्तव्यों से संबंधित अपराधः—

147.1 किसी अभ्यावेक्षित बल सदस्य द्वारा निम्नलिखित किंवा कार्य या कार्यों का किया जाना उसे धारा 9 या धारा 17 के या दोनों के के अधीन दंड का भागी बनाएगा:—

- (i) किसी कर्तव्य का उल्लंघन करना;
- (ii) अधिनियम या किसी नियम के किन्हीं उपबंधित की या निदेशों या किन्हीं अन्य विधिपूर्ण आदेशों की, जिनका वह पालन या आज्ञानुवर्तन करने के लिए बाध्य है, जानबूझकर भंग या उनकी उपेक्षा करना;
- (iii) वरिष्ठ अधिकारियों के विधिपूर्ण समदश की अवज्ञा करना;
- (iv) अनुज्ञा के बिना अपने पद के कर्तव्य से अपने आपको हटाना;
- (v) सम्यक् रूप से अवमुक्त हुए या छुट्टी के बिना अपने गारद, पिकेट, दल या पेट्रोल को छोड़ना;

- (vi) अपने नियंत्रक प्राधिकारी को उचित सूचना दिए बिना अपने आपको अनुपस्थित रखेगा या अपने को मंजूर की गई छुट्टी के उपरांत, पर्याप्त हेतु के बिना, अनुपस्थित रहेगा या ऐसी छुट्टी की समाप्ति पर अपने आपको ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने में युक्तियुक्त हेतु के बिना असफल रहेगा;
- (vii) अभ्यावेशित बल-सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य से भिन्न किसी नियोजन में बिना प्राधिकार के अपने आपको लगाता;
- (viii) कायरता का दावा होना;
- (ix) कर्तव्य पर होते हुए या किसी कर्तव्य के लिए साबित किए जाने के पश्चात्, मृतता की हालत में रहना;
- (x) कर्तव्य से बचने के लिए रोगी बन जाना या डोंग करना या अपने आप को किसी कर्तव्य या सेवा के अग्रान्य बनाने के आशय से अपने आपको स्वेच्छया उरहति या अंतर्निहित कारित करना या निरोग होने से साक्ष्य विलम्ब करना या अपने रोग या अंग-शैथिल्य को गुरुतर बनाना;
- (xi) अपनी विधिपूर्ण गिरफ्तारी का प्रतिरोध करेगा या गिरफ्तारी या परिरोध में होते हुए, विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा मुक्त किए जाने से पूर्व अपनी गिरफ्तारी या परिरोध से चूना जाना;
- (xii) किसी ऐसे अभ्यावेशित बल-सदस्य पर, जो रैंक या पद में उसके अधीनस्थ है, हमला करेगा या उसके साथ अश्रमा बुरा बर्ताव करेगा;
- (xiii) अपने उच्चतर अधिकारी के प्रति अत्यधिक अनुधीनता या श्रद्धा का व्यवहार करना या अपने साथी या अपने उच्चतर अधिकारी के प्रति, चाहे वह कर्तव्य पर हो या नहीं, यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखे हुए कि वह ऐसा साथी या अधिकारी, है आपराधिक बल का प्रयोग करना या प्रयोग करने का प्रयत्न करना;
- (xiv) अपने आयुधों, कपड़ों, औजारों, उपस्कारों, मोलाबाहद या साजसज्जा या किहीं ऐसी वस्तुओं को, जो उसकी सौंपी जाती है या किसी अन्य बल-सदस्य की है, परिक्रमपूर्वक या अश्रमा-पूर्वक क्षति पहुंचाना या खो देना या कर्तव्यपूर्वक व्ययन करना या विधिविरुद्ध उधार देना;
- (xv) जलूस, घेराव, प्रदर्शन, नारेबाजी में भाग लेना या पर्व वाटन या अभिव्रस्त करने वाले या प्रपोजा पहुंचाने वाले किसी कार्य में अश्रमा निलिप्त होना या किसी पर्यवेक्षक प्राधिकारी पर दवाव डालकर या उसे धमकी देकर किसी बात या हड़ताली काम को मनवाने के लिए धरना देना, भूख हड़ताल करना;
- (xvi) सुरक्षा न्यायालय की दशा में अनुमानजनक या धमकी भरी भाषा का प्रयोग करने का दावा होने हुए, ऐसे न्यायालय की कार्य-वाहियों में कोई अवरोध या विघ्न कारित करना;
- (xvii) किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति जो अमिरक्षा में है, अनुचित शारीरिक हिंसा करना;
- (xviii) विधिपूर्ण प्राधिकार या उचित प्रतिहेतु के बिना, किसी भवन या स्थान में प्रवेश करना या उसकी तलाशी देना;
- (xix) तंग करने की दृष्टि से और अनावश्यक रूप से किसी व्यक्ति की सम्पत्ति का अतिक्रमण करना;
- (xx) तंग करने की दृष्टि से या उचित संदेह या प्रतिहेतु के बिना, किसी व्यक्ति को निलुब्ध करना, उसकी तलाशी लेना या उसे गिरफ्तार करना;
- (xxi) कोई ऐसी धमकी देना, उत्प्रेरण करना या वचन देना जो विधि द्वारा सममित नहीं है; और/या

- (xxii) अधिनियम या उन नियमों के अधीन अपराधों में से किसी अपराध करने में सहायता करना या दुष्प्रेरित करना या करने का प्रयत्न करना या ऐसा अपराध करने हेतु कोई कार्य करना।

अध्याय 12

अनुशासन और शारीरिक दंड

148. दंडों का विवरण :

148.1 किसी अभ्यावेशित बल-सदस्य पर, निम्नलिखित दंडों में से कोई दंड, अच्छे और पर्याप्त कारणों से और इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रूप में, अधिरोपित किया जा सकता है।

148.2 बड़े दंड :

- (क) सेवा से पदच्युति (जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निरहता होगी);
- (ख) सेवा से हटाया जाना (जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निरहता नहीं होगी);
- (ग) अनिवार्य सेवा निवृत्ति;
- (घ) रैंक या श्रेणी में अवनति;

148.3 छोटे दंड :

- (क) वेतनमान के निम्नतर प्रक्रम पर अवनति;
- (ख) अगली वेतनवृद्धि रोकना, चाहे इसके पश्चात् वेतनवृद्धि स्थगित होती हो या न होती हो;
- (ग) विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रोन्नति रोकना;
- (घ) किसी विशिष्ट पद से हटाया जाना या किसी विशेष उपलब्धि से वंचित करना;
- (ङ) परिनिदा।

148.4 छंटे-मोटे दंड :

- (क) ऐसी किसी रकम का जुमाना जो सात दिन के वेतन से अधिक न हो;
- (ख) क्वार्टर गार्ड में परिरोध जो दंड ड्रिल, अनिश्चित पहरा ड्यूटी फटींग ड्यूटी या कोई अन्य दंड ड्यूटी सहित या रहित, चौदह दिन से अधिक का न हो;
- (ग) विग्रहण।

148.5 स्पष्टीकरण :

निम्नलिखित को इस नियम में दंड नहीं माना जाएगा, अर्थात् :—

- (क) अभ्यावेशित बल-सदस्य की वेतनवृद्धि का इस कारण रोकना जाना कि वह उन नियमों या आदेशों के अनुसार विभागीय परीक्षा में असफल रहा है जो उसके वर्ग या श्रेणी या रैंक या पद या नियुक्ति की अवधि को शामिल करते हैं।
- (ख) अभ्यावेशित बल-सदस्य का, दक्षतारोघ पार करने के लिए अयोग्य होने के आधार पर, उसके विद्यमान वेतनमान में दक्षतारोघ पर रोकना जाना;
- (ग) किसी अधिष्ठायी या स्थानापन्न हेतियत में अभ्यावेशित बल-सदस्य की उसके प्रोन्नतिपूर्व पाठ्यक्रम में असफल रहने के कारण, उस रैंक या श्रेणी में, जिस पर वह प्रोन्नति के लिए पात्र है या जिसमें वह पेनल पर रखा गया है, प्रोन्नति न करना;

(घ) किसी उच्चतर रैंक में स्थापान रूप में कार्य करने वाले किसी अभ्यावेष्टित बल-सदस्य का, किसी निम्नतर रैंक में इस आधार पर प्रत्यावर्तन कि वह अपने आचरण से असम्बद्ध किसी प्रशासनिक आधार पर ऐसी उच्चतर रैंक के लिए अयोग्य समझा गया है ;

(ङ) परीक्षा पर नियुक्त किसी अभ्यावेष्टित बल-सदस्य का, परीक्षा की अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर, उसकी नियुक्ति के निबंधन या ऐसी परीक्षा को शासित करने वाले नियमों और आदेशों के अनुसार उसकी स्थायी रैंक, श्रेणी या पद पर प्रत्यावर्तन ;

(च) किसी अभ्यावेष्टित बल-सदस्य का उसके मूल काउंटर या विभाग में संप्रत्यावर्तन ;

(छ) अनुपयुक्तता या शारीरिक और मानसिक अयोग्यता के आधार पर क्रमशः नियम 84 और नियम 85 के अधीन किसी बल-सदस्य की सेवा निवृत्ति ।

(ज) नियम 134 के अधीन किसी अभ्यावेष्टित बल-सदस्य का निलंबन

(झ) ऐसे किसी अभ्यावेष्टित बल-सदस्य की,—

(i) जिसकी नियुक्ति परीक्षा पर की गई है, परीक्षा की अवधि या बढ़ाई गई अवधि के दौरान, नियम 57 उपनियम (3) के उपबंधों के अनुसार ;

(ii) प्रारंभिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अंतिम करने में असफल रहने पर नियम 65 के उपनियम (4) के अधीन सेवाओं की समाप्ति ।

149. अन्य छोटे दण्ड :

149.1 अभ्यावेष्टित बल-सदस्यों को, जो रेल सेवक हैं, निम्नलिखित अन्य छोटे दंड भी दिए जा सकेंगे :

(क) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए सुविधा पास या सुविधा टिकट आदेश या दोनों रोकना ;

(ख) विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, पेंशन नियमों के अधीन अनुज्ञेय अधिकतम पेंशन में, कमी या उसे रोकना ।

150. अभियोजनों पर विभागीय दण्ड का प्रभाव :

किसी अभ्यावेष्टित बल-सदस्य पर नियम 148 और नियम 149 में विनिर्दिष्ट दण्ड के अधिरोपण का प्रभाव, तत्समय प्रवृत्त अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन उसके अभियोजन और दंड के लिए दायी होने पर नहीं पड़ेगा ।

151. अनुशासनिक प्राधिकारी :

151.1 कोई विशेष दण्ड अधिरोपित करने या कोई अनुशासनिक आदेश पारित करने के प्रयोजन के लिए किसी अभ्यावेष्टित बल-सदस्य की बाबत अनुशासनिक प्राधिकारी अनुसूची 3 में इस निमित्त विनिर्दिष्ट वह प्राधिकारी होगा जिसके प्रशासनिक नियंत्रण में सदस्य सेवा कर रहा है और इसके अंतर्गत ऐसे प्राधिकारी से वरिष्ठ कोई प्राधिकारी भी है ।

151.2 किसी उच्चतर रैंक में स्थापान रूप से कार्य करने वाले किसी अभ्यावेष्टित बल-सदस्य के मामले में, अनुशासनिक प्राधिकारी का अवधारण उस स्थापान पद के प्रति निर्देश से किया जाएगा जो वह अवधारण की जाने के समय धारण किए हुए है ।

152. कार्यवाही संस्थित करने के लिए प्राधिकारी :

152.1 नियुक्ति प्राधिकारी या कोई ऐसा अन्य प्राधिकारी जो साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा सशक्त किया गया है—

(क) किसी अभ्यावेष्टित सदस्य के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित कर सकेगा ;

(ख) किसी अनुशासनिक प्राधिकारी को, ऐसे किसी अभ्यावेष्टित बल-सदस्य के विरुद्ध, जिस पर वह नियम 148 और नियम 149 में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति, इन नियमों के अधीन अधिरोपित करने के लिए सक्षम है, अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करने के लिए निर्देश दे सकेगा ।

152.2 कोई अनुशासनिक प्राधिकारी, जो इन नियमों के अधीन कोई छोटा दंड अधिरोपित करने के लिए सक्षम है, कोई बड़ा दंड अधिरोपित करने के लिए अनुशासनिक कार्यवाही इस बात के होते हुए भी संस्थित कर सकेगा कि ऐसा अनुशासनिक प्राधिकारी पश्चात् कथित कोई दंड अधिरोपित करने के लिए इन नियमों के अधीन सक्षम नहीं है ।

153. बड़े दंड अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया :

153.1 लोक सेवा (जांच) अधिनियम, 1850 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पदभ्रष्टि, हटाने, अनिवार्य सेवा-निवृत्ति या रैंक में अवतार का कोई भी आदेश किसी अभ्यावेष्टित बल-सदस्य की बाबत (नियम 161 में जैसा वर्णित है उसे छोड़कर) तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि यथासंभव, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में ऐसी जांच न कर ली गई हो जिसमें उसे उन आधारों की लिखित सूचना दी गई हो जिन पर कार्रवाई करने की प्रत्यापना है और उसे अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

153.2 (क) जब कभी अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय है कि किसी अभ्यावेष्टित बल-सदस्य के विरुद्ध अवचार या कदाचार के किसी लांछन की सत्यता के बारे में जांच करने के लिए आधार है तो उसकी सत्यता की जांच स्वयं कर सकेगा या जांच करने के लिए किसी ऐसे जांच अधिकारी की, जो आरोपित अभ्यावेष्टित सदस्य की रैंक से उच्चतर रैंक का है किन्तु निरीक्षक की रैंक से नीचे के रैंक का नहीं है, नियुक्ति कर सकेगा या जांच न्यायालय स्थापित कर सकेगा ।

(ख) जहां अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं जांच करता है, वहां इन नियमों में जांच अधिकारी के प्रति किए गए किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह अनुशासनिक प्राधिकारी के प्रति किया गया निर्देश है ।

153.3 शिकायत की प्राप्ति पर या अन्यथा, अनुशासनिक प्राधिकारी अधिकृत या प्रकाश में लाए गए तथ्यों का अवलोकन करेगा और यह विनिश्चित करेगा कि यह मामला बड़े दंड का है या छोटे दंड का । धारा 16क या धारा 17 के अधीन दण्डनीय मामलों को अनुशासनिक मामलों में संपरिवर्तित करने का या उन मामलों को, जिनकी बाबत बड़ा दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है, उस प्रवर्ग के मामलों में, जिनमें छोटा या छोटा-मोटा दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है, परिवर्तित करने का प्रयत्न नहीं किया जाएगा ।

153.4 जहां किसी अभ्यावेष्टित बल-सदस्य के विरुद्ध इस नियम के अधीन कोई जांच की जाने की प्रत्यापना की जाती है, वहां अनुशासनिक प्राधिकारी यह आदेश दे सकेगा कि अनुशासनिक कार्यवाही के समाप्त होने तक अभ्यावेष्टित सदस्य को, उसकी लिखित अनुज्ञा के बिना, न तो किसी अन्य स्थान के लिए स्थानान्तरित किया जाएगा और न ही छुट्टी दी जाएगी तथा अनुशासनिक प्राधिकारी निम्नलिखित को लेखबद्ध करेगा या कराएगा, अर्थात् :—

(क) अवचार या कदाचार के लांछनों के सार को निश्चित और सुस्पष्ट आरोप की मर्दों के रूप में ; और

(ख) आरोप की प्रत्येक मद के समर्थन में अवचार या कदाचार के लांछनों का कथन, जिसमें निम्नलिखित बातें होंगी :—

(i) सब सुसंगत तथ्यों का, जिनके अंतर्गत बल-सदस्य द्वारा की गई स्वीकृति या संस्वीकृति है, कथन ; और

- (ii) ऐसे दस्तावेजों की एक सूची जिनसे, और ऐसे साक्षियों की एक सूची जिनके द्वारा आरोप की मदें साबित करने का प्रस्ताव है।

153.5 अनुशासनिक प्राधिकारी जांच प्रारंभ होने के कम से कम बृहत्तर घंटे पूर्व अवकारी सदस्य को आरोप की मदों की एक प्रति, अवचार या कदाचार के लांछनों का कथन और उन दस्तावेजों और साक्षियों की जिनसे या जिनके द्वारा आरोप की प्रत्येक मद साबित करने का प्रस्ताव है, एक सूची परिदत्त करेगा या करवाएगा और वह तारीख नियत करेगा जिसकी जांच प्रारंभ होनी है। पञ्चातन्त्र की तारीखें जांच अधिकारी नियत करेगा।

153.6 जहाँ आरोपित सदस्य फरार हो गया है या जहाँ दस्तावेजों की तामील स्वयं उस पर करना सम्भव नहीं है या जहाँ वह तामील से जानबूझ कर बचता है, वहाँ ऐसे दस्तावेजों की तामील के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 62, धारा 64, धारा 65 और धारा 69 में अधिकृत प्रक्रिया अपनाई जाएगी और वह तामील का निष्कायक मन्तव्य होगी।

153.7 प्राइवेट अभियोजन साक्षियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जांच अधिकारी विद्यमान रेल नियमों के अनुसार उनकी हैमियत के मुताबिक उन्हें निःशुल्क यात्रा पाम अनुज्ञात कर सकेगा।

153.8 आरोपित अभ्यावेष्टित सदस्य को कार्यवाहियों में विधि व्यवसायी लाने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी किंतु उसे किसी अन्य बल-सदस्य की (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मित्र" कहा गया है) सहायता लेने के लिए वहाँ अनुज्ञात किया जा सकेगा जहाँ जांच अधिकारी की यह राय हो कि आरोपित अभ्यावेष्टित सदस्य स्वयं अपनी प्रतिरक्षा उचित रूप से नहीं कर सकता। ऐसा "मित्र" उपनिरीक्षक की या उससे नीचे की रैंक का सेवारत बल-सदस्य होना चाहिए जो तत्समय उसी मंडल या बटालियन में जहाँ कार्यवाही सम्बन्धित है, तैनात हो और जो किसी अन्य स्थान में सम्बन्धित किसी अन्य कार्यवाही में "मित्र" के रूप में कार्य न कर रहा हो। किंतु "मित्र" को जांच अधिकारी को सम्बोधित करने या साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

153.9 यदि आरोपित अभ्यावेष्टित सदस्य जांच प्रारंभ होने के लिए नियत दिन को हाजिर होने में असफल रहता है और नियत समय और दिन को हाजिर न होने के लिए कोई युक्तियुक्त कारण नहीं बताता है तो जांच अधिकारी एक पक्षीय जांच प्रारंभ कर सकेगा।

153.10 जांच प्रारंभ होने पर आरोपित पक्षकार से "दोषी होने" या "दोषी न होने" का अभिवचन करने के लिए कहा जाएगा, उसके पश्चात् साक्ष्य, जो आरोप सिद्ध करने के लिए आवश्यक है, लिया जाएगा। साक्ष्य आरोप के लिए तात्त्विक होगा और वह या तो मौखिक हो सकेगा या दस्तावेजी। यदि मौखिक साक्ष्य है तो--

(क) वह प्रत्यक्ष होगा;

(ख) यह आरोपित पक्षकार की उपस्थिति में जांच अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा;

आरोपित पक्षकार को साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने की अनुज्ञा दी जाएगी।

153.11 यदि साक्षी आरोपित पक्षकार से वरिष्ठ रैंक के सरकारी अधिकारी है, तो जांच अधिकारी, आरोपित पक्षकार के अनुरोध पर, ऐसे अधिकारी से प्रश्न पूछ सकेगा।

153.12 सभी साक्ष्य आरोपित पक्षकार की उपस्थिति में स्वयं जांच अधिकारी द्वारा या उसके बोलने पर लिपिक द्वारा अभिलिखित किया जाएगा। यथास्थिति, आरोपित पक्षकार द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा को या इस तथ्य को कि उसने साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने से इन्कार कर दिया है, भी अभिलिखित किया जाएगा। प्रत्येक साक्षी का कथन उसे

पढ़कर सुनाया जाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो उसे उसकी भाषा में स्पष्ट किया जाएगा, और इस बात के प्रतिफलस्वरूप कि उसने उसकी अन्तर्वस्तु को समझ लिया है, उस पर उसके हस्ताक्षर लिए जाएंगे। कथन पर जांच अधिकारी और आरोपित पक्षकार भी हस्ताक्षर करेंगे। प्रत्येक कथन की प्रतिलिपि आरोपित पक्षकार को दी जाएगी जो साक्षी के कथन पर ही उसकी प्राप्ति स्वीकार करेगा। जांच अधिकारी इस बात का प्रमाणपत्र अभिलिखित करेगा कि आरोपित पक्षकार की उपस्थिति में साक्षी को कथन पढ़कर सुना दिया गया है।

153.13 दस्तावेजी प्रदर्श, यदि कोई हैं, संबंधित साक्षी द्वारा पेश किए जाते समय संख्यांकित किए जाएंगे और निर्देश संख्यांक साक्षी के कथन पर लिख दिए जाएंगे। ऐसे दस्तावेज औपचारिक तौर पर साबित किए बिना प्रदर्श के रूप में साक्ष्य में स्वीकार किए जा सकेंगे जब तक कि आरोपित पक्षकार ऐसे किसी दस्तावेज की विशुद्धता को अस्वीकार न करे और उस साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने की इच्छा व्यक्त न करे जिसके उन पर हस्ताक्षर होना तात्पर्य है। प्रदर्शों की प्रतिलिपियां आरोपित पक्षकार के विनालकाय दस्तावेजों को छोड़कर मांगने पर दी जा सकेंगी। विनालकाय दस्तावेजों के मामले में आरोपित पक्षकार को, जांच अधिकारी की उपस्थिति में, उनका अवलोकन करने और उनसे छिपण लेने की अनुज्ञा दी जा सकेगी।

153.14 जब तक कि इन नियमों में विनिर्दिष्ट रूप में उल्लेख न किया गया हो, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के उपबन्ध इन नियमों के अंगीन विनालीय कार्यवाहियों को लागू नहीं होंगे।

153.15 इसके पश्चात् आरोपित पक्षकार की जांच की जाएगी और उसका कथन अधिकारियों द्वारा अभिलिखित किया जाएगा। यदि आरोपित पक्षकार ने दोषी होने का अभिवचन किया है और अभिलिखित साक्ष्य पर कोई आपेक्ष नहीं करता है, तो कार्यवाही, आदेश के लिए, बंद कर दी जाएगी। यदि वह "दोषी न होने" का अभिवचन करता है तो उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह दस दिन के भीतर लिखित कथन और उन साक्षियों की सूची दाखिल करें जिन्हें वह अपनी प्रतिरक्षा में पेश करना चाहता है। इसमें उस साक्ष्य का सार दिया जाएगा जिसके दिए जाने की प्रत्येक साक्षी से प्रत्याशा की जाती है। यदि वह लिखित कथन दाखिल करने से इन्कार करता है तो उसकी अनुज्ञात अवधि की समाप्ति पर जांच अधिकारी द्वारा पुनः परीक्षा की जाएगी और उसका कथन, यदि कोई है, अभिलिखित किया जाएगा।

153.16 यदि आरोपित पक्षकार कोई साक्षी पेश करने से या अपनी प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य पेश करने से इन्कार करता है तो कार्यवाही, आदेश के लिए, बंद कर दी जाएगी। यदि वह कोई साक्ष्य पेश करता है, तो जांच अधिकारी ऐसा साक्ष्य अभिलिखित करेगा। यदि जांच अधिकारी का विचार है कि किसी साक्षी या किसी दस्तावेज का साक्ष्य, जिसे आरोपित पक्षकार अपनी प्रतिरक्षा में पेश करना चाहता है, मामले में अन्तर्वलित विवादकों के लिए तात्त्विक नहीं है, तो वह ऐसे साक्षी को बुलाने या ऐसे दस्तावेज को साक्ष्य में पेश करने देने से इन्कार कर सकेगा, किंतु ऐसे सभी मामलों में, उसे साक्ष्य को अग्राह्य समझने के अपने कारण संज्ञे में अभिलिखित करने होंगे। सभी मुक्त साक्ष्य लेखबद्ध कर लिए जाने और आरोपित पक्षकार का कथन, यदि कोई है, अभिलिखित कर लिए जाने और उदाहरण साक्ष्यकरण, यदि आवश्यक है, प्राप्त कर लिए जाने के पश्चात् कार्यवाही आदेशों के लिए, बंद कर दी जाएगी।

153.17 किसी भी दशा में अतिरिक्त अभियोजन साक्षियों की परीक्षा, प्रतिरक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् नहीं की जाएगी जब तक कि उस आधार पर अनुपूरक प्रतिरक्षा साक्षी अनुज्ञात न किए गए हों। किन्तु यदि जांच के दौरान किसी प्रक्रम में जांच अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी ऐसे साक्षी की, जिसे किसी भी पक्षकार ने अभी तक पेश नहीं किया है, परीक्षा या किसी ऐसे साक्षी की, जिसकी परीक्षा पढ़ने

ही की जाचुकी है पुनः बुलाना न्याय के हित में है या कोई संदेह दूर करने के लिए आवश्यक है तो वह ऐसा करने के लिए अपने कारण अभिलिखित करने के पश्चात् उसे उस प्रयोजन के लिए समन्वित कर सकेगा और जांच अधिकारी के साक्षी के रूप में उसकी परीक्षा की जा सकती है। ऐसे साक्षी की, आरोपित पक्षकार द्वारा, यदि वह चाहता है तो, प्रतिपरीक्षा भी की जा सकेगी।

153.18 जब किसी जांच में साक्ष्य को पूर्णतः या भागतः सुनने और अभिलिखित करने के पश्चात् जांच अधिकारी की उस पर अधिकारिता नहीं रह जाती है और कोई अन्य जांच अधिकारी जिसे ऐसी अधिकारिता है और उसका प्रयोग करता है उसका उत्तरवर्ती हो जाता है, तो वह ऐसा उत्तरवर्ती जांच अधिकारी अपने पूर्ववर्ती द्वारा अभिलिखित या भागतः अपने पूर्ववर्ती द्वारा और भागतः अपने द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर जैसे वह समीचीन समझे, कार्यवाई कर सकता है या वह साक्ष्य नए सिरे से अभिलिखित कर सकता है।

153.19 जांच पूरी हो जाने के पश्चात्, जांच अधिकारी जांच की एक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें वह प्रत्येक आरोप की वास्तव अपने निष्कर्ष और उनके कारण अभिलिखित करेगा। निष्कर्ष "दोषी होने" या "दोषी न होने" का होना चाहिए और "संदेह का फायदा" या व्यक्तिगत आशंका की कोई गुंजाइश नहीं रहने दी जाएगी। कोई आरोप साबित हुआ समझा जाएगा यदि जांच अधिकारी अपने समक्ष साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् यह विश्वास करे कि उन तथ्यों का, जिनसे आरोप बनता है, अस्तित्व है या उनके अस्तित्व को इतना अधिसम्भाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उनका अस्तित्व है।

153.20 यदि जांच अधिकारी की राय है कि मूल रूप में विरचित आरोपों से भिन्न आरोप जांच कार्यवाही से सिद्ध होते हैं तो वह ऐसे आरोपों की वास्तव अपने निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगी :

परन्तु ऐसे आरोपों की वास्तव निष्कर्ष तब तक अभिलिखित नहीं किए जाएंगे जब तक कि आरोपित पक्षकार उन तथ्यों को, जिनसे वे बनते हैं स्वीकार न कर लें और तब तक कि उसे उनके विरुद्ध अपनी प्रतिरक्षा प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाए।

154. जांच रिपोर्ट पर कार्यवाई

154.1 यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की जहां, वह स्वयं जांच अधिकारी है, अपने निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए या जहां वह स्वयं जांच अधिकारी नहीं है, जांच अधिकारी के सभी या किन्हीं निष्कर्षों पर अपने विनिश्चय को ध्यान में रखते हुए, यह राय हो कि दिया जाने वाला दण्ड उस प्रकार का है कि जिसे वह देने के लिए सक्षम है, तो वह प्राधिकारी अभिलिखित साक्ष्य के आधार पर कार्यवाई कर सकेगा। किन्तु जहां किसी मामले में उसकी राय है कि न्याय के हित में किसी साक्षी की अतिरिक्त परीक्षा करना आवश्यक है, तो वह ऐसे साक्षी को पुनः बुला सकेगा, उसकी परीक्षा कर सकेगा और आरोपित पक्षकार को उसकी प्रतिपरीक्षा करने की अनुज्ञा दे सकेगा और उसकी पुनः परीक्षा भी कर सकेगा। इसके पश्चात् आरोपित पक्षकार पर उतना दण्ड अधिरोपित कर सकेगा जो वह इन नियमों के अनुसार अधिरोपित करने के लिए सक्षम है।

154.1.1 दण्ड अधिरोपित करने वाला आदेश समूचित करते समय, जांच अधिकारी के निष्कर्षों की एक प्रति भी अधिरोपित पक्षकार को दी जाएगी।

154.2 जहां ऐसे अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय है कि दिया जाने वाला दण्ड ऐसा है जिसे वह देने के लिए सक्षम नहीं है, वहां वह प्राधिकारी जांच का अभिलेख ऐसे समूचित अनुशासनिक प्राधिकारी को देगा जो इसका पश्चात् उचित रीति में कार्यवाई करेगा।

87/1694 GI-5

154.3 अनुशासनिक प्राधिकारी, यदि वह स्वयं जांच प्राधिकारी नहीं है, उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, मामले को जांच अधिकारी के पास आगे जांच और रिपोर्ट के लिए भेज सकेगा। जांच अधिकारी तत्पश्चात् नियम 153 के उपबन्धों के अनुसार आगे और जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट के साथ ऐसे जांच के पूरे अभिलेख अनुशासनिक प्राधिकारी को भेजेगा।

154.4 अनुशासनिक प्राधिकारी, यदि वह आरोप की मदों पर जांच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमत है, तो ऐसी असहमति के अपने कारणों को अभिलिखित करेगा और यदि अभिलिखित साक्ष्य इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त है तो ऐसे आरोप के संबंध में अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगा।

154.5 यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की, आरोप की सभी मदों या उनमें से किसी पर आगे निष्कर्षों की धारा में रखते हुए, यह राय है कि छोटे दण्डों में से कोई दण्ड आरोपित पक्षकार पर अधिरोपित किया जाना चाहिए, तो वह नियम 158 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे दण्ड अधिरोपित करने वाला आदेश करेगा।

154.6 यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की, आरोप की सभी मदों या उनमें से किसी पर अपने निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए और अभिलिखित साक्ष्य के आधार पर यह राय है कि बड़े दण्डों में से कोई दण्ड आरोपित पक्षकार पर अधिरोपित किया जाना चाहिए तो वह ऐसा दण्ड अधिरोपित करने वाला आदेश करेगा और यह आवश्यक नहीं होगा कि आरोपित पक्षकार को, अधिरोपित की जाने के लिए प्रस्तावित दण्ड के बारे में अभ्यावेदन करने का कोई अवसर दिया जाए।

155. दण्ड का अवधारण :

155.1 दण्ड अवधारित करने में आरोपित पक्षकार के शील, पूर्वतन बुरे अभिलेख और दण्ड पर विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि कोई ऐसा मामला न हो जिसमें वे किसी कार्यवाही में विनिश्चित आरोप की विषय वस्तु बनाए गए हों। नैतिक अधमता वाले अपराधों का आचरण की मामूली भुलों से सावधानीपूर्वक भेद किया जाना चाहिए। यह आवश्यक है कि दण्ड, बल-सदस्य से प्रत्याशित कर्तव्य की प्रकृति और उसके अवचर की दृष्टि में रखते हुए दिया जाएगा।

156. पदच्युति आदि का दण्ड अधिरोपित करना :

156.1 कोई लघुतर दण्ड देने से पूर्व, अनुशासनिक प्राधिकारी बल की अखण्डता सुनिश्चित रूप से बनाए रखने के दृष्टि से किसी बल सदस्य की पदच्युति या उसे सेवा से हटाने का दण्ड निम्नलिखित मामलों में देने पर विचार करेगा, अर्थात्:--

(क) पदच्युति :

- (1) दण्ड न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ;
- (2) गंभीर अवचर या रेल सम्पत्ति के विरुद्ध कोई अपराध करना या उसका प्रयत्न करना या उसका दुर्व्यवहार करना ;
- (3) बल की प्रतिष्ठा और श्रद्धा को प्रभावित करने वाला लज्जाजनक आचरण ;
- (4) कर्तव्य की उल्लंघना, जिनके कारण रेलों को हानि या रेल का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के जीवन को खतरा होता है या होना संभाव्य है।
- (5) विवाधियुक्त या अभ्यासिक ऋणग्रस्तता, और
- (6) अपने ऐसे पूर्ववर्त को, जिनके वह ऐसे नियोजन से सामान्यतः विरचित हो जाता, ठिकाने नियोजन प्राप्त करना ;

(ख) सेवा से हटाया जाना—

- (1) कोई भी ऐसा अवचार जिसके कारण वह ऊपर खंड (क) के अधीन पदच्युत किया जा सकता है ;
- (2) छोटे अवचार की पुनरावृत्ति ;
- (3) उचित सूचना दिए बिना ड्यूटी से अनुपस्थिति या पर्याप्त हेतुक के बिना स्वीकृत छुट्टी के उपरान्त अनुपस्थिति, और

157. रैंक या श्रेणी में या वेतनमान में अवनति :

157.1 किसी भी अभ्यावेष्टित बल-सदस्य की उस रैंक से नीचे की रैंक में अवनति नहीं की जाएगी जिस पर उसकी सेवा में प्रथम नियुक्ति की गई थी और न ही उसकी इस अर्थ में स्थायी रूप से अवनति की जाएगी कि वह कभी भी पुनः प्रोन्नति का पात्र नहीं होगा भले ही उसकी पश्चात्पूर्वी सेवा कितनी भी सराहनीय क्यों न हो ।

157.2 जब किसी निम्नतर रैंक, श्रेणी या वेतनमान के किसी निम्नतर प्रक्रम पर अवनति का आदेश किया जाता है, तब आदेश में निम्नलिखित बातें भी विनिर्दिष्ट की जाएंगी, अर्थात्—

- (i) वह तारीख जिससे वह प्रवृत्त होगा और वह अवधि (वर्ष और मास के रूप में) जिस तक दण्ड प्रवर्तन में रहेगा ;
- (ii) वेतनमान का प्रक्रम (रुपये के रूप में) जिस पर अभ्यावेष्टित बल-सदस्य की अवनति की गई है; और
- (iii) वह विस्तार (वर्ष और मास के रूप में), यदि कोई है, जिस तक ऊपर (i) में निर्दिष्ट दण्ड संचयी प्रभाव सहित या रहित होगा;

परन्तु जब वेतनमान के निम्नतर प्रक्रम में अवनति का दण्ड, रैंक में दण्ड के चालू रहने के दौरान अधिरोपित किया जाता है तब अनुशासनिक प्राधिकारी दण्ड आदेश में यह स्पष्ट रूप से उपदर्शित करेगा कि दोनों दण्ड साथ-साथ चलेंगे या पश्चात्पूर्वी दण्ड को पहले दण्ड के अवसान पर कार्यान्वित किया जाएगा ।

157.3 वेतनवृद्धि रोकना किसी दण्ड के रूप में वेतनवृद्धि रोकने जाने की दशा में आदेश, में जितनी अवधि के लिए वेतनवृद्धि रोकनी जाएगी उसका उल्लेख किया जाएगा और यह भी उल्लेख किया जाएगा कि इसके प्रभाव से आगे की वेतनवृद्धि या मुक्तवी होंगी या नहीं ।

158. छोटे दण्ड अधिरोपित करने की प्रक्रिया :

158.1 अनुशासनिक प्राधिकारी नियम 148 के उपनियम (3) और नियम 149 में उपबन्धित छोटे दण्ड तब अधिरोपित कर सकेगा, जब

- (क) आरोपित अभ्यावेष्टित बल-सदस्य, के विरुद्ध कार्रवाई करने की प्रस्थापना की और अवचार या कदाचार के उन लांछनों की, जिनके आधार पर कार्रवाई की जानी प्रस्थापित है, लिखित सूचना अभ्यावेष्टित बल-सदस्य को दे दी गई हो और संयुक्तता की तारीख से दस दिन के भीतर ऐसा अभ्यावेदन देने का, जैसा वह प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध देना चाहता है, युक्तियुक्त अवसर अभ्यावेष्टित उसे दे दिया गया हो;

- (ख) आरोपित पक्षकार द्वारा खण्ड (क) के अधीन प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन पर, यदि कोई है, विचार कर दिया गया हो- और अवचार या कदाचार के प्रत्येक लांछन पर निष्कर्ष अभि लिखित कर दिया गया हो ।

158.2 उपनियम (1) के खण्ड (क) में किसी बात के होने हुए भी, यदि आरोपित पक्षकार द्वारा उक्त खण्ड (क) के अधीन दिए गए अभ्यावेदन पर, यदि कोई है, विचार करने के पश्चात् यह प्रस्थापना

की जाती है कि वेतनवृद्धियां रोक दी जाएं और वेतनवृद्धियों के ऐसे रोक दिए जाने से आरोपित पक्षकार को देय पेंशन की रकम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना सम्भव है या तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए वेतनवृद्धियां रोक दी जाएं या किसी भी अवधि के लिए वेतनवृद्धियां संचयी प्रभाव से रोक दी जाएं या उसके वेतनमान में तीन प्रक्रमों से अधिक की अवनति कर दी जाए, तो आरोपित पक्षकार पर कोई भी ऐसा दण्ड अधिरोपित करने का आदेश करने से पूर्व, जहां तक संभव हो, नियम 153 में अभिव्यक्ति रीति से जांच की जाएगी ।

159. विभागीय कार्यवाही की फाइल :

159.1 विभागीय कार्यवाही की प्रत्येक फाइल में अनुक्रमणिका शीट के साथ दस्तावेजों निम्नलिखित क्रम में रखे जाएंगे :

- (i) आदेश शीट,
- (ii) प्रारम्भिक कागजपत्र,
- (iii) आरोप,
- (iv) अभियोजन साक्षियों के कथन,
- (v) अभियोजन-प्रदर्श,
- (vi) "दोषी होने" या "दोषी न होने" के बारे में प्रतिरक्षा कथन,
- (vii) प्रतिरक्षा साक्षियों के कथन,
- (viii) प्रतिरक्षा का लिखित कथन, यदि कोई हो,
- (ix) जांच अधिकारी के निष्कर्ष,
- (x) अनुशासनिक प्राधिकारी का आदेश,
- (xi) अपील और आदेश ।

160. छोटे-छोटे दण्ड अधिरोपित करने की प्रक्रिया :

160.1 अभ्यावेष्टित बल-सदस्य द्वारा अनुशासन के छोटे-मोटे अंगों और अवचार के छोटे-मोटे मामलों की जांच और उनका निपटारा, जहां तक संभव हो, किसी ऐसे अधिकारी द्वारा पेशी कक्ष में किया जाएगा जो अभ्यावेष्टित किसी ऐसे बल-सदस्य को, जो तत्समय उसके प्राधिकार के अधीन है, अनुसूची 3 के अधीन छोटे-मोटे दण्ड देने के लिए प्राधिकृत है। अर्दनी कक्ष में जांच, जहां तक संभव हो, सप्ताह में कम से कम एक बार नियत दिन को की जाएगी ।

160.2 यदि अपराध के लिए दण्ड उस दण्ड से अधिक कठोर दिया जाना चाहिए जो अपराध के संबंध में कार्रवाई करने वाला अधिकारी देने के लिए प्राधिकृत है, तो वह,

- (i) यदि मुख्यालय में है, तो अवचारी सदस्य को, यथास्थिति, संबंधित सहायक सुरक्षा आयुक्त या मंडल सुरक्षा आयुक्त के समक्ष लाएगा,
- (ii) यदि मुख्यालय से बाहर है तो अपनी सिफारिशों के साथ अभिलेख को, आदेश और आगे की कार्रवाई के लिए, संबंधित सहायक सुरक्षा आयुक्त या मंडल सुरक्षा आयुक्त को भेजेगा ।

160.3 ऐसी जांच की कार्यवाहियां पेशी कक्ष रजिस्टर में अभिलिखित की जाएंगी ।

160.4 पेशी कक्ष में अधिनिर्णित दण्ड का निष्पादन रिजर्व लाइन प्रशिक्षण संस्थान या चौकी में, जो भी दण्ड अधिनिर्णित करने वाला अधिकारी विनिर्दिष्ट करे, किया जाएगा ।

160.5 फटींग ड्यूटी और कोई अन्य ड्यूटी केवल कांस्टेबलों और नायकों के लिए ही अधिनिर्णीत की जाएगी और उसके अन्तर्गत निम्नलिखित ड्यूटियों में से कोई एक या अधिक ड्यूटी है, हो सकेंगी, अर्थात् :

- (क) छोलवारी खड़ी करना और उसकी देखभाल करना और मरम्मत करना,

- (ख) बल के बगोचों, फार्म, तालाबों आदि की देखभाल करना;
- (ग) घास काटना और लान की कराई;
- (घ) जंगल साफ करना और लकड़ी काटना;
- (ङ) परेड के मैदान की सफाई और उसका चिन्हांकन;
- (च) आयुध, उपकरण, स्टोर, मेस, कक्षाओं और बैरकों की सफाई करना और धूल झाड़ना;
- (छ) रिजर्व लाइन, चौकी आदि में झोपड़ियों, बटों और इसी प्रकार के संकर्मों की मरम्मत करना।

161. कुछ मामलों में विशेष प्रक्रिया :

161.1 इन नियमों में कहीं भी किसी बात के होते हुए भी :

- (i) जहाँ किसी अभ्यावेष्टित बल-सदस्य पर कोई शास्ति उसके ऐसे आचरण के आधार पर अधिरोपित की जाती है जिसके लिए उसे अपराधिक आरोप पर दोष सिद्ध किया गया है; या
- (ii) उस प्राधिकारी का, जो दण्ड अधिरोपित करने के लिए सक्षम है, उन कारणों से, जो उस प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे, यह सन्धान हो जाता है कि इन नियमों में उपबंधित रीति से कोई जांच करना युक्तियुक्त या से साध्य नहीं है, या
- (iii) राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि इन नियमों में उपबंधित रीति से कोई जांच करना राज्य की सुरक्षा और बल की अखण्डता बनाए रखने के हित में समोचीन नहीं है, वहाँ वह प्राधिकारी, जो शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम है, उस मामले की परिस्थितियों पर विचार कर सकेगा और उस वाक्य ऐसे आदेश कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

162. दोषसिद्धि के मामले में दण्ड न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया :

162.1 मंडल सुरक्षा आयुक्त या कमान अधिकारी अभ्यावेष्टित बल-सदस्य के विरुद्ध न्यायालय में लाए गए प्रत्येक मामले के अभिलेख का अवलोकन करेगा और प्रत्येक ऐसे अपराधिक मामले का, जिसमें किसी अभ्यावेष्टित बल-सदस्य को दोषसिद्ध या दोषयुक्त या उन्मोचित किया गया है (तब के सिवाय जब मामला मिथ्या हो), विभागीय संज्ञान करेगा और उपयुक्त आदेश अभिलिखित करेगा।

162.2 कारावास का प्रभाव :

प्रत्येक ऐसे अभ्यावेष्टित बल-सदस्य के विरुद्ध जिसे किसी ऐसे अपराध के लिए, जिसमें चोरी, मिथ्या शपथ, बलात्संग आदि जैसी नैतिक अधमता अंतर्निहित हैं, दोषसिद्ध के पश्चात्, कारावास से दंडित किया जाता है या परिवीक्षा पर छोड़ा जाता है या किसी अन्य अपराध के लिए या किसी विनिर्दिष्ट मामले के लिए एक मास से अधिक के कारावास के लिए दण्डित किया जाता है, पदच्युत के लिए कार्यवाही की जाएगी और साधारणतया उस सेवा से पदच्युत किया जाएगा।

162.3 जुमने का प्रभाव :

जब किसी अभ्यावेष्टित बल-सदस्य को दण्ड न्यायालय द्वारा जुमने का दण्डादेश दिया जाता है, तब अनुशासनिक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों की जांच कर सकेगा और यदि बल के हित में आवश्यक है तो उसकी पदच्युति के लिए कार्यवाही प्रारम्भ कर सकेगा।

162.4 ऐसे मामलों में आरोप का प्रारूप : (i) उपनियम (2) और उपनियम (3) के अधीन कार्यवाही में आरोप यह होगा कि अभियुक्त संबंधित अपराध के लिए, यथास्थिति, दोषसिद्धि किया गया है या कारावास अथवा जुमने से दण्डादिष्ट किया गया है।

(ii) अंतिम दोषमुक्ति पर अभियुक्त के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी कार्यवाही, प्रथम विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के तत्काल बाद की जाएगी और अभ्यावेष्टित बल-सदस्य

को निलम्बित रहने देने में होने वाले अवयवकारक व्यय से बचने के लिए उसका तुरन्त निपटारा किया जाएगा।

162.5 सेवोन्मुक्ति के मामले में कार्यवाही : जब किसी अभ्यावेष्टित बल-सदस्य को न्यायालय के समक्ष अभियोजित किया जाता है किन्तु पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण या किसी तकनीकी आधार पर या संदेह का फायदा देकर उन्मोचित कर दिया जाता है, तब अनुशासनिक प्राधिकारी मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर वस्तुनिष्ठ दृष्टि से विचार करने के पश्चात् विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाने की संभावना की पड़ताल करेगा और ऐसी कार्यवाही करेगा जो बड़े समुचित समझे।

163. दो या दो से अधिक अभ्यावेष्टित बल-सदस्य अन्तर्वर्तित होने पर प्रक्रिया :

163.1 जहाँ दो या दो से अधिक अभ्यावेष्टित बल-सदस्य जिनके अंतर्गत वे कर्मचारी भी हैं जो बल में प्रतिनियुक्ति पर हैं, किसी मामले में अन्तर्वर्तित हैं, वहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी यह निर्देश देते हुए आदेश दे सकेगा कि उन दो या सब के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही एक साथ की जाए।

164. ऐसे अभ्यावेष्टित बल-सदस्य के संबंध में उपबंध जिसकी सेवाएं केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों या राज्य सरकारों आदि को उधार दी गई हैं :

164.1 जहाँ किसी अभ्यावेष्टित बल-सदस्य की सेवा केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग को या किसी राज्य सरकार को या उसके अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को (जिसे इस नियम में आगे "उधार लेने वाला प्राधिकारी" कहा गया है) उधार दी जाती है, वहाँ उधार लेने वाले प्राधिकारी को ऐसे सदस्य को निलम्बित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की ओर उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने के प्रयोजन के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी की शक्तियाँ प्राप्त होंगी ;

परन्तु उधार लेने वाला प्राधिकारी उस प्राधिकारी को, जिस ने अभ्यावेष्टित बल-सदस्य की सेवाएं उधार दी हैं, (जिसे इस नियम में आगे "उधार देने वाला प्राधिकारी" कहा गया है) वे परिस्थितियाँ जिनमें, यथास्थिति उसको निलम्बित करने का आदेश दिया गया है या अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गई है, तुरन्त सूचित करेगा।

164.2 अभ्यावेष्टित बल-सदस्य के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए--

- (i) यदि उधार लेने वाले प्राधिकारी की यह राय है कि कोई भी छोटी शास्ति ऐसे सदस्य पर अधिरोपित की जानी चाहिए तो यह उधार देने वाले प्राधिकारी से परामर्श करके उस मामले में ऐसे आदेश कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे ; परन्तु उधार लेने वाले और उधार देने वाले प्राधिकारी के बीच मतभेद होने की दशा में ऐसा सदस्य संप्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा, और
- (ii) यदि उधार लेने वाले प्राधिकारी की यह राय है कि कोई भी बड़ा दण्ड ऐसे सदस्य पर अधिरोपित किया जाना चाहिए, तो वह उसकी सेवाएं उधार देने वाले प्राधिकारी के व्ययन-धीन पुनः कर देगा और तदुपरि उधार देने वाला प्राधिकारी यदि वह अनुशासनिक प्राधिकारी है तो, उसमें ऐसे आदेश कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे या यदि वह अनुशासनिक प्राधिकारी नहीं है तो उस मामले को अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकेगा जो उस मामले में ऐसे आदेश करेगा जो वह ठीक समझे :

परन्तु ऐसा आदेश करने से पहले, अनुशासनिक प्राधिकारी नियम 154 के उपनियम (4) और उपनियम (5) के उपबंधों का अनुपालन करेगा :

परन्तु यह और कि अनुशासनिक प्राधिकारी, उधार लेने वाले प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे गए जांच के अभिलेख पर या जहां तक हो सके नियम 153 के अनुसार जिसके अतिरिक्त जांच करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, उस खंड के अधीन आदेश कर सकेगा ।

165. प्रतिनियुक्त अभ्यावेशित बल-सदस्य के संबंध में उपबंध :

165.1 जहां किसी व्यक्ति की सेवाएं प्रतिनियुक्त अभ्यावेशित बल-सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए उधार ली जाती हैं वहां उस प्राधिकारी को, जिसने उसकी अभ्यावेशित बल-सदस्य के रूप में नियुक्ति की है (जिसे इस नियम में आगे 'उधार लेने वाला प्राधिकारी' कहा गया है), उस व्यक्ति को निलम्बित करने के प्रयोजन के लिए या उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने के प्रयोजन के लिए, उस प्राधिकारी की जिसने ऐसे व्यक्ति की सेवाएं उधार दी हैं (जिसे इस नियम में आगे 'उधार देने वाला प्राधिकारी' कहा गया है) शक्तियां प्राप्त होंगी :

परन्तु जहां ऐसे व्यक्ति के निलम्बन के लिए कोई आदेश दिया जाता है या ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाती है, वहां उधार लेने वाला प्राधिकारी, उधार देने वाले प्राधिकारी को उन परिस्थितियों की, जिनमें, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति को निलम्बित करने का आदेश दिया गया है या उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की गई है, तुरन्त सूचना देगा ।

165.2 ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही के निष्कर्षों को ध्यान ध्यान में रखते हुए—

- (i) यदि उधार लेने वाले प्राधिकारी की यह राय है कि ऐसे व्यक्ति को लागू नियमों में विनिर्दिष्ट कोई भी छोटी शास्ति उस पर अधिरोपित की जानी चाहिए, तो वह उधार देने वाली प्राधिकारी से परामर्श करने के पश्चात् उक्त नियमों के अनुसार मामले में ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे :

परन्तु उधार लेने वाले प्राधिकारी और उधार देने वाले प्राधिकारी के बीच मतभेद होने की दशा में ऐसे व्यक्ति की सेवाएं उधार देने वाले प्राधिकारी के व्ययनाधीन पुनः कर दी जाएंगी ।

- (ii) यदि उधार लेने वाले प्राधिकारी की यह राय है कि ऐसे व्यक्ति को लागू नियमों में विनिर्दिष्ट कोई भी बड़ी शास्ति उस पर अधिरोपित की जानी चाहिए तो वह उसकी सेवाएं उधार देने वाले प्राधिकारी के व्ययनाधीन पुनः कर देगा और जांच की कार्यवाहियां उसे भेज देगा और तदुपरि उधार देने वाली प्राधिकारी ऐसे आदेश कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे ।

166. सेवावृत्त में दण्ड की प्रविष्टि :

166.1 किसी अभ्यावेशित बल-सदस्य पर अधिरोपित दण्ड की ऐसे अभ्यावेशित सदस्य के सेवावृत्त में प्रविष्टि की जाएगी ।

शास्तिक दण्ड

167. शास्ति दण्ड ।

167.1 अभ्यावेशित बल-सदस्य पर शास्तिक दण्ड या तो सामान्य दण्ड न्यायालय द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के उपबंधों के अनुसार अधिरोपित किया जाएगा या अधिनियम के अधीन सुरक्षा

न्यायालय द्वारा इसमें आगे अतिरिक्त उपबंधों के अनुसार, अधिरोपित किया जाएगा ।

168. सुरक्षा न्यायालय का गठन और संघटन :

168.1 नियम 30 में निर्दिष्ट सहायक महानिदेशक, वरिष्ठ कमांडेंट या कमांडेंट (जिसे इसमें इसके पश्चात् पीठासीन अधिकारी कहा जाता है) से मिलकर सुरक्षा न्यायालय गठित होगा ।

168.2 कार्यवाही में दो अन्य बल-सदस्य पर्यवेक्षक के रूप में हाजिर रह सकते हैं और उन से शपथ लेने या प्रतिज्ञा न करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी । ऐसे सदस्यों में से एक अभियोजक शाखा से हो सकेगा ।

168.3 पीठासीन अधिकारी और एक पर्यवेक्षक विचारण के दौरान, अपनी विहित वर्दी में होंगे ।

169. सुरक्षा न्यायालय शक्तियां :

169.1 सुरक्षा न्यायालय, अधिनियम और इन नियमों के अधीन रहते हुए, किसी अभ्यावेशित सदस्य का विचारण कर सकेगा ।

169.2 इन नियमों के अधीन किसी सुरक्षा न्यायालय द्वारा किया जाने वाला विचारण, भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा और सुरक्षा न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 345 और धारा 346 के अर्थ में न्यायालय समझा जाएगा ।

169.3 सुरक्षा न्यायालय के निर्णय और दण्डादेश की पुष्टि अपेक्षित नहीं होगी और उसे तत्काल कार्यान्वित किया जा सकेगा ।

169.4 सुरक्षा न्यायालय के ऐसे आदेश के विरुद्ध याचिका मुख्य सुरक्षा आयुक्त को दी जा सकेगी जो उसका निपटारा नियम 210 में जैसा उपबंधित है उसके अनुसार कर सकेगा ।

170. आरोपों का अन्वेषण :

170.1 इस सूचना के, कि किसी अभ्यावेशित बल-सदस्य ने अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कोई अपराध किया है, प्राप्त होने पर या अन्यथा, सुरक्षा आयुक्त या किसी यूनिट का कमान ऑफिसर अन्वेषण करने के लिए नियम 265 में निर्दिष्ट जांच न्यायालय समवेत करेगा या किसी अन्य बल सदस्य को कमीशन करेगा ।

170.2 रिपोर्ट प्राप्त होने पर, सुरक्षा आयुक्त या कमान ऑफिसर, उस आरोप को, जो किसी अभ्यावेशित बल-सदस्य पर लगाया गया है, उस दशा में खारिज कर देगा जब उसकी यह राय है कि साक्ष्य से यह दशित नहीं होता है कि अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है, और उस दशा में भी खारिज कर सकेगा जब स्वविदेकानुसार उसका यह समाधान हो जाता है कि आरोप के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी ।

170.3 यदि ऐसे अधिकारी की यह राय है कि आरोप का संज्ञान किया जाना चाहिए, तो वह तत्काल यह विनिश्चय करेगा कि मामले का निपटारा --

(क) धारा 9 के उपबंधों के अधीन किया जाए, या

(ख) सुरक्षा न्यायालय द्वारा किया जाए, या

(ग) दण्ड न्यायालय द्वारा

और तदनुसार आगे कार्यवाही करेगा :

परन्तु जहां अपराध की रिपोर्ट स्थानीय पुलिस को की जा चुकी है या अन्यथा वह पुलिस द्वारा रजिस्टर कर लिया गया है और पुलिस

ने अन्वेषण के पश्चात्, अभियुक्त अभ्यावेशित बल-सदस्य को विचारण के लिए, सामान्य दण्ड न्यायालय को भेज दिया है, वहां सुरक्षा आयुक्त या कमान अधिकारी इन नियमों के अधीन सुरक्षा न्यायालय द्वारा विचारण के लिए ऐसे मामले को मुख्य सुरक्षा आयुक्त की पूर्व अनुज्ञा से न्यायालय से मंगा सकेगा ;

परन्तु यह और कि जहां अभियुक्त किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के साथ, जो अधिनियम के अध्याधीन नहीं है, अपराध करता है वहां सुरक्षा न्यायालय द्वारा उसके विचारण के लिए दावा नहीं किया जा सकेगा।

171. न्यायालय संयोजित करना :

171.1 उन सभी मामलों में जहां यह विनिश्चय किया जाता है कि अभियुक्त अभ्यावेशित बल-सदस्य का सुरक्षा न्यायालय द्वारा विचारण के किया जाए, वहां सुरक्षा आयुक्त या कमान अधिकारी मुख्य सुरक्षा आयुक्त को समावेदन करेगा, जो अपना समाधान होने पर सुरक्षा न्यायालय संयोजित करेगा :

परन्तु जहां सुरक्षा आयुक्त या कमान अधिकारी की यह राय है कि तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है और ऐसा पूर्व अनुमोदन का उपाय किए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वहां वह मुख्य सुरक्षा आयुक्त का अनुमोदन लंबित रहते हुए भी, सुरक्षा न्यायालय समवेत कर सकेगा।

172. सुरक्षा न्यायालय और दण्ड न्यायालय के बीच अधिकारिता का चयन :

172.1 धारा 17 की उपधारा (3) के परन्तुक के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां कोई अपराध अभियुक्त अभ्यावेशित बल-सदस्य द्वारा,—

- (क) ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य अनुपालन के दौरान किया जाता है, या
- (ख) किसी ऐसी सम्पत्ति के संबंध में किया जाता है जो सरकार या बल या अधिनियम के अध्याधीन किसी व्यक्ति की है; या
- (ग) किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किया जाता है, जो अधिनियम के अध्याधीन है,

वह उसका विचारण किसी सुरक्षा न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

173. धारा 17(3) के परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी :

173.1 धारा 17 की उपधारा (3) के परन्तुक के प्रयोजनों के लिए जो प्राधिकारी, किसी सामान्य दण्ड न्यायालय द्वारा किसी अपराध की जांच या विचारण के लिए अपेक्षा कर सकेगा, वह यथास्थिति, ऐसा सुरक्षा आयुक्त या कमान्डेंट होगा जिसकी अधिकारिता की परिसीमा के भीतर अपराध किया गया है।

174. विचारण के लिए परिसीमा-काल :

इन उपबंधों के अधीन कोई भी विचारण—

- (क) ऐसे अपराध की तारीख से 12 मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात्, या
- (ख) व्यक्ति के अभ्यावेशित सदस्य न रह जाने पर,

प्रारंभ नहीं किया जाएगा।

175. बल अभिरक्षा :

175.1 जब किसी सुरक्षा आयुक्त या कमान आफिसर की यह राय हो कि किसी अभ्यावेशित बल-सदस्य ने कोई अपराध किया है और उनका विचारण सुरक्षा न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए, तब उसके लिए, मुख्य सुरक्षा आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से, विधिपूर्ण होगा कि वह अभ्यावेशित बल-सदस्य को बल की अभिरक्षा में लिए जाने के लिए और आरोप की गम्भीरता और विद्यमान परिस्थितियों के अनुसार समय-समय

पर बंद या खुली गिरफ्तारी में, जो वह उचित समझे, उनके रख जाने के लिए आदेश करे :

परन्तु कोई भी अभ्यावेशित बल-सदस्य, उसके विचारण के लिए सुरक्षा न्यायालय समवेत हुए बिना या अधिनियम की धारा 9 के अधीन उसके लिए कोई दण्ड अधिनिर्णित हुए बिना, आठ दिन से अधिक की अवधि के लिए बल की अभिरक्षा में विरुद्ध नहीं रखा जाएगा :

परन्तु यह और कि जहां आगे निरोध आवश्यक समझा जाता है वहां ऐसा अधिकारी मुख्य सुरक्षा आयुक्त के लिखित अनुमोदन की अपेक्षा करेगा जो विनिर्दिष्ट अवधि के लिए आगे निरोध की मंजूरी दे सकेगा। वह निरोध की इस अवधि को एक बार में आठ दिन तक के लिए बढ़ा सकेगा किन्तु ऐसे निरोध को कुल अवधि दो मास से अधिक नहीं होगी।

175.2 प्रत्येक मंडल या बटालियन में, परिरोध के लिए एक या अधिक स्थान होंगे जैसा कि मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा आवश्यक समझा जाए। गिरफ्तार किए गए अभ्यावेशित बल सदस्य अधिनियम के अधीन यहां परिरुद्ध किए जाएंगे। ऐसे स्थान मंडल सुरक्षा आयुक्त या यूनिट के कमान आफिसर के पर्यवेक्षण के अधीन रहेंगे, जो उनके अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार होंगे।

175.3 यदि कोई अभ्यावेशित बल-सदस्य, बल अभिरक्षा में से निकल भागता है या छुड़ा लिया जाता है तो उस बल-सदस्य को जिसकी अभिरक्षा से वह निकल भागा है या छुड़ाया गया है, निकल भागने या छुड़ाने की रिपोर्ट अपने भारसाधक अधिकारी को करनी चाहिए और वह उसका, तुरंत पीछा कर सकता है और भारत में किसी भी स्थान पर उसे गिरफ्तार कर सकता है।

176. आरोपों का विवरण :

176.1 आरोप पत्र में एक ही समय में सुरक्षा न्यायालय द्वारा विचारणीय पूर्ण विवादक होगा या होंगे।

176.2 आरोप से किसी आरोप पत्र में अंतर्विष्ट यह अभियोग अभिप्रेत है कि कोई अभ्यावेशित बल-सदस्य किसी अपराध का दोषी है।

176.3 किसी आरोप पत्र में एक या कई आरोप हो सकते हैं।

177. आरोप की अंतर्वस्तु :

177.1 प्रत्येक आरोप में केवल एक अपराध का उल्लेख होगा और किसी भी दशा में एक अपराध का, उस आरोप में, अनुकल्पतः वर्णन नहीं किया जाएगा।

177.2 प्रत्येक आरोप को दो भागों में विभाजित किया जाएगा,—

(क) अपराध-कथन; और

(ख) उस कार्य, उपेक्षा या लोप के विशिष्टियों का कथन जिनसे अपराध गठित होता है।

177.3 विशिष्टियों में अभिकथित अपराध के बारे में उन परिस्थितियों का उल्लेख किया जाएगा जिनसे अभियुक्त यह समझ सके कि उसके विरुद्ध किस कार्य, उपेक्षा या लोप को साबित किया जाना आशयित है जिससे कोई अपराध गठित होता है।

177.4 एक आरोप की विशिष्टियां दूसरे आरोप की विशिष्टियों के प्रति निर्देश से पूर्णतः या भागतः विरचित की जा सकेंगी और ऐसी दशा में दूसरे आरोप की उतनी विशिष्टियों के बारे में, जितनी इस प्रकार निर्दिष्ट की गई हैं, यह समझा जाएगा कि वे प्रथम वर्णित आरोप और साथ ही, दूसरे आरोप की भी, भागरूप विशिष्टियां हैं।

177.5 जहां कोई ऐसा तथ्य साबित करने का आशय है जिसके बारे में बेतन और भ्रष्टा में से कटौती आरोपित अपराध के परिणामस्वरूप अधिनिर्णित की जा सकती है, वहां विशिष्टियों में उन तथ्यों का, और हानि या नुकसान की उस धनराशि का उल्लेख किया जाएगा जो वसूल करने का आशय है।

178. आरोप पत्र पर हस्ताक्षर :

178.1 आरोप पत्र पर ऐसा सुरक्षा आयुक्त या कमान अधिकारी हस्ताक्षर करेगा जिसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अभ्यावेक्षित बल-सदस्य तत्समय सेवारत हो और उनमें ऐसे विचारण का स्थान और तारीख भी उल्लिखित की जाएगी।

179. आरोप पत्र का अर्थ :

179.1 आरोप पत्र या आरोप का अर्थ लगाने में, ऐसी प्रत्येक प्रतिपदना के बारे में, जिसके बारे में युक्तियुक्त रूप से यह उद्धारणा की जा सकती है कि वह उसमें व्यक्त न होते हुए भी विवक्षित का में उसमें सम्मिलित है, यह उद्धारणा की जाएगी कि वह ऐसे आरोप का समर्थन करती है।

180 विचारण के लिए अभियुक्त को चेतावनी :

180.1 अभियुक्त के दोषारोपण से पूर्व बल-सदस्य द्वारा उसे प्रत्येक ऐसा आरोप, जिसके लिए उसका विचारण किया जाना है, सूचित किया जाएगा और वह भी सूचित किया जाएगा कि उसके द्वारा उन साक्षियों के नाम, जिन्हें वह अपना प्रतिरक्षा में पेश करना चाहता है, लिखित रूप में दिए जाने पर, उसकी उपस्थिति उपाय करने के लिए युक्तियुक्त कदम उठाए जाएंगे और तदनुसार वे कदम उठाए जाएंगे।

180.2 अभियुक्त को ऐसे सूचित किए जाने और उसके दोषारोपण के बीच अंतराल छियाने के घण्टे से, य. जहाँ अभियुक्त सक्रिय सेवा में वहाँ, बहुततर घण्टे से कम नहीं होगा।

180.3 बल-सदस्य अभियुक्त को ऐसे सूचित करते समय आरोप पत्र की एक प्रति देगा और, यदि आवश्यक हो तो उसे, उसपर लगाए गए आरोप पढ़ कर सुनाएगा और स्पष्ट करेगा। यदि अभियुक्त उसे उस भाषा में प्राप्त करना चाहता है जिसे वह समझता है तो उसे उसका अनुवाद भी दिया जाएगा।

180.4 अभियुक्त को सुधंगत अभिलेख की प्रति या उसके विरुद्ध एकत्र किए गए साक्ष्य का सार और ऐसे किसी अतिरिक्त साक्ष्य की सूचना भी दी जाएगी जिसे अभियोजन पक्ष पेश करना चाहता है।

180.5 संबंधित बल-सदस्य अभियुक्त यदि ऐसा चाहता है तो उसे, पीठासीन अधिकारियों का नाम और बल उन अन्य दो सदस्यों के नाम भी देगा जो विचारण में पर्यवेक्षक के रूप में हाजिर हो सकेंगे।

181. कई अभियुक्त व्यक्तियों का संयुक्त विचारण :

181.1 अनेक अभियुक्तों को, किसी ऐसे अपराध के लिए, जिसके बारे में यह प्रकथित है वह उनके द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, संयुक्त रूप से आरोपित किया जा सकता है और उनका एक साथ विचारण किया जा सकता है।

181.2 किन्तु ही अभियुक्तों का, चाहे उन/पर आरोप संयुक्त रूप से लगाए गए हों, किसी ऐसे अपराध के लिए एक साथ विचारण किया जा सकता है जिसके बारे में यह प्रकथित है कि वह उनमें से एक या अधिक ने किया है और दूसरे या दूसरों ने उसका दुष्प्रयत्न किया है।

181.3 जहाँ अभियुक्त उपनियम (1) के अधीन इस प्रकार आरोपित किया जाता है या उपनियम (2) के अधीन उसका एक साथ विचारण किया जाता है, वहाँ उनमें से एक या अधिक को एक साथ किसी ऐसे अन्य अपराध के लिए, जिसके बारे में यह प्रकथित है कि वह व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से किया गया है, आरोपित किया जा सकता है और विचारण किया जा सकता है परंतु यह तब जब उक्त सब अपराध उन्हीं तथ्यों पर आधारित हों, या उसी या वैसे ही प्रकृति के अपराधों के क्रम में हों या उनके भागरूप हों।

181.4 ऊपर वर्णित मामलों में, अभियुक्तों का एक साथ विचारण करने के आशय की सूचना प्रत्येक अभियुक्त को आरोप सूचित करते समय दी जाएगी, और कोई अभियुक्त या तो सुरक्षा न्यायालय संयोजित करने वाले प्राधिकारी का सूचना देकर या सुरक्षा न्यायालय के सामने दोषारोपण के समय, उस न्यायालय को सूचना देकर, दावा कर सकेगा कि उसका और कुछ अन्य अभियुक्तों का, आरोप पत्र में अंतर्निष्ठ एक या अधिक आरोपों के लिए, पृथक रूप से इस आधार पर विचारण किया जाए कि उसके साथ विचारण किए जाने के लिए प्रस्थापित अभियुक्तों में से एक या अधिक अभियुक्तों का साक्ष्य उसकी प्रतिरक्षा के लिए तार्किक होगा या अन्यथा उसकी प्रतिरक्षा पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

181.5 यदि सुरक्षा न्यायालय संयोजित करने वाले प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता कि साक्ष्य तार्किक होगा या अन्यथा अभियुक्त की प्रतिरक्षा पर यथापूर्ववत् रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और यदि आरोप की प्रकृति को देखते हुए ऐसा किया जा सकता है तो दावा मंजूर कर लिया जाएगा और ऐसे अभियुक्त या यथास्थिति, से अन्य अभियुक्त या अभियुक्तों का, जिनके लिए पृथक् विचारण का दावा किया गया है, पृथक रूप से विचारण किया जा गा।

182. अभियुक्त द्वारा प्रतिरक्षा की तैयारी :

182.1 ऐसे अभियुक्त को, जिसे विचारण के प्रतिप्रवित किया गया है, अपनी प्रतिरक्षा तैयार करने का पूरा अवसर दिया जाएगा और उसे अपने "मित्र" के साथ, जो कोई अन्य अभ्यावेक्षित बल-सदस्य या विधि पृथक्सायी हो सकता है, उचित संपर्क करने दिया जाएगा। उसकी इस प्रकार हायता करने के वाला व्यक्ति सभी विषयों पर उसे सलाह दे सकेगा और साक्षी से पूछ जाने वाले प्रश्न सुझा सकेगा किंतु वह साक्षियों की परीक्षा या प्रति-परीक्षा नहीं करेगा और न सुरक्षा न्यायालय का संबंधित तब करेगा:

परंतु पुलिस के आरोप पत्र पर संस्थित किए गए किसी मामले में, जहाँ उस मामले को उपस्थापित करने के लिए कोई अभियोजन अधिकारी उपस्थित होता है, वहाँ अभियुक्त या "मित्र" को भी साक्षियों की परीक्षा और प्रतिपरीक्षा करने या सुरक्षा न्यायालय को संबंधित करने की किसी भी सुविधा दी जाएगी।

183. साक्षियों की हाजिरी :

183.1 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 69 के उपबंध साक्षियों को हाजिर कराने के लिए लागू होंगे।

184. कार्यवाही का प्रारम्भ होना :

184.1 विचारण करने वाला पीठासीन अधिकारी, सुरक्षा न्यायालय की सभी कार्यवाही अंग्रेजी या हिंदी भाषा में अभिलिखित करेगा या कराएगा, साक्षियों के कथनों पर उनके हस्ताक्षर लेगा, और अपचारी अभ्यावेक्षित सदस्य को (जिसे इसमें आगे "अभियुक्त" कहा गया है) मांग की जाने पर, कार्यवाहियों की प्रतीति निशुल्क दे सकेगा।

185. साक्ष्य अभिलिखित करना :

185.1 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अंतर्निष्ठ उपबंध (धारा 25 और धारा 26 को छोड़ कर) सुरक्षा न्यायालय को लागू होंगे जब तक कि व इन नियमों के अभियुक्त उपबंधों के प्रतिकूल न हों।

185.2 विचारण के दौरान सभी साक्ष्य उद्घरण या प्रतिज्ञान पर और अभियुक्त को उपस्थिति में, लिया जाएगा।

185.3 सभी साक्ष्य सुतांत रूप में और यथासंभव उन्हीं शब्दों में लेखबद्ध किया जाएगा जिनमें वह दिया या है किंतु से मामले में, जहाँ

पीठासीन अधिकारी साक्षिक समझता है, ऐसा साक्ष्य प्रश्न और उत्तर के रूप शब्दशः लिखा जाएगा।

185.4 इस प्रकार लिख गए साक्ष्य पर पीठासीन अधिकारी और साक्षी हस्ताक्षर करेंगे और वह न्यायिक अभिलेख का भाग रूप होगा।

185.5 यदि साक्षी अंग्रेजी या हिंदी से भिन्न किसी भाषा में साक्ष्य देता है तो वह, यदि साक्ष्य है तो, उसी भाषा में लिखा जाएगा। यदि ऐसा करना साक्ष्य नहीं है तो स साक्ष्य का सही अनुवाद हिंदी या अंग्रेजी में तैयार किया जाएगा और अभिलेख में रखा जाएगा।

185.6 ऊपर कथित रूप में लिखा गया किसी साक्षी का कथन उसे पढ़कर सुनाया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो शुद्ध किया जाएगा जब कोई साक्षी उसकी शुद्धता से इंकार करता है तो पीठासीन अधिकारी साक्ष्य को शुद्ध करने के बजाए ऐसे साक्षी द्वारा की गई आपत्ति का ज्ञापन लिख सकेगा और उसमें ऐसी टिप्पणियां जोड़ सकेगा जो वह आवश्यक समझे।

186. साक्ष्य का कब अनुवाद किया जाएगा :

186.1 जब कोई साक्ष्य ऐसी भाषा में दिया जाता है जिसे पीठासीन अधिकारी या अभियुक्त नहीं समझता है, तब वह साक्ष्य पीठासीन अधिकारी या अभियुक्त के लिए ऐसी भाषा में अनूदित किया जाएगा जिसे पीठासीन अधिकारी या अभियुक्त समझता है।

186.2 न्यायालय इस प्रयोजन के लिए या तो दुभाषिया नियुक्त करेगा या नियम 188.1 में विनिर्दिष्ट शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने के पश्चात् स्वयं दुभाषिए के रूप में कार्य करेगा।

186.3 जब दस्तावेजों यथारिति सबूत के प्रयोजन के लिए प्रस्तुत की जाएं तब यह पीठासीन अधिकारी के स्वविवेक पर निर्भर करेगा कि वह उसके उतने भाग का भाषांतरण करवा जितना उसे आवश्यक प्रतीत हो।

187. विचारण प्रारम्भ

187.1 जब पीठासीन अधिकारी, दुभाषिया यदि कोई है, और बल सदस्य, यदि कोई है, जो पर्यवेक्षक के रूप में हाजिर हों, सममत हो जाए तब अभियुक्त सुरक्षा न्यायालय के समक्ष लाया जाएगा और नियम 188 में विनिर्दिष्ट शपथ या प्रतिज्ञान, उसमें वर्णित व्यक्तियों, को, दिलाई जाएगी या कराया जाएगा।

188. पीठासीन अधिकारी या दुभाषिए का शपथ लेना या प्रतिज्ञान करना :

188.1 पीठासीन अधिकारी, अनुसूची 1 में दिए गए किसी, प्ररूप में या समान आशय के ऐसे अन्य प्ररूप में, जो पीठासीन अधिकारी के धर्म के अनुरूप या अन्यथा उसके अंतःकरण पर आवश्यक हों, शपथ लेना या प्रतिज्ञान करेगा।

188.2 पीठासीन अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई अन्य व्यक्ति दुभाषिए को (यदि कोई है) अनुसूची 8 में दिए गए किसी प्ररूप में या समान आशय के ऐसे अन्य प्ररूप में, जिसे पीठासीन अधिकारी उस व्यक्ति के, जिसे दुभाषिए के रूप में कार्य करना, धर्म के अनुरूप या अन्यथा उसके अंतःकरण पर आवश्यक अभिनिश्चित करे, शपथ दिलाएगा या प्रतिज्ञान कराएगा।

189. अनेक अभियुक्तों के विचारण के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

189.1 पीठासीन अधिकारी उसके सामने उपस्थित कितने ही अभियुक्तों के विचारण के लिए एक ही बार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा

चाहे उन व्यक्तियों का विचारण सामूहिक रूप में या पृथक् रूप में किया जाना हो,

189.2 विभिन्न अभियुक्त के पृथक्-पृथक् विचारण किए जाने की दशा में, पीठासीन अधिकारी शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने के पश्चात् किसी एक मामले की सुनवाई करेगा और अन्य मामलों को मुलतवी कर देगा और तत्पश्चात् क्रमानुसार अन्य मामलों की सुनवाई करेगा।

180.3 जहां एक ही संयवहार से उद्भूत होने वाले आरोपों पर विभिन्न अभियुक्तों का पृथक्-पृथक् विचारण किया जाता है, वहां पीठासीन अधिकारी, यदि वह न्याय के हित में वांछनीय समझता है तो, ऐसे अभियुक्तों में से किसी एक या अधिक के लिए अतिनिर्णित किए जाने वाले किसी दण्डादेश पर विचार तब तक के लिए मुलतवी कर सकेगा जब तक कि ऐसे सब अभियुक्तों के विचारण पूरे नहीं हो जाते।

190. अभियुक्त का दोषारोपण :

190.1 पीठासीन अधिकारी और दुभाषिए को, यदि कोई है, ऊपर वर्णित शपथ दिला दिए जाने या प्रतिज्ञान कर लिए जाने के पश्चात् अभियुक्त को, उसके विरुद्ध आरोपों से, दोषारोपित किया जाएगा।

190.2 वे आरोप, जिन पर अभियुक्त का दोषारोपण किया गया है, उसे पढ़कर सुनाए जाएंगे और यदि आवश्यक हुआ तो अभियुक्त के लिए अनुवाद किया जाएगा और उन्हें स्पष्ट किया जाएगा और उससे प्रत्यक्ष आरोप पर पृथक् रूप से अभिवचन करने की अपेक्षा की जाएगी।

191. अधिकारिता के बारे में अभिवाक :

191.1 यदि सुरक्षा न्यायालय की साधारण अधिकारिता के बारे में कोई अभिवाक का विचारण के वर्जन का कोई अभिवाक अभियुक्त द्वारा प्रस्थापित किया जाता है, तो सुरक्षा न्यायालय आगे कार्यवाही करने से पहले ऐसे अभिवाक का निपटारा करेगा।

192. आरोप का संशोधन :

192.1 विचारण के दौरान किसी समय या अभियुक्त द्वारा आक्षेप किए जाने पर यदि सुरक्षा न्यायालय का यह प्रतीत होता है कि आरोप में अभियुक्त के वर्णन में कोई भूल है तो वह उस भूल को सुधारने के लिए आरोप पत्र का संशोधन करेगा।

192.2 यदि विचारण के दौरान, किसी समय सुरक्षा न्यायालय को, उसके द्वारा साक्षी की परीक्षा प्रारम्भ की जाने से पूर्व, यह प्रतीत होता है कि किसी आरोप में कोई परिवर्तन, लोप या परिवर्तन करना न्याय के हित में अपेक्षित है तो वह ऐसे आरोप का संशोधन कर सकेगा और अभियुक्त को सम्यक् सूचना देने के पश्चात् और उस मुख्य सुरक्षा अयुक्ता को, जिसने विचारण के लिए न्यायालय संयोजित किया था, मंजूरी से ऐसे संशोधित आरोप पर आगे विचारण कर सकेगा।

193. स्थगन :

193.1 विचारण की कार्यवाही यथासंभव शीघ्रता से की जाएगी और विशिष्टतः जब साक्षियों की एक बार परीक्षा आरम्भ हो जाती है तो वह, सभी हाजिर साक्षियों की परीक्षा हो जाने तक, दिन प्रतिदिन जारी रखी जाएगी जब तक कि सुरक्षा न्यायालय को ऐसा प्रतीत न हो कि स्थगन न्याय के हित में आवश्यक है या ऐसी कार्यवाही जारी रखना असाध्य है।

193.2 यदि सुरक्षा न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान करने या विचारण के प्रारम्भ हो जाने के पश्चात् यह आवश्यक या उचित समझता है कि किसी जांच विचारण का प्रारम्भ मुलतवी कर दिया जाए या उसे

स्थिति कर दिया जाए तो वह समय-समय पर ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, ऐसे निबंधनों पर जो वह ठीक समझे और उल्टे समय के लिए, जितना वह व्यक्तिपुका समझे, उसे मुक्तवी या स्थगित कर सकेगा और अभियुक्त का, यदि वह अभिरक्षा में है तो, वारंट द्वारा प्रतिप्रेषित कर सकेगा।

परन्तु जब साक्षी हाजिर हो ता उसकी परीक्षा किए बिना स्थगन या मुक्तवी करने की मंजूरी विशेष कारणों से ही, जो लेखबश किए जाएंगे, दी जाएगी अन्यथा नहीं।

194. सुरक्षा न्यायालय द्वारा विचारण की प्रक्रिया:

194.1 जब अभियुक्त को सुरक्षा न्यायालय के समक्ष लाए जाने पर उस पर नियम 180 के अन्तर्गत पहले ही तामील किए गए आरोपपत्र की प्रतियाँ बतवाई जाएंगी और उससे पूछा जाएगा कि वह दोष होने का अभिवाक् करता है या प्रतिरक्षा में उसे कुछ कहना है।

194.2 यदि अभियुक्त अभियोग स्वीकार करता है और दोषी होने का अभिरक्षण करता है तो सुरक्षा न्यायालय अभियुक्त का अभिवचन यथासंभव उन्हीं शब्दों में लेखबश करेगा जिनमें वह किया गया है और स्वविवकानुसार अभियुक्त को दोषसिद्ध कर सकेगा और तदनुसार उसके बारे में दण्डादेश दे सकेगा।

परन्तु अभियुक्त को दोषसिद्ध करने से पहले सुरक्षा न्यायालय साक्ष्य के अभिलेख या सार को पढ़ेगा और उसे कार्यवाही के अभिलेख से संलग्न करेगा या यदि ऐसा कोई अभिलेख या सार नहीं है तो सुरक्षा न्यायालय पर्याप्त साक्ष्य लेगा और उसे अभिलिखित करेगा जिससे कि वह दण्डादेश अवधारित करने में समर्थ हो सके और उस प्राधिकारी को भी, जिसे अभियुक्त अर्पित करेगा, आराध से संबंधित सभी परिस्थितियों की जानकारी हो सके।

194.3 यदि अभियुक्त अभिवाक् करने से इंकार करता है या स्पष्ट रूप से अभिवचन नहीं करता है तो प्रत्येक अपराध के लिए दोषी न होने का अभिवाक् अभिलिखित किया जाएगा।

194.4 “दोषी होने” का अभिवाक् अभिलिखित किए जाने पर, यदि उसी आरोपपत्र में अन्य ऐसे आरोप हैं (हैं), जिनकी बाबत अभियुक्त “दोषी न होने” का अभिवाक् करता है, तो विचारण पहले “दोषी न होने” के अभिवाक् वाले आरोप का किया जाएगा। उस आरोप पर निष्कर्ष अभिलिखित करने के पश्चात् सुरक्षा न्यायालय उस आरोप (आरोपों) के बारे में कार्यवाही करेगा जिसकी बाबत “दोषी होने” का अभिवाक् दर्ज किया गया है।

194.5 किन्तु आरोप अनुकल्पी है तो सुरक्षा न्यायालय या तो सभी आरोपों के बारे में ऐसे कार्यवाही कर सकेगा मानों अभियुक्त ने किसी आरोप की बाबत “दोषी होने” का अभिवाक् नहीं किया है या उसका विचारण करने की बजाय, उन अनुकल्पा आरोपों में से किसी एक पर, जिसकी बाबत उसने “दोषी होने” का अभिवाक् किया है, “दोषी होने” के अभिवाक् का निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा और अन्य सभी अनुकल्पी आरोपों की बाबत, जो ऐसे आरोपों से पहले के हैं, “दोषी न होने” का निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा।

195. “दोषी न होने” के अभिवाक् का वापस दिया जाना:

195.1 यदि अभियुक्त विचारण के दौरान किसी भी समय ठीक समझता है तो वह “दोषी न होने” के अपने अभिवाक् को वापस ले सकेगा और “दोषी होने” का अभिवाक् कर सकेगा और ऐसीदशा में सुरक्षा न्यायालय “दोषी होने” का अभिवाक् और निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और जहां तक संभव हो, नियम 194 में उपबंधित रीत में कार्यवाही करेगा।

196. “दोषी न होने” के अभिवाक् पर प्रक्रिया:

196.1 किसी आरोप की बाबत “दोषी न होने” का अभिवाक् अभिलिखित करने के पश्चात् अभियोजन सक्षम लिया जाएगा।

196.2 उक्त प्रयोजन के लिए, सुरक्षा न्यायालय, साक्षियों की परीक्षा के लिए तारीख नियत करेगा और साक्षियों को नियत तारीख को हाजिर होने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने का निर्देश देने वाला समन जारी करेगा।

196.3 ऐसे नियत तारीख को सुरक्षा न्यायालय ऐसा सब साक्ष्य जो अभियोजन के समर्थन में पेश किए जाएं, लेने के लिए अप्रसर होगा। साक्ष्य अभिलिखित करने में सुरक्षा न्यायालय, साक्ष्य की प्रत्युता और सुसंगतता की बाबत भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के जैसे कि वह इन नियमों के प्रयोजनों के लिए नियम 185.1 द्वारा ला लिए गए हैं, कठोरता से पालन करेगा।

196.4 प्रत्येक साक्षी की प्रत्युता: अभियोजन पक्ष की ओर से मुख्य परीक्षा की जाएगी, तत्पश्चात् अभियुक्त द्वारा प्रतिपरीक्षा की जाएगी और तत्पश्चात् उन बातों के, जो प्रतिपरीक्षा के दौरान उद्भूत हुए हों स्पष्टीकरण के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा पुनः परीक्षा की जाएगी। किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा सुरक्षा न्यायालय के विवेकानुसार तब तक के लिए आस्थगित की जा सकेगी जब तक कि किसी अन्य साक्षी या साक्षियों की परीक्षा नहीं कर ली जाती। सुरक्षा न्यायालय किसी साक्षी को प्रतिपरीक्षा के लिए भी पुनः बुला सकता है।

196.5 अभियोजन की ओर से साक्ष्य की समाप्ति पर अभियुक्त से यह पूछा जाएगा कि क्या उसे अपनी प्रतिरक्षा में कुछ कहना है। अभियुक्त द्वारा अपनी प्रतिरक्षा आरंभ की जाने के पश्चात् सुरक्षा न्यायालय उसके आवेदन करने पर परीक्षा या प्रतिपरीक्षा के, या किसी दस्तावेज या अन्य चीज के पेश किए जाने के प्रयोजन के लिए हाजिर होने के लिए किसी साक्षी को विवश करने वाली कोई आदेशिका जारी कर सकेगा जब तक कि सुरक्षा न्यायालय का ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किए जाएंगे, यह विचार न हो कि ऐसा आवेदन नामंजूर कर दिया जाना चाहिए। किन्तु सुरक्षा न्यायालय प्रतिपरीक्षा के प्रयोजन हाजिर होने के लिए किसी साक्षी को विवश करने वाली आदेशिका तब जारी नहीं कर सकेगा जब उसे ऐसा आभास होता है कि अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा आरंभ करने से पूर्व किसी साक्षी की पहले ही प्रतिपरीक्षा कर चुका है या उसे ऐसे साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने का अवसर मिल चुका है।

197. प्रतिरक्षा के उत्तर में साक्षी:

197.1 सुरक्षा न्यायालय, यदि वह न्याय के हित में आवश्यक समझता है तो, प्रतिरक्षा के उत्तर में साक्षी को पुनः बुला सकेगा।

198. भिन्न-भिन्न आरोप पत्रों में आरोप:

198.1 जब सुरक्षा न्यायालय द्वारा किसी विचारण में आरोप भिन्न-भिन्न आरोपपत्रों में दिए गए हों तब अभियुक्त का, निष्कर्ष निका ने के प्रक्रम सहित निष्कर्ष निकालने के प्रक्रम तक प्रत्येक आरोप-पत्र पृथक् रूप से विचारण किया जाएगा।

199. न्यायालय खाली करवाना:

199.1 विचारण करने वाली पीठासीन अधिकारी राज्य पर विचार करने और विचारण के संबंध में किसी अन्य प्रयोजन के लिए सुरक्षा न्यायालय खाली कर सकेगा।

199.2 उपनियम (1) के उपबंधों के अन्तर्गत रहते हुए, सुरक्षा न्यायालय की सभी अन्य कार्यवाहियां, जिनके वतर्गत किसी स्थान का निरीक्षण है, खुले न्यायालय में और अभियुक्त की उपस्थिति में की जाएगी।

200. अधिमत :

अभियोजन और प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से साक्ष्य सुनने के पश्चात् सुरक्षा न्यायालय अपनी यह राय देगा कि अभियुक्त किसी आरोप या आरोपों का दोषी है या नहीं।

201. निष्कर्ष :

201.1 ऐसे प्रत्येक आरोप पर, जिस पर अभियुक्त को दोषारोपित किया गया है, निष्कर्ष अभिलिखित किया जाएगा और इन नियमों में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, ऐसा निष्कर्ष "दोषी होने" या "दोषी न होने" का अभिलिखित किया जाएगा।

201.2 जब किसी आरोप की बाबत सुरक्षा न्यायालय की यह राय है कि साबित किए गए तथ्यों से आरोपित अपराध या ऐसा कोई अपराध प्रकट नहीं होता है जिसका वह यथा अधिकथित आरोप के लिए अधिनियम के अधीन वैध रूप से दोषी ठहराया जा सके, तब सुरक्षा न्यायालय का अभियुक्त के बारे में निष्कर्ष उस आरोप का "दोषी न होने" का होगा।

201.3 सुरक्षा न्यायालय अभियुक्त को अनुकूलतः अधिकथित दो या अधिक आरोपों में से एक से अधिक का दोषी नहीं ठहराएगा भले ही एक आरोप पर दोषसिद्धि से आवश्यक रूप में अनुकूल आरोप या आरोपों के भी दोषी होने का संकेत मिलता हो।

202. दोषमुक्त किए जाने पर प्रक्रिया :

202.1 जब आरोपपत्र के आरोपों में से प्रत्येक की बाबत "दोषी न होने" का निष्कर्ष है तब सुरक्षा न्यायालय कार्यवाही पर तारीख डालेगा और हस्ताक्षर करेगा और निष्कर्ष खुले न्यायालय में अध्यापित किए जाएंगे और अभियुक्त को, यदि वह उन आरोपों की बाबत बल-अभिरक्षा में है तो, छोड़ दिया जाएगा।

203. दण्डादेश :

203.1 सुरक्षा न्यायालय उन सब अपराधों की बाबत, जो एक ही संव्यवहार में किए गए हैं और जिनके लिए अभियुक्त को दोषी ठहराया जाता है, एक दण्डादेश अधिनिर्णीत करेगा :

परंतु सुरक्षा न्यायालय, दण्डादेश अधिनिर्णीत करते समय, अभियुक्त के साधारण शील, आयु, सेवा, रैंक और मान्यताप्राप्त वीरता के कार्यों पर या उसके विशिष्ट आचरण पर और सुरक्षा न्यायालय या दण्ड न्यायालय द्वारा उसकी पूर्व दोष सिद्धियों पर, विभागीय कार्यवाही के पश्चात् उसके बारे में अधिनिर्णीत किसी पूर्व दण्ड पर, उस अवधि पर जिसमें वह किसी पूर्व दण्ड के लिए बिरास्तर या परिशुद्ध रहा है, और किसी ऐसे अलंकरण या इनाम पर, जो उसके कर्जों में है या जिसका वह हकदार है, विचार करेगा :

परंतु यह और कि जहाँ सुरक्षा न्यायालय अभियुक्त का नियुक्ति प्राधिकारी भी है वहाँ वह नियम 162 के उपनियम (2) और नियम 207 के साथ पठित धारा 9 के अधीन उपयुक्त आदेश भी पारित कर सकेगा। अन्य मामलों में सुरक्षा न्यायालय उस धारा के अधीन उपयुक्त कार्यवाही की जाने के लिए, कार्यवाही अभिलेख नियुक्ति प्राधिकारी को भेजी जाने का आदेश करेगा।

204. कार्यवाही का अधिप्रमाणन :

204.1 पीठासीन अधिकारी निष्कर्ष पर हस्ताक्षर करेगा और तारीख डालेगा तथा ऐसे हस्ताक्षर होने पर यह समझा जाएगा कि सम्पूर्ण कार्यवाही अधिप्रमाणित कर दी गई है।

205. दण्डादेश का प्रकाशन :

205.1 सुरक्षा न्यायालय का दण्डादेश, सुनाए जाने के पश्चात् औपचारिक अवसर पर वह बल की प्रचलित रीति से प्रकाशित किया जाएगा और अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, वह प्रकाशन के पश्चात् अखिल भारत में प्रकाशित किया जाएगा।

206. सुरक्षा न्यायालय की कार्यवाहियों का पारेषण :

206.1 प्रत्येक सुरक्षा न्यायालय की कार्यवाही, जिसके अंतर्गत जांच न्यायालय की नियम 265 में निर्दिष्ट रिपोर्ट भी है, उस मुख्य सुरक्षा आयुक्त को, जिसके समक्ष के भीतर विचारण किया गया था उसकी सूचना के लिए, प्रेषित की जाएगी।

206.2 तत्पश्चात् कार्यवाही अभिरक्षा के लिए उसकी कार्यसामर्थ्यता की अभियोजन शाखा को भेज दी जाएगी।

207. दण्डादेश का निष्पादन :

207.1 नियम 162.2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन कारावास से दण्डादेश प्रत्येक व्यक्ति को बल से पदच्युत किया जा सकेगा और उसे प्राप्त पदक तथा अलंकरण भी सम्पन्न किए जा सकेंगे।

207.2 प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, यदि उसे इस प्रकार पदच्युत किया जाता है तो, सिविल कारागार में कारावसित किया जाएगा किन्तु यदि वह बल से ऐसे पदच्युत नहीं किया जाता है तो वह क्वार्टर गार्ड में या ऐसे अन्य स्थानों में, जो मुख्य सुरक्षा आयुक्त उचित समझे, परिशुद्ध किया जा सकेगा।

208. वारंट :

208.1 (क) कारावास भुगतने के लिए सिविल कारागार को किसी व्यक्ति की सुपुर्ग की लिए ;

(ख) बन्दी के निरोध को चालू रखने के लिए या अर्जी देने वाले प्राधिकारी द्वारा दण्डादेश के लघुकरण पर बल-अभिरक्षा में उसे वापस भेजने के लिए ;

(ग) बन्दी के उन्मोचन के लिए, जब उसे माफ कर दिया गया हो या उसका विचारण अग्रस्त कर दिया गया हो या दण्डादेश के अन्वसित भाग या परिहार कर दिया गया हो,

वारंट, यथास्थिति, प्ररूप "क", प्ररूप "ख" या प्ररूप "ग" में होगा जो अनुसूची 10 में विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

208.2 ऐसे वारंट पर पीठासीन अधिकारी या संबंधित मुख्य सुरक्षा आयुक्त हस्ताक्षर करेगा।

209. पदच्युति का दण्डादेश :

209.1 पदच्युति का दण्डादेश ऐसे दण्डादेश की प्रकाशना की तारीख से या ऐसी किसी पश्चात्पूर्व तारीख से, जो प्रकाशना के समय नियुक्ति प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करे, प्रभावी होगी।

210. अर्जी :

210.1 सुरक्षा न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध प्रत्येक व्यक्ति का दण्डादेश के विरुद्ध मुख्य सुरक्षा आयुक्त को एक अर्जी दाखिल करने की अनुज्ञा दी जाएगी।

210.2 ऐसी अर्जी दण्डादेश के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन (जिसमें प्रति प्राप्त करने में लगा समय सम्मिलित नहीं है) के भीतर की जाएगी :

परंतु मुख्य सुरक्षा आयुक्त उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी कोई अर्जी ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अर्जी समय से दाखिल न करने के लिए अर्जीदार के पास पर्याप्त हेतु था।

210.3 मुख्य सुरक्षा आयुक्त ऐसी अर्जी का निराकरण करते समय कार्यवाहियों की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में और सुरक्षा न्यायालय द्वारा अधिनियमित दण्डादेश के बारे में विचार करेगा और उपयुक्त आदेश पारित करेगा जिनके अंतर्गत किसी अन्य सुरक्षा न्यायालय द्वारा नया विचारण भी है।

210.4 मुख्य सुरक्षा आयुक्त किसी सुरक्षा न्यायालय की कार्यवाहियों को किसी भी प्रक्रम पर इस आधार पर वातिल कर सकेगा कि वे अधिनियम या नियमों के उपबंधों के अनुसार नहीं की जा रही हैं या यह कि उनसे न्याय की हत्या होने की संभावना है और ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

अध्याय 13

अपील और पुनरीक्षण

211. निलम्बन-आदेश के विरुद्ध अपीलें:

211.1 अभ्यादेशित बल-सदस्य किसी प्राधिकारी के निलम्बन आदेश के विरुद्ध अपील ऐसे प्राधिकारी को कर सकेगा जिसके संबंधे अधीनस्थ वह प्राधिकारी है जिसने ऐसा निलम्बन आदेश दिया था या जिसके बारे में यह समझा जाता है कि उसने ऐसा आदेश दिया है।

212. दण्ड अधिरोपित करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील:

212.1 कोई अभ्यादेशित सदस्य, उस पर नियम 149 और 149 में विनिर्दिष्ट कोई दण्ड अधिरोपित करने वाले किसी आदेश के विरुद्ध अपील उस प्राधिकारी को कर सकेगा जिसका शास्ति अधिरोपित करने वाला प्राधिकारी ठीक वरिष्ठ प्राधिकारी है:

परंतु सुरक्षा न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध या किसी ऐसे रंगरूट प्रशिक्षणार्थी, की, जो औपचारिक तौर पर बल-सदस्य के रूप में अभ्यवेष्टित नहीं किया गया है, सेवोन्मुक्ति के किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी।

परंतु यह और कि मुख्य सुरक्षा आयुक्त या उप महानिरीक्षक, रेल संरक्षण विशेष बल के आदेश के विरुद्ध अपील महानिदेशक को और महानिदेशक के आदेश के विरुद्ध अपील केन्द्रीय सरकार को होगी।

212.3 कोई द्वितीय अपील नहीं होगी। किंतु जब अपील प्राधिकारी अपील किए गए किसी दण्ड से उच्चतर दण्ड अधिरोपित करता है तो अपील प्राधिकारी के ठीक वरिष्ठ प्राधिकारी को अपील तभी की जा सकेगी जब अपील प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित दण्ड उते दण्ड से उच्चतर हो जो मूल दण्ड अधिरोपित करने वाला प्राधिकारी अधिरोपित करने के लिए सक्षम था।

213. अपील का रूप और उसकी विषय वस्तु:

213.1 अपील करने वाला, प्रत्येक अभ्यादेशित बल-सदस्य अपील पृथक रूप में और अपने नाम से करेगा। किसी विधि व्यवसायी या प्रतिरक्षा काउन्सेल या "मित" की मार्फत भेजी गई या उसके द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कोई अपील ग्रहण नहीं की जाएगी और वह अपीलार्थी को इस निदेश के साथ वापस कर दी जाएगी कि वह अपने हस्ताक्षर करके अपील संबंधे प्रस्तुत करे।

213.2 अपील उस प्राधिकारी को सम्बोधित की जाएगी जिसको अपील होती है। अपील में वे सभी तात्त्विक कथन और तर्क होंगे जिन पर अपीलार्थी निर्भर करता है, उसमें अनादरपूर्ण या अनुचित भाषा या असुसंगत अधिकथन नहीं होंगे और वह स्वयं में पूर्ण होगी।

214. अपीलों का प्रस्तुत किया जाना:

214.1 प्रत्येक अपील, चाहे अपीलार्थी तत्समय बल में हो या न हो, उस प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी जिसने वह आदेश दिया है जिसके विरुद्ध अपील की गई है:

परंतु यदि ऐसा प्राधिकारी उस कार्यालय का प्रधान, जिसके अधीन अपीलार्थी सेवा कर रहा हो या यदि वह सेवा में नहीं है तो ऐसे कार्यालय का प्रधान जिसके अधीन वह अंतिम बार सेवा कर रहा था, नहीं है या ऐसे कार्यालय के प्रधान का अधीनस्थ प्राधिकारी नहीं है, तो अपील उस कार्यालय के प्रधान को प्रस्तुत की जाएगी जो उसे उक्त प्राधिकारी को भेज देगा।

215. अपील विधायित करना:

215.1 वह प्राधिकारी, जिसने वह आदेश दिया है जिसके विरुद्ध अपील की गई है, अपील को विधायित कर सकता है, यदि,—

(क) वह किसी ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील है जिससे कोई अपील नहीं होती है; या

(ख) वह नियम 213 के किसी उपबंध का अनुपालन नहीं करती है; या

(ग) वह अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत नहीं की गई है और विलम्ब के लिए कोई कारण नहीं बताया जाता है; या

(घ) यह कोई द्वितीय अपील है जब कि मूल अपील सन्न प्राधिकारी ने पहले ही विनिश्चित कर दी है:

परंतु इस आधार पर विधायित कोई अपील कि वह नियम 213 के उपबंधों का अनुपालन नहीं करती है, अपीलार्थी को वापस कर दी जाएगी और यदि वह ऐसी वापसी के तीस दिन के भीतर उक्त उपबंधों का अनुपालन करने के पश्चात् पुनः प्रस्तुत की जाती है तो वह विधायित नहीं की जाएगी।

215.2 जहाँ कोई अपील विधायित की जाती है, वहाँ अपीलार्थी को उसके तथ्य और संक्षिप्त कारण तीस दिन के भीतर सूचित किए जाएंगे। तत्पश्चात् अपीलार्थी अपील विधायित करने के आदेश की संसूचना की तारीख के तीस दिन के भीतर संबंधित अपील प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

215.3 विधायित करने वाला प्राधिकारी विधायित की गई सब अपीलों के बारे में एक तिमाही विवरण, प्रत्येक अपील की वास्तव संक्षिप्त कारणों सहित, अपने वरिष्ठ प्राधिकारी को भेजेगा।

216. अपीलों का पारेषण:

216.1 वह प्राधिकारी, जिसने वह आदेश दिया है जिसके विरुद्ध अपील की गई है, कोई परिहार्य विलम्ब के बिना, ऐसी प्रत्येक अपील जो नियम 215 के अधीन विधायित नहीं की जाती है, निम्नलिखित विधिनिष्ठों और अभिलेख सहित अपील प्राधिकारी को भेज देगा :—

(क) मामले का संक्षिप्त इतिवृत्त,

(ख) अपील पर पैरावार टिप्पणियाँ,

(ग) अनुशासनिक मामलों की मूल फाइल, संबंधित कागज-पत्रों सहित,

(घ) सेवा पुस्तक, और

(ङ) गोपनीय रिपोर्ट फोर्डर, यदि कोई है।

216.2 वह प्राधिकारी, जिसे अपील की जा सकती है, नियम 215 के अधीन विधायित कोई अपील, उसे भेजने का निदेश दे सकता है और तदुपरि अपील विधायित करने वाले प्राधिकारी की टिप्पणी और सुसंगत अभिलेख सहित ऐसी अपील उस प्राधिकारी को भेज दी जाएगी।

217. अपील पर विचार:

217.1 अपील पर विचार करते समय अपील प्राधिकारी, अनुरोध किए जाने पर व्यक्ति अभ्यावेष्टित बल सदस्य को यदि वह प्रशासन और न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक समझता है तो, व्यक्तिगत सुनवाई की अनुज्ञा दे सकेगा।

217.2 निलम्बन के किसी आदेश के विरुद्ध अपील की दशा में, अपील प्राधिकारी यह विचार करेगा कि नियम 134 और नियम 135 के उपबन्धों और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निलम्बन का आदेश न्यायोचित है या नहीं और तदनुसार आदेश की पुष्टि या उसका प्रतिसंहरण करेगा।

217.3 नियम 148 या नियम 149 में विनिर्दिष्ट दण्डों में से कोई दण्ड अधिरोपित करने वाले या उक्त नियमों के अधीन अधिरोपित शक्ति में वृद्धि करने वाले किसी आदेश के विरुद्ध अपील की दशा में, अपील प्राधिकारी विचार करेगा, कि—

- (क) क्या इन नियमों में विहित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है और यदि नहीं तो क्या; ऐसे अनुपालन के परिणामस्वरूप किन्हीं सांविधानिक उपबंधों का उल्लंघन हुआ है या न्याय की हत्या हुई है
- (ख) क्या निष्कर्षों के लिए समुचित आधार हैं और वे अभिलेख साक्ष्य पर आधारित हैं; और
- (ग) क्या अधिरोपित दण्ड या अधिरोपित वर्धित दण्ड पर्याप्त या अपर्याप्त या कठोर है;

और वह आध्यापक आदेश द्वारा—

- (1) दण्ड को अपास्त पुष्ट कम या वर्धित करेगा; या
- (2) मामला उस प्राधिकारी को जिसने दण्ड अधिरोपित या वर्धित किया है अथवा किसी अन्य प्राधिकारी को ऐसे निदेश के साथ जो मामले की परिस्थितियों में वह उचित समझे भेज देगा;

परन्तु—

- (1) वर्धित दण्ड अधिरोपित करने वाला कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जायगा जब तक कि अपीलार्थी को कोई ऐसा अभ्यावेदन जो ऐसे वर्धित दण्ड के विरुद्ध करना चाहता है करने का अवसर न दे दिया गया हो; और
- (2) यदि वर्धित दण्ड जिसे अपील प्राधिकारी अधिरोपित करने की प्रस्थापना करता है नियम 148.2 के खंड (क) से (घ) तक में विनिर्दिष्ट दण्डों में से कोई दण्ड है और मामले में नियम 153 के अधीन कोई जांच की गई है तो अपील प्राधिकारी, नियम 153 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, स्वयं ऐसी जांच करेगा या वह निदेश देगा कि ऐसी जांच की जाए और उसके पश्चात् वह ऐसी जांच की कार्यवाही पर विचार करके ऐसा आदेश करेगा जो वह ठीक समझे।

218. अपील में दिए गए आदेशों का कार्यान्वयन:

218.1 वह प्राधिकारी जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की जाती है, अपील प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेशों को प्रभावी करेगा।

219. पुनरीक्षण :

219.1 ऐसा कोई अभ्यावेक्षित बल-सदस्य जिसको अपील सक्षम प्राधिकारी ने नामंजूर कर दी है पुनरीक्षण के लिए आवेदन अगले वरिष्ठ प्राधिकारी की कर सकेगा। पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकेगा जब (क) किसी तात्त्विक अनियमितताओं के परिणामस्वरूप अन्याय हुआ हो या न्याय की हत्या हुई हो या (ख) ऐसा नया साक्ष्य प्रकट किया गया है जो आक्षेपित आदेश पारित किए जाने के लिए समय पेश नहीं किया जा सका या उपलब्ध नहीं था।

219.2 अपीलों पर विचार करने के लिए नियम 217 के अधीन विहित प्रक्रिया जहां तक संभव है पुनरीक्षण अर्जियों को लागू होगी।

219.3 वरिष्ठ प्राधिकारी पुनरीक्षण आवेदन पर आदेश पारित करते समय स्वविवेकानुसार दण्ड में वृद्धि कर सकेगा :

परन्तु दण्ड में वृद्धि करने से पूर्व, व्यक्ति सदस्य को यह हेतुक दर्शित करने के लिए अवसर दिया जाएगा कि उसके दण्ड में वृद्धि क्यों न की जाए :

परन्तु यह और कि नियम 212 के उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, दण्ड में वृद्धि करने वाले किसी आदेश को, अपील के प्रयोजन के लिए, मूल आदेश उस दशा में में विनाश माना जाएगा जब ऐसा कोई आदेश केन्द्रीय सरकार ने पारित किया हो और उस दशा में आगे अपील नहीं होगी। जहां ऐसा आदेश मुख्य सुरक्षा आयुक्त ने पारित किया है वहां अपील महानिदेशक को होगी और यदि ऐसा आदेश महानिदेशक ने पारित किया है तो अगले केन्द्रीय सरकार को होगी।

219.4 कोई प्राधिकारी जो मूल आदेश करने वाले प्राधिकारी से वरिष्ठ है स्वरेखा से या अगला तिता तिता के अतिरिक्त को मंगा सकेगा और इन नियमों के अधीन किए गए निम्न आदेश का पुनरोचित कर सकेगा, और

(क) उस आदेश को उपात्तरित या अपास्त कर सकेगा; या

(ख) उस आदेश द्वारा प्रविष्टित दण्ड को पुष्ट वर्धित कम कर सकेगा या उसे अपास्त कर सकेगा या जहां कोई दण्ड अधिरोपित न किया गया हो वहां दण्ड अधिरोपित कर सकेगा; या

(ग) आदेश करने वाले प्राधिकारी को या किसी अन्य प्राधिकारी की ऐसी और जांच करने के लिए, जो वह मामले को परिस्थितियों में उचित समझे, निदेश देते हुए ऐसे प्राधिकारी को मामला प्रेषित कर सकेगा; या

(घ) ऐसे अन्य आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे :

परन्तु इस उपनियम के अधीन कोई भी कार्यवाही उपर्युक्त आदेश की तारीख से एक वर्ष समाप्त होने के पश्चात् आरंभ नहीं की जायगी :

परन्तु यह और कि पुनरीक्षण के लिए कोई भी कार्यवाही—

(1) अपील करने के लिए धारा 9 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात्; या

(2) जहां कोई अपील की गई है वहां अपील के निराकरण के पश्चात्,

ही आरंभ की जाएगी, अन्य नहीं :

परन्तु यह और कि ऐसे किसी मामले में, जहां दण्ड में और वृद्धि करने की प्रस्तावना है, व्यक्ति सदस्य को या ती मौखिक रूप से या लिखित में यह हेतुक दर्शित करने के लिए कि उसके दण्ड में वृद्धि क्यों न की जाए, अवसर दिया जायगा।

220. अपील या पुनरीक्षण के निराकरण के लिए समय सीमा :

220.1 किसी अभ्यावेक्षित बल सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक अपील या पुनरीक्षण आवेदन, जहां तक संभव हो उस प्राधिकारी द्वारा, जो उसका विनिश्चय करने के लिए सक्षम है उसकी प्राप्त की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर निराया जाएगा।

अध्याय 14

अन्वेषण और अभियोजन

221. साधारण :

221.1 प्रत्येक चौकी कमाण्डर, रेलों पर हुई सभी विशेष घटनाओं और रेल सम्पत्ति के विरुद्ध सभी अपराधों को रिपोर्ट ऐसे अभिलेखों में और रजिस्ट्रियों में और ऐसी रीति से प्रविष्ट करेगा या प्रविष्ट करायगा जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट है या निदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

221.2 चौकी कमाण्डर—

- (क) प्रत्येक ऐसी रिपोर्ट का लिखित सारांश उच्चतर प्राधिकारियों को ऐसे प्ररूप में भेजेगा जो निदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;
- (ख) रेल संपत्ति के विरुद्ध अपराध की दशा में मामले का पता लगाने, चुराई गई रेल संपत्ति को बरामद करने, अपराधियों को गिरफ्तार करने और उन्हें किसी न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए पेश करने के लिए कोई विलम्ब किए बिना सभी संभव प्रयास करेगा या कराएगा;
- (ग) मामले की जांच में दिन प्रति दिन हुई प्रगति को अभिलेखों में दर्ज करेगा जैसा इन नियमों या निदेशों में विनिर्दिष्ट है और अनुवर्ती रिपोर्ट दिन की समाप्ति पर परिहार्य विलम्ब के बिना उस वरिष्ठ अधिकारी को प्रस्तुत करेगा जो निदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

221.1 जहां चौकी कमाण्डर, रेल संपत्ति के विरुद्ध किसी अपराध की बाबत कार्रवाई करने के लिए सशक्त नहीं है वहां वह अधिकारिता रखने वाले पुलिस थाने में रिपोर्ट दायर करेगा।

221.4 अपराध का रद्द किया जाना :—यदि रेल संपत्ति के विरुद्ध किसी अपराध के मामले के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् जांच के परिणाम-स्वरूप यह पाया जाता है कि ऐसा कोई अपराध वास्तव में नहीं हुआ है तो चौकी कमाण्डर मंडल सुरक्षा आयुक्त से आदेश प्राप्त करने के पश्चात् मामले को अपने अभिलेखों में से रद्द कर देगा और उन पुलिस थाने को इतिहास देगा जहां ऐसा मामला रजिस्टर किया गया हो। विशेष रिपोर्ट वाले मामलों में ऐसे मामलों को रद्द करने के लिए मुख्य सुरक्षा आयुक्त की मंजूरी अपेक्षित होगी।

222. अपराध का रजिस्ट्रीकरण:

222.1 रेल संपत्ति को प्रभावित करने वाले अपराध के सभी मामले यथास्थिति “स्थानीकृत अपराध रजिस्टर” में या “अस्थानीकृत अपराध रजिस्टर” में सम चौकी में दर्ज किए जाएंगे जहां अपराध का सर्वप्रथम पता चलता है। “स्थानीकृत” अपराध वे अपराध हैं जहां रेल संपत्ति, अर्थात् बुक किए गए परेषण और रेल सामग्री की चोरी या भूषण या दुर्विनियोग आदि के वास्तविक स्थान की जानकारी होती है या वह स्थान घटनास्थल के निरीक्षण से ही ही प्रथमदृष्टया प्रकट होता है कि अपराध संबंधित चौकी की अधिकारिता के भीतर किया गया है जबकि “अस्थानीकृत” अपराध वे अपराध हैं जहां अपराध के वास्तविक स्थान की जानकारी तुरंत नहीं की जा सकती या वह स्थान इस प्रकार अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता।

222.2 दोनों रजिस्ट्रों में अपराध कालानुक्रम में प्रविष्ट और क्रमानुसार संख्यांकित किए जाएंगे।

222.3 यदि जांच करने के पश्चात् “अस्थानीकृत” अपराध के बारे में यह प्रतीत होता है कि वह चौकी की अधिकारिता के भीतर किया गया है तो वह उस दिन जिसको स्थानीकरण होता है, चौकी के “स्थानीकृत अपराध रजिस्टर” में अंतरित किया जाएगा और उसे अगला क्रम संख्यांक दिया जाएगा। वह “अस्थानीकृत अपराध रजिस्टर” में रद्द कर दिया जाएगा।

222.4 प्रत्येक मास के अंत में, एक संक्षिप्त विवरण “अस्थानीकृत अपराध रजिस्टर” में तैयार किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित को अंतरित मामलों की संख्या उपदर्शित की जाएगी :—

- (क) स्थानीकृत अपराध रजिस्टर
- (ख) उसी मंडल की अन्य चौकी
- (ग) अन्य मंडल
- (घ) अन्य आंचलिक रेल, और
- (ङ) स्थानीकरण के लिए लम्बित जांच।

222.5 “स्थानीकृत अपराध रजिस्टर” के लिए दो संक्षिप्त विवरण तैयार किए जाएंगे जिनमें से एक हेतुक बार होगा और दूसरा वस्तु बार होगा। हेतुक बार संक्षिप्त विवरण के निम्नलिखित उपशीर्ष होंगे :—

- (क) चलती गाड़ी में चोरियां;
- (ख) याई में चोरियां;
- (ग) माल शेड, पार्सेल गोदाम और प्लेटफार्म से चोरियां;
- (घ) भूषण;
- (ङ) चल स्टॉक से फिटिंग की चोरियां;
- (च) रेल सामग्री जिनके अंतर्गत कोयला है, को (वन स्टॉक से फिटिंग की चोरियों को छोड़कर) चोरियां;
- (छ) प्रकीर्ण;

प्रत्येक संक्षिप्त विवरण का ऐसा और उपवर्गीकरण किया जा सकेगा जो निदेशों द्वारा विहित किया जाए।

222.6 उन वस्तुओं की सूची जिनके लिए संक्षिप्त विवरण तैयार किया जा सकेगा उस आंचलिक रेल में सामान्यतः प्रभावित वस्तुओं की दृष्टि में रखते हुए संबंधित मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा विहित की जाएगी।

223. रेल संपत्ति का अभिग्रहण और बरामद किया जाना:

223.1 रेल संपत्ति के सभी अभिग्रहण या बरामदी मालखाना रजिस्टर में प्रविष्ट की जाएंगी और इन आगव की प्रविष्टि उसके निम्नलिखित रूप में वर्गीकरण के पश्चात् संबंधित अपराध रजिस्टर में की जाएगी :—

- (क) ऐसे मामलों के संबंध में जिनमें चोरी या कमी जापन जारी किया गया है या प्राप्त हुआ है; और
- (ख) जहां ऐसा कोई जापन जारी नहीं किया गया है या प्राप्त नहीं हुआ है;

प्रथम वर्ग के बारे में जब कभी कोई संपत्ति बरामद की जाती है या अपराधियों को अभिरक्षा में लिया जाता है तब सुसंगत प्रविष्टियां “स्थानीकृत अपराध रजिस्टर” में पहले से ही रजिस्ट्रीकृत विनिष्ट अपराध के सामने की जाएंगी। ऐसे अभिग्रहण को रेल संपत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम रजिस्टर में अलग से दर्ज नहीं किया जाएगा यद्यपि ऐसे अभिग्रहणों को रेल संपत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1966 के अर्थात् की गई कार्रवाई की बाबत आदेशों के संकलन के लिए सदैव हिसाब में लिया जाएगा।

223.2 अन्य सभी मामलों में जहां अभिग्रहीत संपत्ति को उस रेल संपत्ति से जिसके लिए चोरी या कमी जापन जारी किया गया है या प्राप्त हुआ है संबद्ध नहीं किया जा सकता है वहां वह संपत्ति इस प्रयोजन के लिए रखे गए रेल संपत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम रजिस्टर में प्रविष्ट की जाएगी और उसके संबंध में आगे कार्रवाई की जाएगी।

223.3 उन मामलों में जहां बरामद की गई संपत्ति भागतः चोरी या कमी से संबद्ध है और भागतः अन्यथा उस का में अभिग्रहण की गई है मानो वह विधिविरुद्ध अभिरक्षा की गई हो, वहां संपत्ति की ऐसी प्राप्ति, रजिस्टरकरण के लिए दो भागों में बांटी जाएगी। किन्तु यदि अपराधी एक ही व्यक्ति है तो उसका नाम उस रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा जिसमें बरामद या अभिग्रहीत संपत्ति की प्रपञ्च माफ़ा को दर्जित किया गया है और उस संबंध में रेल संपत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम रजिस्टर में उसका अन्योन्य निर्देश किया जाएगा।

223.4 पुलिस द्वारा बरामद की गई किसी रेल संपत्ति को विवरण के प्रयोजनों के लिए अपराधी (अपराधियों) की विनिष्टियों के साथ चौकी के अभिलेख में भी दर्जित किया जाएगा।

224. कमी के संबंध में कार्रवाई करने के लिए प्रक्रिया :

224.1 पुनः मुहरबंद बैगन से कमी :—

(क) पुनः मुहरबंद बैगनों से हुई उन सभी कमियों को, जिनका उतराई या पुनः पैक करने या यानान्तरण के समय या गंतव्य स्टेशन पर पता चलता है चौकी के "स्थानीकृत अपराध रजिस्टर" में प्रविष्ट किया जाएगा जब तक उससे यह प्रतीत नहीं होता है कि वह उस चौकी की अधिकारिता के भीतर हुई है तब तक उसे "स्थानीकृत अपराध रजिस्टर" में प्रविष्ट किया जाए;

(ख) प्रारंभिक जांच के पश्चात् मामला नियम 236 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार उस चौकी को, जिसकी अधिकारिता में अपराध के होने का संदेह है या यदि बैगन रास्ते में एक से अधिक स्टेशनों पर पुनः मुहरबंद किया गया था तो अन्तिम बार पुनः मुहरबंद करने वाले स्टेशन को, अन्तरित किया जा सकेगा।

224.2 अविकल मुद्रा वाले बैगन से कमी :—

(क) पूरे पैकेज की कमी :—पूरे पैकेज की कमी के सभी मामले पृथक रजिस्टर में प्रविष्ट किए जाएंगे औ रिपोर्ट, लदाई स्टेशन को भेजी जाएगी। तत्पश्चात् यदि परेषण प्राप्त होता है तो रजिस्टर में उस आशय की टिप्पणी की जाएगी और मामला रद्द कर दिया जाएगा। यदि परेषण तीन दिन के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो संबंधित चौकी जिसे मामला अंतरित किया गया है, उस मामले को पृथक रजिस्टर में रजिस्टर करेगी और तदनुसार जांच करेगी। यह प्रक्रिया गथा-वश्यक परिवर्तन सहित ऐसे बाहनों बैगनों को लागू होगी जिनकी यानान्तरण स्थलों पर लदाई की जाती है।

(ख) भागत: कमी:—अविकल मुद्रा वाले बैगनों से भारत: कमी के वे सभी मामले जिनमें आपराधिक हस्तक्षेप होने का संदेह है, उतराई स्थल पर "स्थानीकृत अपराध रजिस्टर" में रजिस्टर किए जाएंगे और संबंधित चौकी को, जिसमें उतराई स्टेशन पड़ता है, अंतरित किए जाएंगे जो उन्हें आगे कार्रवाई के लिए "स्थानीकृत अपराध रजिस्टर" में लिख लेगा।

224.3 खुले बैगनों या बाड़ी पेटल कट या द्वार विदर्शकों से कमी:—खुले बैगनों या बाड़ी पेटल कट या द्वार विदर्शकों आदि से कमी के मामले, उतराई या यानान्तरण या पुनः पैकिंग या गंतव्य स्थान पर उस चौकी के "स्थानीकृत अपराध रजिस्टर" में रजिस्टर किए जाएंगे जहां उनकी सर्वप्रथम रिपोर्ट की जाती है। यदि जांच किए जाने पर यह साबित हो जाता है कि वह घटना किसी अन्य चौकी की, जिसमें से होकर गाड़ी या बैगन जाता है, अधिकारिता में हुई थी तो मामला "स्थानीकृत अपराध रजिस्टर" में रजिस्टर करने के लिए उस चौकी को अंतरित कर दिया जाएगा।

224.4 ब्रेकयान से रिपोर्ट की गई कमी:—(क) मुहरबंद यान:—अविकल मुहरबंद यानों से कमी के सभी मामलों के संबंध में कार्रवाई, अविकल मुहरबंद बैगनों के लिए अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी ;

(ख) ब्रेकयान के भारसाधक सहायक गाई के भारसाधन में से कमी:—सभी ऐसी कमियों को उसी प्रकार रजिस्टर किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी जैसे पुनः मुहरबंद बैगनों से कमी की दशा में की जाती है।

225. जहां अभिवहन के दौरान बैगन पुनः मुहरबंद किए जाते हैं वहां भी जाने वाली कार्रवाई की प्रकृति :

225.1 बैगनों के पुनः मुहरबंद किए जाने के सभी मामलों की, चौकी कमाण्डर यह अभिनिश्चित करने के लिए कि बैगन में आपराधिक हस्तक्षेप किया गया है या नहीं, तुरंत जांच करेगा या जांच संस्थित करेगा।

225.2 यदि ऐसा है और आपराधिक हस्तक्षेप उसकी अधिकारिता के भीतर किया जाता प्रतीत होता है तो वह चुराई गई सम्पत्ति को बरामद करने के लिए तुरंत उपाय करेगा या उपाय कराएगा।

225.3 यदि आपराधिक हस्तक्षेप उसकी अधिकारिता के बाहर किया गया प्रतीत होता है तो वह यथासंभव शीघ्रतम साधनों से अपने संबंधित प्रतिस्थानी अधिकारी को सूचना भेजेगा जो उपरोक्त रूप में कार्रवाई करेगा। दोनों दशाओं में, सूचना गंतव्य स्टेशन को भी भेजी जाएगी। उपरोक्त प्रक्रिया उन मामलों को भी लागू होगी जहां बैगनों का एक या अधिक बार पहने हों पुनः मुहरबंद किया गया है।

226. मामलों का अंतरण :

226.1 जब कभी कोई मामला "स्थानीकृत अपराध रजिस्टर" में दर्ज किया जाता है तब संबंधित चौकी कमाण्डर, उस स्थान तक जांच करेगा या कराएगा जहां उसे प्रथमदृष्टया यह प्रतीत होता है कि आपराधिक हस्तक्षेप किया गया है, और मामला अधिकारिता रखने वाली चौकी को अंतरित कर देगा।

परंतु खोई हुई सम्पत्ति की प्रकृति और उसके मूल्य पर निर्भर रहते हुए, महानिदेशक उस स्थान की सीमा को बढ़ा सकेगा या उसे सीमित कर सकेगा जिम तक ऐसी जांच मामले के अन्तरण के पूर्व की जाएगी।

226.2 एक ही मंडल में एक चौकी से दूसरी चौकी को :—यदि जांच किए जाने पर उस चौकी का चौकी कमाण्डर जहां मामला रजिस्टर किया गया है, इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि आपराधिक हस्तक्षेप एक ही मंडल की दूसरी चौकी में किया गया है तो चौकी कमाण्डर, उस चौकी के भारसाधक को तुरंत इतिला देगा और अपने मंडल सुरक्षा आयुक्त को सूचित करते हुए, मामला उसे अंतरित कर देगा। वह चौकी कमाण्डर, जिसको मामला इस प्रकार अंतरित किया गया है, उस मामले को, "स्थानीकृत अपराध रजिस्टर" में रजिस्टर करेगा और संबंधित चौकी को, जिसमें मामला अभिलेख के लिए अंतरित किया है, अपराध संख्यांक सूचित करेगा।

226.3 अन्य मंडल को अंतरित किए जाने वाले मामले:—(क) यदि मामला एक ही आंचलिक रेल में साथ वाले मंडल का है तो चौकी कमाण्डर, मामले के तथ्यों की सूचना देगा और अपने मंडल सुरक्षा आयुक्त को सूचित करते हुए मंडल की संबंधित चौकी को सभी कागजपत्र भेजेगा। यदि वह चौकी साथ वाले मंडल की चौकी नहीं है तो कागजपत्र उसके मंडल सुरक्षा आयुक्त की माफत भेजे जाएंगे किंतु सूचना तुरंत कार्रवाई, यदि कोई है, किए जाने के लिए चौकी कमाण्डर द्वारा अपने प्रतिस्थानी अधिकारी को भी यथासंभव शीघ्रतम साधनों से दी जाएगी। वह चौकी कमाण्डर जिसको मामला निर्देशित किया गया है, उस मामले को "स्थानीकृत अपराध रजिस्टर" में रजिस्टर करेगा।

(ख) सारा के अंत में, मंडल सुरक्षा आयुक्त, सूचना और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए ऐसे मामलों के व्योरे मुख्य सुरक्षा आयुक्त को भेजेगा।

226.4 अन्य आंचलिक रेलों को अंतरित किए जाने वाले मामले:—

(क) यदि मामला किसी दूसरे आंचलिक रेल का है तो कागजपत्र चौकी कमाण्डर द्वारा अपने मंडल सुरक्षा आयुक्त को भेजे जाएंगे जो उसके बाद उन्हें संबंधित मुख्य सुरक्षा आयुक्त को भेजे जाने के लिए अपने मुख्य सुरक्षा आयुक्त को भेजेगा। किंतु सूचना तुरंत कार्रवाई, यदि कोई है, जाने के लिए चौकी कमाण्डर द्वारा उस रेल के संबंधित चौकी कमाण्डर को भी यथा संभव शीघ्र साधनों से भेजी जाएगी।

(ख) माम के अंत में, प्रत्येक मुख्य सुरक्षा आयुक्त ऐसे अंतरित मामलों का एक संक्षिप्त विवरण महानिदेशक के कार्यालय में मुख्य सुरक्षा आयुक्त (रेल सुरक्षा) को सूचना और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भेजेगा।

227. अंतरित मामलों का सामंजस्य :

227.1 वह चौकी कमाण्डर, जिसको मामला अंतरित किया गया है मामले को तुरंत रजिस्टर करेगा ।

227.2 यदि जांच किए जाने के पश्चात्, कोई चौकी कमाण्डर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अपराध उसकी अधिकारिता में नहीं हुआ है तो वह पूरे तथ्यों की रिपोर्ट अपने मंडल सुरक्षा आयुक्त को देगा जिसका अपने मंडल के ऐसे विवादग्रस्त मामलों में विनिश्चय अंतिम होगा । मुख्य सुरक्षा आयुक्त का, अपनी आंचलिक रेल के किसी अंतर-मंडलीय विवादग्रस्त मामले में, और महानिदेशक का, किसी अंतर-आंचलिक विवादग्रस्त मामले में, विनिश्चय अंतिम माना जाएगा ।

227.3 प्रत्येक वर्ष जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के दौरान, प्रत्येक मंडल सुरक्षा आयुक्त, आंचलिक मुख्य सुरक्षा आयुक्त और मुख्य सुरक्षा आयुक्त (रेल सुरक्षा) अपने अपने उन अधिकारियों की जो अपराध संबंधी आंकड़ों के बारे में कार्रवाई करते हैं, एक बैठक उन अंतरित मामलों के आंकड़ों का सामंजस्य करने के लिए बुलाएंगे, जिनमें रेल सम्पत्ति की उतने मूल्य से अधिक की हानि हुई है जो महानिदेशक द्वारा विहित किया जाए ।

228. अपराध के उन महत्वपूर्ण मामलों में अन्वेषण या जांच जिनमें रेल सम्पत्ति अन्तर्वर्तित है :

228.1 अपराध के वे महत्वपूर्ण मामले, जिनमें रेल सम्पत्ति अन्तर्वर्तित है, या वे मामले, जो अंतर-चौकी, अन्तर-मंडलीय या अन्तर आंचलिक महत्व के हैं, यथास्थिति, महानिदेशक, मुख्य सुरक्षा आयुक्त या मंडल सुरक्षा आयुक्त द्वारा क्रमशः केन्द्रीय अपराध ब्यूरो, सुरक्षा कमिसरियत या मंडल के अपराध विंग के कामिकों को भेजे जा सकेंगे ।

229. विशेष रिपोर्ट :

229.1 बूक किए गए चरेषण या रेल सामग्री की उतने मूल्य से अधिक की हानि, जो महानिदेशक, द्वारा समय-समय पर नियत किया जाए, वाले चोरी के उन मामलों में, जो चौकी में रजिस्टर किए गए हैं, मंडल सुरक्षा आयुक्त, महानिदेशक को सम्बोधित विशेष रिपोर्ट भेजेगा और साथ ही उसकी एक-एक प्रति मुख्य सुरक्षा आयुक्त और संबंधित उन अधिकारियों को भेजेगा जो निदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

230. विशेष घटनाएं :

230.1 जब कभी निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी प्रवर्ग की कोई घटना रेलों में घटित होती है तब संबंधित मंडल सुरक्षा आयुक्त, महानिदेशक को संबंधित विशेष घटना रिपोर्ट भेजेगा और साथ ही उसकी एक-एक प्रति मुख्य सुरक्षा आयुक्त और ऐसे अन्य अधिकारियों को भेजेगा जो निदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं—

(क) डकैती ;

(ख) लूट ;

(ग) हत्या ;

(घ) आग लगने की घटनाएं जिनमें रेल सम्पत्ति को उतने मूल्य की हानि हुई है जो महानिदेशक द्वारा नियत किया जाए या विस्फोट जिनमें जीवन की हानि हुई है या रेल सम्पत्ति को नुकसान हुआ हो ।

(ङ) पथ से छेड़छाड़ करना, अमिशन और इंटर डिस्टर्बेंस ;

(च) रेल परिसर के भीतर गुंडागिरी और हुल्लड़बाजी के गंभीर मामले और आंदोलन, धरना आदि के कारण गाड़ियों को लम्बे समय तक रोक रचना ;

(छ) वे मामले जिनमें कर्तव्यरुद्ध बल-सदस्य पर हमला किया गया है या वह गिरफ्तार किया गया है या उसने गोली चलाई है ;

(ज) आयुध, गोला-बारूद और विस्फोटकों की चोरी ;

(झ) कोई अन्य मामला जो मुख्य सुरक्षा आयुक्त की राय में इस प्रकार बर्गीकृत किए जाने के योग्य है ।

231. मामलों का अभियोजन और अभिगृहीत या बरामद की गई सम्पत्ति का व्ययन :

231.1 मामलों का अभियोजन :—उन मामलों में जांच पूरी कर लिए जाने पर जिनमें कोई अपराधी रेल सम्पत्ति के संरक्षण और सुरक्षा के किसी अपराध और उनसे संबंधित विषयों के संबंध में गिरफ्तार किया गया है और बल में निहित शक्तियों के अधीन अभियोजन चलाने का प्रस्ताव है या मामले को बन्द करने का प्रस्ताव है क्योंकि ऐसे संदेह का पर्याप्त साक्ष्य या उचित आधार नहीं है, जिससे अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजना न्यायानुमत हो, मामला छानबीन के लिए और उसे न्यायालय में संचालित किए जाने के लिए अभियोजन शाखा को सौंपा जाएगा ।

231.2 लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक जो इस प्रयोजन के लिए तैनात किया जाए उस मामले से संबंधित सभी विषयों में रेल का प्रतिनिधित्व करेगा ।

231.3 अभिगृहीत या बरामद की गई सम्पत्ति की अभिरक्षा और उसका व्ययन :—अभिगृहीत या बरामद की गई सम्पत्ति की अभिरक्षा और उसका व्ययन उस राज्य के जिसमें चौकी स्थित है, पुलिस विनिर्गमों के उपबंधों के अनुसार किये जाएंगे । मुख्य सुरक्षा आयुक्त, उस आधार पर और इन नियमों के अनुरूप उस विषय में विस्तृत अनुदेश जारी कर सकेगा ।

232. अपराध का मासिक पुनर्विलोकन

232.1 अपराध का मासिक पुनर्विलोकन जिसमें बल के कानूनी कर्तव्यों और कृत्यों की बाबत उसके कार्यकरण की वास्तविक तस्वीर दी हुई हो मंडल सुरक्षा आयुक्त द्वारा तैयार किया जाएगा और संबंधित मुख्य सुरक्षा आयुक्त को भेजा जाएगा, जिससे वह उस मास के जिससे वह संबंधित है अगले मास के सातवें दिन तक उसके पास पहुंच जाए ।

232.2 मुख्य सुरक्षा आयुक्त वैसे ही पुनर्विलोकन अपनी आंचलिक रेल के लिए तैयार करेगा और उसे महानिदेशक को भेजेगा जिससे वह उस मास के, जिससे वह संबंधित है, अगले मास के पंद्रहवें दिन तक उसके पास पहुंच जाए ।

232.5 अपराध का मासिक पुनर्विलोकन महानिदेशक द्वारा समय समय पर जारी किए गए अदेशुओं के अनुसार तैयार किया जाएगा ।

अध्याय 15

इनाम और पुरस्कार

233. धनीय इनाम मंजूर करने की शक्ति :—

233.1 स्वीकृत अनुदान में से अभ्यावेष्टित बल-सदस्यों जिनके अस्तंगत बल के सीधी भर्ती किए गए व्यक्ति भी हैं अराजकचित्त सरकारी सेवकों, जिनके अंतर्गत राज्य पुलिस के सदस्य और रेल सेवक भी हैं और लोक सदस्यों को धनीय इनाम इसमें प्राप्ति दिए गए उपबंधों के अनुसार मंजूर किया जा सकेगा ।

234. धनीय इनाम के लिए पात्रता

234.1 धनीय इनाम अभ्यावेष्टित बल-सदस्यों को निम्नलिखित बातों के लिए मंजूर किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) उत्कृष्ट कार्य, जिसमें विशेष साहस कौशल या पहल अपेक्षित है करने के लिए उदाहरणार्थ :—

- (i) किसी अपराधी की गिरफ्तारी ; या
- (ii) ऐसी जानकारी प्राप्त करना जिससे किसी अपराध का या उससे संबंधित बातों का पता चलता है ; या
- (iii) असाधारण तौर पर अच्छी जांच करना ; या
- (iv) रेल सम्पत्ति के संरक्षण और सुरक्षा के संबंध में किसी अपराधी से मुठभेड़ ;

(ख) ऐसा कार्य करने के लिए जिसमें आदेशों का तत्परता से, इमानदारी से और बुद्धिमतापूर्वक अनुपालन और अनुसरण अपेक्षित है और जो रेल सम्पत्ति के संरक्षण और सुरक्षा में तात्त्विक रूप से सहायक हो सके ;

(ग) रेल सम्पत्ति के संरक्षण, और सुरक्षा के संबंध में या विरोधी अथवा उपद्रवी तत्वों के विरुद्ध किसी बड़ी संक्रिया के संबंध में अतिरिक्त कठोर कार्य करने के लिए ;

(घ) स्फुटि लक्ष्यभेदिता, परिश्रमशीलता, रेल उपयोक्ताओं की बाबत प्रशंसनीय सावधान बरतने के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए जो ऐसे हैं कि उनसे बल की दक्षता में अभिवृद्धि हो सकती है ;

परंतु "साधारण अच्छा कार्य" या सामान्य कर्तव्यों का दक्ष निर्वहन धनीय इनाम की मंजूरी के लिए कोई आधार नहीं होगा न ही धनीय इनाम अनुरोध किए जाने पर मंजूर किया जाएगा ।

234.2 धनीय इनाम अराजपक्षित सरकारी सेवकों को जिनके अंतर्गत राज्य पुलिस के सदस्य और अन्य रेल सेवक भी हैं, और लोक सदस्यों को—

- (क) किसी गम्भीर मामले का पता लगाने में, या
- (ख) किसी अपराधी को पकड़ने में, या
- (ग) किसी अपराधी या किसी असमाजिक तत्वों को प्रतिरोध करने में ; या
- (घ) किसी अन्य प्रयोजन के लिए जो रेल सम्पत्ति के बेहतर संरक्षण और सुरक्षा के लिए है

बल की सहायता करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में मंजूर किया जा सकेगा ।

234.3 पुस्तकों या वस्तुओं के रूप में उतने मूल्य का धनीय इनाम, जो प्रत्येक इनाम संबंधी निदेशों द्वारा नियत किया जाएगा उन अभ्या-वेक्षित बल-सदस्यों को भी (जिनके अंतर्गत सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति हैं) जो प्रशिक्षण महाविद्यालय या प्रशिक्षण केन्द्र में सफलता प्राप्त करते हैं प्रशिक्षण दिव्यों के प्रत्येक बैच के प्रशिक्षण के दौरान प्रवीणता के लिए नीचे विनिर्दिष्ट रूप में मंजूर किया जा सकेगा, "

पहला पुरस्कार—बहुमुखी दक्षता के लिए ;

दूसरा पुरस्कार—अंतरंग विषयों में बहुमुखी प्रवीणता के लिए ;

तीसरा पुरस्कार—परेड, मस्केटरी और खेल-कूद में प्रवीणता के लिए

परन्तु किसी ऐसे प्रशिक्षणार्थी को जिसे पहला पुरस्कार और/या दूसरा पुरस्कार भी दिया गया है तीसरा पुरस्कार मंजूर करना अनुज्ञेय होगा ।

235. धनीय इनाम मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी :

235.1 नियम 234 के अधीन धनीय इनाम मंजूर करने के लिए विभिन्न बरिष्ठ अधिकारियों की शक्तियां वे हैं जो अनुसूची 2 में विनि-दिष्ट हैं ।

235.2 नियम 234 के अधीन धनीय इनाम उस प्राधिकारी द्वारा जो उसे मंजूर करने के लिए सक्षम है उस दशा में मंजूर किया जाएगा जब उसकी उन कारणों से, जो अभिलिखित किए जाएंगे, यह राय हो कि वह व्यक्ति इस निमित्त आवश्यकताओं को पूर्ण करता है ।

235.3 ऐसा धनीय इनाम मंजूर करने वाले आदेश में उसके लिए कारण और उस उपनियम के संबंध उपदर्शित किए जाएंगे जिसके अधीन वह मंजूर किया जाता है ।

235.4 इनाम पाने वालों को इनामों के संदाय की प्रक्रिया ऐसी होगी जो निदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

236. महाप्रबंधक द्वारा प्रस्थापित धनीय इनाम

236.1 बल का कोई बरिष्ठ अधिकारी किसी अभ्यावेक्षित बल सदस्य को महाप्रबंधक द्वारा या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रस्थापित धनीय इनाम, उस दशा में स्वीकार करने को अनुज्ञा दे सकेगा, जब उसकी यह राय हो कि ऐसा इनाम नियम 234 की परिधि के भीतर है ।

237. अलंकरण और पदक पुरस्कार :

237.1 सभी बल-सदस्य चाहे वे किसी रैंक के हों, ऐसे पुरस्कार, अलंकरण और पदकों के भी पात्र होंगे जिनके संघ के अन्य सशस्त्र बलों के सदस्य और राज्य पुलिस के कामिक हकदार हैं ।

237.2 ऐसे पदक तथा अलंकरण के लिए पात्रता की शर्तें और उनके पहले जाने का अग्रताक्रम वह होगा जो राष्ट्रपति समय समय पर अवधारित करें ।

237.3 बल-सदस्य भी रेल सेवकों के समान अन्य पदक और अलंकरण प्राप्त करने के पात्र होंगे ।

238. महानिदेशक के प्रशंसा पत्र और तमगे का प्रदान किया जाना

238.1 महानिदेशक ऐसे बल-सदस्य को, जिन्होंने संक्रियाओं में और शक्ति के समय भी, अपने कर्तव्यों का पालन अत्यधिक उत्तम रंग से किया हो, प्रशंसापत्र दे सकेगा । ऐसे प्रशंसापत्र—

- (क) संक्रिया के दौरान किसी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए ;
- (ख) प्राकृतिक विपत्ति में किसी प्रशंसनीय कार्य करने के लिए ;
- (ग) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल-कूद में किसी असाधारण उपलब्धि के लिए ;
- (घ) किसी ऐसे अभिनेत्र परिवर्तन के लिए, जिसके कारण बल के कार्यकरण में महत्वपूर्ण आधार हुआ हो ;
- (ङ) 25 वर्ष तक सेवा का साफ सुबरा और अच्छा अभिलेख बनाए रखने के लिए ;
- (च) 20 वर्ष की निरंतर अवधि तक दुर्घटना रहित चालन और अच्छे अभिलेख के लिए ;
- (छ) कठिन मामलों का हल ढूँढ़ने के लिए ;
- (ज) प्रशंसनीय प्रकृति के समझे गए किसी अन्य उत्कृष्ट और असाधारण के लिए,

दिए जा सकेंगे और वे बल के वाषिकोत्सव पर प्रदान किए जाएंगे ।

238.2 ऐसे पुरस्कार विजेता ऐसे तमगे, अर्थात् दीर्घवृत्तीय चक्रिका को अपनी बर्तों पर दाहिने हाथ की ओर वाली जेब के उपरी भाग में नामपट के ऊपर पहनेंगे । पुरस्कार विजेता प्रत्येक प्रशंसापत्र के लिए चक्रिका पर एक तारा लगा सकेगा ।

239. सेवा अभिलेखों में इनाम और पुरस्कार की प्रविष्टि:

239.1 इनामों या पुरस्कारों की, चाहे वे नकद हों या अलंकरण पदकों और प्रशंसापत्रों के रूप में प्रविष्टि संबंधी सदस्य के बरिष्ठ और सेवावृत्ति में की जाएगी और उसके स्थान और प्रशंसा को प्रभावित करने वाले किसी प्रश्न के संबंध में उस पर सदैव विचार किया जाएगा ।

अध्याय 16

निविल शक्ति की सहायता

240. केन्द्रीय सरकार या महानिदेशक या मुख्य सुरक्षा आयुक्त या उसकी ओर से कार्य करते हुए कोई अन्य अधिकारी किसी भी बल सदस्य को निविल शक्ति की सहायता कर्तव्य करने के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए भारत में किसी भी स्थान को जाने के लिए आदेश दे सकता है।

241. लामबंदी टुकड़ी का बनाया जाना :

241.1 जब कभी ऐसी कोई संभाव्यता उत्पन्न होती है, मुख्य सुरक्षा आयुक्त अपने आचलिक रेल के भीतर लामबंदी का आदेश दे सकता है। ऐसे आदेश पर लामबंदी टुकड़ी अधिमान के तौर पर युवा और स्वस्थ सदस्यों को बल की वांछित रैंक में, चौकियों और अन्य यूनिटों से निकाल कर, बनाई जाएगी जहाँ तक संभव हो वस्तु पुरुषों के प्रत्येक सेक्शन के लिए एक नायब सूबेदार की व्यवस्था की जाएगी। प्लाटून स्थानी रूप से संघायित किए जाएंगे और उन चौकी समूहों या कम्पनियों के अनुबद्ध होंगे जिनमें से वे लिए जाते हैं और वह, जब कभी बल की लामबंदी की जाती है, उस संघायक के अनुसार अपनी स्थिति ग्रहण करेंगे।

241.2 ज्येष्ठ अधिकारी का समादेशक होना :

नियम 24 के अधीन रहते हुए, जब कभी लामबंदी टुकड़ी बनाई जाती है या उसकी प्रतिनियुक्ति की जाती है, तब उस टुकड़ी में उपस्थित बल का ज्येष्ठतम अधिकारी उसका समादेशक करेगा और अपने समादेशाधीन सदस्यों के उचित पर्यवेक्षण अनुशासन, आचरण और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होगा।

241.3 टुकड़ी कमाण्डर का कर्तव्य होगा कि वह—

- (क) प्रशिक्षण, फिट निरीक्षण, आयुध और गोला बारूद आर अन्य सामान के अनुक्षण आदि की बाबत उन सब अनुदेशों का पालन करे जो समय समय पर मुख्यालय द्वारा जारी किए जाएं ;
- (ख) यह सुनिश्चित करे कि मुख्यालय से जारी किए गए भण्डार की कोई भी वस्तु, मुख्यालय की अभिव्यक्त मंजूरी के बिना, किसी अन्य संगठन को न तो उधार दी जाए और न दी जाए, और
- (ग) यह सुनिश्चित करे कि बल के सब सामान का उपयोग केवल सरकारी कर्तव्य के लिए ही किया जाता है।

242. गंतव्य स्टेशन पर अभिनियोजन :

242.1 गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने पर, टुकड़ी कमाण्डर राज्य सरकार के उप प्रत्यागित अधिकारी को, जिसके साधारण नियंत्रण और निदेश के अधीन उसने कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, रिपोर्ट करेगा।

242.2 टुकड़ी कमाण्डर स्थानीय प्राधिकारियों के साथ गहरा सम्पर्क बनाए रखेगा और परस्पर सहयोग और विधि व्यवस्था बनाए रखने की बाबत उनके अनुरोधों का अपनी सर्वोत्तम योग्यता के अनुसार अनुपालन करेगा।

242.3 किसी भी परिस्थिति में, बल राज्य के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करेगा और अपनी सक्रियताओं को उस भूमिका के भीतर सीमित रखेगा जो राज्य प्राधिकारियों ने उसे सौंपी है। सामान्यतः बल, राज्य पुलिस के प्रसामान्य के नकी कर्तव्यों में से किसी का जिम्मा मुख्य सुरक्षा आयुक्त के अनुमोदन के बिना नहीं लेगा जो अदेहासद मामलों, में आदेश के लिए, महानिदेशक को निर्देशित करेगा।

243. विधिविरुद्ध जमाव को तितर बितर करना

243.1 मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति जब टुकड़ी कमाण्डर की यह राय है कि बल का प्रयोग या टुकड़ी के संचालन का विरोध होना अधिसम्भाव्य है या जब किसी टुकड़ी को हड़ताल या विप्लव या किसी अन्य विद्रोह के दौरान संरक्षक भण्डारी के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है, तब वह अनुरोध कर सकेगा कि उसके साथ किसी मजिस्ट्रेट को प्रतिनियुक्त किया जाए।

243.2 मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में कार्यवाई :

यदि किसी विधिविरुद्ध जमाव से लोक सुरक्षा और शांति के लिए स्पष्टतया संकट उत्पन्न होता है या रेल सम्पत्ति के संचालन के लिए किसी मानव बाधा को हटाया जाना आवश्यक है, किन्तु किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट से, स्थिति और संकटापन्न किए बिना, संपर्क नहीं किया जा सकता है तब बल का कोई वरिष्ठ अधिकारी ऐसे किसी विधिविरुद्ध जमाव को बलपूर्वक तितर बितर कर सकेगा या बाधा को हटा सकेगा और ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार और परिरुद्ध कर सकेगा जो ऐसे किसी विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य है या जिम्मे ऐसी बाधा उत्पन्न की है।

परन्तु बल का प्रयोग करने से पूर्व वरिष्ठ अधिकारी विधि विरुद्ध जमाव को या बाधा उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों को तितर बितर होने का समादेश देगा और उन्हें चेतावनी देगा कि यदि वे तितर-बितर नहीं होंगे तो उन्हें बल द्वारा तितर बितर कर दिया जाएगा।

243.3 बल का प्रयोग :

यदि ऐसे समादिष्ट होने पर, ऐसा कोई जमाव तितर बितर नहीं होता है या यदि ऐसे समादिष्ट हुए बिना वह जमाव इन रीति से आचरण करता है जिससे उसका तितर बितर न होने का निश्चय दर्शित होता है तो ऐसा अधिकारी उस जमाव को बलपूर्वक तितर-बितर करने की कार्यवाही करेगा।

परन्तु इस बात की सावधानी बरती जाएगी कि बल का कम से कम और उतना प्रयोग किया जाए तो जमाव को तितर-बितर करण या जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा और बल के सदस्यों की सुरक्षा निश्चित करने के लिए आवश्यक है।

243.4 गोली चलाना :

गोली किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अनुदेशों के अधीन ही चलाई जायेगी या तब चलाई जाएगी जब ऐसा अधिकारी स्वनिर्देशात्मक कारण करते हुए, जीवन और सम्पत्ति के संरक्षण के लिए ऐसा करना अत्यन्त आवश्यक समझता है।

243.5 कार्यपालक मजिस्ट्रेट का उत्तरदायित्व :

यदि कार्यपालक मजिस्ट्रेट उपस्थित है, तो विधिविरुद्ध जमाव के विरुद्ध बल का प्रयोग करने या उस पर गोली चलाने का उत्तरदायित्व उसी का होगा और वही टुकड़ी कमाण्डर को (यदि संभव है तो लिखित रूप में बल का प्रयोग या फायर करने या गोली चलाने का ऐसा निदेश देगा यदि कार्यपालक मजिस्ट्रेट टुकड़ी कमाण्डर को निदेश देता है तो ऐसा मजिस्ट्रेट टुकड़ी कमाण्डर द्वारा मोर्चाबंदी की जाने में, इसके विवेक में कोई अड़चन नहीं डालेगा।

243.6 टुकड़ी कमाण्डर का उत्तरदायित्व :

(क) गोली चलाने का वास्तविक आदेश मरैव निम्नलिखित द्वारा दिया जाएगा, अर्थात्—

(i) टुकड़ी कमाण्डर द्वारा या उसके विशेष अनुदेश के अधीन किसी कनिष्ठ अधिकारी द्वारा ; या

(ii) मुख्य टुकड़ी से नियोजित बल के उस अधिकारी द्वारा, जो समादेश न कर रहा है।

(ख) जैसी ही थोड़ा बिखरना या तितर-बितर होना आरम्भ करती है वैसे ही टुकड़ी कमाण्डर या ऐसा अन्य अधिकारी, जो समावेशन कर रहा है, गोली चलाना बंद करने का आदेश देगा कार्यपालक मजिस्ट्रेट की भी यदि उपस्थित है तो, गोली चलाना बंद करने का आदेश देने की शक्ति होगी।

243.7 भीड़ के तितर बितर हो जाने के पश्चात कार्रवाई:

जब कोई विविधविध जमाव तितर बितर कर दिया गया हो, तब प्रायतः की प्राथमिक विवेक्षा की जाएगी और उसके बाद उन्हें निकटतम अस्पताल में उपचार के लिए भेज दिया जाएगा। इसके पश्चात कार्यपालक मजिस्ट्रेट या समादेशक अधिकारी उक्त की गई कार्रवाई की ध्यारेवार सही रिपोर्ट लिखेगा जिसमें वह यह भी दक्षित करेगा कि कितने राउंड गोतियाँ चलाई गई हैं या खर्च हुई हैं। तब समादेशक अधिकारी निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक को ऐसे अन्य अधिकारियों को भी, जो निदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए, रिपोर्ट की प्रतियाँ शीघ्रतम साधन द्वारा भेजेगा।

244. जांच की परिसीमाएं

244.1 कोई राज्य सरकार बल के किसी अधिकारी द्वारा कर्तव्यों के अनुसरण में सिविल शक्ति की सहायता के लिए की गई कार्रवाई की जांच के लिए कोई आदेश, केन्द्रीय सरकार से परामर्श किए बिना, नहीं देगी।

245. सिविल शक्ति की सहायता में हुआ व्यय :

245.1 सिविल शक्ति की सहायता में हुआ सब खर्च संबंधित राज्य सरकार उठाएगी और वह उससे वसूलनीय होगा जब तक कि वह केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः अतिरिक्त न कर दिया जाए। ऐसे दावे संबंधित वित्तीय सहायकार एवं मुख्य लेखा अधिकारियों के परामर्श से उक्त मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा किए जाएंगे जिसकी अधिकारिता में लामबंदी टुकड़ी अभिनियोजित की गई थी।

246. वह प्रक्रिया जब बल व्यक्ति या सम्पत्ति की प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में गोली चलाना है:

246.1 जब कभी बल, व्यक्ति या सम्पत्ति की प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में अग्नि आयुध का प्रयोग करता है तब नियम 265 में निदिष्ट जांच न्यायालय के गठन के लिए आदेश मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा अवश्य किए जाएंगे।

246.2 बल द्वारा गोली चलाए जाने के तुरंत पश्चात् उपस्थित ज्येष्ठतम सदस्य—

(क) निकटतम पुलिस थाने को तुरंत सूचना भेजेगा और क्षेत्र की घेराबंदी की व्यवस्था करेगा जिससे कि वहां के दृश्य को यथावत बनाए रखा जा सके। किंतु वह क्षतिग्रस्त व्यक्तियों की प्राथमिक सहायता करेगा और उन्हें निकटतम अस्पताल में, यदि आवश्यक है तो, भेजने की व्यवस्था करेगा।

(ख) गारत्यों के खाली खोखों को एकत्र कराएगा और चलाए गए राउण्डों की संख्या से उनकी जांच पड़ताल करेगा;

(ग) सभी सुवर्गत तथ्यों के सूक्ष्म व्योरे देते हुए घटना की संक्षिप्त किंतु सही रिपोर्ट तैयार करेगा;

(घ) ऐसी संक्षिप्त रिपोर्ट की प्रतियाँ मुख्य सुरक्षा आयुक्त और मंडल सुरक्षा आयुक्त को भेजने के अतिरिक्त संबंधित जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस जिला अधीक्षक को शीघ्रतम साधन द्वारा भेजेगा।

87/1694 GI—7

अध्याय 17

वादपत्र और संरक्षण

247. वादपत्र:

247.1 प्रत्येक ऐसा सदस्य, जिसके विरुद्ध दण्डिक अभियोजन या सिविल वाद संस्थित किया जाता है, यथास्थित, मुख्य सुरक्षा आयुक्त या अपने नियंत्रक अधिकारी को तत्काल सूचित करेगा।

248. बल-सदस्य के अवचार के विरुद्ध लोक शिकायत:

248.1 यदि किसी बल-सदस्य के अवचार के विरुद्ध कोई परिवार किसी लोक सदस्य से प्राप्त होता है या ऐसा परिवार किसी ऐसे न्यायालय की मार्फत, जिसमें किसी बल-सदस्य के विरुद्ध सिविल या अपराधिक कार्यवाही संस्थित की गई है, या अन्यथा प्राप्त होती है और ऐसे बल-सदस्य के नियंत्रण अधिकारी की यह राय है कि अभिकथन सत्यापित किए जाने योग्य हैं या अन्यथा कोई जांच अपेक्षित है, तो वह नीचे सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट बल-सदस्य के विरुद्ध परिवार की जांच करने के लिए स्वयं जा सकता है या उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी को भेज सकता है:—

सारणी

बल-सदस्य जिसके विरुद्ध परिवार प्राप्त हुए हैं	जांच अधिकारी
(1)	(2)
कांस्टेबल/नायक/हैड कांस्टेबल	निरीक्षक और उससे उच्चतर रैंक का अधिकारी।
उपनिरीक्षक/सहायक उपनिरीक्षक	सहायक कमाण्डेंट और उससे उच्चतर रैंक का अधिकारी।
निरीक्षक/सहायक सुरक्षा आयुक्त	सुरक्षा आयुक्त
सुरक्षा आयुक्त या उससे उच्चतर अधिकारी	मुख्य सुरक्षा आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत अपर या उप मुख्य सुरक्षा आयुक्त।

248.2 शिकायत सेल:

ऐसे परिवारों की वास्तव कार्रवाई करने, उन्हें मानीटर करने और उनका श्रेष्ठ निरादारा सुनिश्चित करने के लिए महानिदेशक, मुख्य सुरक्षा आयुक्त, मंडल सुरक्षा आयुक्त और कमान अधिकारी में से प्रत्येक के मुख्यालय में एक पृथक शिकायत सेल होगा।

248.3 जांच की रीति:

जांच करते समय जांच अधिकारी, यथासंभव, निम्नलिखित रीति से कार्रवाई करेगा:—

(1) परिवार की सविस्तर सुनवाई की जाएगी और जांच अधिकारी उन साक्षियों की, जिन्हें वह आवश्यक समझे, परीक्षा करके सच्चाई अभिनियोजित करने के लिए हरेक प्रयत्न करेगा और साक्षियों की उपस्थिति कराने के लिए परिवार को कोई आग्रह नहीं करेगा;

(2) महत्वपूर्ण साक्षियों की परीक्षा, यथासंभव परिवार की उपस्थिति में की जाएगी जिससे कि उनके द्वारा दिए गए अभिवक्त्य का उसे समाधानप्रद रूप में पता चल सके;

(3) सम्पूर्ण जांच के चलने के दौरान, जांच अधिकारी सावधानी बरतते हुए ऐसी कोई बात नहीं करेगा जिससे कि परिवार को के मस्तिक में जांच के उद्देश्यों और उनकी निष्पत्ति के बारे में कोई संदेह उत्पन्न हो;

- (4) जांच, यथासाध्य ऐसे किसी समुचित सार्वजनिक भवन या स्थान [] में की जाएगी जो परिवारी के निवासस्थान या उसके निकट है।

248. 4 यदि नियंत्रण अधिकारी उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसा निदेश करे तो जांच अधिकारी की रिपोर्ट वर्गीकृत दस्तावेज मानी जाएगी।

249. किसी लोक सेवक द्वारा अभियोजन:

249.1 सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कार्यवाही: केन्द्रीय सरकार किसी बल-सदस्य को किसी ऐसी सिविल या दण्डिक कार्यवाही में, जो उसके पदीय कर्तव्यों या उसकी पदीय स्थिति से प्रोद्भूत था संबंधित विषयों की बाबत राज्य द्वारा संस्थित की जाती है, उसकी प्रतिरक्षा के लिए कोई सहायता नहीं देगी। किंतु उसके दोषमुक्त और यह दर्शित कर दिए जाने की दशा में कि उसके आचरण में कहीं भी कोई दोष नहीं है और उसने अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में सद्भावपूर्वक कार्य किया है, या ऐसा कार्य किया गया तात्पर्यित है, वहां उसे प्रतिरक्षा का उचित खर्च दिया जाएगा। आरोपित अपराध से दोषमुक्त कर दिए जाने पर भी यदि उसके आचरण से यह प्रकट होता है कि वह दोषरहित नहीं है तो वह, अपने द्वारा उपगत खर्च का केवल उतना भाग ही प्राप्त करेगा जितना मुख्य सुरक्षा आयुक्त ठीक समझे।

249.2 बल-सदस्य को अपनी प्रतिरक्षा का व्यय पूरा करने में समर्थ बनाने के लिए, मुख्य सुरक्षा आयुक्त, अपने विवेकानुसार, सदस्य को उसके तीन मास के अधिष्ठाया वेतन तक का व्यय मुक्त अग्रिम, उससे अनुसूची II में दिए गए प्ररूप में बंधपत्र अभिप्राप्त करके, मंजूर कर सकेगा। इस प्रकार अग्रिम दी गई रकम का, बाद में उप नियम (1) के अधीन सदस्य को प्रतिपूर्ति की जाने वाले रकम में, यदि कोई है, समायोजन किया जा सकेगा।

250. प्राइवेट व्यक्ति द्वारा अभियोजन:

250.1 किसी बल-सदस्य की किसी ऐसे सिविल वाद या आपराधिक परिवाद में, जो प्राइवेट व्यक्ति द्वारा संस्थित किया गया है, सदैव उस समय प्रतिरक्षा की जाएगी जब प्रशासन को यह प्रतीत हो कि उसने अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में सद्भावपूर्वक कार्य किया है या उसका कार्य किया जाना तात्पर्यित है। इस प्रकार प्रतिरक्षित सदस्य कर्तव्य पर अपनी प्रतिरक्षा करते हुए समझा जाएगा।

250.2 नियोजन से उत्पन्न होने वाले अन्य सभी मामलों में, जहां प्रशासनिक प्राधिकारी प्रतिरक्षा करने से इन्कार करता है, वहां संबंधित सदस्य अपने व्यय पर ऐसे उपाय कर सकेगा जो वह ठीक समझे, किंतु उसके दोष-मुक्त किए जाने और जहां यह दर्शित कर दिए जाने की दशा में कि उसके आचरण में कहीं भी कोई दोष नहीं है, उसे प्रतिरक्षा का उचित खर्च दिया जाएगा। आरोपित अपराध से दोषमुक्त हो जाने पर भी यदि उसके आचरण से यह प्रकट होता है कि वह दोषरहित नहीं है तो उसे खर्च की प्रतिपूर्ति नियम 249 के उपनियम (1) के अधीन विहित रीति से, अनुज्ञात की जाएगी।

250.3 दोनों में से प्रत्येक दशा में, बल-सदस्य को नियम 249 के उपनियम (2) में विहित धनीय अग्रिम अनुज्ञात किया जा सकेगा।

251. प्रतिरक्षा करने की प्रक्रिया:

251.1 यदि किसी बल सदस्य की प्रतिरक्षा का खर्च रेल प्रशासन द्वारा उठाई जाने की मंजूरी दी जाती है तो यह संबंधित सदस्य पर छोड़ दिया जाएगा कि वह अपनी इच्छानुसार चाहे तो किसी सरकारी प्लिडर या लोक अभियोजक को या चाहे किसी प्राइवेट विधि व्यवसायी को नियोजित करें:

परंतु यदि किसी प्राइवेट विधि व्यवसायी को नियोजित किया जाता है तो रेल प्रशासन द्वारा सदस्य को प्रतिपूर्ति की जाने वाली फीस उतनी होगी जितनी आंचलिक रेल के विधि अधिकारी के परामर्श से मुख्य सुरक्षा आयुक्त नियत करे।

252. रेल को खर्च का प्रतिदाय:

252.1 यदि बल-सदस्य विधि कार्यवाही में सफल हो जाता है और न्यायालय द्वारा खर्च या नुकसान या प्रतिकर दिलवाया जाता है, तो सदस्य रेल प्रशासन द्वारा उठाए गए व्यय तक ही रकम का प्रतिदाय करेगा।

253. अपने शासकीय आचरण को निर्दोषित सिद्ध करने के लिए किसी बल-सदस्य द्वारा प्रारंभ की गई कार्यवाही:

253.1 यदि किसी बल-सदस्य से उस दशा में, जब समाचारपत्रों में या अन्यथा उसके विरुद्ध व्यष्टिक बल-सदस्य के रूप में विनिर्दिष्ट अभिकथन किए जाते हैं, यह अपेक्षा की जाती है कि वह न्यायालय में अपने आचरण की निर्दोषिता सिद्ध करे, तो रेल प्रशासन नियम 249 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उसकी प्रतिरक्षा का मुक्तिपुक्त खर्च चुकाएगा परंतु यह तब जब संबंधित सदस्य उसके विरुद्ध किए गए अभिकथन से पूर्ण रूप से और सम्मानपूर्वक उन्मोचित कर दिया जाता है।

253.2 मुख्य सुरक्षा आयुक्त नियम 249 के उपनियम (2) में यथा उपबंधित अग्रिम मंजूर कर सकेगा।

253.3 कोई सदस्य खर्च या व्यय की प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा यदि वह स्वविवेकानुसार और मुख्य सुरक्षा आयुक्त की मंजूरी के बिना, ऐसी मुकदमेबाजी करता है।

254. अपील आदि फाइल करने का खर्च:

254.1 यदि प्रशासन किसी बल-सदस्य की प्रतिरक्षा का जिम्मा लेता है, किन्तु प्रथम न्यायालय का विनिश्चय उसके विरुद्ध है, तो इस प्रश्न का विनिश्चय, कि कोई अपील प्रशासन के खर्च पर फाइल की जानी चाहिए या नहीं अथवा वादी को दिलाया गया नुकसान या सदस्य पर अधिरोपित जुर्माना रेल प्रशासन द्वारा संदत्त किया जाना चाहिए या नहीं, मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा या तो संबंधित सदस्य के आवेदन पर, जिसे इस विषय में अपने ठीक वरिष्ठ अधिकारी से समावेदन करना चाहिए, या सदस्य के वरिष्ठ अधिकारी को सिकारिश पर, किया जाएगा।

संरक्षण

255. संघ का एक सशस्त्र बल रहते हुए संरक्षण:

255.1 रेल संरक्षण बल, संघ का एक सशस्त्र बल है और उसके किसी सदस्य के विरुद्ध वाद या कार्यवाही में, वह सदस्य धारा 20 के उपबंधों के अतिरिक्त:—

(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 45, धारा 132 और धारा 197 के अधीन;

(ख) न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम, 1850 के अधीन जहां तक कि अधिनियम की धारा 17 (3) के अधीन मजिस्ट्रेट के कृत्यों का निर्वहन करने वाले कृत्यकारियों और अन्य संरक्षित अधिकारियों का संबंध है;

संरक्षण का पात्र होगा।

256. जहां सदस्यों ने गोली चलाई हो वहां संरक्षण:

256.1 जब कभी किसी बल-सदस्य ने रेल सम्पत्ति के बेहतर संरक्षण और सुरक्षा के लिए और उससे संबद्ध विषयों की बाबत अपने कानूनी कर्तव्यों के अनुसरण में या व्यक्ति अथवा सम्पत्ति की प्रतिरक्षा

के अधिकार का प्रयोग करते हुए गोली चलाई हो और उससे अन्य पक्षकार की मृत्यु हो गई हो या उसे क्षति हुई हो तो इस निमित्त संस्थित की गई, मजिस्ट्रेट या न्यायिक, जांच के परिणाम की प्रतीक्षा को जाएंगे। कोई बल सदस्य सामान्यतः तभी अभियोजित किया जाएगा और/या उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही तभी संस्थित की जाएगी जब उस पर उस जांच में प्रतिकूल रूप से टिप्पणों की गई हो या जब नियम 265 के अधीन संस्थित जांच न्यायालय ने उसके आचरण को संदेहास्पद पाया हो।

अध्याय 18

सम्पर्क

257. राज्य के सिविल प्रशासन से सम्पर्क :

257.1 रेल संरक्षण बल रेल सम्पत्ति के बहुरसरक्षण और सुरक्षा के लिए तथा उससे संबद्ध विषयों के लिए रेल प्रशासन और राज्य के सिविल प्रशासन और पुलिस (जिसके अंतर्गत रेल पुलिस भी है) के बीच एक सेतु का कार्य करेगा।

258. पुलिस के साथ सम्पर्क :

258.1 साधारण :—यदि धारा 12 के अधीन गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को पुलिस को सौंप दिया जाता है या धारा 13 के अधीन बरामद की गई सम्पत्ति पुलिस को दे दी जाती है, या किसी अपराध के संबंध में कोई अन्य रिपोर्ट उसे की जाती है तो उसको अभिस्वीकृति और प्रथम इतिहास पुस्तक में अभिलिखित रिपोर्ट को एक सही प्रति संबंधित बल-सदस्य प्राप्त करेगा। इसके पश्चात् चौकी कमाण्डर प्रगति को मॉनीटर करेगा।

258.2 यदि पुलिस (जिसके अंतर्गत रेल पुलिस भी है) द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि रेल सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध का पता लगाने के लिए रेल परिसर के भीतर स्थानों पर बेरोकटोक नजर रखी जाए या किसी अपराध में अंतर्बलित अपराधियों की गिरफ्तारी या सम्पत्ति बरामद की जाए, तो चौकी या कम्पनो कमाण्डर दैनिक रोजाना-मचे में रिपोर्ट लिखने के पश्चात् उपलब्ध व्यक्तियों को ऐसी पुलिस की सहायता के लिए भजगा।

259. पुलिस के साथ कालिक बैठक :

259.1 प्रत्येक चौकी कमाण्डर अपनी अधिकारिता में रेल पुलिस थाने के भारसाधक के साथ निम्नलिखित बातों के लिए नियमित रूप से मासिक बैठक करेगा, अर्थात् :—

(क) अपराध की स्थिति का पुनर्बिलोकन करने के लिए;

(ख) ऐसी जानकारी के, जो रेल सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले अपराध के बेहतर नियंत्रण, निवारण और पता लगाने के लिए उपयोगी और आवश्यक हैं, आदान प्रदान के लिए; और

(ग) रेल गाड़ियों और परिसर में विधि और व्यवस्था बनाए रखने के लिए।

259.2 चौकी कमाण्डर उस जिले के, जिसमें उसकी रेल संरक्षण बल चौकी स्थित है, पुलिस अधीक्षक की मासिक अपराध बैठक में भी जाएगा और निम्नलिखित के बारे में जानकारी का आदान प्रदान करेगा, अर्थात्—

(1) अपराधियों के बारे में, रेलों पर क्रियाशील;

(2) चुराई हुई रेल सम्पत्ति के प्रापकों के क्रियाकलाप के बारे में;

(3) फरार व्यक्तियों और अपेक्षित व्यक्तियों की और पूर्ववर्ती डास के दौरान उनकी गिरफ्तारी में हुई प्रगति के बारे में;

(4) संवेदनशील और बदनाम स्थलों पर की जा रही या को जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई और रेल संरक्षण बल द्वारा जिला पुलिस से इस बाबत अपेक्षित सहयोग/सहायता के बारे में।

259.3 सहायक सुरक्षा आयुक्त रेल पुलिस के संबंधित उपमंडल पुलिस अधिकारी के साथ दो मास में एक बार समन्वय बैठक करेगा और उस बैठक का कार्यवृत्त मंडल सुरक्षा आयुक्त को प्रस्तुत किया जाएगा।

259.4 मंडल में सुरक्षा आयुक्त बल, रेल पुलिस और जिला पुलिस के बीच बेहतर सहयोग और समन्वय सुनिश्चित करने के लिए अपनी अधिकारिता में पड़ने वाले रेल पुलिस अधीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक के साथ तीन मास में एक बार समन्वय बैठक करेगा। वे बैठकें अपराध, अपराधियों और रेलों में विधि व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित अन्य विषयों तथा रेल सम्पत्ति की सुरक्षा और उसके संचलन को प्रभावित करने वाले अपराध के बारे में जानकारी और आसूचना के आदान-प्रदान के लिए मंच के रूप में भी होंगी।

259.5 मुख्य सुरक्षा आयुक्त, राज्य के पुलिस प्राधिकारियों के साथ निकट सम्पर्क बनाए रखने की दृष्टि से :—

(क) राज्य पुलिस में, जिसके अंतर्गत रेल पुलिस और सिविल प्रशासन है, अपने प्रतिस्थानी अधिकारियों के साथ कालिक बैठकें और सम्मेलन उन सब मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए करेगा, जो रेल सुरक्षा को प्रभावित करते हैं;

(ख) रेलों पर अपराध से संबंधित जानकारी का अपने प्रतिस्थानी अधिकारियों के साथ आदान-प्रदान करने के प्रत्येक अवसर का लाभ उठाएगा; और

(ग) राज्य और रेल पुलिस के साथ अपराध की समीक्षाओं का आदान-प्रदान करेगा।

259.6 ऐसे कोई मतभेद, जो बल और रेल पुलिस के बीच पैदा हो सकते हैं, तत्परता से और बुद्धिमतापूर्वक दोनों बलों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निपटाए जाएंगे और उस मामले को सुलझाने के लिए संयुक्त जांच, यदि आवश्यक है तो, की जाएगी।

260. अन्य रेल विभागों के साथ सम्पर्क :

260.1 अपने कानूनी कर्तव्यों के पालन में, सभी बल-सदस्य रेल के अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ निकट सम्पर्क और सहयोग बनाए रखेंगे।

260.2 मुख्य सुरक्षा आयुक्त अन्य विभागों के अध्यक्षों के परामर्श से, अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा बल-सदस्यों की ऐसी संयुक्त कार्रवाई के लिए आदेश जारी करेगा जो रेल सम्पत्ति के बेहतर संरक्षण और सुरक्षा में साधक हो सकें।

260.3 सब ऐसे मतभेद, जो बल-सदस्यों और अन्य रेल सेवकों के बीच उत्पन्न हों, उस अधिकारी द्वारा, जो रेल में संबंधित बल-सदस्य से वरिष्ठ है, निपटाए जाएगा और यदि ऐसा अधिकारी आवश्यक समझे तो ऐसे मतभेदों को सुलझाने के लिए संयुक्त जांच की जा सकेगी।

260.4 प्रत्यारोपी प्रकृति के सभी परिवारों का निपटारा विभागीय तौर पर किया जाएगा और किसी भी दशा में विधिक कार्रवाई का अवलम्ब, यथास्थिति, मुख्य सुरक्षा आयुक्त या महानिदेशक से पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त किए बिना, सूही किया जाएगा।

261. प्रकीर्ण :

261.1 विभिन्न स्तरों पर ऐसी सामयिक बैठकें और सम्मेलन करने, कार्यवृत्त अभिलिखित करने और बल तथा अन्य विभागों के संयुक्त प्रयासों से प्राप्त हुए परिणामों का पुनरीक्षण करने के लिए कार्यवृत्तों के वितरण और ऐसे तरीके, जो और सुधार करने के लिए आवश्यक समझे जाएं, खोजने के लिए त्वरित प्रक्रिया, निर्देशों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी।

अध्याय 19

विशेष कल्याणकारी उपाय

262. कल्याणकारी निधियों और स्कीमों का संस्थापन और विनियमन :

262.1 केन्द्रीय सरकार, बल-सदस्यों के कर्तव्यों की दुर्भर और कठिन प्रकृति को देखते हुए कोई विशेष निधि सृजित कर सकेगी या कोई विशेष कल्याणकारी उपाय या बीमा स्कीम या कोई अन्य स्कीम या कोई सहकारी सोसाइटी आरंभ कर सकेगी और ऐसे उपायों के लिए निधि का उपबंध किसी सतत् आधार पर या अन्य आधार पर कर सकेगी।

262.2 ऐसे विशेष उपायों में निम्नलिखित सम्मिलित हो सकेंगे—

- (क) कामिकों और उनके कुटुम्बों के रहने के लिए समुचित वास-सुविधा व्यवस्था करना ;
- (ख) भीतरी और बाहरी खेल के रूप में आमोद-प्रमोद संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था और आमोद-प्रमोद कक्षों में रेडियो और टेलीविजन लगाना ;
- (ग) शैतिक और चलते-फिरते पुस्तकालयों की व्यवस्था करना ;
- (घ) केन्टीन और विभागोंय तौर पर चलाए जाने वाले किराने और सहबद्ध भण्डारों की व्यवस्था करना ;
- (ङ) आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से कुटुम्बों के सदस्यों के लिए फालतू समय में नियोजन की व्यवस्था करना ;
- (च) कुटुम्बों और आश्रितों को तथा उन व्यक्तियों को अधिक सहायता देना जो कठोर सेवा के कारण निशक्त हो गए हैं ;
- (छ) सेवानिवृत्त व्यक्तियों या सक्रिय सेवा के लिए वित्तीय दृष्टि से अशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास की व्यवस्था करना ;
- (ज) विकलांगों के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ;
- (झ) बोर्डिंग सुविधाओं सहित या रहित विद्यालयों की व्यवस्था करना ;
- (ञ) कामिकों के लिए शैक्षिक और तकनीकी दोनों क्षेत्रों में पत्राचार पाठ्यक्रम आयोजित करना और प्रारंभ करना ;
- (ट) कामिकों के प्रतिपाह्वों के लिए सहायता प्राप्त तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना ;
- (ठ) समूह-बीमा और वक्त स्कीमों को प्रोत्साहन प्रदान करना ;
- (ड) परिवार कल्याण केन्द्रों, शिशुकक्षों और प्रसूति केन्द्रों की स्थापना करना ;
- (ढ) अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना करना ;
- (ण) क्षयरोग, पक्षाघात, कैंसर आदि जैसी ठमिनल और लम्बी रणता से पैदा होने वाले कष्ट में कमी करना।

262.3 जब कभी ऐसी कोई स्कीम प्रारंभ की जाती है या किसी विशेष निधि का गठन किया जाता है तो उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट किसी उपाय के प्रयोजनों के लिए किसी भी बल-सदस्य के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे कल्याणकारी उपायों की योजना में भाग लें, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने, अभिदाय करने या इस प्रयोजन के लिए हितधारियों से अभिदान एकत्र करने के लिए नई स्कीमों का सुझाव दे और ऐसी निधि का प्रबंध करे, उसे प्रचलित और प्रशासित करे :

परंतु वास्तविक कल्याणकारी आवश्यकताओं के लिए किसी ऐसी निधि का पर्याप्त उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, इसका प्रबंध किसी ऐसी समिति में विहित होगा जिसमें मुख्य रूप में हितधारिणी समाविष्ट हों :

परंतु यह और कि निधि की किसी ऐसी समिति द्वारा, जिसमें बल की विभिन्न पंक्तियों के सदस्य समाविष्ट हों, नियमित लेखापरीक्षा की जाने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की जाएंगी।

263. कर्मचारी सहकारी आवास सोसाइटी :

263.1 बल-सदस्यों के लिए किसी क्षेत्र या जिले में सहकारी आवास सोसाइटीयां स्थापित करना या सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता सुनिश्चित करना विधिपूर्ण होगा।

263.2 केन्द्रीय सरकार या महानिदेशक ऐसी सोसाइटीयों को उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध कर सकेगा।

264. भोजनालय और केन्टीन :

264.1 केन्द्रीय सरकार बल-सदस्यों के फायदे के लिए भोजनालय और केन्टीन चला सकेगी जहां वस्तुएं कोई लाभ के आधार पर नहीं बेची जाएंगी।

264.2 जब कभी ऐसी भोजनालय और केन्टीन की व्यवस्था की जाती है, तब उपयुक्त भवन किराए पर या अन्यथा लिया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए वित्तीय और अन्य साज-सामान की व्यवस्था की जाएगी।

264.3 महानिदेशक ऐसे रजिस्टर, जो बनाए रखे जाने ह और ऐसी रीति जिससे ऐसे भोजनालयों और केन्टीनों का पर्यवेक्षण किया जाना है, विहित कर सकेगा।

अध्याय 20

प्रकीर्ण

265. जांच न्यायालय :

265.1 जब अधिविष्ट किया जाएगा : जांच न्यायालय किसी ऐसे अपराध का, जिसके बारे में यह अभिहित है कि वह किसी अम्यावेशित बल-सदस्य द्वारा किया गया है, या वन से संबंधित किसी अनुशासनिक बात का या किसी अन्य महत्वपूर्ण बात का, अन्वेषण करने के लिए अधिविष्ट किया जा सकेगा।

265.2 जांच न्यायालय निम्नलिखित मामलों में आवश्यक अधिविष्ट किया जाएगा—

- (क) ऐसे व्यक्तियों की, जो अधिनियम के अधधीन ह या बल लाइनों के भीतर अन्य व्यक्तियों की अप्राकृतिक मृत्यु। उसी समय एक रिपोर्ट संदेशवाहक के माध्यम से उस पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को भेजी जाएगी जिसकी अधिकारिता में ऐसी अप्राकृतिक मृत्यु हुई है ;

- (ख) बल-पदार्थों द्वारा फायर करने का प्रत्येक मामला चाहे वह फायर संक्रियात्मक हो या आकस्मिक ;
- (ग) ऐसे व्यक्तियों को, जो अधिनियम के अधधीन हैं, हुई ऐसी क्षति ; जिन्से पूर्ण या आंशिक निःशक्तता होने की संभावना है । ऐसे मामलों में जांच न्यायालय यह अवधारित करेगा कि ऐसी क्षति सेवा की अम्पावश्यकताओं से हुई मानी जा सकती है या नहीं ;
- (घ) वित्तीय अनियमितताएँ, सार्वजनिक या बल की सम्पत्ति, जिसके अंतर्गत आयुध और गोला-बारुद भी हैं की हानि, चोरी और दुर्विनियोग,
- (ङ) ऐसे मामले जिनमें बल का कोई पालतू पशु ऐसी परिस्थितियों में, जो संक्रियात्मक दशाओं से उत्पन्न नहीं होती हैं, खो जाता है, अवारा हो जाता है या किसी लाइलाज क्षति से उसकी मृत्यु हो जाती है या उसके कारण उसको नष्ट कर दिया जाता है ;
- (च) गोपनीय दस्तावेजों और गोपनीय या सुरक्षापरि वर्गीकरण वाली किसी अन्य सामग्री का खोना ऐसे जांच न्यायालय के लिए आदेश उस व्यक्ति से वरिष्ठ किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा दिया जाएगा जिसने अपने प्रभार में का दस्तावेज या सामग्री खो दी है ;
- (छ) किसी व्यक्ति के शरीर या सम्पत्ति को हुआ नुकसान जिसकी बाबत रेल या बल के विरुद्ध दावा किए जाने की संभावना है ; और
- (ज) बल के मोटर यानों की दुर्घटना ।

265.3 गठन :

जांच न्यायालय, निरीक्षक से अनिम्न रैंक के एक अधिकारी, जो पीठासीन अधिकारी होगा, और समुचित रैंक के कम से कम दो अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा । जब न्यायालय को विशिष्ट प्रकृति के मामलों का अन्वेषण करना हो और बल के ऐसे अधिकारी, जो विशिष्ट अर्हताएँ रखते हों, सदस्य बनने के लिए उपलब्ध न हों तब ऐसे व्यक्तियों को, जो अधिनियम के अधधीन नहीं हैं, सदस्यों के रूप में नियुक्त की जा सकती ।

265.4 समवेत होना :

जांच न्यायालय सहायक सुरक्षा आयुक्त या उससे वरिष्ठ किसी अधिकारी या प्राधिकारी के आदेश से समवेत हो सकेगा ।

265.5 समवेत होने का आदेश :

जांच न्यायालय को समवेत करने वाले आदेश में न्यायालय का गठन, उसके समवेत होने का समय और स्थान उल्लिखित किया जाएगा और उसमें वे विषय स्पष्ट रूप से उल्लिखित किए जाएंगे जिनका अन्वेषण न्यायालय करेगा । इसमें ऐसे न्यायालय की प्रशासनिक आवश्यकताओं के बारे में भी उपबंध किया जाएगा ।

265.6 जांच न्यायालय की प्रक्रिया :

- (क) जांच न्यायालय की कार्यवाहियाँ जनता के लिए साधारणतया खुली नहीं होंगी । कार्यवाहियों में केवल वे ही व्यक्ति उपस्थित रह सकेंगे जिन्हें ऐसा करने के लिए न्यायालय द्वारा अनुज्ञात किया जाए ;
- (ख) सभी साक्षियों का साक्ष्य शपथ या प्रतिज्ञान पर लिया जाएगा ;
- (ग) साक्षियों द्वारा दिया गया साक्ष्य घुमाव के रूप में अभिलिखित किया जाएगा, जब तक न्यायालय का यह विचार न हो कि उसे प्रश्नोत्तर के रूप में अभिलिखित किया जाए ;

- (घ) न्यायालय किन्हीं दस्तावेजों पर विचार कर सकेगा, भले ही वे औपचारिक रूप से साबित न किए गए हों ;
- (ङ) न्यायालय कोई भी साक्षियों से ऐसे प्रश्न किसी भी रूप में पूछ सकेगा जिन्हें वह सच्चाई मानने के लिए आवश्यक समझे और वह किसी भी उपलब्ध साक्ष्य पर विचार कर सकेगा ;
- (च) किसी वाउन्सेल या विधि व्यवसायी को उस हैसियत में जांच न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ;
- (छ) जांच न्यायालय के समक्ष साक्षियों की हजिरी उपाप्त करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 69 के उपबंध लागू होंगे ;
- (ज) किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो अधिनियम के अधधीन है कोई राय देने के पूर्व न्यायालय उस व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा ।
- (झ) जांच न्यायालय के अभिलेख किसी पश्चात्पूर्व कार्यवाही में साक्ष्य में ग्राह्य होंगे :

परंतु न्यायालय के समक्ष पूछे गए किसी प्रश्न का साक्षी द्वारा दिया गया उत्तर, ऐसे न्यायालय के समक्ष भिन्न साक्ष्य देने के किसी आरोप के सिवाय, किसी पश्चात्पूर्व अवसर पर किसी आरोप में ऐसे साक्षी के विरुद्ध ग्राह्य नहीं होगा ।

265.7 जांच पूरी करने के लिए समय सीमा :

प्रत्येक जांच, यथासंभव शीघ्रता के साथ और किसी दशा में जांच न्यायालय के समवेत होने की तारीख से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी जब तक कि ऐसे कारणों से, जो पीठासीन अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसा करना उन परिस्थितियों के कारण संभव नहीं है, जो उसके नियंत्रण के बाहर हैं ।

265.8 जांच न्यायालय की कार्यवाहियों पर कार्यवाई :

जांच-न्यायालय की कार्यवाहियाँ, पीठासीन अधिकारी द्वारा उस अधिकारी या प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएंगी जिनमें जांच न्यायालय का आदेश दिया था । ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी कार्यवाहियों के प्राप्त होने पर, यदि वह ऐसा करने के लिए सक्षम है तो, कार्यवाहियों पर स्वयं अंतिम आदेश पारित कर सकेगा या उन्हें वरिष्ठ प्राधिकारी को निर्देशित कर सकेगा ।

265.9 जांच न्यायालय की कार्यवाहियों की प्रक्रिया :

यह व्यक्ति, जो अधिनियम के अधधीन है और जिसके विरुद्ध जांच न्यायालय ने कोई राय दी है या जिसका जांच न्यायालय द्वारा अन्वेषण किए गए विषयों से संबंधित आरोप पर सुरक्षा न्यायालय द्वारा विचारण किया जा रहा है, जांच न्यायालय की कार्यवाहियों की प्रतियों का हकदार होगा, जब तक कि मुख्य सुरक्षा आयुक्त या महानिदेशक लोक हित में अन्यथा आदेश न करें ।

266. कार्यालयों और बल के यूनिटों का निरीक्षण :

266.1 चौकी और अन्य अधीनस्थ यूनिटों का जो निरीक्षण पदा-तृक में विभिन्न अधिकारियों द्वारा किया जायेगा वह इस प्रकार सुव्यवस्थित होगा जिससे उन विवरणों में लिखाई के काम का भार कम किया जा सके ।

266.2 ब्यौरेवार कालिक निरीक्षण केवल ऐसे एक अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो उस यूनिट का भारसाधन करने वाले पदधारी से

एक रैंक बरिष्ठ होगा। उच्चतर स्तरों के अधिकारी मुख्य रूप से अपना ध्यान ऐसे पहलुओं तक इस दृष्टि से सीमित रखेंगे कि वे—

- (क) निरीक्षण किए गए यूनिट के कार्यकरण पर पूरी दृष्टि रख सकें और यह जांच पड़ताल कर सकें कि समय-समय पर जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों का सम्यक रूप से पालन किया जा रहा है;
- (ख) यह अध्ययन कर सकें कि रेल सम्पत्ति की चोरी या भूषण, रेल राजस्व के रिसन, अग्नि परिसंकट आदि के विरुद्ध विद्यमान आधारभूत सुरक्षा व्यवस्थाएँ पर्याप्त हैं या नहीं और स्वयं को अपने भारसाधन में की अवरुद्ध स्थिति से परिचित करा सकें;
- (ग) यह सुनिश्चित कर सकें कि यूनिट में रखे विभिन्न अभिलेख सही और स्वच्छ रखे जा रहे हैं और यह कि अवरुद्ध के निवारण और नियंत्रण के संबंध में एकत्र की गई जानकारी का कर्मचारियों द्वारा पूरा लाभ उठाया जा रहा है;
- (घ) यह देख सकें कि वस्त्र, उपकरण, फर्नीचर, सेवा और आवासिक भवन अच्छी हालत में हैं और उचित रूप से बनाए रखे रहे हैं;
- (ङ) सदस्यों के साथ व्यक्तिगत संपर्क बना सकें और स्वयं को उन कठिनाइयों से परिचित करा सकें जिनका सदस्य फील्ड में सामना कर रहे हैं, यूनिट के कामियों के मनोबल की दशा का निर्धारण कर सकें और यूनिटों की समस्त प्रभावशीलता के सुधार में मुख्यालय से अपेक्षित प्रशासनिक सहायता की प्रकृति का अनुमान लगाया जा सके; और
- (च) पर्यवेक्षक अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले पर्यवेक्षण की क्वालिटी के बारे में विचार बना सकें और जहाँ आवश्यक समझा जाएगा वहाँ सुधारों के बारे में सुझाव दे सकें।

267. फील्ड यूनिटों में लिखाई का काम :

267.1 एक स्थायी समिति, जिसमें अन्य व्यक्तियों के अतिरिक्त चौकी कमाण्डर या कंपनी कमाण्डर भी होंगे, प्रत्येक आंचलिक मुख्यालय में तीन वर्ष में एक बार यह देखने के लिए कि विरचनाओं में पुनरावृत्ति और अर्थहीन लिखाई के काम का भार कम करने की दृष्टि से—

- (क) कुछ विवरणियों में परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं अथवा उन्हें एक साथ एकत्र किया जा सकता है या नहीं अथवा उन्हें बन्द किया जा सकता है या नहीं; और
- (ख) आंकड़ें एकत्र करने के लिए प्रोफार्मा को मानकीकृत और अद्यतन बनाने के लिए, बनाई जाएगी।

267.2 एक लघु सांख्यिकी सैल का अवर उप मुख्य सुरक्षा आयुक्त के सीधे भारसाधन में सुरक्षा कमिसारियत में गठन किया जाएगा। यह सैल संसद या राज्य विधान मंडलों में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उस सामग्री से जानकारी का संकलन करेगा जो वहाँ पहले से उपलब्ध है। फील्ड में अर्वाचन्य यूनिटों को तभी निर्देशित किया जावेगा जब अपेक्षित जानकारी सुरक्षा कमिसारियत में उपलब्ध न हो।

268. अभिलेख और रजिस्टर :

268.1 बरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालयों, चौकियों, कंपनियों, छोटी चौकियों, टुकड़ियों और अन्य यूनिटों में रखे जाने वाले अभिलेख और रजिस्टर तथा उनके लिए प्रोफार्मा ऐसे होंगे जो महानिदेशक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएँ।

269. सम्मान गारद :

269.1 सम्मान गारद—

- (1) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और किसी राज्य के राज्यपाल के रेलगाड़ी से आगमन और प्रस्थान के लिए; और
- (2) स्वतंत्रता और गणतंत्रता दिवस समारोहों या राष्ट्रीय महत्व के अन्य समारोह कार्यों के लिए;

भेजी जाएगी।

269.2 सम्मान गारद किसी अन्य विशिष्ट व्यक्ति के स्वागत के लिए, महानिदेशक के अभिव्यक्त आदेश के बिना, नहीं भेजी जाएगी :

परन्तु कोई भी सम्मान गारद "अक्रमण" के पश्चात या "मेरीनाद" के पूर्व नहीं भेजी जाएगी :

परन्तु यह औरकि केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा समारोह और सुरक्षा गारद भेजने के संबंध में संव के अन्य सशस्त्र बलों को जारी किए गए सभी अन्य अनुदेश या आदेश ऐसे समारोह गारद को भी यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे जिसकी व्यवस्था बल द्वारा की जानी है।

269.3 अभिनन्दन का कब हकदार न होगा :

मुख्य सुरक्षा आयुक्त की रैंक से नीचे का कोई अधिकारी सलामी बिगुल बजाकर या डोल की गुंजदार आवाज द्वारा किए जाने वाले अभिनन्दन का तब हकदार नहीं होगा जब कोई गारद उसे "सलामी शस्त्र" करता है। इसी प्रकार जब कोई अधिकारी वर्दी में नहीं है तब वह उन अवसरों को छोड़कर, जो उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट हैं, गारद टर्निंग आउट अभिनन्दन का हकदार नहीं होगा।

270. स्थैतिक गारद :

270.1 स्थैतिक गारद, जिसमें एक हेड कांस्टेबल और तीन कांस्टेबल या उतने कांस्टेबल होंगे, जितने आवश्यक हों, यूनिट वाकूदशाला, स्टोर, लाइन आदि की रक्षा करने के लिए आवश्यकतानुसार तैनात किए जाएंगे किसी विशिष्ट गारद का ड्यूटी क्षेत्र, गारद कमांडर और संतरी की ड्यूटियां, गारद कक्ष में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाएंगी।

270.2 मुख्य सुरक्षा आयुक्त या रेल संरक्षण विशेष बल के उप महानिरीक्षक और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के लिए विशेष गारद की व्यवस्था की जाएगी और यह व्यवस्था उन्हीं स्थानों पर की जाएगी जहाँ अधिकारी ठहरे हुए हैं (निवास स्थान)।

270.3 रेल संरक्षण बल का झंडा, मुख्य सुरक्षा आयुक्त और बल के अन्य उच्चतर अधिकारियों के निवास स्थान पर फहराया जाएगा। अन्य अधिकारियों की दशा में, उनकी ध्वजा फहराई जाएगी। संक्रिया क्षेत्रों में, सुरक्षा आयुक्त, यदि परिस्थितियों से ऐसा अपेक्षित है तो, मुख्य सुरक्षा आयुक्त की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात झंडा न फहराने के आदेश दे सकेगा।

270.4 जब वह अधिकारी, जिसे गारद उपलब्ध कराई गई है, उपस्थित हो और यदि कोई ऐसा अधिकारी जो उससे कनिष्ठ है, अत्यधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति गारद के पास से होकर गुजरता है तो गारद टर्न आउट नहीं होगा और संतरी सावधान हो जाएगा।

271. सुरक्षा सहायक :

271.1 उपनियम (3) के प्रयोजनों के लिए किसी अधिकारी से संलग्न कोई अभ्यावेशित बल सदस्य, सुरक्षा सहायक कहलाएगा।

271.2 हकदारी :

सुरक्षा सहायक की सहायता की हकदारी का अवधारण, महानिदेशक द्वारा अधिकारी के रैंक के अनुसार अवधारित न करके अधिकारी के

कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों की प्रकृति के प्रति निर्देश से ऐसी सहायता की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा।

271.3 प्रत्येक अधिकारी की सहायता की हकदारी का अनुमान सुरक्षा सहायक के निम्नलिखित कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए लगाया जाएगा :—

- (1) अधिकारी से मिलने आने वाले अजीबों, परिवारियों और अन्य आगन्तुओं पर ध्यान देना;
- (2) टेलीफोन कालों को, विशेष तौर पर अधिकारी की अनुपस्थिति के दौरान सुनना और अनुकूल उत्तर देना जिससे टेलीफोन करने वाला व्यक्ति कार्रवाई के लिए किसी अन्य उपयुक्त कृत्यकारी से बात कर सके;
- (3) अधीनस्थ अधिकारियों को टेलीफोन पर संदेश देना;
- (4) अधिकारी के फ़ील्ड कार्य में उसके साथ जाना और उसके साथ उपस्थित रहना जिससे वह किसी भी परिस्थिति से निपटने में उसकी सुरक्षा और सहायता कर सके;
- (5) संदेश और फाइलों को अधिकारी से उन स्थानीय कर्मचारियों तक पहुंचाना जो निकट ही तैनात हैं;
- (6) अधिकारी की वर्दी और आयुध साफ और बढ़िया हालत में रखने में उसकी सहायता करना;
- (7) अधिकारी के स्वागत कक्ष और कार्यालयों को अम्बुगर्तों के स्वागत और शासकी कारवार करने के लिए साफ-सुथरी हालत में बनाए रखना :

परन्तु (1) से (4) में उल्लिखित कर्तव्यों का पालन अन्य रैंक द्वारा भी किया जा सकेगा जबकि शेष कर्तव्य सहायक कर्मचारियों को सौंपे जा सकेंगे।

272. रोगी सूची में के. बल-सदस्य :

272.1 इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, किसी भी बल-सदस्य को किसी रेल चिकित्सा अधिकारी द्वारा रोगी सूची में तब तक नहीं रखा जाएगा जब तक ऐसा सदस्य अपने नियंत्रक अधिकारी से एक लिखित निर्देश जिसका नाम “रोगी जापन” है अपने साथ लेकर नहीं आता है :

परन्तु किसी आपात की दशा में, किसी सदस्य को आवश्यक उपचार दिया जा सकेगा किन्तु रेल चिकित्सा प्रमाणपत्र (आरएमसी) रोगी जापन प्राप्त होने के पश्चात् ही जारी किया जाएगा :

परन्तु यह और कि किसी ऐसे सदस्य को, जो अपने मुख्यालय से बाहर छुट्टी कर है, आपात रोगों में सात दिन से अधिक अवधि के लिए या उसकी मंजूर छुट्टी की अवधि के लिए रोगी सूची में रखा जा सकेगा। उस अवधि के भीतर उस सदस्य से अपने नियंत्रक अधिकारी से “रोगी जापन” प्राप्त करने के लिए कहा जाएगा तथा और विस्तारण वृद्धि “रोगी जापन” की प्राप्ति के पश्चात् ही अनुज्ञात किया जाएगा।

272.2 कोई भी रेल चिकित्सा अधिकारी, नियंत्रक अधिकारी से रोगी जापन लिए बिना, भारतीय रेल चिकित्सा निर्देशिका के नियम 537 के अधीन आबद्धा के परिवर्तन या पुनः स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रमाणपत्र जारी नहीं करेगा।

272.3 स्वास्थ्य युक्तियों में सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी या मंडल चिकित्सा अधिकारी ही रेल चिकित्सा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम होंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रत्येक अस्पताल में इस प्रयोजन के लिए सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारियों या मंडल चिकित्सा अधिकारियों का नामनिर्देशन करेगा।

272.4 यदि नामनिर्देशित रेल चिकित्सा अधिकारी किसी सदस्य की शारीरिक परीक्षा करने पर किसी सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंचता है तो वह बहिरंग रोगी विभाग से रेल चिकित्सा प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा अन्यथा सदस्य को उसकी बीमारी के स्थापन के लिए अंतरंग रोगी के रूप में दाखिल किया जाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो रेल चिकित्सा प्रमाणपत्र, रोगी जानन जारी करने वाले प्राधिकारी को सूचित करते हुए, जारी कर दिया जाएगा।

272.5 कोई भी रेल चिकित्सा प्रमाणपत्र एक बार में तीस दिन से अधिक के लिए जारी नहीं किया जाएगा जब तक कोई सदस्य, अंतरंग रोगी के रूप में अस्पताल में दाखिल न कर लिया जाए। इसी प्रकार अस्पताल से छुट्टी के पश्चात् किसी सदस्य को एक बार में सात दिन से अधिक के लिए रोगी सूची में नहीं रखा जाएगा।

272.6 किसी ऐसे सदस्य को, जिसे रेल चिकित्सा, प्रमाणपत्र जारी किया गया है, उसके अनुपरीक्षण के दौरान रेल चिकित्सा अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से परीक्षा की जाएगी। यदि बीमारी के चौदह दिन से अधिक अवधि तक बने रहने की संभावना है तो सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी या मंडल चिकित्सा अधिकारी मामले को मंडल के भारतीय रेल चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित करेगा जो आगे रेल चिकित्सा प्रमाणपत्र जारी करेगा।

272.7 जब कभी कोई रोगी प्रमाणपत्र या विस्तारण प्रमाणपत्र रेल चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है तब ऐसी बीमारी की छुट्टी की जिसकी निवारण की गई है, अवधि तारीख सहित उसमें अवश्य उल्लिखित की जाएगी।

272.8 जब कभी कोई बीमारी प्रमाणपत्र, विस्तारण प्रमाणपत्र या आरोग्य प्रमाणपत्र रेल चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है तब वह संबंधित सदस्य को प्रमाणपत्र देने से पहले उस पर उसके हस्ताक्षर अवश्य लेगा।

272.9 रोगी सूची में का कोई बल-सदस्य, छुट्टी मंजूर करने वाले प्राधिकारों के लिखित अनुमोदन के बिना, उपचार के अपने स्थान को सिवाय ऐसे अभ्यास के नहीं छोड़ेगा जो उसके नियुक्त चिकित्सकीय परिचारक द्वारा आदेश में विहित और अधिसूचित किया जाए।

273. “पद” की जोखिम के कारण प्रसुविधाएं :

यदि कोई बल-सदस्य अपने कर्तव्य के निर्वहन में या अपने कर्तव्य के निर्वहन में उसके द्वारा की गई किसी बात के परिणामस्वरूप या अपने पद की विशेष जोखिम के कारण स्थायी और अस्थायी रूप से निश्चक हो जाता है या उसकी दशा स्तर हो जाती है तो वह समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमों द्वारा शामिल होगा।

274. सेवोन्मुक्ति प्रमाणपत्र :

कोई व्यक्ति, बल-सदस्य न रहने पर, अपने अव्यवहित वरिष्ठ अधिकारी को अपना नियुक्ति प्रमाणपत्र अर्पण कर देगा और तदुपरि उसे अनुसूची 12 में विनिर्दिष्ट रूप में सेवोन्मुक्ति प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

275. पुनः भर्ती

किसी ऐसे बल सदस्य को, जो स्वागमन या सेवा से हटाए जाने के परिणामस्वरूप बल सदस्य नहीं रहा है और जिसकी पूर्ववर्ती सेवा अच्छी रही है और जो वित्तीय दृष्टि से योग्य है, उसके बल सदस्य न रहने के दो वर्ष की अवधि के भीतर मुख्य सुरक्षा आयुक्त की मंजूरी से पुनः भर्ती किया जा सकेगा। ऐसी पुनः भर्ती को नई भर्ती माना जाएगा।

276. अनुसन्धित कर्मचारिवृन्द :

276.1 ऐसे काम की, जिसके करने की अनुसन्धित कर्मचारिवृन्द से अपेक्षा की जाएगी, अत्यंत गोपनीय और तकनीकी प्रकृति को देखते हुए, बल का अपना एक अनुसन्धित काडर होगा, जिसमें प्रारंभ में व्यक्ति प्रतिनियुक्ति पर भी लिए जा सकेंगे। उस काडर में निम्नलिखित रैंक होंगे :

- (क) अधीक्षक;
- (ख) सहायक;
- (ग) आसुलिपिक;
- (घ) ज्येष्ठ लिपिक; और
- (ङ) लिपिक सह टंकण।

276.2 उक्त पदों से संबंधित भर्ती की पद्धति और सेवा की अन्य बातें रेल स्थापन संभ्रंता में अधिकृत नियमों और प्रक्रिया के अनुसार होंगी।

276.3 वह अनुसन्धित काडर जो इस समय सुरक्षा विभाग में तैनात है, मुख्य सुरक्षा आयुक्त के नियंत्रण के अधधीन होगा जो उनका विभागाध्यक्ष होगा।

277. प्रतिनियुक्ति पर के किसी अधिकारी को बल में शामिल करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति :

277.1 इन नियमों की कोई भी बात, बल में प्रतिनियुक्ति पर के किसी अधिकारी को बल में, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे और आसाधारण परिस्थितियों में, शामिल करने के केन्द्रीय सरकार के अधिकार पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी जहां केन्द्रीय सरकार की राय में ऐसा अधिकारी उसके द्वारा धारित पद या पदों में कम से कम तीन वर्ष के लिए अपनी विश्वसनीयता का सबूत दे चुका है और ऐसे प्रतिनियुक्त अधिकारी के सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु, जो उसके द्वारा धारित पद के लिए विहित है, प्राप्त करने में उसकी सेवा के कम से कम तीन वर्ष रह गए हैं।

278. रेल संरक्षण बल का बैंड :

278.1 प्रत्येक आंचलिक रेल और प्रत्येक रेल संरक्षण विज्ञेय बल बटालियन में एक बैंड रखा जाएगा और उसमें बल के उतने सदस्य होंगे जो मुख्य सुरक्षा आयुक्त अवधारित करे।

278.2 बैंडमैन, बल के नियमित काडर से लिए जाएंगे और अपनी सामान्य ड्यूटी के अतिरिक्त बैंड बजाएंगे जब तक कि इस प्रयोजन के लिए अलग से उपबंध न किया जाए।

278.3 बैंड समुत्पादित करने के लक्ष्य और उद्देश्य निम्नलिखित होंगे:

- (i) बल सदस्यों का प्रशिक्षण सुकर बनाना;
- (ii) स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस जैसे सभी समारोहों के अवसरों पर और अन्य ऐसे ही महत्वपूर्ण समारोहों में शासकीय बैंड के रूप में कार्य करना ; और
- (iii) कर्मचारियों के कल्याण के लिए मनोरंजन करना।

278.4 प्राईवेट समारोहों पर बैंड बजाने की अनुज्ञा उतना खर्चा देने पर दी जा सकेगी जो मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा अवधारित किया जाए।

279. प्रेस के साथ संबंध :

धारा 15क में विनिर्दिष्ट निबंधनों के अधीन रहते हुए, मंडल सुरक्षा आयुक्त और उच्चतर रैंक के अधिकारी को रेल सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध और उसके संचलन में बाधा से संबंधित सांख्यिकीय और अन्य सुसंगत व्योरे तथा ऐसे अन्य महत्वपूर्ण और सततमीखेज मामलों के संबंध में, जिनका बल द्वारा अन्वेषण या जांच की जा रही है, व्योरे प्रेस को देने की अनुज्ञा दी जाती है और वह ऐसी विज्ञप्ति की एक प्रति रेल के उन सम्पद विभाग को पृष्ठांकित करेगा :

परन्तु उसकी कोई भी बात, किसी अधिकारी को निम्नलिखित के बारे में व्योरे प्रकट करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी:

- (i) बल द्वारा की जाने वाली कोई संक्रिया
- (ii) ऐसी आसुवना जिसके आधार पर ऐसी संक्रिया की योजना बनाई जा रही है या बनाई गई थी;
- (iii) किसी व्यक्ति की एकांतता; और
- (iv) किसी मामले की न्यायिक अपेक्षा।

अध्याय 21

निरसन और व्यावृत्ति

280. निरसन और व्यावृत्ति रेल संरक्षण बल नियम, 1959 और रेल संरक्षण बल विनियम, 1966 का निरसन किया जाता है।

280.2 ऐसे निरसन के होते हुए भी यह है कि उक्त नियमों या आदेशों के उपबंधों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, जहां, तक ऐसी बात या कार्रवाई इन नियमों के उपबंधों से असंगत नहीं है इन नियमों के उपबंधों के अधीन ऐसे की गई समझी जाएगी मानो ये नियम उक्त समय प्रवृत्त हों जब ऐसी बात या कार्रवाई की गई थी और तदनुसार तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक वह इन नियमों के अधीन की गई किसी बात या कार्रवाई द्वारा अतिष्ठित नहीं कर दी जाती।

अनुसूची 1

(नियम 4 देखिए)

पद और पदनाम

क्र.सं.	पद	पदनाम
1	2	3
I बरिष्ठ अधिकारी		
1. महानिदेशक		महानिदेशक
2. महानिरीक्षक		मुख्य सुरक्षा आयुक्त
3. अपर महानिरीक्षक		मुख्य सुरक्षा आयुक्त
4. उप महानिरीक्षक/रेल संरक्षण बल (जब आंचलिक रेल संरक्षण बल के प्रधान के रूप में तैनात किया जाए)		मुख्य सुरक्षा आयुक्त
5. उप महानिरीक्षक/रेल संरक्षण विशेष बल (जब रेल संरक्षण विशेष बल के प्रधान के रूप में तैनात किया जाए)		मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रेल संरक्षण विशेष बल
6. उप महानिरीक्षक/प्रधानाचार्य रेल संरक्षण बल अकादमी		प्रधानाचार्य, रेल संरक्षण बल अकादमी
7. उप महानिरीक्षक		अपर मुख्य सुरक्षा आयुक्त
8. सहायक महानिरीक्षक		महानिदेशक का सहायक
9. बरिष्ठ कमांडेंट (जब आंचलिक रेल मुख्यालय में द्वितीय क्रमान अधिकारी के रूप में तैनात किया जाए)		उपमुख्य सुरक्षा आयुक्त
10. बरिष्ठ कमांडेंट (जब किसी सुरक्षा मंडल के प्रधान के रूप में तैनात किया जाए)		मंडल सुरक्षा आयुक्त
11. बरिष्ठ कमांडेंट		वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त
12. सहायक महानिरीक्षक		सहायक महानिरीक्षक
13. कमांडेंट (जब किसी सुरक्षा मंडल के प्रधान के रूप में तैनात किया जाए)		मंडल सुरक्षा आयुक्त
14. कमांडेंट/रेल संरक्षण बल		सुरक्षा आयुक्त
15. कमांडेंट/रेल संरक्षण विशेष बल		क्रमान अधिकारी
16. कमांडेंट और महानिदेशक/अपर महानिदेशक का कर्मचारिवृन्द अधिकारी		कर्मचारिवृन्द अधिकारी
17. कमांडेंट (लघु आयुध)		क्रमान अधिकारी (लघु आयुध)
18. उप कमांडेंट		उप सुरक्षा आयुक्त
19. सहायक कमांडेंट और उप महानिरीक्षक/रेल संरक्षण बल का निजी सहायक		निजी सहायक
20. सहायक कमांडेंट		सहायक सुरक्षा आयुक्त
21. सहायक कमांडेंट/रेल संरक्षण विशेष बल		सहायक कमांडेंट
22. सहायक कमांडेंट (एडजुटेंट)		एडजुटेंट
23. सहायक कमांडेंट (प्रधानाचार्य, प्रशिक्षण विद्यालय)		सहायक सुरक्षा आयुक्त (प्रधानाचार्य, आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान) अधीनस्थ अधिकारी
II. अधीनस्थ अधिकारी		
24. निरीक्षक (चौकी)		चौकी कमांडर
25. निरीक्षक (चलता फिरता बिग)		कंपनी कमांडर
26. निरीक्षक (अभियोजन)		लोक अभियोजक
27. निरीक्षक (मुख्यालय)		मंडल निरीक्षक

1	2	3
28.	निरीक्षक (स्टोर)	क्वाटर मास्टर
29.	निरीक्षक (अग्निशमन)	अग्नि निरीक्षक
30.	निरीक्षक (अपराध विंग)	अपराध निरीक्षक
31.	निरीक्षक (विशेष विंग)	विशेष निरीक्षक
32.	उपनिरीक्षक	सूबेदार
33.	उपनिरीक्षक (चलता फिरता विंग)	सहायक कंपनी कमांडर
34.	उप निरीक्षक (अभियोजन)	सहायक लोक अभियोजक
35.	उप निरीक्षक (अग्निशमन)	अग्निशमन केन्द्र अधिकारी
36.	उपनिरीक्षक (रीडर)	अपराध रीडर
37.	सहायक उप निरीक्षक	नायक सूबेदार
38.	डाइवर श्रेणी I	साजेंट डाइवर
III. अवर अधिकारी		
39.	हैड कांस्टेबल	हवलदार
40.	डाइवर श्रेणी II	प्रधान डाइवर
41.	नायक	नायक
42.	डाइवर श्रेणी III	नायक डाइवर
IV. बल के अन्य सदस्य		
43.	कांस्टेबल	कांस्टेबल
44.	कांस्टेबल (अग्निशमन)	फायरमैन
V. सहायक कर्मचारी (अभ्यावेक्षित सदस्य)		
45.	हैड कांस्टेबल (कहार)	प्रधान रसोइया
46.	हैड कांस्टेबल (दर्जी)	प्रधान दर्जी
47.	हैड कांस्टेबल (नाई)	प्रधान नाई
48.	हैड कांस्टेबल (माली)	प्रधान माली
49.	हैड कांस्टेबल (घोड़ी)	प्रधान घोड़ी
50.	हैड कांस्टेबल (सफाईवाला)	प्रधान सफाईवाला
51.	हैड कांस्टेबल (मोची)	प्रधान मोची
52.	नायक (कहार)	रसोइया
53.	नायक (दर्जी)	नायक दर्जी
54.	नायक (नाई)	नायक नाई
55.	नायक (माली)	नायक माली
56.	नायक (घोड़ी)	नायक घोड़ी
57.	नायक (सफाईवाला)	नायक सफाईवाला
58.	नायक (मोची)	नायक मोची
59.	कांस्टेबल (कहार)	कहार
60.	कांस्टेबल (दर्जी)	दर्जी
61.	कांस्टेबल (नाई)	नाई
62.	कांस्टेबल (माली)	माली
63.	कांस्टेबल (घोड़ी)	घोड़ी
64.	कांस्टेबल (सफाईवाला)	सफाईवाला
65.	कांस्टेबल (मोची)	मोची
66.	कांस्टेबल (मोटर क्लीनर)	मोटर क्लीनर

अनुसूची II

वरिष्ठ अधिकारियों की प्रशासनिक शक्तियाँ

(नियम 25 देखिए)

क्र.सं०	शक्तियों की प्रकृति	महानिदेशक	मुख्य सुरक्षा आयुक्त	अपर/उप मुख्य सुरक्षा आयुक्त/प्रधानाचार्य, रेल सुरक्षा बल अकादमी	मंडल सुरक्षा आयुक्त/सुरक्षा आयुक्त/कमान अधिकारी/वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त	उप/सहायक आयुक्त/सहायक रेल विभाग बल/एडजुटेंट	सुरक्षा कर्मा-संरक्षण
1	2	3	4	5	6	7	
1.	नियुक्ति	...	सब अभ्यावेशित सदस्य	निरीक्षक की पंक्ति के नीचे के सब अभ्यावेशित बल सदस्य	उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे के सब अभ्यावेशित बल-सदस्य	कोई शक्ति नहीं	
2.	पुष्टि	...	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	
3.	प्रोन्नति	...	निरीक्षक की रैंक तक	उपनिरीक्षक की रैंक तक	सहायक उपनिरीक्षक की रैंक तक	यथोक्त	
4.	त्यागपत्र की स्वीकृति	...	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	
5.	स्थानांतरण						
5.1	रेल संरक्षण बल के एक काडर से दूसरे काडर में (नियम 16.4 देखिए)	सब अभ्यावेशित सदस्य	कोई शक्ति नहीं	कोई शक्ति नहीं	कोई शक्ति नहीं	कोई शक्ति नहीं	
5.2	उसी मंडल या यूनिट में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को।	यथोक्त	सब अभ्यावेशित सदस्य	निरीक्षक की पंक्ति के नीचे के सब अभ्यावेशित बल-सदस्य	निरीक्षक की पंक्ति के नीचे के सब अभ्यावेशित बल-सदस्य	यथोक्त	
5.3	उसी रेल के एक मंडल से दूसरे मंडल में या रेल संरक्षण विशेष बल की एक बटालियन से दूसरी बटालियन में।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	कोई शक्ति नहीं		
5.4	एक रेल से दूसरी रेल या रेल संरक्षण विशेष बल से आंचलिक रेल में या आंचलिक रेल से रेल संरक्षण विशेष बल में	सब अभ्यावेशित बल-सदस्य	विषय से संबंधित नियमों के अनुसार महानिदेशक की सम्मति अभिप्राप्त करने के पश्चात् सब अभ्यावेशित बल सदस्य	कोई शक्ति नहीं	कोई शक्ति नहीं	कोई शक्ति नहीं	
6.	छुट्टी मंजूर करना	सब अभ्यावेशित बल-सदस्य	सब अभ्यावेशित बल-सदस्य	सब अभ्यावेशित बल-सदस्य	सब अभ्यावेशित बल-सदस्य	सब अभ्यावेशित बल-सदस्य	
7.	दक्षता रोध पार करना	सब अभ्यावेशित बल-सदस्य	सब अभ्यावेशित बल-सदस्य	सब अभ्यावेशित बल-सदस्य	सब अभ्यावेशित बल-सदस्य	सब अपर अधिकारी और उससे नीचे की रैंक के	

1	2	3	4	5	6	7
8.	भत्ता, जिसके अंतर्गत यात्रा भत्ता भी है, मंजूर करना।	सब अभ्यावेशित बल-सदस्य	सब अभ्यावेशित बल-सदस्य	सब अभ्यावेशित बल-सदस्य	सब अभ्यावेशित बल-सदस्य	सब अभ्यावेशित बल-सदस्य
9.	इनाम मंजूर करना।	किसी भी मामले में 2000 रु. तक के लिए पूरी शक्ति	किसी भी मामले में 1000 रु. तक के लिए (मंजूर किए गए आबंटन की उपलब्धता के अधीन के भीतर) पूरी शक्ति।	प्रत्येक मामले में 500 रु. तक के लिए (निधि ह. तक के लिए (मंजूर किए गए आबंटन के भीतर) पूरी शक्ति।	प्रत्येक मामले में 200 रु. तक के लिए (मंजूर किए गए आबंटन के भीतर) पूरी शक्ति, परंतु रेल संरक्षण विशेष बल की बटालियन का कमान अधिकारी प्रत्येक मामले में 500 रु. तक के इनाम मंजूर कर सकेगा।	प्रत्येक मामले में 100 रु. तक के लिए (मंजूर किए गए आबंटन के भीतर) पूरी शक्ति, परंतु रेल संरक्षण विशेष बल की बटालियन के सहायक कर्मा-बेट एडजुटेंट को 200 रु. तक के इनाम मंजूर कर सकेगा।
10.	स्थानांतरण पर अग्रिम मंजूर करना	सब बल-सदस्य	सब बल-सदस्य	सब बल-सदस्य	सब बल-सदस्य	सब अपर अधिकारी और उससे नीचे की रैंक के बल सदस्य
11.	सेवारत और सेवा निवृत्त कर्म-चारियों को (अपनी लाइन और अन्य लाइन) पास और सुविधा टिकट आदेश जारी करना।	पास नियमों के अनुसार पूरी शक्ति	पास नियमों के अनुसार पूरी शक्ति	पास नियमों के अनुसार पूरी शक्ति	पास नियमों के अनुसार पूरी शक्ति	पास नियमों के अनुसार पूरी शक्ति
12.	ल संपत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम और 0. डी. 0. एंड 0. आर. 0. मामलों में भेदियों, साक्षियों को पास	पास नियमों के अनुसार पूरी शक्ति	पास नियमों के अनुसार पूरी शक्ति	पास नियमों के अनुसार पूरी शक्ति	पास नियमों के अनुसार पूरी शक्ति	पास नियमों के अनुसार पूरी शक्ति

टिप्पण : 1. निरीक्षक अपने भारसाधन के अधीन काम करने वाले अभ्यावेशित बल-सदस्यों को पूरी आकस्मिक छुट्टी मंजूर कर सकता है।

2. सब निरीक्षक अपने समावेश के अधीन अभ्यावेशित बल-सदस्यों को पास नियमों के अनुसार सुविधा, ड्यूटी, चिकित्सीय पास जारी कर सकता है।

अनुसूची III

प्रशासनिक प्राधिकारी और उनकी शक्तियाँ (नियम 25 और नियम 133 देखिए)

क्रम सं.	शक्तियों की प्रकृति	महानिदेशक	मुख्य सुरक्षा आयुक्त	अपर/उप मुख्य सुरक्षा आयुक्त/प्रधानाचार्य, रेल संरक्षण बल अकादमी	मंडल सुरक्षा आयुक्त/सुरक्षा आयुक्त/कमान अधिकारी/उपेष्ट सुरक्षा आयुक्त	उप सहायक सुरक्षा आयुक्त/सहायक कमान्डेंट रेल संरक्षण विशेष बल/एडजुटेंट
1	2	3	4	5	6	7
1	निलम्बन	सब अभ्यावेशित बल सदस्य	सब अभ्यावेशित बल सदस्य	सब अभ्यावेशित बल सदस्य	सब अभ्यावेशित बल सदस्य	सब अवर अधिकारी और उससे नीचे की रैंक के
2	पदभ्रष्ट	-यथोक्त-	-यथोक्त-	निरीक्षण की रैंक से नीचे के सब अभ्यावेशित बल-सदस्य	उप निरीक्षक की रैंक से नीचे के सब अभ्यावेशित बल-सदस्य	कोई शक्ति नहीं
3	हटाया जाना	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-
4	अनिवार्य सेवा निवृत्ति	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-
5	रैंक या श्रेणी में अवनति	-यथोक्त-	-यथोक्त-	सब अभ्यावेशित बल सदस्य	सब अभ्यावेशित बल सदस्य	सब अवर अधिकारी और उससे नीचे की रैंक के
6	वर्तमान वेतनमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-
7	वेतनवृद्धियाँ रोकना, चाहे इससे पश्चात्पूर्ति वेतनवृद्धि स्थगित होती हो या न होती हो	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-	सहायक उपनिरीक्षक की रैंक से नीचे के सब अभ्यावेशित बल सदस्य
8	प्रोन्नति रोकना	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-
9	किसी विशिष्ट पद से हटाना या किसी विशेष उपलब्धि से वंचित करना	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-
10	परिनिष्ठा	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-	निरीक्षक की रैंक से नीचे के सब अभ्यावेशित बल सदस्य
11	फिक्सी रकम का, जो सात बिन के वेतन से अधिक न हो, जुमाना	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-
12	क्वार्टर गार्ड में परिरोध जो, बंद ड्रिल, अतिरिक्त पहरा ड्यूटी फटींग ड्यूटी या कोई अन्य बंद ड्यूटी सहित या रहित, चौबह दिन से अधिक न हो	-यथोक्त- (नियम 160 के अधीन रहते हुए)	-यथोक्त- (नियम 160 के अधीन रहते हुए)	-यथोक्त- (नियम 160 के अधीन रहते हुए)	-यथोक्त- (नियम 160 के अधीन रहते हुए)	-यथोक्त- (नियम 160 के अधीन रहते हुए)
13	शिक्षण	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-

1	2	3	4	5	6	7
14 सुविधा पास/सुविधा टिकट आदेश रोकना	सब अभ्यादेशित बल सदस्य	सब अभ्यादेशित बल सदस्य	सब अभ्यादेशित बल सदस्य	सब अभ्यादेशित बल सदस्य	निरिक्षक की रैंक से नीचे के सब अभ्यादेशित बल—सदस्य	
15 नियमों के अधीन अनुज्ञेय अधिकतम पेंशन में कमी या उसे रोकना	पेंशन नियमों के अनुसार सब अभ्यादेशित बल-सदस्य	पेंशन नियमों के अनुसार सब अभ्यादेशित बल-सदस्य	पेंशन नियमों के अनुसार सब अभ्यादेशित बल-सदस्य	पेंशन नियमों के अनुसार सब अभ्यादेशित बल-सदस्य	कोई शक्ति नहीं	
16 --- के आदेशों के विरुद्ध अपोल प्राधिकारी	केन्द्रीय सरकार	महानिदेशक	मुख्य सुरक्षा आयुक्त	चयन श्रेणी के सुरक्षा आयुक्त के आदेशों के विरुद्ध अवर मुख्य सुरक्षा आयुक्त और अन्य सुरक्षा आयुक्तों के आदेशों के विरुद्ध उप मुख्य सुरक्षा आयुक्त और कमान अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध मुख्य सुरक्षा आयुक्त, रेल संरक्षण विशेष बल	उप सुरक्षा आयुक्त/सुरक्षा आयुक्त/कमान अधिकारी	

- टिप्पण :-- 1. असाधारण परिस्थितियों में, किन्तु नियम 133 के अधीन रहते हुए सहायक सुरक्षा आयुक्त/सहायक कमाण्डेंट किसी उपनिरिक्षक को निलम्बित कर सकेगा और निरीक्षक, अवर अधिकारी की रैंक के और उससे नीचे की रैंक के किसी सदस्य को निलम्बित कर सकेगा ।
2. निरीक्षक अवर अधिकारी की रैंक के और उससे नीचे की रैंक के सदस्यों को क्वार्टर गार्ड में परिरोध का दंड, जो दंड, ड्रिल, अतिरिक्त पहरा ड्यूटी, पटींग ड्यूटी या कोई अन्य ड्यूटी सहित या रहित, चौदह दिन से अधिक का न हो, देने के लिए सशक्त है ।
3. निरीक्षक सहायक उपनिरिक्षक की रैंक के और उससे नीचे की रैंक के सदस्यों को धिक्कण्ड देने के लिए सशक्त हैं ।
4. खंड 16 के अधीन उल्लिखित अपोल प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग केवल उन अधिकारियों द्वारा किया जाएगा जो अपना पद नियमित आधार पर धारण किए हुए हैं :
- परन्तु महानिदेशक पद की प्रकृति और अवधि को देखते हुए, नियम 74 के अधीन बल के किसी प्रोन्नत वरिष्ठ अधिकारी को उस उच्चतर पद पर यथा अनुज्ञेय अपोल प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है ।

अनुसूची IV

नियुक्तियाँ और प्रोन्नतियाँ

(नियम 25 देखिए)

क्रम सं.	वर्णन	निरीक्षक श्रेणी I (कार्यपालक)	निरीक्षक श्रेणी II (कार्यपालक)	उपनिरीक्षक (कार्यपालक)
1	2	3	3	5
1. पदों की संख्या		जो समय-समय पर विनिश्चित की जाएं	जो समय-समय पर विनिश्चित की जाएं	जो समय-समय पर विनिश्चित की जाएं
2. चयन पद/अचयन पद		अचयन	चयन	चयन
3. भर्ती की पद्धति		अनुपयुक्त व्यक्तियों को अपवर्जित करके ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।	नियम 70 के अधीन प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	(क) नियम 49 के अधीन सीधी भर्ती द्वारा-- 50 प्रतिशत (ख) नियम 70 के अधीन प्रोन्नति द्वारा-- 50 प्रतिशत
4. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा।		प्रोन्नति : निरीक्षक श्रेणी II जिन्होंने अपनी परिवीक्षा पूरी कर ली है।	(i) प्रोन्नति : उपनिरीक्षक जिन्होंने उप-निरीक्षक के रूप में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। (ii) प्रतिनियुक्ति : निरीक्षक या उप निरीक्षक जिनका पुलिस से निरीक्षक के रूप में प्रोन्नति के लिए अनुमोदन कर दिया गया है।	प्रोन्नति सहायक उपनिरीक्षक जिनकी उमर रैंक में पांच वर्ष की नियमित अवधि हो।

क्रम सं.	वर्णन	सहायक उप-निरीक्षक (कार्यपालक)	हैडकांस्टेबल (कार्यपालक)	नायक (कार्यपालक)
1. पदों की संख्या		जो समय-समय पर विनिश्चित की जाएं	जो समय-समय पर विनिश्चित की जाएं	जो समय-समय पर विनिश्चित की जाएं
2. चयन पद/अचयन पद		चयन	चयन	अचयन
3. भर्ती की पद्धति		प्रोन्नति द्वारा : नियम 70 के अधीन-- 60% नियम 73 के अधीन-- 40%	प्रोन्नति द्वारा : नियम 70 के अधीन-- 60% नियम 72 के अधीन-- 40%	अनुपयुक्त व्यक्तियों को अपवर्जित करके ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।
4. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ, जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा।		प्रोन्नति : (i) नियम 70 के लिए-- हैड कांस्टेबल जिन्होंने अपनी परिवीक्षा पूरी कर ली है। (ii) नियम 72 के लिए-- हैडकांस्टेबल, नायक और कांस्टेबल जो अधिसूचना की तारीख को बल में सेवा के दस वर्ष पूरे कर चुके हैं (इस नियम के अधीन प्रोन्नति के लिए केवल दो अवसर)	प्रोन्नति : (i) नियम 70 के अधीन-- नायक जिन्होंने अपनी परिवीक्षा पूरी कर ली है। (ii) नियम 72 के अधीन-- नायक और कांस्टेबल जो अधिसूचना की तारीख को बल में सेवा के आठ वर्ष पूरे कर चुके हैं (इस नियम के अधीन प्रोन्नति के लिए दो अवसर दिए जाएंगे)	प्रोन्नति : कांस्टेबल जिन्होंने अपनी परिवीक्षा पूरी कर ली है।

क्रम	वर्णन	सार्जेंट ड्राइवर (ड्राइवर श्रेणी I)	प्रधान ड्राइवर (ड्राइवर श्रेणी II)	नायक ड्राइवर (ड्राइवर श्रेणी III)
1.	पदों की संख्या	किसी आंचलिक रेल या रेल संरक्षण विशेष बल में ड्राइवरों के पदों की कुल संख्या का 30%	किसी आंचलिक रेल या रेल संरक्षण विशेष बल में ड्राइवरों के पदों की कुल संख्या का 35%	किसी आंचलिक रेल या रेल संरक्षण विशेष बल में ड्राइवरों के पदों की कुल संख्या का, जो समय समय पर विनिश्चित की जा सकेगी, 35%
2.	तकनीकी अर्हताएं	ऐसी व्यवसाय परीक्षा उत्तीर्ण जो निदेशों में विनिर्दिष्ट की जाएं।	ऐसी व्यवसाय परीक्षा उत्तीर्ण जो निदेशों में विनिर्दिष्ट की जाएं	ऐसी व्यवसाय परीक्षा उत्तीर्ण जो निदेशों में विनिर्दिष्ट की जाए
3.	चयन/अचयन पद	चयन	चयन	चयन
4.	भर्तियों की पद्धति	नियम 70 के अधीन प्रोन्नति द्वारा	नियम 70 के अधीन प्रोन्नति द्वारा	नियम 70 के अधीन प्रोन्नति द्वारा
5.	प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा।	नियम 70 के अधीन प्रोन्नति : ड्राइवर श्रेणी 2 जिन्होंने अपनी परीक्षा पूरी कर ली है।	नियम 70 के अधीन प्रोन्नति : ड्राइवर श्रेणी 3 जिन्होंने अपनी परीक्षा पूरी कर ली है।	नियम 72 के अधीन प्रोन्नति : कांस्टेबल और नायक जिनके पास भारी यान चलाने की विधि-मान्य अनुज्ञप्ति है और जो बला में पांच वर्ष की सेवा कर चुके हैं

क्रम सं०	वर्णन	निरीक्षक श्रेणी I (अग्निशमन)	निरीक्षक श्रेणी II (अग्निशमन)	उप निरीक्षक (अग्निशमन)
1	2	3	4	
1.	पदों की संख्या	जो समय-समय पर विनिश्चित की जाएं	जो समय-समय पर विनिश्चित की जाएं	जो समय-समय पर विनिश्चित की जाएं।
2.	आयु	लागू नहीं	लागू नहीं	अधिसूचना की तारीख को 20 वर्ष और 23 वर्ष के बीच (नियम 49 देखिए)।
3.	शैक्षिक और तकनीकी अर्हता	लागू नहीं	लागू नहीं	विज्ञान और उप-अग्निशमन अधिकांश पाठ्यक्रम सहित इन्टर-मिडिएट या अग्निशमन विज्ञान में उसके समतुल्य डिप्लोमा उत्तीर्ण किया हो।
4.	चयन पद/अचयन पद	अचयन पद	चयन	चयन।
3.	भर्ती की पद्धति	अनुपयुक्त व्यक्तियों को अपवर्जित करके ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।	नियम 70 के अधीन प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	(क) नियम 49 के अधीन सीधे भर्ती द्वारा—50% (ख) नियम 70 के अधीन प्रोन्नति द्वारा—50%
6.	प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा।	प्रोन्नति : निरीक्षक (अग्निशमन) श्रेणी 2 जो अपनी परीक्षा पूरी कर चुके हैं।	प्रोन्नति : (i) उपनिरीक्षक (अग्निशमन) जिन्होंने उपनिरीक्षक के रूप में 8 वर्ष की नियमित सेवा की हो (ii) प्रतिनियुक्ति : निरीक्षक या उपनिरीक्षक जिनका पुलिस की अग्नि सेवा शाखा से निरीक्षक के रूप में प्रोन्नति के लिए अनुमोदन कर दिया गया हो।	नियम 70 के अधीन प्रोन्नति : हैड कांस्टेबल (अग्निशमन) (तकनीकी और परिचालन ड्यूटी) जिन्होंने अपनी परीक्षा पूरी कर ली है।

क्रम सं०	वर्णन	हैड कांस्टेबल (अग्निशमन) (परिचालन इयूटी)	हैड कांस्टेबल (अग्निशमन) तकनीकी इयूटी श्रेणी I	हैड कांस्टेबल (अग्निशमन) तकनीकी इयूटी श्रेणी II	हैड कांस्टेबल (अग्निशमन) (तकनीकी) श्रेणी III
		(क) ट्रेलर पम्प प्रचालक और ड्राइवर चलता फिरता यूनिट (ख) ट्रेलर पम्प प्रचालक स्थैतिक यूनिट (ग) फिटर (घ) अग्निशामक सेवाकार (ङ) हॉज मरम्मतकर्ता (च) पेंटर	(क) ट्रेलर पम्प प्रचालक और ड्राइवर चलता फिरता यूनिट (ख) ट्रेलर पम्प प्रचालक स्थैतिक यूनिट (ग) फिटर (घ) अग्निशामक सेवाकार (ङ) हॉज मरम्मतकर्ता (च) पेंटर	(क) ट्रेलर पम्प प्रचालक और ड्राइवर चलता फिरता यूनिट (ख) ट्रेलर पम्प प्रचालक स्थैतिक यूनिट (ग) फिटर (घ) अग्निशामक सेवाकार (ङ) हॉज मरम्मतकर्ता (च) पेंटर	(क) ट्रेलर पम्प प्रचालक और ड्राइवर चलता फिरता यूनिट (ख) ट्रेलर पम्प प्रचालक स्थैतिक यूनिट (ग) फिटर (घ) अग्निशामक सेवाकार (ङ) हॉज मरम्मतकर्ता (च) पेंटर
1	2	3	4	5	
1. पदों की संख्या	जो समय समय पर विनिश्चित की जाएं	जो समय समय पर विनिश्चित की जाएं	जो समय समय पर विनिश्चित की जाएं	जो समय समय पर विनिश्चित की जाएं	
2. आयु	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
3. तकनीकी अर्हता	लागू नहीं	ऐसी व्यवसाय परीक्षा उत्तीर्ण जो निदेशों में विनिर्दिष्ट की जाए	ऐसी व्यवसाय परीक्षा उत्तीर्ण जो निदेशों में विनिर्दिष्ट की जाए	(i) ऐसी व्यवसाय परीक्षा उत्तीर्ण जो निदेशों में विनिर्दिष्ट की जाए (ii) हैड कांस्टेबलों (ट्रेलर पम्प प्रचालक और ड्राइवर) के लिए -भारी यान चालन अनुज्ञप्ति होगी चाहिए।	
4. चयन पद/अचयन पद	चयन	चयन	चयन	चयन	
5. भर्ती की पद्धति	प्रोन्नति द्वारा : नियम 70 के अधीन—60% नियम 72 के अधीन—40%	नियम 70 के अधीन प्रोन्नति द्वारा	नियम 70 के अधीन प्रोन्नति द्वारा	नियम 72 के अधीन प्रोन्नति द्वारा	
6. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा।	प्रोन्नति : (i) कांस्टेबल (अग्निशमन) जिन्होंने अपनी परीक्षा पूरी कर ली है। (ii) नियम 72 के अधीन कांस्टेबल (अग्निशमन) जो अधिसूचना की तारीख को सेवा के आठ वर्ष पूरे कर चुके हैं। इस नियम के अधीन प्रोन्नति के लिए दो अवसर दिए जाएं।	नियम 70 के अधीन प्रोन्नति— हैड कांस्टेबल (अग्निशमन) (तकनीकी) श्रेणी II, जिन्होंने अपनी परीक्षा पूरी कर ली है।	नियम 70 के अधीन प्रोन्नति— हैड कांस्टेबल (अग्निशमन) (तकनीकी) श्रेणी III, जिन्होंने अपनी परीक्षा पूरी कर ली है।	नियम 72 के अधीन प्रोन्नति कांस्टेबल (अग्निशमन), जिन्होंने सेवा के पांच वर्ष पूरे कर लिए हैं और जो तकनीकी शाखा के लिए विकल्प करते हैं।	

क्रम सं०	वर्णन	निरीक्षक श्रेणी I (अभियोजन)	निरीक्षक श्रेणी II (अभियोजन)	उपनिरीक्षक (अभियोजन)
1	2	3	4	5
1. पदों की संख्या		जो समय समय पर विनिश्चित की जाएं	जो समय समय पर विनिश्चित की जाएं	जो समय समय पर विनिश्चित की जाएं
2. आयु		लागू नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अधिसूचना की तारीख को 32 वर्ष से कम नहीं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अधिसूचना की तारीख को 30 वर्ष से कम नहीं।
3. तकनीकी अर्हता		लागू नहीं	(i) विधि में स्नातक की डिग्री, (ii) अधिवक्ता के रूप में पांच वर्ष की अवस्थिति।	(i) विधि में स्नातक की डिग्री। (ii) सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अधिवक्ता के रूप में दो वर्ष की अवस्थिति।
4. चयन पद/अचयन पद		अचयन	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए चयन। विभागीय तौर पर प्रोन्नत किए गए व्यक्तियों के लिए अचयन।	चयन।
5. भर्ती की पद्धति		अनुपयुक्त व्यक्तियों को अपवर्जित करके ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।	(i) सीधी भर्ती द्वारा-- 80/- (ii) अनुपयुक्त व्यक्तियों-- 20/- को अपवर्जित करके ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।	(i) सीधी भर्ती ---- 50/- द्वारा (ii) विधि स्नातकों में-- 50/- से, नियम 72 के अर्धीन प्रोन्नति द्वारा।
6. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिन्होंने प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा।		प्रोन्नति: निरीक्षक (अभियोजन) श्रेणी 2 जिन्होंने अपनी परिवीक्षा पूरी कर ली है।	(i) सीधी भर्ती: जैसा निदेशों द्वारा विहित किया जाए। (ii) प्रोन्नति द्वारा: उप निरीक्षक (अभियोजन) जिन्होंने पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो।	जैसा निदेशों द्वारा विहित किया जाए।

अनुसूची—5

मुख्या न्यायालय की न्यायिक शक्तियाँ
(नियम 30 देखिए)

भाग 1

क्रम सं०	शक्तियाँ	खण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा
1	2	3
1.	अपनी उपस्थिति में अपराध करने वाले किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या उसकी गिरफ्तारी का निदेश देने की और उसे अभिरक्षा के लिए सुपुर्द करने की शक्ति।	धारा 44(1)
2.	किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने या अपनी उपस्थिति में उसकी गिरफ्तारी का निदेश देने की शक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह उस समय और उन परिस्थितियों में वारण्ट जारी करने के लिए सक्षम है।	धारा 44(2)
3.	अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए वारण्ट भेजने की शक्ति।	धारा 78
4.	फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जारी करने की शक्ति।	धारा 82
5.	फरार व्यक्ति की सम्पत्ति की कुर्की का आदेश देने की शक्ति और कुर्की के बारे में दावों या आपत्तियों की जांच।	धारा 83 और धारा 84
6.	कुर्क की हुई सम्पत्ति को निर्मुक्त, विक्रय और वापस करने की शक्ति।	धारा 85
7.	तलाशी वारण्ट जारी करने की शक्ति।	धारा 93
8.	उन स्थानों के तंत्र में तलाशी वारण्ट जारी करने की शक्ति जिनमें चुराई हुई सम्पत्ति, कूटरचित दस्तावेज आदि होने का संदेह है।	धारा 94
9.	सदोष परिहृत व्यक्तियों के प्रकटीकरण के लिए तलाशी वारण्ट जारी करने की शक्ति।	धारा 97
10.	अधिकारिता के परे तलाशी में पाई गई चीजों का व्ययन करने की शक्ति।	धारा 101
11.	संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करने की शक्ति।	धारा 164
12.	जब चौकीस घंटे के अन्दर अन्वेषण पूरा न किया जा सके तब निरोध प्राधिकृत करने की शक्ति।	धारा 167
13.	परिवाद पर, पुलिस रिपोर्ट पर या किसी व्यक्ति से प्राप्त इतिला पर या स्वयं अपनी जानकारी पर अपराधों का संज्ञान करने की शक्ति।	धारा 190 (1)
14.	आदेशिका के जारी किए जाने को मुत्तबी करने की शक्ति।	धारा 202
15.	कुछ मामलों में कार्यवाही रोक देने की शक्ति।	धारा 258
16.	बंदियों को हाजिर करने की अपेक्षा करने की शक्ति।	धारा 267
17.	साक्षियों की कमीशन पर परीक्षा करने की शक्ति।	धारा 287
18.	अपने समक्ष शपथपत्रों पर शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान किया जाना अनुज्ञात करने की शक्ति।	धारा 297
19.	सह-अपराधियों को क्षमा-दान करने की शक्ति।	धारा 306
20.	स्थानीय निरीक्षण करने की शक्ति।	धारा 310
21.	सद-चरण की परीक्षा पर या भर्त्सना के पश्चात् छोड़ देने का आदेश करने की शक्ति।	धारा 360
22.	समग्रहत् वंघपत्र पर शास्ति वसूल करने की शक्ति।	धारा 446
23.	नई प्रतिभूति की अपेक्षा करने की शक्ति।	धारा 447
24.	कुछ मामलों में विचारण लंबित रहने तक संपत्ति की अभिरक्षा और व्ययन के लिए आदेश करने की शक्ति।	धारा 451
25.	विचारण की समाप्ति पर संपत्ति के व्ययन के लिए आदेश करने की शक्ति।	धारा 452
26.	अधिनियम के अधीन प्रतिसंहृत या बरामद की गई सम्पत्ति के व्ययन करने की शक्ति।	धारा 457
27.	विनैश्वर सम्पत्ति को बेचने की शक्ति।	धारा 459

भाग 2

- डाक या तार प्राधिकारी से यह अपेक्षा करने की शक्ति कि वह किसी दस्तावेज, पार्सल या चीज के लिए तलाशी कराए या उसे निरुद्ध रखे। धारा 92
- अपराध का संज्ञान करने के पश्चात् मामलों की जांच या विचारण के लिए किसी दूसरे मजिस्ट्रेट के हवाले करने की शक्ति। धारा 192

अनुसूची-- 6

[नियम 53 (क) देखिए]

प्रेषिती--

भारत के राष्ट्रपति।

मुझे रेल, संरक्षण बल में-----के रूप में नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति के समूह होने के प्रतिफलस्वरूप, मैं-----
 -----जो का पुत्र/की पुत्री हूँ, इसके द्वारा यह करार और वचनबन्ध करता हूँ कि मैं--

- (i) रेल संरक्षण बल में अपनी नियुक्ति की तारीख से कम से कम तीन वर्ष की अवधि तक बल में सेवा करूँगा;
- (ii) रेल में मेरे वरिष्ठ बल-सदस्यों द्वारा मुझे सौंपे गए सभी कर्तव्यों और कृत्यों का और दिए गए विधिमूर्ण सभी आदेशों का कार्यान्वयन करूँगा,
- (iii) बल में मुझे दिए गए प्रशिक्षण का समस्त खर्च या तीन मास के वेतन और भत्ते बराबर राशि, इनमें से जो भी कम हो, तीन वर्ष की पूर्वोक्त अवधि के दौरान बल से किसी भी कारण या कारणों से अपना त्याग-पत्र देने की दशा में वापस करूँगा; और यदि तीन वर्ष के पश्चात् मैं पदत्याग करना चाहूँ तो अपना अनुरोध लिखित में प्रस्तुत करूँगा और अपने कर्तव्यों से तब तक मुँह नहीं मोड़ूँगा जब तक मैं सम्यक् रूप से भारोन्मुक्त नहीं कर दिया जाता।

2. मैं यह समझता हूँ और करार करता हूँ कि मेरी सेवाएं--

- (i) नियम 67 के उपनियम (2) के अर्थान या नियम 57 के उपनियम (3) के दूसरे परन्तुक के अर्थान मुझे कोई सूचना दिए बिना मुख्य आयुक्त द्वारा--
 - (क) मेरे प्रारम्भिक प्रशिक्षण की अवधि के दौरान किसी भी समय; या
 - (ख) प्रारम्भिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने और मेरे असफल रहने पर; और
- (ii) नियम 57 के उपनियम (3) के अर्थान नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, मेरी परीक्षा की अवधि के दौरान या उसके बढ़ाए जाने के दौरान एक मास की सूचना जारी करके या ऐसी सूचना के बदले एक मास का वेतन और भत्ता निविदत्त करके, समाप्त की जा सकती है।

टिप्पणः--पैरा 1 के खण्ड (iii) और पैरा 2 के खण्ड (ii) में प्रयुक्त "वेतन और भत्ता" पद से अभिप्रेत है मेरे सेवा त्याग या सेवा समाप्ति की तारीख के ठीक पूर्व मुझे दिया गया सामान्य वेतन और भत्ता।

साक्षी:

हस्ताक्षर-

पदनाम-

तारीख-

स्थान-

रंगरूट के हस्ताक्षर-

पदनाम-

तारीख-

स्थान-

स्वीकार किया जाता है।

राष्ट्रपति के लिए और उसकी ओर से।

(स्वीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर)

सिल

अनुसूची—7

निष्ठा के प्रतिज्ञान का प्ररूप

[नियम 53 (ख) देखिए]

“मैं, ... जो का पुत्र/की पुत्री हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं/करती हूं कि मैं भारत के प्रति और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धावान रहूंगा/रहूंगी और सच्ची निष्ठा रखूंगा/रखूंगी और अपने पद के कर्तव्यों का वफादारी, ईमानदारी और निष्पक्षता में पालन करूंगा/करूंगी।

तारीख :

अभ्यावेशित बल-सदस्य के हस्ताक्षर

स्थान :

वरिष्ठ अधिकारी (जिसकी उपस्थिति में
प्रतिज्ञान कराया जाता है) के
हस्ताक्षर और पदनाम

तारीख

अनुसूची—8

बैज या रैंक

[नियम 121 देखिए]

क्रम सं०	रैंक	रैंक के बैज
1. महानिदेशक		क्रास तलवार और बैटन और राज्य संप्रतीक जो इस रीति से पहने जायेंगे कि तलवार की नोक मुख की ओर रहे।
2. महानिरीक्षक और अवर महानिरीक्षक		क्रास तलवार और बैटन और एक तारा जो इस रीति से पहने जायेंगे कि तलवार की नोक मुख की ओर रहे।
3. उप महानिदेशक		राज्य संप्रतीक और तीन तारे जो त्रिकोण के रूप में पहने जायेंगे।
4. (i) ज्येष्ठ कमाण्डेंट (ii) कमाण्डेंट जिन्होंने 15 वर्ष सेवा की है	}	राज्य संप्रतीक और दो तारे
5. सहायक महानिरीक्षक/कमाण्डेंट		राज्य संप्रतीक और एक तारा
6. उप कमाण्डेंट		राज्य संप्रतीक
7. सहायक कमाण्डेंट जिसने 5 वर्ष से अधिक सेवा की है या सहायक कमाण्डेंट जो इंडल का स्वतंत्र रूप से भारसाधक है		तीन तारे
8. सहायक कमाण्डेंट जिसने 5 वर्ष से कम किन्तु 2 वर्ष से अधिक सेवा की है		दो तारे
9. सहायक कमाण्डेंट जिसने 2 वर्ष से कम सेवा की है या जो परिवीक्षा पर है		एक तारा
10. निरीक्षक		पीली धातु के पांच नोक वाले तीन तारे और एक सेंटीमीटर चौड़ाई की नेवीब्लू रेसमी पट्टी।
11. उप-निरीक्षक		पीली धातु के पांच नोक वाले दो तारे और एक सेंटीमीटर चौड़ाई की नेवीब्लू रेसमी पट्टी
12. सहायक उप-निरीक्षक		पीली धातु का पांच नोक वाला एक तारा और एक सेंटीमीटर चौड़ाई की नेवीब्लू रेसमी पट्टी

1

2

12. हेड कांस्टेबल

V आकार की सूती कपड़े की तीन सफेद पट्टियाँ, जो कोहनी के जोड़ और कंधे के जोड़ के बीच में लगी होंगी, दाहिनी भुजा पर ऊपर की ओर पहनी जाएंगी ।

14. नायक

V आकार की सूती कपड़े की दो सफेद पट्टियाँ, जो कोहनी के जोड़ और कंधे के जोड़ के बीच में लगी होंगी दाहिनी भुजा पर ऊपर की ओर पहनी जाएंगी ।

टिप्पण :—(1) वरिष्ठ अधिकारी द्वारा पहने जाने वाले तारे सफेद धातु/चांदी के पांच नोक वाले (भारत का चिन्ह) होंगे।

- (2) रेल संरक्षण विशेष बल में सहायक कमाण्डेंट और एडजुटेंट अपनी सेवा की अवधि पर ध्यान दिए बिना, क्रमशः तीन तारे और दो तारे पहनने के हकदार होंगे जब तक वे अपनी सेवा की अवधि के आधार पर उच्चतर बैज के हकदार न हों।
- (3) राज्य संप्रतीक और दो तारे पहनने वाले अधिकारी तथा राज्य संप्रतीक और तीन तारे पहनने वाले अधिकारी वर्दी के कालर पर जो चिन्ह पहनेंगे वह गहरे नीले रंग की ऊनी सामग्री का होगा जिसके बीच में चांदी के रंग की पट्टी होगी और उच्चतर रैंक के अधिकारी वर्दी की कालर पर इसी प्रकार का चिन्ह पहनेंगे जिसके बीच में ओक पत्ति पैटर्न की चांदी के रंग की पट्टी होगी ।
- (4) राज्य संप्रतीक और दो तारे के हकदार अधिकारी और उससे ऊपर के अधिकारी अपनी पी कैंप पर चांदी के रंग में कशीदा किए हुए रेल संरक्षण बल क्रेस्ट के साथ ऊनी सामग्री के गहरे नीले रंग की पट्टी पहनेंगे जो नीचे दो बेल्टों के बीच में होगी। पी कैंप में भूरे चमड़े का चैन फीता लगा होगा। हकदार अधिकारी ये सब पगड़ी पर पहनेंगे।
- (5) रैंक के बैजों के प्रयोजन के लिए "सेवा" शब्द से समूह "क" में वरिष्ठ अधिकारी के रूप में की गई अनात्मिक सेवा की अवधि अभिप्रेत है ।
- (6) नेवीब्लू रेशमी पट्टी की कमीज पर सिलाई अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा की जाएगी। इसी प्रकार "V" आकार की पट्टी के क्यास्थिति, कमीज, जर्सी और ओवर कोट पर सिलाई अवर अधिकारियों द्वारा की जाएगी ।
- (7) भारतीय पुलिस सेवा या राज्य पुलिस सेवा से प्रतिनियुक्ति पर के वरिष्ठ अधिकारी उस रैंक की, जो वे अपनी प्रतिनियुक्ति से पूर्व धारण कर रहे थे या ऐसे उच्चतर रैंक की जिस पर वे केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जा सकेंगे, वर्दी और बैज पहनेंगे।

अनुसूची—9

(नियम 188 देखिए)

न्यायालय के लिए शपथ का प्ररूप

मैं.....सर्वशक्तिमान ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सुरक्षा न्यायालय के समक्ष अभियुक्त (या अभियुक्तों) का विचारण साक्ष्य के अनुसार भलीभांति और ठीक ठीक करूँगा तथा मैं बिना पक्षपात, अनुग्रह या स्नेह के, रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 और उसके अधीन बनाए गए रेल संरक्षण बल नियम, 1987 और विधि की अपनी सर्वोत्तम समझ और बल की परम्परा के अनुसार सम्यक् रूप से न्याय करूँगा ।

न्यायालय के लिए प्रतिज्ञान का प्ररूप

(नियम 18 देखिए)

मैं....., सत्यनिष्ठा से सदभावपूर्वक और सच्चाई से घोषणा करता हूँ और प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं सुरक्षा न्यायालय के समक्ष अभियुक्त (या अभियुक्तों) का विचारण साक्ष्य के अनुसार भली भांति और ठीक ठीक करूँगा तथा मैं बिना पक्षपात, अनुग्रह या स्नेह के, रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 और उसके अधीन बनाए गए रेल संरक्षण बल नियम, 1987 और विधि की अपनी सर्वोत्तम समझ और बल की परम्परा के अनुसार सम्यक् रूप से न्याय करूँगा ।

दुभाषिए के लिए शपथ का प्रारूप

(नियम 188 देखिए)

मैं सर्वशक्तिवान ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं इस सुरक्षा न्यायालय के समक्ष मामले के संबंध में साक्षियों से पूछे गए सभी प्रश्नों और उनके द्वारा दिए गए साक्ष्य का, मुझे ऐसी अपेक्षा की जाने पर भली भाँति और ठीक-ठीक भाषान्तर और व्याख्या करूँगा तथा मामले के संबंध में अनुवाद करने के लिए मुझे दिए गए सभी दस्तावेजों का, मुझसे ऐसी अपेक्षा की जाने पर सही और ठीक अनुवाद करूँगा।

दुभाषिए के लिए प्रतिज्ञान का प्रारूप

(नियम 188 देखिए)

मैं सत्यनिष्ठा से, सद्भावपूर्वक और सच्चाई से घोषणा करता हूँ और प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं इस सुरक्षा न्यायालय के समक्ष मामले के सम्बन्ध में साक्षियों से पूछे गए सभी प्रश्नों और उनके द्वारा दिए गए साक्ष्य का, मुझसे ऐसी अपेक्षा की जाने पर भली भाँति और ठीक-ठीक भाषान्तर और व्याख्या करूँगा तथा मामले के सम्बन्ध में अनुवाद करने के लिए मुझे दिए गए सभी दस्तावेजों का, मुझसे ऐसी अपेक्षा की जाने पर सही और ठीक अनुवाद करूँगा।

अनुसूची - 10

प्रारूप 'क'

कारावास से दंडादिष्ट किए जाने पर सुपुर्दगी वारंट

(नियम 208 देखिए)

प्रेषिनी,

अधीक्षक,

..... कारागार,

(पता लिखिए)

तारीख को में अधिविधि उस सुरक्षा न्यायालय में, जिसकी अध्यक्षता श्री ने की थी, अभियुक्त का नाम स्टाफ सं० रैंक यूनिट को जिसकी पहचान चिह्न है, रेल संरक्षण बल नियम 1987 के नियम 147 के साथ पठित रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 की धारा 17 के अधीन (यहाँ अपराध का उल्लेख कीजिए) के लिए सम्यक रूप से सिद्धोप ठहराया गया था।

और उक्त सुरक्षा न्यायालय ने तारीख को उक्त [नाम] को निम्नलिखित दंडादेश दिया है, अर्थात्, ... [दंडादेश पूर्ण रूप से लिखा जाए, किन्तु उस पर हस्ताक्षर न किए जाएं]

इसके द्वारा आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त कैदी [नाम] को इस वारंट सहित, उक्त जेल में अपनी अभिरक्षा में ग्रहण करें और तद्द्वारा कारावास के पूर्वोक्त दंडादेश को विधि के अनुसार निष्पादित करें। दंडादेश (वह तारीख लिखिए जिसको मूल दंडादेश पर हस्ताक्षर किए गए थे) से प्रभावी है।

कैदी उन सभी परिहार/कायदों का जो राज्य/केंद्रीय सरकार द्वारा, विशेष या साधारण आदेश द्वारा समयसमय पर दिए जाएं और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 428 के निबंधनों के अनुसार मुजरा के फायदे का भी हकदार होगा।

आज (स्थान) में तारीख को मेरे हस्ताक्षर से और मुद्रा लगाकर दिया गया है।

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

सुरक्षा न्यायालय की मुद्रा

अनुसूची 10

प्ररूप 'ख'

दण्डादेश के लघुकरण के पश्चात् वारंट

(नियम 208 देखिए)

सेवा में,

अधीक्षक

..... कारागार

(पता लिखिए)

तारीख को में अधिविष्ट उस सुरक्षा न्यायालय में, जिसकी अध्यक्षता श्री ने की थी. (सं० रैंक नाम यूनिट) को रेल संरक्षण बल नियम, 1987 के नियम 147 के साथ पठित रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 की धारा 17 के अधीन) यहां अग्रराध का उल्लेख कीजिए) के लिए सम्यक् रूप से सिद्धोप टहराया गया था।

और उक्त सुरक्षा न्यायालय ने तारीख को उक्त (नाम) को निम्नलिखित दण्डादेश दिया, अर्थात् (दण्डादेश पूर्ण रूप से लिखा जाए, किन्तु उस पर हस्ताक्षरन किए जाएं) और तदुपरि आपकी अभिरक्षा में सुपुर्द किया था;

और याचिका प्राधिकारी के आदेश द्वारा (जिसकी दूसरी प्रति इसके साथ संलग्न है), उक्त दंडादेश द्वारा न्यायनिर्णित दंड का के दण्ड के रूप में लघुकरण किया गया है।

इसके द्वारा आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त (कैदी का नाम) को बल अभिरक्षा के लिए सुरक्षित वापस भेज दें।

* (उक्त (कैदी का नाम) को उक्त जेल में अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखें और तद्द्वारा उक्त आदेश के अधीन कारावास के दंड को विधि के अनुसार निष्पादित करें।

तारीख

मुद्रा

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

* जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

अनुसूची 10

प्ररूप 'ग'

कैदी को क्षमा कर दिए जाने या उसका विचारण अपास्त कर दिए जाने या (दंडादेश के अपर्यवर्तित भाग का परिहार कर दिए जाने की दशा में वारंट

(नियम 208 देखिए)

प्रेषिती,

अधीक्षक,

..... कारागार

(पता लिखिए)

तारीख को में अधिविष्ट उस सुरक्षा न्यायालय द्वारा जिसकी अध्यक्षता श्री ने की थी, (सं० रैंक नाम यूनिट) को दण्डादेश के अनुसरण में उक्त सुरक्षा न्यायालय द्वारा जारी किए गए वारंट के अधीन उक्त व्यक्ति कारागार में परिरुद्ध हैं और याचिका प्राधिकारी ने, रेल संरक्षण बल नियम, 1987 के नियम 206 और नियम 210 द्वारा अपने को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त दण्डादेश के बारे में निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात्

इसके द्वारा आपसे यह अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि आप उक्त (नाम) को, यदि वह किसी अन्य कारण से निरुद्ध किए जाने के दायित्वाधीन नहीं है तो अपनी अभिरक्षा से तत्काल छोड़ दें और इस प्रकार उसे छोड़ने के लिए यह आपके लिए पर्याप्त वारंट है।

आज में तारीख को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

मुद्रा

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

अनुसूची 11

(अग्रिम लेने के लिए बंध पत्र का प्रकरण)

(नियम 249.2 देखिए)

मैं जिसने भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'सरकार' कहा गया है) (से रु० (केवल राशि का संदाय रूपए) अग्रिम के रूप में लिए हैं, वचन देता हूँ कि मैं रु० की उक्त तक करूँगा। यह संदाय से प्रारंभ होगा।

2. मैं यह करार करता हूँ कि यदि मैं किसी भी कारण से सरकारी सेवा में नहीं रहता हूँ तो उक्त रकम की समस्त वकाया राशि तुरन्त शोध्य और उद्देय हो जाएगी और यदि मैं उस तारीख से, जिसको मेरे सरकारी सेवा में न रहने की दशा में इन बंधपत्र के अधीन अंतिम किस्त का संदाय शोध्य होता, छह मास की समाप्ति की तारीख के पूर्व इनमें से जो भी तारीख पहले हो, उसका संदाय करने में असफल रहता हूँ, तो सरकार किसी ऐसे अन्य अधिकार पर जिसकी वह तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ठकदार हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त रकम की समस्त वकाया राशि मुझे वसूल करे।

तारीख

साक्षी

बल के सदस्य के हस्ताक्षर

अनुसूची 12

सेवोन्मुक्ति प्रमाण पत्र

(नियम 274 देखिए)

. रेल/रिल संरक्षण विशेष बल बटालियन

1. सं० रैंक
2. नाम
3. पिता का नाम
4. डाक का पता
5. जन्मतिथि
6. पहचान चिह्न (यदि कोई हो)
7. सेवाविधि से तक
8. निरुक्ति प्रमाणपत्र अस्थापित करने की तारीख
9. बल-सदस्य न रहने के ठीक पूर्व धारित पद
10. बल की वह शाखा जिसमें नियोजित था
11. डिबीजन या बटालियन
12. अंतिम लिया गया वेतन
13. सेवा समाप्ति/बल सदस्य न रहने के आधार
14. बल को छोड़ने के समय उसका आचरण और चरित्र
15. सेवोन्मुक्त सदस्य के हस्ताक्षर

कार्यालय मुद्रा

स्थान

तारीख

वरिष्ठ अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम